(1)

राजस्थान विधान सभा के कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 33 वां दिवस [संख्या 19

बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न।

बांसवाड़ा–घोटिया सड़क का निर्माण

455. श्री **बहादुरसिंह** (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा से घोटिया आम्बा वाया नवा ग्राम करजी रोड पर कितनी धन राशि खर्च की गई और इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

(2) क्या यह सही है कि दो हजार की जनसंख्या से ऊपर वाले गांवों को उक्त सड़क मिलाती है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1981-82 में यह कार्य पूरा किया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर): (1) बांसवाड़ा से घोटिया आम्बा (29 कि. मी.) वाया नवा गांव सामरिया, करजी रोड पर 5.52 लाख का कुल खर्चा गत वर्ष के अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत हुआ था, इस वर्ष केवल सड़क बांसवाड़ा से सामरिया (15 कि. मी.) वाया नवा गांव परिगणित जन-जाति उप-योजना के अन्तर्गत 17-1-81 को 20.80 लाख की लागत से स्वीकृत हुई है। अतः अभी कितने समय में पूरी सड़क संपूर्ण होगी यह कहना मुश्किल है।

(2) जी हां। यह कार्य वर्ष 1981-82 में पूरा नहीं किया जा सकता है, चूंकि केवल बांसवाड़ा से सामरिया तक ही सड़क का हिस्सा परिगणित जन-जाति उप-योजना के अन्तर्गत हाल ही में स्वीकृत किया गया है व अभी सामरिया से घोटिया आम्बा सड़क की कोई स्वीकृति नहीं है।

श्री **बहादुरसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे, बांसवाड़ा-घोटिया-आम्बा सड़क की ओर पूरा आदिवासी एरिया पड़ता है। उसमें कई गांव सामरिया आदि ऐसे हैं जो कि दो हजार से ऊपर की जनसंख्या वाले हैं ? इस सड़क पर इतना धन खर्च करने के बाद भी यह आदिवासियों के लिये नुकसानदायक है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। घोटिया तीर्थ स्थान है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई स्थान नहीं है। वहां लाखों लोग इकट्ठ

(श्री बहादुरसिंह)
होते हैं और बहुत बड़ा मेला भरता है। इसलिये बहुत जरूरी है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि सड़क की स्वीकृति 17-1-81 को हुई है। टेण्डर होंगे तो निश्चित रूप से समय लगेगा। 20.80 लाख की राशि स्वीकृत हुई है। कोशिश यह होगी कि जल्दी से जल्दी काम पूरा किया जाये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे, जब पिछले वर्ष 5.52 लाख रुपये का खर्चा हो गया तो बाकी हिस्से की स्वीकृति 17 जनवरी को क्यों दी गई ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : पहले यह कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत हुआ था और अब परिगणित जन-जाति उप-योजना के अन्तर्गत राशि स्वीकृत हुई है। रिलीफ वर्क में 5.52 लाख रुपया खर्च हो सकता था वह हमने कर दिया बाकी नियमित स्वीकृति जो हुई है वह परिगणित जन-जाति उप-योजना के अन्तर्गत हुई है।

प्रश्न संख्या 456

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री तेजपाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के पुनर्गठन हेतु गठित समिति के सुझाव

457. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जून, 1980 में राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के पुनर्गठन हेतु एक समिति की बैठक भारत सरकार के आयोजना मंत्रालय के सांख्यिकीय विभाग द्वारा आयोजित की गई थी ? यदि हां, तो क्या इस समिति द्वारा राज्य में जिला व विकास खण्ड स्तर पर पुनर्गठन संबंधी कोई सुझाव सरकार को दिये गये थे ?

(2) क्या सरकार इन सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का विचार रखती है ?

(3) यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो, क्यों ?

आयोजना मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) (1) राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने के लिये भारत सरकार द्वारा गठित समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। इस प्रतिवेदन में जिला व विकास खण्ड स्तर पर पुनर्गठन संबंधी सुझाव भी दिये गये हैं।

(2) यह सरकार के विचाराधीन है।

(3) कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, हमारी नियोजित अर्थ व्यवस्था में आज सभी क्षेत्रों में सांख्यिकीय विभाग का महत्व है तो क्या यह सही है कि इस बात की सिफारिश की गई है कि मंत्रालय अलग खोला जाये ?

क्या यह भी सही है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स एण्ड इकानामिक्स का अलग से-

(श्री कैलाश मेघवाल)

विभाग या अपना अलग से मंत्रालय न खोलें तब तक प्लानिंग कमीशन के साथ क्यों न जोड़ दिया जाये ?

क्या यह भी सही है कि इस बात की सिफारिश की है कि मॉडल एजेन्सी कायम की जाये और सभी विभागों के समन्वय से डेटाज कलेक्ट किये जायं ? क्या यह सही है कि अलग क्षेत्र के लिये, . . .

(व्यवस्था सूचक घंटी)

मेरे दो-तीनसवाल हैं । पहले जवाब दे दें ।

श्री **अध्यक्ष** : एक एक प्रश्न पूछें ।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मेरा निवेदन है कि यह रिकमण्डेशन हमारे यहां 25 अक्टूबर, 80 को प्राप्त हुई हैं । इस पर डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी प्राप्त की गई है । उस पर विभाग से 20-2-81 को गवर्नमेंट को प्राप्त हुई है । गवर्नमेंट ने इस मामले पर विचार करके सारी जानकारी कर ली है । इसमें 100 रिकमण्डेशन्स हैं । उसमें फाइनेन्सियल इम्प्लीकेशंस हैं, पोस्ट क्रियेट करने की बात है, पोस्ट अपग्रेड करने की बात है । इस तरह के मामले बहुत से डिपार्टमेंट से कन्सर्न के हैं ।

श्री **कैलाश मेघवाल** : 100 के करीब रिकमन्डेशंस हुई हैं । लेकिन जो मैंने आपको बात बतायी वह बहुत महत्वपूर्ण रिकमेण्डेशंस हैं । डिपार्टमेंट आफ स्टेटिस्टिक्स एण्ड इकानामिक्स को स्पेशल मंत्रालय बनाना है, उसको बनाया जाय । यह भी रिकमण्डेशन है कि स्टेट के अन्दर 13 जोन में स्टेट को बांट कर अलग-अलग डेटाज कलेक्ट करने चाहिये । मैं यह निवेदन कर रहा हूं, यह सिफारिशें मुख्य हैं । राज्य सरकार क्या निर्णय ले रही है और कब तक ले लेगी ? यह मेरे चार-पांच मुद्दे हैं इन का स्पष्ट जवाब दें ।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मेरा निवेदन है कि बहुत सी रिकमण्डेशन्स की जांच कर ली है । किसी में पोस्ट क्रिएट करनी है, फाइनेन्सियल इम्प्लीकेशंस भी हैं । उसके बाद में एक्सेप्ट करने की बात है । माननीय सदस्य ने जो बताया, वह अलग है । यह रिकमण्डेशन्स भी है कि डिस्ट्रिक्ट आफिसर की पोस्ट को अपग्रेड किया जाये । उसमें बेरी कमीशन को कहा जा रहा है । इस संबंध में इंस्ट्रक्शंस दे दिये गये हैं । डिपार्टमेंट इन सब पर विचार कर रहा है । दूसरा, इसके अलावा हर एक पंचायत लेवल पर एक आफिसर की पोस्ट क्रियेट की जाये । जहां तक बहुत से डिपार्टमेंट्स की बात है, इसमें बात करके कार्यवाही की जा रही है । अभी 4 / 5 को सैंट्रल गवर्नमेंट में सारे मिनिस्टर्स को बुलाकर बात हुई है कि रिकमण्डेशंस का क्या-क्या इम्पलीमेंटेशन हो रहा है ।

श्री **कैलाश मेघवाल** : मॉडल एजेन्सी स्टेटिस्टिकल कमेटी के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : ऐसी कोई रिकमण्डेशन मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** (नेता, प्रतिपक्ष) : रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं ?

श्री **कैलाश मेघवाल** : मंत्री जी ने रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं ?

श्री **अध्यक्ष** : कितने पृष्ठों की है ?

श्री **कैलाश मेघवाल** : रिपोर्ट बहुत छोटी है । उसमें रिकमण्डेशन का चैप्टर

(श्री कैलाश मेघवाल)
अलग है। उसमें स्पेसिफिक है कि राज्य में योजना विभाग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नियमित अर्थ-व्यवस्था में प्रत्येक विभाग को सही प्रोसेसिंग हो, सही एकीकरण हो, यह सारी बातें तब ही होंगी जब इसमें दी गई रिकमण्डेशन लागू हो। मेरा निवेदन है। फिर से आप पढ़ लें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास सारी रिकमण्डेशन हैं। मैंने पढ़ा है इसे। इसकी इम्पोर्टेन्स को रिपोर्ट में बतलाया गया है।

श्री कैलाश मेघवाल : जैसा आपने कहा ;मेरा आपसे निवेदन है :-

"The functions of co-ordination of statistical activities at the State level should be formally entrusted to the D.E.S. by designating it as the Model agency."

यह रिकमण्डेशन्स स्टेट के लिए भी हैं जो स्टेटिस्टिकल कमेटी है उसकी रिकमण्डेशन्स हैं।

"For Strengthening the inter-departmental co-ordination in matters of Statistical development and for formulation of broad policies on all matters relating to collecting, processing, storage and retrieval of data, each State should have a high level commitee to be called State Statistical Committee."

तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंत्री महोदय ने इन रिकमण्डेशन्स को पढ़ा है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्टेटिस्टिकल कमेटी आलरेडी बनी हुई है। मैंने इन रिकमण्डेशन्स को देखा है। जो केन्द्र में तथा और स्टेट में नहीं हैं वह हमारे यहां मौजूद हैं और आगे कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रशन। डा. उजला अरोड़ा।

मन्दिरों के भवन व उनकी अचल संपत्ति

458 श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) देवस्थान के अन्तर्गत कितने मंदिर पंजीकृत हैं ? कृपया तालिका सदन के पटल पर रखें। ये मंदिर कहां-कहां पर स्थित हैं ?

(2) कितने मंदिरों के भवनों व अन्य अचल संपत्ति की जीर्ण अवस्था है ?

(3) क्या इस प्रकार के मंदिरों व संपत्ति के रख रखाव के लिये विभाग ने कोई सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो कृपया सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें। यदि नहीं, तो कब तक करवा दिया जायेगा ?

देवस्थान मंत्री (श्री हरसहाय मीणा): अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी चाही है वह पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: स्थगित किया जाता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं, कल मेरा प्रश्न था इस संबंध में। इसकी जानकारी मंत्री जी के पास है। पैसा वसूल करने के लिये गरीब दुकानदारों को·······

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर जल्दी ही ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो सारे राजस्थान के मंदिरों की दशा है लेकिन मैं बताना चाहती हूं माणक चौक में रतनविहारी जी का मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर आमेर रोड पर है, कितनी जीर्ण अवस्था है उनकी ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, स्थगित किया गया है प्रश्न ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इतनी शिकायतें लायी हूं ....

श्री अध्यक्ष : जल्दी ही इसका उत्तर दिलवा दिया जायेगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये मंत्री महोदय बिलकुल सक्रिय नहीं है, ××× कर रहे हैं, इनके लोग कर रहे हैं इसलिये आपको जानकारी नहीं दी गई । आप विभाग को सक्रिय करें । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी इसी सत्र में दिलवावें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोशिश यही करेंगे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनकी कोई व्यवस्था नहीं कराई है ।

(व्यवधान)

उन दुकानदारों की कुर्कियां की गई हैं । उनकी वसूलियां स्थगित करवायें ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कृपया उनको कह दें कि वसूली स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित न करके जवाब देंगे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, वे खड़े होकर जबाव देने जा रहे हैं ।

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमान्, इस संबंध में मैं निवेदन करूं कि इस प्रश्न के खण्ड (2) में विस्तृत जानकारी चाही गई है वह सारी जानकारी उपलब्ध कराने के बाद उत्तर दे दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी ही मंगवा दीजिये । माननीय सदस्या, ऑर्डर प्लीज । वसूलियों की अलग से व्यवस्था की जा सकती है । आप कृपया चैंबर में मिलें । मंत्री महोदय को भी बुला लेंगे । यदि वाजिब होगा तो उस पर विचार किया जायेगा । ऑर्डर प्लीज, स्थगित हो गया ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं ये कागज आपकी टेबल पर रख दूं ।

(व्यवधान)

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं मेज पर रख दूं आपकी आज्ञा से ।

श्री अध्यक्ष : हां, मेज पर रख दीजिये । ऑर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : यह ××× है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । अगला प्रश्न । श्री देवीदत्त तिवाड़ी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह ××× शब्द कहा गया । शब्द अच्छा नहीं है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : मैं विचार करूंगा माननीय सदस्या ।

ऑर्डर प्लीज

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

जिला बाड़मेर में नीमला, जायडू जल प्रदाय योजना

459. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर में नीमला, जायडू पाइप लाइन की स्वीकृति होकर इस पर कार्य प्रारम्भ हुए दो वर्ष से भी अधिक समय हुआ है लेकिन उसके लिये जो पाइप लगाने के लिये साइट पर डाले गये थे उन्हें भी कार्य की शिथिलता को देखते हुए लोग उठा कर ले जा रहे हैं अथवा क्षति पहुंचा रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो ऐसा क्यों होने दिया जा रहा है ? क्या इस योजना को पुनः चालू करने का राज्य का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पुनः चालू किया जा सकेगा ?

(3) उक्त पाइप लाइन के मार्ग पर कोई एस. आर. (सर्विस रिजर्वयर) भी बनवाये गये हैं या नहीं ?

(4) यदि हां, तो उन एस. आर. को बिना पानी डाले कैसे टेस्ट किया गया है ?

(5) क्या उक्त एस. आर. के क्षतिग्रस्त होने की कोई संभावना है ?

राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री बनवारीलाल) : (1) जी नहीं, साइट पर डाले गये पाइपों को किसी व्यक्ति द्वारा नहीं ले जाया गया या क्षति पहुंचाई गई ।

(2) योजना पर धनाभाव के कारण कार्य स्थगित करना पड़ा व पुनः चालू करने हेतु योजना में संशोधन किया जा रहा है जिस पर धन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ करना संभव हो सकेगा ।

(3) जी हां, उच्च जलाशय सुरा ग्राम में बनाया गया है ।

(4) इस उच्च जलाशय को सुरा के कुएं से टेस्ट करा लिया गया है ।

(5) जी नहीं ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि दो-तीन साल तक काम चालू नहीं किया गया है तो कृपा करके बतलावें कि कब तक चालू होगा ? जो एस. आर. बन गये हैं उनका परीक्षण समय पर नहीं किया जाता है तो जब ठेकेदार लोग पानी डालेंगे और ये फट जायेंगे तो इसके लिये कौन जिम्मेदार होगा ? मेरे विचार से कोई नहीं होगा तो सरकार इसके लिये क्या करेगी ?

श्री बनवारीलाल : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह योजना 78 में हाथ में ली गई थी, 29.50 लाख की स्कीम थी, 31 लाख रुपये इस पर खर्चा कर दिया गया । अब सोर्स नहीं होने के कारण दुबारा यह 64 लाख की स्कीम बनाई गई है और करीब 35 किलोमीटर की स्कीम है । इसको 81-82 तक टेक अप करने का विचार कर रहे हैं और दो साल में पानी दिलवाने का विचार है ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : स्कीम के लिये सोर्स ही नहीं थे और स्कीम बनानी चालू कर दी गई, यह तो आश्चर्ययुक्त बात है ।

श्री बनवारीलाल : पहले ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने सोर्स की रिपोर्ट दी थी, दो विभाग

(श्री बनवारीलाल)

इस पर काम करते थे। सोर्स की रिपोर्ट ग्राउण्ड वाटर बोर्ड देता था और पाइप लाइन डालने का काम पी.एच.ई.डी. करता था, लेकिन अब दोनों कार्य एक ही विभाग के हाथ में आ गये हैं। अब जो सोर्स हैं उन के लिय दुबारा रिवाइज्ड स्कीम बनाई गई है जो 64 लाख की है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 81-82 में पूरी कर गांवों में पानी उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) : अध्यक्ष महोदय, यह 31 लाख का खर्चा किया गया है, पानी के हौज बना कर किन्तु कोई कामयाबी नहीं हुई। तो इस तरह से सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, एक पैसे का भी उपयोग नहीं हो रहा है, तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि भविष्य में जो भी योजना बनाई जायेगी वह ट्यूब वेल से पानी पूरा उपलब्ध होने के बाद सोर्स है या नहीं, इस हिसाब से सारी स्थिति मालूम करने के बाद स्वीकृत करेंगे या जिस तरह से पहले किया गया है कि पहले हौज बना दिया या पाइप लाइन डाल दी गई, लाखों, करोड़ों खर्च हो गये और एक लोटा पानी नहीं मिला; इसके लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री बनवारीलाल : ऐसी बात नहीं है। मैंने सोर्स के बारे में निवेदन किया कि इससे पूर्व ग्राउंड वाटर बोर्ड सोर्स की रिपोर्ट देता था, उसके आधार पर पी. एच. ई. डी. बनाता था लेकिन अब दोनों काम इसी के पास है। भविष्य में ध्यान रखेंगे कि सोर्स उपलब्ध है या नहीं। सोर्स होगा तभी स्कीम को हाथ में लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री अमराराम चौधरी : बाड़मेर तहसील में जो पाइप लाइन है, क्या 15 साल में एक बार भी उससे पानी दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। ऑर्डर प्लीज।

अगला प्रश्न।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है ......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हेमाराम चौधरी : क्या इन गांवों को किसी स्रोत से पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : जहां सोर्स मिलेगा, वहीं से पानी दिया जायेगा ...

श्री हेमाराम चौधरी : इस सोर्स से पानी नहीं मिला तो क्या दूसरे सोर्स से पानी को उपलब्ध कराया जायेगा।

श्री बनवारीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं कि वर्ष 1981-82 व 1982-83 में पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा।

प्रश्न संख्या 460

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती कमला।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हेमाराम चौधरी, प्रश्न संख्या 461।

धोरीमन्ना पंचायत समिति के ग्रामों का विद्युतीकरण

461. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा-मालानी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की

(श्री हेमाराम चौधरी)
कृपा करेंगे :-

जिला बाड़मेर की धोरी मन्ना पंचायत समिति के सभी ग्रामों को विद्युतीकृत करने की योजना कब तक स्वीकृत हुई तथा अभी तक इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई है?

राज्य मंत्री, विद्युत् (श्री प्रद्युम्नसिंह) : बाड़मेर जिले की धोरी मन्ना पंचायत समिति के सभी ग्रामों को सम्मिलित करते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की तीन योजनायें माह जनवरी, 1980 में स्वीकृत की गई हैं। इन योजनाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का है। योजनाओं की क्रियान्विति हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण की जाकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है एवं आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जा रही है।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि कार्यवाही की जा रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां एक अधिशासी अभियन्ता को डेढ़ साल से बैठा रखा है। कई बार व्यक्तिगत तौर से मैं मिला हूं। उन्होंने कहा कि मैं यहां सरकार के आदेश से बैठा हूं। मेरे पास कोई सामान नहीं है। उन्होंने बिल्डिंग आदि के लिये जमीन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। सामान का पता है। इसके बारे में मंत्री महोदय या कोई यह बता दे कि आज दिनांक क्या कार्यवाही हुई है? पांच साल में तो आप कार्यवाही करेंगे, परन्तु इस अधिकारी को तनख्वाह देने के अलावा और क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मई, 1980 के अन्दर वहां पर एक्स. ईएन. अपाइन्ट किया गया . . .

श्री दाऊदयाल जोशी : ए. ई. एन. . .

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक्स. ईएन. है। मुझे को ज्यादा पता है। यह सही है कि मई, 1980 के अन्दर एक्स. ईएन. की वहां पर नियुक्ति की गई। जब यह प्रश्न आया तो मैंने इसके बारे में जानकारी की कि एक्स. ईएन. की नियुक्ति के अलावा और क्या कार्यवाही हुई है ? इस साल कितने गांवों को विद्युतीकृत करना था। मैं खुद इससे सन्तुष्ट नहीं हूं। मैंने इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही के आदेश दिये हैं। एक्स. ईएन. वहां पर बैठे हुए तनख्वाह ले रहे हैं। उनके पास कोई स्टाफ नहीं है। अब वहां पर मेटीरियल भेजा जा रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस योजना के ऊपर शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा। मैं पुनः यह विश्वास दिलाता हूं कि पांच साल के कार्यकाल की अवधि के अन्दर-अन्दर हम इस पूरी योजना को कम्पलीट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मई, 80 के अन्दर पोस्टिंग करना बताया है, परन्तु वहां पर ग्रिड सब-स्टेशन के लिये जमीन की आवश्यकता है, क्या अधिशासी अभियन्ता ने इसके लिये जिलाधीश महोदय से सम्पर्क किया है ? इस बारे में मंत्री महोदय जानकारी दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जमीन के बारे में क्या कार्यवाही की गई है, यह जानकारी नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : बिना जमीन के वहां कैसे सब-स्टेशन बनेगा ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय स्वयं सन्तुष्ट नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो पूरक सामग्री प्राप्त हुई है उससे मैं स्वयं सन्तुष्ट नहीं हूं। मैंने आदेश दिये हैं कि कार्यवाही की जाये। अब शीघ्र ही इस योजना पर कार्यवाही शुरू हो जायेगी। जो कार्यवाही हुई है, उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय, यह बताएंगे कि इस आफिस को धोरी मन्ना से हटा कर बाड़मेर क्यों कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो सुविधा देख कर करते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : अधिशासी अभियन्ता की सुविधा देखी जा रही है और ग्रामीणों के लिये विद्युत की कोई सुविधा नहीं देखी जा रही है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन कर चुका हूं कि इस वक्त तक कोई कार्य नहीं हुआ है। मैटीरियल नहीं भेजा गया है। इस योजना के तहत लगे इन्जीनियर से दूसरा कार्य लिया जा रहा है। अब इस अधिशासी अभियन्ता के लिये पूरा स्टाफ भेजने का आदेश दे दिया गया है। इस योजना पर शीघ्र कार्यवाही आरंभ करवाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन की योजना के अन्तर्गत 1979-80, 1980-81 में कितने गांवों को विद्युतीकृत करना था और आर. ई. सी. से कितना धन इस स्कीम के लिए प्राप्त हो गया है ?

श्री अध्यक्ष : इस पर्टीक्यूलर आर. ई. सी. स्कीम के बारे में कह रहे हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जी हां।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह मैं आपको निवेदन करूं कि धोरी मन्ना प्रथम के अन्दर सम्मिलित ग्राम 26, अवधि पांच साल है और स्वीकृत ऋण 81 लाख रुपये के लगभग है। धोरी मन्ना द्वितीय में 50 गांव सम्मिलित हैं और अवधि पांच साल है, स्वीकृत लोन 93 लाख के लगभग है। इसी प्रकार धोरी मन्ना तृतीय में 28 गांव हैं और टोटल 225 लाख की योजना है। यह मैं आपको निवेदन करूं कि इस साल मार्च तक 14 गांवों को फेज्ड प्रोग्राम के अन्तर्गत विद्युतीकृत करना था किन्तु एक गांव भी विद्युतीकृत नहीं किया गया है। यह मैं स्वीकार करता हूं कि शिथिलता रही है। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं यहां पर किसी डिफाल्टिंग आफिसर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं और न भविष्य में करूंगा। इस बारे में सख्त आदेश दिये हैं कि जल्दी कार्यवाही की जाय। वहां पर आफिसर को बिठा कर जनता के धन का दुरुपयोग हुआ है, इस बारे में अलग से कार्यवाही की जायेगी।

श्री अमराराम चौधरी : मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें कि यह बिजली कहां से आयेगी ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज़।

(श्री अध्यक्ष)
समुचित उत्तर आ गया है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या अमानत में खयानत नहीं हुई है । यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन ने हम को पैसा दिया है और हम उस पैसे का उपयोग नहीं कर सके हैं । राजस्थान सरकार इतनी निकम्मी है, वह उस राशि का पूरा उपयोग नहीं कर पायी है । क्या, मंत्री महोदय, आप इसकी इन्क्वायरी करायेंगे ? यह सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य····

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप सवाल तो सुन लें । ठीक समझें तो उत्तर मंगा दें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न ।

श्री अमराराम चौधरी : बाड़मेर को पानी····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बाड़मेर जिले की तीन योजनायें जनता पार्टी के राज में चालू की गयी थीं ।

(व्यवधान)

ये उन पर काम नहीं कर रहे हैं यह मेरा आरोप है ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : पश्चिमी राजस्थान के साथ अन्याय किया जा रहा है । सामान वहां नहीं भेज कर भरतपुर भेजा जा रहा है····

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

रानीवाड़ा में आर. ई. सी. की स्कीम

श्री रतनाराम चौधरी : पांच साल पहले बनी थी । वह पांच साल पूरे होने को आ गये परन्तु अभी तक काफी काम बाकी है, योजना पूरी नहीं हो सकी है··

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । नियमों का ध्यान रखें । आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : आज तक वे योजनायें पूरी नहीं हो पायी हैं··

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्री रतनाराम चौधरी : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवी सिंह भाटी : हम जानना चाहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की योजनायें हैं उनके लिये सामान भेजा जाना चाहिये, वह भरतपुर क्यों भेजा जा रहा है····

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिले के अन्दर···

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

ग्राम पलासरा में पेयजल की व्यवस्था

462. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के पलासरा ग्राम का पानी खारा हो गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पलासरा, राजपुरा, जूराठड़ा एवं श्यामगढ़ पंचायत क्षेत्रों में पीने के पानी का भारी अभाव है ?

(3) क्या यह भी सही है पलासरा ग्राम को पिछले साल पेयजल योजना में लिया गया था तथा हटा दिया गया ?

(4) क्या उपरोक्त क्षेत्रों की समस्याओं के निवारण हेतु पेयजल संबंधी योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक शुरू हो जावेगी ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री बनवारीलाल) : (1) जी हां।

(2) जी हां, सन्दर्भित ग्राम समस्याग्रस्त ग्रामों की श्रेणी में हैं।

(3) उक्त ग्राम गत वर्ष जिला आयोजना द्वारा स्वीकृति हेतु अनुमोदित किया गया था लेकिन धन अभाव के कारण स्वीकृत नहीं किया जा सका।

(4) जी हां, जुराठड़ा में परम्परागत जल स्त्रोत योजना चालू कर दी गई है। शेष ग्रामों की योजनाएं विश्व बैंक परियोजना में सम्मिलित हैं तथा इन सभी ग्रामों में पेय जल व्यवस्था वर्ष 81–82 में पूरी किया जाना लक्षित है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बस एक छोटा सा प्रश्न। जैसा निवेदन किया था वह योजना स्वीकृत कर दी है तो जो शेष हैं उनको भी आप इसी तरह की योजना से जोड़ दें। अर्थात् इसके अन्तर्गत उन गांवों को भी इसी तरह से जोड़ दिया जाय परम्परागत पानी के स्त्रोतों से तो ठीक है ?

श्री अध्यक्ष : यह काम कराने का अच्छा तरीका है।

श्री बनवारीलाल : हर हालत में 81–82 में पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

श्री अध्यक्ष : समझ गये मंत्री महोदय आपकी बात।

अगला प्रश्न। श्री भगवान दास शास्त्री।

बड़े शहरों के सौन्दर्यकरण हेतु विश्व बैंक से प्राप्त राशि

463. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विश्व बैंक सहायता से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि बड़े नगरों के सौन्दर्य के निमित्त कोई राशि प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कौन कौन से शहर के लिये कितनी कितनी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जनसंख्या एवं ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से जयपुर के

Page No. 12

(12)

(श्री भगवानदास शास्त्री)
बाद अजमेर दूसरे नम्बर पर है ? यदि हां, तो अजमेर के सौन्दर्यकरण को किस कारण से वंचित किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश, अजमेर द्वारा सीवरेज लाइन का प्रस्ताव रखा था ? यदि हां, तो इस योजना हेतु कितनी धनराशि उपयोग में लानी प्रस्तावित है ? कृपया कुल खर्चे एवं व्यय की जाने वाली धन राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

नगर आयोजना मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (1) विश्व बैंक से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि नगरों के सौन्दर्य के निमित्त नगर विकास न्यासों को कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। धन जो दिया गया है वह सिर्फ वाटर सप्लाई और सीवरेज के लिये वर्ल्ड बैंक से वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को दिया गया है। हमें नहीं दिया गया है सौन्दर्यकरण के लिये।

(2) इसका उत्तर नम्बर (1) में आ गया है।

(3) अजमेर के जिलाधीश द्वारा सीवरेज योजना, अजमेर शहर क्षेत्र के लिये बनाने का रखा था परन्तु इसका जो प्रस्ताव है उसका संबंध जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से है। मेरे विभाग से नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : जो आपको सौन्दर्यकरण के लिये प्रस्ताव भेजा था अजमेर के जिलाधीश ने 85 लाख रुपये का और जो दो करोड़ का अलग से प्रावधान था वहां पैसा खर्च कर रहे हैं सीवरेज और ड्रेनेज के लिये तो क्या आप सौन्दर्यकरण और सीवरेज ड्रेनेज को एक नहीं मानते हैं ? 85 लाख रुपये इस योजना में था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विश्व बैंक से इस बारे में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। वाटर सप्लाई विभाग को ड्रेनेज योजना के लिये वर्ल्ड बैंक से पैसा मिला है पर वह पी. एच.ई.डी. को मिला है उससे हमारा संबंध नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : पहले तो 85 लाख रुपया था। मैंने सूची मांगी थी लेकिन मुझे सूची नहीं मिली। उसमें 85 लाख की राशि रखी गयी थी। दूसरी दो करोड़ की योजना थी पेयजल की व्यवस्था के लिये और ड्रेनेज के लिये। इसमें कितना प्रावधान किया गया था पेयजल और ड्रेनेज के लिये, यह बतायें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया कि यह प्रश्न हमारे विभाग से संबंधित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल। विभाजन संख्या 110

पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्र का विद्युतीकरण

464. **श्री भैरूंलाल** (मनोहर थाना) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, मनोहरथाना क्षेत्र विद्युतीकरण से वंचित है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र की नदियों व कुओं में पानी की बहुतायत है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र के विद्युतीकरण से क्षेत्र की उपजाऊ बारानी भूमि भारी तादाद में सिंचित हो जाने की गुंजाइश है जिससे खाद्यान्न व कीमती

Page No. 13

(13)

(श्री भैरू लाल)

फसलों की भारी तादाद में वृद्धि हो सकेगी ? यदि हां, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए सरकार उक्त क्षेत्र में विद्युतीकरण योजना कब तक लागू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, विद्युत (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) जी नहीं । पंचायत समिति क्षेत्र मनोहरथाना के 38 ग्राम विद्युतीकृत हैं ।

(2) इस संबंध में विद्युत मंडल को निश्चित जानकारी नहीं है ।

(3) क्षेत्र के विद्युतीकरण के फलस्वरूप अधिक एरिया सिंचित होने से खाद्यान्न व फसलों की पैदावार में वृद्धि होना स्वाभाविक है ।

स्वीकृत विद्युत योजना के अभाव में इस क्षेत्र के विद्युतीकरण के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ भी कहना सम्भव नहीं है ।

श्री भैरू लाल : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि मनोहरथाना पंचायत समिति क्षेत्र में 350 गांव हैं और अभी उनमें से 38 गांवों को ही विद्युतीकरण हुआ है जो 10 प्रतिशत से भी कम है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बात सही है कि मनोहरथाना पंचायत समिति में गांवों की संख्या 239 है । यह भी सही है कि जो प्रतिशत है वह भी बहुत कम है । 12.7 प्रतिशत के करीब आता है, मैं इसको स्वीकार करता हूं लेकिन वहां पर विद्युत के अभाव के अन्दर 132 के.वी. लाइन के काम को हाथ में ले लिया गया है और इसके पूर्ण होने की शीघ्र सम्भावना है । इसके बाद ही कोई नयी योजना बनाकर आर.ई.सी. को भेज कर स्वीकृत करायी जा सकती है लेकिन जब तक यह 132 के.वी. लाईन पूरी नहीं हो जाती है, हमारे लिये सम्भव नहीं होगा कि हम दूसरी योजना को हाथ में ले सकें ।

श्री भैरू लाल : 132 के.वी. लाइन को कब तक पूरा करने जा रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसके ऊपर काम प्रगति पर है । मैं आपको निश्चित समय नहीं बता सकूंगा । मेरे पास अभी यह सूचना नहीं है कि यह निश्चित समय क्या है, लेकिन इसका काम प्रगति पर है और इसको शीघ्र पूरा करवा लिया जायेगा ।

श्री भैरू लाल : इस वित्तीय वर्ष में कर लेंगे क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अभी कुछ कहने में असमर्थ हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके कार्यकाल में पूरा करा लेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसा मेरा पूरा विचार है कि अपने कार्यकाल में इसको पूरा कर लिया जायेगा ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मनोहरथाना पंचायत समिति क्षेत्र सिंचाई के लिये उपयुक्त माना गया है । वहां पर बिजली नहीं आने का कारण भीलवाड़ा तक 132 के. वी. लाइन का नहीं आना है जो अगले साल तक पहुंच जायेगी । तो मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि मनोहरथाना क्षेत्र में विद्युतीकरण का काम अगले साल तक पूरा हो जायेगा क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो कृपापूर्वक सवाल

Page No. 14

(14)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

आपने किया है उसका मैं कृपापूर्वक उत्तर देता हूं। यह बात सही है कि 132 के. वी. की लाइन भीलवाड़ा तक नहीं पहुंची है। आपने जानकारी दी कि वह अगले साल पूरी हो जायेगी। मैं तो स्पेसिफिक जानकारी देने में इसलिये असमर्थ हूं कि हो सकता है किसी कारणवश देरी हो जाये। यह संभव है वह वहां पहुंच जाय तो कुछ योजनायें हाथ में लेने का हमारा विचार है। कुछ योजनायें हमारी आर. ई. सी. में पड़ी हुई हैं। वह आपकी जानकारी में भी हैं और मेरी जानकारी में भी है। इस योजना को फिर हम लेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हरीश शर्मा।

मंडाना एवं चेचट में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों हेतु छात्रावास

465. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज-मंडी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मंडाना एवं चेचट (कोटा) में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों के लिये छात्रावास खोलने की लगातार कई वर्षों से मांग की जा रही है? यदि हां, तो यह छात्रावास अब कब तक खोल दिया जावेगा?

(2) विभाग द्वारा संचालित एवं अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्रों को क्या सुविधायें प्रदत्त की जाती है? कृपया दोनों की पृथक्-पृथक् सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में दी गई समस्त सुविधायें रामगंजमंडी, कोटा के छात्रावासों में भी छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरसहाय मीणा) : (1) जी हां, भविष्य में जब नये छात्रावास खोले जायेंगे तब इन प्रस्तावों पर विचार किया जावेगा।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सूची सदन के पटल पर रखी है, यह बताने की कृपा करें कि यह कोटा आपने कब निर्धारित किया? क्या सरकार ने कभी यह विचार किया कि जो आप 50 ग्राम तेल और 200 ग्राम शक्कर देते हैं, यह महंगाई के अनुपात में क्या पर्याप्त हैं?

श्री हरसहाय मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूची रखी गई है निश्चित रूप से पुरानी है। उसके हिसाब से बच्चों का निश्चित रूप से डिफिकल्टी से, मुश्किल से गुजारा होता है। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि इसको वित्तीय आधार पर थोड़ा और बढ़ाने की सोच रहे हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : इसमें नम्बर 18 पर लिखा है कि 55 रु. पुस्तकों के लिए देते हैं। क्या मंत्री महोदय यह महसूस करते हैं कि चाहे 6 ठी क्लास के छात्र हों, या दसवीं के हों, 55 रु. में उसकी पुस्तकें आ जाती हैं और वह अध्ययन कर सकता है?

श्री हरसहाय मीणा : मैंने माननीय

(श्री हरसहाय मीणा)
सदस्य को पहले ही निवेदन कर दिया है कि निश्चित रूप से इसमें कमी हो सकती है, हम इस पर विचार कर रहे हैं, इसके बावजूद भी पता नहीं माननीय सदस्य क्यों प्रश्न कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो सूची दी गई है, छात्रावासों में जो सामान दिया जाता है,..

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास और स्वयं सेवी संस्थाओं के छात्रावास को दी जाने वाली सुविधायें समान हैं।

श्री हरसहाय मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंट से जो छात्रावास रन कर रहे हैं उनमें और अनुदानित छात्रावासों को दी जाने वाली राशि में अन्तर है। जो कमी रहती है वह पूरी करने के लिए अनुदानित छात्रावासों को छूट है कि चन्दा इकट्ठा करके उसकी पूर्ति करे और चलाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न, श्री रामलाल, विभाजन संख्या 150।

मदिरा विक्रय के लाइसेन्स

466. श्री रामलाल (उनियारा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की यह नीति है कि 1 अप्रेल, 1980 को राज्य में पूर्ण मद्य निषेध घोषित होने के उपरान्त मद्यपान के आदी व्यक्तियों को मदिरा विक्रय के लिये लाइसेन्स उन्हीं अनुज्ञाधारियों को दिये जावेंगे, जिनके पास 1979 में ठेके रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो इन नियमों का करौली, नागौर, मेड़ता, अलवर, भरतपुर, हिन्डौन, सवाई माधोपुर आदि स्थानों पर लाइसेन्स देते वक्त उल्लंघन क्यों किया गया ?

(3) किन निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए किन आबकारी अधिकारियों ने सरकार की उपरोक्त घोषित नीति का उल्लंघन किया ? सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

राज्य मंत्री, आबकारी (श्री प्रद्युम्नसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना अभी पूरी उपलब्ध नहीं हुई है, इसलिए निवेदन है कि इसको स्थगित कर दिया जाय ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बड़ा इम्पार्टेन्ट प्रश्न है। मैं भी समझता था कि इसका उत्तर नहीं देंगे।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : लाखों रुपयों का घोटाला है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं भी जानता था कि विपक्ष के नेता जरूर कहेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके सचिवालय से 18 मार्च को यह प्रश्न भेजा गया, 19 को हमको प्राप्त हुआ।

श्री अध्यक्ष : हमने तो इसको प्राथमिकता दी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमन्, तीन दिन की छुट्टियां आ गई थीं, एक सप्ताह का समय दे दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह शेखावत : इसमें मैं समझता हूं आप स्थान के बारे में छोड़ देवें कि किन-किन स्थानों पर हुआ । लेकिन प्रश्न संख्या (2) और (3) नीति संबंधी प्रश्न है । जो लास्ट ठेकेदार था उसी को आगे देने की बात है, आ नीति उल्लंघन क्यों हुआ, यह सूचना दे देवें । सात दिन तो असेम्बली चलने वाली नहीं है ।

श्री **संग्रामसिंह गुर्जर** (खारची) : प्रश्नकर्ता ही उपस्थित नहीं है सदन में ।

श्री **अध्यक्ष** : अगले टर्न पर आ जाय ।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : परसों रख दें ।

श्री **अध्यक्ष** : अगले सप्ताह रख दें ।

श्री **भंवरसिंह शेखावत** : आप गारन्टी दे दीजिये, असेम्बली चलेगी ।

श्री **अध्यक्ष** : चलेगी, ऐसा मानकर चलता हूं ।

प्रश्न संख्या 466 स्थगित किया गया ।

प्रश्न संख्या 467

अगला प्रश्न । श्री हरीसिंह (193) ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री प्रभुलाल ।

रामपुरिया बांध की डूब में आई भूमि

468. **श्री प्रभुलाल शर्मा** (हिण्डोली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1979-80 में हिन्डोली निर्वाचन क्षेत्र में रामपुरिया (वांक्या) बांध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा लघु कृषकों की कृषि भूमि डूब में आ गई थी ? यदि हां, तो कितनी भूमि पर खड़ी फसल नष्ट हुई ? कृपया भूमिधारी का नाम, जाति, भूमि का क्षेत्रफल आदि का विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या उक्त बांध की डूब में आई भूमि तथा उस पर खड़ी फसल जो नष्ट हुई का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन भूमिधारी को ? यदि नहीं, तो यों ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) वांक्या बांध सिंचाई परियोजना की डूब में कुल 891 एकड़ भूमि आई है । जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा कृषकों की भूमि डूब में आई है, किन्तु कोई खड़ी फसल नष्ट नहीं हुई ।

(2) जिन भू-स्वामियों ने सहमति-पत्रों पर अपनी स्वीकृति दे दी है उनका शीघ्र भुगतान किये जाने की सम्भावना है । शेष मामलों में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड जारी किए जाने के पश्चात् ही मुआवजे का चुकारा किया जा सकेगा ।

श्री **प्रभुलाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, रामपुरिया बांध के अन्दर 25 काश्तकार शिडयूल्ड कॉस्ट के हैं जिनकी जमीनों और कुओं के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया

(श्री प्रभुलाल शर्मा)
है और दूसरों को मिल गया, इसका क्या कारण है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास सूचना उपलब्ध है, वहां पर अनुसूचित जाति के कृषकों की संख्या 3 है, जनजाति का एक भी नहीं है और लघु कृषकों की संख्या 12 है । माननीय सदस्य ने यह कहा कि....

श्री अध्यक्ष : शायद रेवेन्यू रिकार्ड में नहीं हो, उनका कब्जा हो ।

श्री प्रभुलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 25 काश्तकार रेगर जाति के हैं, उनको कब्जा नहीं मिला है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, हो सकता है जो मेरे पास उपलब्ध सूचना है वह गलत हो । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो जानकारी उनके पास है, वह मुझे करा दें । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 66 काश्तकारों का रकबा डूब में आ गया, 54 ने अनुमति-पत्र दे दिया है, म्युचुअल अण्डरस्टेण्डिग से मुआवजा दे दिया जाय । 12 लोग समझौते के बारे में राजी नहीं हैं, उनसे समझौता हो जाने के बाद ही मुआवजा दिया जा सकता है ।......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ।

श्री प्रभुलाल शर्मा : उनको जमीन आवंटन हुई है, लगान जमा करा रहे हैं । अगर रिकार्ड में दर्ज नहीं हो तो उनका क्या दोष है । 15 साल से वे काबिज हैं और काश्त कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : वही बात निकली जिसकी आशंका थी, अलाटीज हैं, खातेदारी में नाम नहीं हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जानकारी कर लूंगा । लेकिन प्रश्न एक ही खड़ा होगा कि कायदे से म्यूटेशन हो जाना चाहिये । जैसा कि माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया, मैं इस बारे में आदेश दूंगा कि इसका पता लगाया जाय, खातेदारी हक नहीं मिले हैं, और कानूनी गुजाइश है तो इसका प्रयास करूंगा । मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाय । यदि हक बनेगा तो निश्चित रूप से दिया जायेगा ।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर): गत दस वर्षों से वे लोग काबिज हैं । खातेदारी राइट उनको नहीं दिये, इसलिए उनको नुकसान हो रहा है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह रेवेन्यू विभाग से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य ।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): इरिगेशन के लिए जो बांध बनाये जा रहे हैं जिनमें लोगों की जमीन डूब में आ गई, उनके पक्के मकान चले गये, कुओं की जमीन चली गई, उनको कितने वर्षों में मुआवजा मिल जाना चाहिये ? क्या इसके लिए कोई निश्चित समय है ?

श्री अध्यक्ष : बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, आपका ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कच्चे मकान वाले ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री यदुनाथ सिंह ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि जमीन तो डूब में आई, लेकिन फसल खराब नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जिन 66 लोगों में से 54 काश्तकारों का आपसी बात-चीत से निश्चय हो गया, वह कब निश्चय हुआ, और अभी तक उनको पैसा क्यों नहीं मिला ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पैसे मिलने का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : उनका पैसे का टंटा नहीं है कि जो जमीन ली गई....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उनको पैसे देने में देरी हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या इंडस्ट्रियलिस्ट का मकान कभी डूब में आया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री देवीसिंह भाटी : किसान मारा जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से अपन बांध बनाते हैं उनमें जितने गांव डूब में आए हैं, उनकी जमीन डूब में आई, उनको दूसरी जगह बसाते हैं. . . .

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री नानूराम कुमावत : अलग से नहीं । जो गांव डूब गए, आपने दूसरी जगह बसा दिया । उन बांधों से किसानों को पानी देंगे ? अगर इस तरह का प्रावधान है तो....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं प्रश्न का भाग (2) पढ़कर सुनाता हूं । क्या उक्त बांध की डूब में आई भूमि तथा उस पर खड़ी फसल जो नष्ट हुई का मुआवजा दे दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : उसी के बारे में कह रहा हूं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 66 किसानों में से जिन 54 काश्तकारों का आपसी बात-चीत से निश्चय हो गया वह कौनसी तारीख को हुआ ? आज तक उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ? कब तक दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो गया ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अक्टूबर, 1979 से बांध बनना शुरू हुआ, माइनर इरिगेशन बांध था इसमें टाइम फैक्टर नहीं है । म्युचूअल एग्रीमेंट, आपस में बातचीत करने में थोड़ा समय लगा । मेरे पास सूचना है 3-4

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
महीने में मुआवजे का पेमेंट कर देंगे, परेशानी वाली बात नहीं है।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : आपसी बातचीत में साल भर हो गया।

प्रश्न संख्या 469

श्री **अध्यक्ष** : श्री सूरज पाल सिंह।
(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

स्थगित प्रश्न।

श्री **रतनलाल ताम्बी** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न 480 है। सारे राजस्थान का सवाल है। खनिज मंत्री तैयारी करके आए हैं।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। स्थगित प्रश्न।

श्री **रतनलाल ताम्बी** : इसको स्थगित कर दें।

श्री **अध्यक्ष** : इस तरह स्थगित नहीं किया जाता।

श्री **रतनाराम चौधरी** : आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रश्न संख्या 469 पूछ लूं।

श्री **अध्यक्ष** : अगर लिखित में आपके पास में हो तो।

श्री **रतनाराम चौधरी** : जबानी जमा खर्च है।

सुश्री **पुष्पा जैन** (आमेर): एक महत्वपूर्ण रह गया; प्रश्न संख्या 487।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न अवशेष रह जाते हैं। मैं सभी प्रश्नों को महत्वपूर्ण समझता हूं। माननीय सदस्या इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आर्डर प्लीज। स्थगित प्रश्न।

सुश्री **पुष्पा जैन** : इस सवाल का जवाब आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : इसका जवाब आपको लिखित में मिल जायेगा।

सुश्री **पुष्पा जैन** : यह ऐसा प्रश्न नहीं है।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, कृपया सहयोग करें।

सुश्री **पुष्पा जैन** : इसकी जानकारी पूरे सदन को करवाई जाये।

श्री **अध्यक्ष** : एक कापी जवाब की सदन की मेज पर रखी जायेगी। जो माननीय सदस्य देखना चाहें किसी समय भी देख सकते हैं। यह सदन की जानकारी के लिए हमेशा रखा जाता है। स्थगित प्रश्न रह जायेगा। श्री महेन्द्र सिंह।

स्थगित प्रश्न

(17 मार्च, 1981)

जिला गंगानगर में हरिजनों एवं भूमिहीनों को भूमि आवन्टन

311. श्री **महेन्द्र सिंह** (सांगरिया): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1980 में जिला श्री गंगानगर में हरिजनों एवं भूमिहीन कृषकों के कितने आवेदन-पत्र भूमि आवंटन के प्राप्त हुए ?

(श्री महेन्द्र सिंह)

(2) इनमें से कितनों को भूमि आवंटित की जा चुकी है तथा कितने मामले विचाराधीन हैं ?

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री रामकिशन वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, पूरी जानकारी न होने से इसे स्थगित किया जाय ।

श्री **महेन्द्र सिंह** : इस प्रश्न को बार-बार क्यों टाला जा रहा है ? यह महत्वपूर्ण सवाल है। पहले भी इसको स्थगित कराया। मेरा सवाल तो अधूरा रह जायेगा ।

श्री **अध्यक्ष** : स्थगित किया गया । अगली टर्न पर इसका जवाब निश्चय ही दिया जायेगा ।

श्री महेन्द्र सिंह : बार-बार क्यों टाला जा रहा है ? दूसरी बार ऐसा कहा जा रहा है ।

श्री **अध्यक्ष** : मैं समझ गया । इसका उत्तर अगली टर्न पर, अगले सप्ताह दिलायेंगे ।

प्रश्न संख्या 456

श्री **तेजपाल** ।
(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 460

श्रीमती कमला ।
(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)
श्री हरि सिंह ।

कुम्हेर (भरतपुर) में पशु चिकित्सालय खोलना

467. श्री **हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार कुम्हेर में पशुचिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

पशुपालन मंत्री (श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर**) : राज्य में पशु चिकित्सालय खोलने का आधार पशुओं की संख्या, गांवों की जनसंख्या, क्षेत्र की आवश्यकता एवं ग्राम वासियों द्वारा चिकित्सालय के लिए निःशुल्क भवन उपलब्ध कराने की सहमति इत्यादि है। कुम्हेर में पहले ही से एक पशु चिकित्सालय कार्यरत है ।

प्रश्न संख्या 469

श्री **अध्यक्ष** : श्री सूरज पाल सिंह। (अनुपस्थित, कृपया आगे देखें) ।

श्री भंवर लाल ।

सरदार शहर डिपो में निगम की बसेज

470 श्री **भंवरलाल मेघवाल** (सुजानगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरदार शहर में बस डिपो में राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें किस-किस माडल की हैं ?

(2) डिपो बनने से अब तक प्रत्येक वर्ष बसों की मरम्मत व रख-रखाव पर कितना खर्चा होता रहा है ?

(3) सरदार शहर डिपो की बसों में पिछले तीन वर्षों में (1977-78, 78-79 व 79-80) प्रत्येक वर्ष गन्तव्य स्थान

(श्री भंवरलाल मेघवाल):
पर पहुंचने से पूर्व रास्ते में कितने ब्रेक डाउन किये ?

(4) प्रत्येक बस प्रति दिन औसतन कितने घंटे व कितने मील चली है ?

(5) क्या सरदार शहर डिपो की बसों में शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका और प्राथमिक चिकित्सा का सामान उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

(6) सरदार शहर बस डिपो ने पिछले एक वर्ष में कितनी बार सेवायें रद्द की हैं और किन कारणों से ?

(7) सरदार शहर बस डिपो से पिछले एक वर्ष में कितने यात्रियों ने यात्रायें कीं ?

(8) कृपया सरदार शहर बस डिपो का शुरू से वर्ष 1979-80 तक का आय व व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(9) राज्य में ऐसे कितने बस डिपो हैं जिनमें आज तक एक भी नई बस नहीं दी गई है, और सरदार शहर बस डिपो में आज तक कितनी नई बसें दी गई ? यदि नहीं दी गई, तो तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर): (1) परिवहन निगम के सरदार शहर आगार में कुल 51 वाहन हैं । वाहनों का मॉडलवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट 1) ।

(2) आगार बनने से अब तक वाहनों की मरम्मत एवं रख-रखाव पर निम्न राशि खर्च की गई :—

वर्ष	मरम्मत एवं रख-रखाव पर खर्च
1976-77	3,65,244.07
1977-78	23,20,027.06
1978-79	31,68,229.29
1979-80	39,16,590.87

(3) सरदार शहर आगार की बसों के पिछले तीन वर्षों में हुए ब्रेक डाउन का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	ब्रेक डाउन संख्या
1977-78	253
1978-79	284
1979-80	371

(4) आगार का प्रत्येक वाहन प्रतिदिन 8.45 घंटे व 280 किलोमीटर औसतन चलता है ।

(5) सरदार शहर आगार के समस्त वाहनों में शिकायत पुस्तिका एवं सुझाव पुस्तिका उपलब्ध हैं । प्राथमिक चिकित्सा का सामान किसी भी वाहन में उपलब्ध नहीं है। वाहनों में चिकित्सा सामान उपलब्ध कराये जाने हेतु खरीद करने की कार्यवाही की जा रही है।

(6) परिवहन निगम के सरदार शहर आगार में संचालित वाहन सेवाओं में से वर्ष 1980 की अवधि में यात्रियों की अनुपलब्धता, असामाजिक तत्वों एवं कभी कभी वाहनों में यान्त्रिक खराबी के कारण 7000

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
ट्रिप निरस्त रहे हैं।

(7) परिवहन निगम के सरदार शहर आगार द्वारा संचालित वाहन सेवाओं से वर्ष 1979-80 की अवधि में 43.62 लाख यात्रियों द्वारा यात्रा की है।

(8) सरदार शहर आगार की स्थापना से लेकर वर्ष 1979-80 की अवधि तक का आय व्यय विवरण निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	आय	व्यय
1976-77	15.95 लाख	16.20 लाख
1977-78	46.70 लाख	55.70 लाख
1978-79	57.74 लाख	66.07 लाख
1979-80	76.77 लाख	90.34 लाख

(9) परिवहन निगम का ऐसा एक भी आगार नहीं है, जिसे नये वाहन नहीं दिये गये हों। सरदार शहर आगार की स्थापना से दिनांक 26-2-81 तक 15 नये वाहन आवंटित किये गये हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, सरदारशहर आगार की जो बसें चल रही हैं वह प्राय: घाटे की स्थिति में हैं और इतने ब्रेक डाउन्स हुए हैं जिनके कि आपने आंकड़े अभी बताये हैं। क्या सुजानगढ़ तहसील हैड क्वार्टर को चूरू मुख्यालय से जोड़ा हुआ है जो कि सरदारशहर डिपो के अन्तर्गत है? सुजानगढ़ साठ हजार की आबादी वाला कस्बा है उसको जिला मुख्यालय से जोड़ने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री भंवरलाल मेघवाल : अलग से प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह तो मैंने बताया कि अलग प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, सरदार शहर के बस डिपो से बसें चल रही हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बसों में न तो शिकायत पुस्तिका है और न ही सुझाव पुस्तिका ही है। मंत्री महोदय, जो कह रहे हैं वह सरासर ××× कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ×××शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाला जाता है।

श्री भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, तो मैं कह रहा हूं कि असत्य कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इस शब्द को रिकार्ड कर लिया जावे।

श्री भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर बसों की हालत खराब है और कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदय, इसके लिये कब तक व्यवस्था करेंगे?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में पहले ही कह दिया है कि शिकायत पुस्तिका और सुझाव पुस्तिका उपलब्ध है। इसके अलावा वाहनों में चिकित्सा सामान उपलब्ध कराये जाने

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
हेतु खरीद करने की कार्यवाही की जा रही है इसके लिये मैंने कहा ही है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो कह रहे हैं और उन्होंने जो आश्वासन दिया है वह असत्य है क्योंकि बसों में न तो कोई शिकायत पुस्तिका ही है, और न ही कोई सुझाव पुस्तिका ही बसों में मिलती है। आपने, अध्यक्ष महोदय, बसों में देखा होगा उनमें कुछ भी उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हां, उसमें मैंने लिखा हुआ बोर्ड देखा है कि शिकायत पुस्तिका व सुझाव पुस्तिका उपलब्ध है।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, रोडवेज की बसों को निर्धारित समय पर नहीं चलाया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष हमारा निगम करोड़ों रुपये का घाटा उठा रहा है इसके लिये क्या मंत्री महोदय ने कभी जांच की कि इन डिपोज में घाटा क्यों होता है? अगर जांच नहीं की तो क्या अब जानकारी करके सदन में बतायेंगे कि घाटा क्यों हो रहा है और उसके निवारण के लिये राज्य सरकार क्या करने जा रही है? नहीं तो आज इन रोडवेज की बसों से घाटा होने के कारण प्रतिवर्ष जनता पर बड़ा भारी बोझ पड़ रहा है।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, अगर घाटा होने के कारण जो यह नीति है नेशनलाइजेशन की उसको हटाया जाय, यह तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जहां तक सवाल घाटे का है मैंने खुद ने इस संबंध में निवेदन किया कि हमारे यहां पर घाटा हो रहा है उस घाटे को किस तरह से समाप्त किया जावे, या क्या पद्धति अपनायी जाय इसके लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्थान में बाहर से टूरिस्ट आते हैं जब वह हमारे यहां की रोडवेज की बसों की हालत को देखते हैं तो क्या सोचते होंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। इस प्रश्न को आप अन्य तरीके से उठायें। नियमों में उसके लिये प्रावधान है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से कृषकों को प्रदत्त सुविधायें

456. **श्री तेजपाल** (चौमूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से किसानों को क्या-क्या सुविधायें मुहय्या की जा रही हैं? क्या यह सही है कि किसानों को कीटनाशक दवाइयां, खाद व कृषि औजार खरीदने हेतु सहायता दी जाती है?

(2) क्या यह सही है कि नवीन कृषि उपज मंडी समितियों के यार्डों में

(श्री तेजपाल)
निर्मित दुकानें किसानों को आवंटित करने की योजना है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से किसानों को निम्नांकित सुविधायें मुहय्या की जाती हैं :—

1. उपज को सुरक्षित रखने हेतु धातु की कोठियां (बिन) कीमत के 25% अनुदान पर उपलब्ध कराई जाती हैं ।

2. फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने हेतु 25% अनुदान पर कीटनाशक दवाइयां, स्प्रेयर्स तथा डस्टर्स उपलब्ध कराये जाते हैं ।

3. किसानों को ठहरने हेतु जहां जहां सुविधा उपलब्ध हो सकती है, विश्राम गृह की व्यवस्था ।

4. मण्डी में पीने के पानी की व्यवस्था ।

5. मवेशियों के लिए पानी की खेलें ।

6. मवशियों को खड़ा करने के लिये सायवान ।

7. मूत्रालय एवं स्नानगृह ।

8. जलपान गृह ।

9. पशु चिकित्सालय ।

10. वर्गीकरण प्रयोगशाला ।

11. गोदाम ।

12. नीलामी चबूतरे ।

13. साइकिल स्टेण्ड

14. सुव्यवस्थित मण्डी यार्ड में सड़कें, बिजली व नालियों की व्यवस्था ।

15. मण्डी में ही डाक घर व बैंक की व्यवस्था ।

16. दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को एक ही स्थान पर प्राप्त करने हेतु फुटकर दुकानें ।

17. गांवों को मण्डी से जोड़ने हेतु सम्पर्क सड़कें ।

456 किसानों को कीट नाशक दवाइयां तथा उनके छिड़कने के लिये स्प्रेयर्स एवं डस्टर्स खरीदने हेतु अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है। खाद तथा कृषि औजारों के लिये नहीं ।

(2) जी नहीं। मण्डियों में माल केवल दलालों अथवा व्यापारियों व आढ़तियों के माध्यम से बिकता है । अतः उन्हें ही दुकानें आवण्टित किया जाना अपेक्षित है ।

औद्योगिक इकाइयों के प्रबन्ध मण्डल में श्रमिकों की भागीदारी

460. श्रीमती कमला (सागवाड़ा): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रबन्ध मण्डल में श्रमिकों की भागीदारी योजना राज्य की कितनी औद्योगिक इकाइयों में लागू हैं ? कृपया, सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) किन किन औद्योगिक इकाइयों में यह योजना क्रियान्वित की जा चुकी है ?

(श्रीमती कमला)
कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन औद्योगिक इकाइयों में यह योजना अभी तक क्रियान्वित नहीं हो सकी है उसके क्या क्या कारण हैं ?

(4) श्रम विभाग कार्यालय में श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त आदि के कौन कौन से पद रिक्त पड़े हैं ?

(5) इन पदों का इतने लम्बे अर्से से रिक्त होने का क्या कारण है ? क्या विभाग में इन पदों को शीघ्र भरने की सम्भावना है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 75 में बनाई गई यह योजना राज्य में 37 संस्थानों में लागू की गई थी। इन संस्थानों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त योजना 35 संस्थानों द्वारा क्रियान्वित की जा चुकी है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त योजना स्वेच्छिक थी। इसके लागू होने पर इसका क्रियान्वयन 2 संस्थानों जयपुर उद्योग लि., सवाईमाधोपुर एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर द्वारा नहीं किया गया था। इसे क्रियान्वित करने के प्रयास जारी हैं।

(4) निम्नलिखित पद रिक्त हैं :—

1. उप-श्रम आयुक्त, भीलवाड़ा।
2. कार्मिक अधिकारी, राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर।
3. कार्मिक अधिकारी, सी.ए.डी. बीकानेर।

(5) विभागीय पदोन्नति समिति की बठक नहीं होने के कारण ये पद नहीं भरे जा सके हैं। इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अकाल राहत कार्यों में स्वीकृत सड़कें

463. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिन सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है वह वही सड़कें हैं जो योजना कार्यों में स्वीकृति शुदा थीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसा करने से जिले के कुछ ऐसे गांव, जो सूखे से अत्यधिक प्रभावित थे, में राहत कार्य न खुल सके ? क्या सरकार यह उचित मानती है कि ऐसे गावों की एक अलग से सूची बना कर प्राथमिकता के आधार पर वहां राहत कार्य खोलें ? यदि हां, तो इसे कब तक शुरू करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सड़क कार्य स्वीकृति के संबंध में नीति यह रखी गई है कि वही कार्य स्वीकृत किये जावें जो कि आयोजना के मापदण्ड में आते हैं। फिर भी जहां कहीं आवश्यकता को देखते हुए इस शर्त में ढील दिया जाना आवश्यक लगा वहां पर ऐसे

(अकाल राहत मंत्री)
कार्य भी स्वीकृत किये गये हैं जो पूर्ण रूप से आयोजना मापदण्ड के अनुरूप नहीं है।

(2) राहत कार्य स्वीकृत करने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोई भी प्रभावित क्षेत्र राहत कार्यों से वंचित न रहे और जब-जब भी यह तथ्य प्रकाश में आये कि कोई क्षेत्र राहत कार्यों से वंचित रह गया है तो वहां अतिरिक्त कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। आवश्यकता के आधार पर पर्याप्त राहत कार्य खोलना सरकार की नीति रही है। आवश्यकता होने पर यथा समय काम खोले जावेंगे।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

महालक्ष्मी कॉर्पोरेशन का विद्युत संबंध

464. श्री **देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वह सही है कि सुमेरपुर, जिला पाली में महा लक्ष्मी कॉर्पोरेशन को सन् 1975 में नियमानुसार बिजली का कनेक्शन दिया गया, और 4 माह बाद ही उस कनेक्शन को बिना किसी सूचना दिये, बिना कोई त्रुटि बताये ही काट दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महालक्ष्मी कॉर्पोरेशन को आज लगातार 5 वर्षों से बार-बार प्रयास करने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है ?

(3) यदि हां, तो कृपया स्पष्ट करें कि इसके पीछे क्या रहस्य है।

उत्तर

(1) जी नहीं। मैसर्स महालक्ष्मी कार्पोरेशन, सुमेरपुर को नियमानुसार दिनांक 30-12-74 को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया था जिसे विद्युत बकाया का भुगतान न होने के कारण दिनांक 19-9-76 को काट दिया गया था।

(2) जी नहीं। महालक्ष्मी कार्पोरेशन ने अपने वकील के मार्फत एक नोटिस अधिशासी अभियन्ता, पाली को प्रेषित किया, जिसकी प्रतियां मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संचा.), जयपुर तथा सहायक अभियन्ता, फालना को भी प्रेषित की थी। इसका प्रत्युतर सहायक अभियन्ता, फालना ने अपने पत्रांक 3836 दिनांक 9-1-81 को उपभोक्ता को उसके वकील के मार्फत प्रेषित कर दिया था।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

जिला बांसवाड़ा के सिचाई नल कूप

465. श्री **बहादुरसिंह** (दानपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बांसवाड़ा में बिजली द्वारा सिंचाई करने वाले नल कूप कितने हैं, और किस-किस गांव में अधिक नलकूप लगे हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बिजली की कमी से सिंचाई न हो पाने से किसानों की फसल का नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन काश्तकारों को राहत देगी?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में बिजली द्वारा सिंचाई करने वाले नलकूपों की संख्या 76 है। सर्वाधिक उर्जाकृत नलकूप (33 नलकूप) छीछ ग्राम में है।

(2) जी नहीं। उपलब्ध विद्युत में

(विद्युत मंत्री)
से कृषि क्षेत्र को सिंचाई हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर बिजली उपलब्ध करवाई गई है।

आई.ए.एस.,आई.पी.एस. व आर. ए. एस. अधिकारियों के स्थानान्तरण

466. श्री नाथू सिंह (बांदीकुई) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मार्च, 1980 से फरवरी, 1981 तक सरकार ने कितने आई. ए. एस., आई. पी. एस. एवं आर. ए. एस. अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश किये हैं ?

(2) इनके स्थानान्तरण से सरकार को यात्रा भत्ता सम्बन्धी कितना वित्तीय भार उठाना पड़ा है ?

(3) क्या सरकार इस व्यय को उचित व आवश्यक मानती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मार्च, 1980 से फरवरी, 1981 तक सरकार ने 125 आई. ए. एस., 52 आई. पी. एस. व 351 आर. ए. एस. अधिकारियों के स्थानान्तरण किये हैं, जिनके नाम संलग्न तालिका में अंकित हैं।

(2) अभी तक इस सम्बन्ध में पूर्ण सूचना एकत्रित नहीं हुई हैं। जिन अधिकारियों से सूचना प्राप्त हो गई है वह प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में संदर्भित तालिका के कालम 5 में अंकित कर दी गई है।

(3) जी हां, इन अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक होने पर ही किये गये हैं। अतः उनके यात्रा भत्ते पर हुआ व्यय उचित है।

(तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम कोलासर व पाबूसर (कोलायत) की विचाराधीन जल प्रदाय योजनायें

467. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ज़िला बीकानेर की तहसील कोलायत के ग्राम कोलासर व पाबूसर के लिए कौनसी जलदाय योजना विचाराधीन है ?

(2) इन योजनाओं पर कब तक कार्य चालू कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इन गांवों की राजस्थान नहर से कितनी दूरी है ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कोलासर-पाबूसर विचाराधीन है।

(2) योजना स्वीकृति हेतु वर्ष 1981-82 में प्रस्तावित है। स्वीकृति के पश्चात् कार्य इसी वर्ष में चालू होने की संभावना है।

(3) ये ग्राम राजस्थान मुख्य नहर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर हैं।

रामप्रकाश टॉकीज, जयपुर

468. श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर में चल रहे 'राम प्रकाश टाकीज,' जो कि पूर्व में थियेटर कहा जाता था, का कब निर्माण होकर प्रारम्भ हुआ तथा इसके मालिक कौन हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सिनेमा एक्ट के प्रावधानों एंव उसके अन्तर्गत बने नियमों की पालना सिनेमा मालिक द्वारा नहीं की जा रही है ?

(3) इन परिस्थितियों में क्या सरकार सार्वजनिक हित में सिनेमा लाइसेंस रद्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इसका निर्माण करीबन 100 वर्ष पूर्व हुआ था । यह राज्य सरकार की सम्पति है । वर्तमान में लाइसेन्सी मैसस हुसनचन्द एण्ड सन्स है ।

(2) सिनेमा लाइसेन्सी से सिनेमा एक्ट व उसके अन्तर्गत बने नियमों की पालना कराने की कार्यवाही की जा रही है । उक्त सिनेमा की बालकोनी दिनांक 16-3-78 से बन्द कर दी गई है ।

(3) यदि आवश्यकता हुई तो अनुज्ञा-पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है ।

जिला उदयपुर में घटित हत्याओं एवं बलात्कार के प्रकरण

469. श्री **गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला उदयपुर में जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 तक कितनी हत्यायें एवं बलात्कार की घटनाएं हुई ? कृपया, सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) कितनी हत्या के केसेज के चालान पेश कर दिये गये हैं एवं कितने केसेज में अब तक अभियुक्तों को पकड़ा नहीं जा सका ?

(3) बलात्कार के ऐसे मामले, जिनमें पुलिस अभियुक्त थे, में उनको क्या सजा दी गई ।

उत्तर

(1) उक्त अवधि में हत्या के 49 अभियोग एवं बलात्कार के 15 अभियोग दर्ज हुए हैं ।

(2) हत्या के 32 अभियोग में चालान पेश कर दिया है। 9 अभियोगों में अभियुक्त नहीं पकड़े जा सके हैं ।

(3) केवल एक मामला था जो विचाराधीन अदालत है ।

जिला जयपुर में विद्युत् कटौती के संदर्भ में हुए प्रदर्शन व मारपीट की घटनायें

470. श्री **नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जयपुर में जून, 1980 से फरवरी, 1981 तक विद्युत कटौती को लेकर हुए प्रदर्शनों व मारपीट के पुलिस में कितने

(श्री नाथूसिंह)
अभियोग दर्ज हुये हैं ?

(2) उनमें से कितने प्रकरणों में चालान हो गया है, तथा शेष की क्या स्थिति है ? ये अभियोग कहां–कहां व किस–किस के विरुद्ध दर्ज हुए हैं ? कृपया, विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) इस अवधि में कुल 5 अभियोग पन्जीबद्ध हुए हैं ।

(2) विवरण संलग्न है ।

(विवरण के लिए कृपया, परिशिष्ट 5 देखें)

जिला सीकर में राज्य औद्योगिक एवं पूंजी विनियोजन निगम द्वारा विनियोजित पूंजी

473. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं पूंजी विनियोजन निगम द्वारा जिला सीकर में कितनी पूंजी का अब तक विनियोजन किया गया है ?

(2) निगम की कुल पूंजी का कितने प्रतिशत जिला सीकर में व्यय किया गया है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा अब तक सीकर जिले में कुल 15.70 लाख रुपये के विनियोजन हेतु स्वीकृति दी गई है ।

(2) निगम द्वारा अब तक सम्पूर्ण राज्य में स्वीकृत किये गये विनियोजन का सीकर जिले में विनियोजन 3.22 प्रतिशत है ।

तहसील कोलायत के ग्रामों की पेयजल योजनायें

474. श्री **देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में हाडलां भाटियान, हाडलां रावलोतान व मोखां में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है ? कोलायत तहसील के ग्राम हाडलां भाटियान में अब कब तक रिग मशीन पहुंचा कर, कुआं चालू कर दिया जावेगा ?

(2) भोलासर जल प्रदाय योजना से कितने गांवों को पानी पहुंचाया जाता है ? क्या भोलासर जल प्रदाय योजना द्वारा उपरोक्त गांवों को पूरे दवाव से पानी पहुंचता रहे इसके लिये ओवर हैड टैंक बनाने की योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना पर कब तक कार्य चालू हो जावेगा व कितनी राशि खर्च होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्तमान में राज्य सरकार को कोई पेयजल योजना इन ग्रामों में नहीं है । चूंकि भूजल विभाग से कुछ जल पहले प्राप्त रिग मशीनों की मरम्मत आवश्यक है जिसके पश्चात् संदर्भित ग्राम में मशीन को पहुंचा दिया जायेगा ।

(2) क्षेत्रीय योजना अकासर-भोलासर

(30)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)
मीजूसर से चार ग्रामों को पानी दिया जाता है। स्वीकृत योजना में उच्च जलाशय हेतु प्रावधान नहीं है।

बोरी नाडा बांध (सोजत) की मरम्मत

475. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) :

श्री राम नारायण डूंडी (विलाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सोजत,जिला पाली में बोरी नाड़ा नाम का बांध कब बना, तथा उसके सिंचित क्षेत्र में कितनी भूमि आती है तथा औसतन कितनी भूमि की सिंचाई होती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बांध क्षतिग्रस्त हो गया था ? यदि हां, तो कब तथा उसी वर्ष उसकी मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि यदि इस बांध की वर्षा से पूर्व पूर्ण रूप से मरम्मत नहीं की गई तो इसके नीचे आये ग्राम अबकाई की ढाणी को भारी खतरा है ?

(4) इस बांध की मरम्मत करवाने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) तहसील सोजत, जिला पाली में बोरी नाडा बांध स्टेट टाइम का बना हुआ है, तथा उसके कमाण्ड में 600 एकड़ भूमि आती है, और औसतन 300 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है।

(2) हां, यह सही है कि वर्ष 1979 में अतिवृष्टि के कारण यह बांध क्षतिग्रस्त हो गया था, तथा उसी वर्ष इस बांध की मरम्मत पर रुपये 50,000/- व्यय किये गये थे।

(3) इस बांध की मरम्मत वर्षा से पहले कर दी जावेगी जिससे इसके नीचे आये ग्राम अबकाई की ढाणी को खतरा नहीं रहेगा।

(4) मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, एवं वर्षा के पहले पूर्ण होने की सम्भावना है।

ग्राम पंचायत, नांगल (दौसा) के सरपंच द्वारा की गयी अनियमिततायें

476. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1978-1981 तक ग्राम पंचायत, नांगल राजावतान, तहसील दौसा में श्री बद्रीनारायण मीणा सरपंच है ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त सरपंच ने जनता पार्टी के शासन में 'काम के बदले अनाज' योजना के अन्तर्गत विकास कार्य कराये थे ?

(3) यदि हां,तो कौन कौन से कार्य,कहां कहां पर कराये गये ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत उक्त सरपंच द्वारा कोई भी कार्य नहीं किये जाने के कारण

Page No. 31

(31)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उक्त सरपंच द्वारा की गई अनियमितताओं एवं गवन के मामले में जांच की गई है ?

(5) यदि हां, तो क्या सरकार दोषी सरपंच को जांच के आधार पर निलम्बित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(6) उक्त सरपंच के विरुद्ध जांच होने व जांच के आधार पर निलम्बन में देरी होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 1978-81 तक ग्राम पंचायत, नांगल राजावतान, तहसील दौसा में श्री बद्री नारायण, सरपंच पद पर कार्यरत हैं ।

(2) जी हां । उक्त सरपंच ने काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत विकास कार्य कराये थे ।

(3) सरपंच द्वारा जो जो विकास कार्य, जहां-जहां करवाये, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) यह सही नहीं है कि काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत उक्त सरपंच द्वारा कोई कार्य नहीं कराये गये । सरपंच के विरुद्ध उक्त योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के बारे में अनियमिततायें संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर जिलाधीश द्वारा सहायक अभियन्ता से जांच करवाई गई ।

(5) जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को जिलाधीश द्वारा दिनांक 17-1-81 को ही प्रस्तुत किया गया है । यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(6) देरी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि जांच प्रतिवेदन दिनांक 17-1-81 को ही राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है जो राज्य सरकार में विचाराधीन है ।

(सूची के लिए कृपया, परिशिष्ट 6 देखें)

नाथद्वारा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

477. श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नाथद्वारा से सांभों का खेड़ा वाया धांयला, नाथद्वारा से मचीन्द, नाथद्वारा से गांवगुडी, नाथद्वारा से फतहनगर वाया कोठारिया सड़कों को पक्की कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो सरकार इन सड़कों के निर्माण को कब तक पूरा करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

ये निर्धारित माप दण्डों में नहीं आती हैं, चूंकि छठीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित माप दण्डों के अनुसार 2500 या इससे अधिक आबादी (1971 की जनगणना के आधार पर) वाले गांवों को ही सड़कों से जोड़ने की संभावना है । अतः निकट भविष्य में उक्त सड़कों को पक्का कराने का प्रावधान नहीं है। परन्तु इस वर्ष के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत केवल सड़क नम्बर 1, 2 व 3 का कार्य स्वीकृत हो चुका है, और प्रगति पर है ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की बस सेवा

478. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कई सड़क मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है ?

(2) क्या इन सभी मार्गों पर राज्य परिवहन निगम की बसें चालू कर दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) राष्ट्रीयकरण किये गये कितने मार्गों पर अब तक परिवहन निगम की बसें नहीं चल पा रही हैं ? कृपया, विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) केवल 3 योजना के मार्गों की योजना के अतिरिक्त सभी पर वाहन सेवाएं संचालित हैं।

उदयपुर-कोटडा मार्ग की दशा खराब होने के कारण वाहन संचालन प्रारम्भ नहीं किया जा सका। मार्ग की दशा सुधारने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रसंग किया हुआ है। अलवर जिले के वहरोड़-शाहजहांपुर एवं कोटपूतली-रायपुर मार्गों की योजना का प्रकाशन मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 68 (घ) (3) में दिनांक 3-1-81 को हुआ था। योजना कार्यान्वित करने को आर. टी. ए. में आवेदन कर दिया है। परमिट मिलने पर संचालन प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(3) केवल उपरोक्त 3 योजनाओं के मार्गों पर वाहन संचालित नहीं हैं जिनका विवरण भाग (2) में दे दिया गया है।

अजमेर नगरपरिषद् क्षेत्र में राजस्व विभाग की पड़त भूमि

479. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर नगर परिषद् क्षेत्र में राजस्व विभाग के आधिपत्य की कुल कितनी जमीन खाली पड़ी है ? कृपया, नक्शा मय क्षेत्रफल के सदन के पटल पर रखें।

(2) इस खाली पड़ी जमीन के उपयोग के बारे में राजस्व विभाग की क्या योजना है ? कृपया, पूर्ण योजना का ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर नगरपरिषद क्षेत्र में राजस्व विभाग के आधिपत्य की 14612 बीघा 18 बिस्वा जमीन खाली पड़ी है, नक्शा मय क्षेत्रफल के संलग्न हैं।

(2) वर्तमान में इस क्षेत्र के लिए राजस्व विभाग में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(नक्शा आदि विधान सभापुस्तकालय में रखा गया।)

जिला सीकर की सिंचाई योजनायें

482. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सीकर में सिंचाई विभाग द्वारा चालू पंचवर्षीय योजना के तहत कौन कौन से कार्यों को पूरा किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

(2) इन योजनाओं में कितनी धनराशि व्यय होने की सम्भावना है ?

(3) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र श्रीमाधोपुर में सिंचाई विभाग द्वारा कौन-कौनसी योजनाएं इस वर्ष हाथ में लिये जाने की संभावना है तथा इन पर कितनी लागत आयेगी ?

(4) गत वर्ष में कितनी धनराशि सिंचाई विभाग द्वारा जिला सीकर में खर्च की गई ? विधान सभा क्षेत्रों के आधार पर ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सीकर जिले में सिंचाई विभाग द्वारा चालू पंचवर्षीय योजना में 11 चालू लघु सिंचाई योजनाओं के कार्य पूरे किये जाने का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त कुछ नई योजनाओं पर वित्तीय साधनों की उपलब्धता एवं योजनाओं के लाभदायक होने पर कार्य कराये जाने की सम्भावना है ।

(2) चालू योजनाओं पर रु. 79.34 लाख व्यय होने की सम्भावना है ।

(3) कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

(4) सिंचाई विभाग द्वारा सीकर जिले में गत वर्ष 18.53 लाख की राशि खर्च की गई थी एवं विधान सभा क्षेत्रों के आधार पर इसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

विधान सभा क्षेत्र	खर्च की गई राशि
नीम का थाना	16.80 लाख
दांता रामगढ़	1.69 लाख
खण्डेला	0.31 लाख

बाकी क्षेत्रों में कोई राशि पिछले साल खर्च नहीं की गई है ।

नगर परिषद्, अजमेर द्वारा मोहल्ला शृंगार चवरी के विकास की योजना

484. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, अजमेर द्वारा मोहल्ला शृंगार चवरी में सड़क, गली, नालियां पक्की बनाने की योजना बनाई जा चुकी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस पर आने वाली लागत का तकमीना व नक्शा भी स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो कृपया नक्शा सदन के पटल पर रखें ।

(3) यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) लागत का तकमीना स्वीकृत है परन्तु इस क्षेत्र का कोई स्वीकृत नक्शा (ले-आउट) नहीं है ।

(3) 1981-82 में कार्य पूरा करने की सम्भावना है ।

नगर परिषद अजमेर के क्षेत्र में नगर विकास न्यास की जमीन

485. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने

(श्री कैलाश मेघवाल)
की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर नगर परिषद् क्षेत्र में नगर विकास न्यास की कुल कितनी जमीन खाली पड़ी है ? कृपया नक्शा मय क्षेत्रफल सदन के पटल पर रखें ।

(2) इस खाली पड़ी जमीन के उपयोग हेतु नगर विकास न्यास की क्या योजना है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(3) नगर विकास न्यास, अजमेर का किस-किस जमीन को अवाप्त किये जाने का प्रस्ताव है तथा कौन-कौनसी भूमि की अवाप्ति हेतु क्या कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है ।

(2) संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है ।

(3) संलग्न परिशिष्ट "ख" में अंकित है ।

(परिशिष्ट "क" व "ख" के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

सीकर नगर में जल प्रदाय की समुचित व्यवस्था

486. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर नगर की जनसंख्या और वहां के कनेक्शन्स की संख्या को देखते हुए वहां वर्तमान जल-प्रदाय नियमानुसार बहुत कम है ?

(2) यदि हां, तो पूर्ण जलप्रदाय के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(3) सीकर नगर में वर्ष 1980 में कितनी नई पाइप लाइन, पानी की सप्लाई हेतु, डाली गई तथा कितने पाइप कनेक्शन्स हेतु आवेदन प्राप्त हुए थे ?

उत्तर

(1) नगर की वर्तमान पेयजल आवश्यकता लगभग 22 लाख गैलन प्रतिदिन है जब कि वितरण लगभग 15 लाख गैलन प्रतिदिन किया जा रहा है ।

(2) पुनर्गठित योजना विचाराधीन है । धन उपलब्धि के अनुसार क्रियान्वित करना सम्भव होगा ।

(3) लगभग 875 मीटर लम्बी लाइनें वर्ष 1980-81 में डाली गई हैं तथा 874 जल सम्बन्धों हेतु आवेदन प्राप्त हुए ।

नगर विकास न्याय, अजमेर के क्षेत्राधिकार की सड़कें व गलियां

487. श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, अजमेर के क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी सड़कें व गलियां टूटी-फूटी हैं और उनमें जगह-जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, मैन होल खुले हुए हैं, दोनों किनारों के फुटपाथ एवं नालियां जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं एवं यातायात हेतु पूरी तरह असुरक्षित हैं ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा नल के कनेक्शन देने आदि में, पाइप लाइन बिछाने हेतु एवं पाइप लाइन की मरम्मत हेतु सड़क काट दी जाती है और उसको बिना ठीक कराये ही छोड़ दिया जाता है ?

(3) क्या सरकार यातायात को सुगम एवं सुरक्षित बनाने हेतु इन सड़कों को पूरी तरह सुधारने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) न्यास क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी गड्ढे व नालियां ठीक स्थिति में है। न्यास का अधिकार क्षेत्र अधिसूचित योजनाओं तक ही सीमित है। किसी भी योजना में विकास कार्य तथा सड़क व नाली निर्माण पूर्ण होने पर योजना, भविष्य की देखरेख (मेन्टिनैन्स) हेतु नगर परिषद् को हस्तांतरित कर दी जाती है जैसे शास्त्री नगर, नाका मदार, धोलाभाटा, अशोक मार्ग, थाईलैण्ड आदि योजनाएं नगर परिषद् को हस्ततांरित की जा चुकी हैं। अतः उनकी मरम्मत का कार्य नगर परिषद् का ही है।

(2) यह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित है।

(3) नगर परिषद् एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें समय समय पर ठीक करायी जाती हैं।

बीकानेर में नहरी पानी फिल्टर करने का संयंत्र

488. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर में नहरी पानी को फिल्टर करने का कितनी क्षमता का संयंत्र स्थापित किया गया है ? संयंत्र ने कब से कार्य आरम्भ किया ? क्या नहर से लिया जाने वाला सारा जल फिल्टर किये जाने की इस संयंत्र में क्षमता है ? यदि नहीं, तो अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर जल को वितरित करने का आदेश क्यों और कब जारी किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि जलदाय विभाग, बीकानेर द्वारा बड़े सरकारी अधिकारियों के आवासीय क्षेत्र सिविल लाइन में जल वितरण हेतु विशेष पाइप लाइन की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त सिविल लाइन में 24 घंटे पानी का प्रवाह रहता है ? क्या यह सही है कि बाकी शहर में पानी की किल्लत रहती है ? यदि हां, तो यह दोहरी व्यवस्था क्यों है ? क्या सरकार एक समान व्यवस्था करेगी ?

(4) क्या सरकार ने बीकानेर शहर की पेयजल समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया हैं, ? यदि हां, तो कृपया योजना की रूपरेखा सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में 2 लाख गैलन प्रतिदिन क्षमता के फिल्टर लगाये गये हैं जो मई, 1980 में चालू किये गये। नहर से प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण जल को फिल्टर करने हेतु संयंत्र का कार्य निर्माणाधीन है। अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर जल नहीं वितरित किया

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)
जा रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) सिविल लाइन क्षेत्र राइजिंग मैन के क्षेत्र में आता है अतः अधिक समय जल वितरण सम्भव है यद्यपि दोहरी व्यवस्था नहीं है। नगर में वितरण व्यवस्था सामान्य है।

(4) जी हां, बीकानेर नगर हेतु पुनर्गठित योजना विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 9.59 करोड़ रु. है। इस योजना से 3.89 लाख जनसंख्या हेतु समुचित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नये स्त्रोत एवं वितरण व्यवस्था में सुधार का प्रस्ताव है।

जिला बीकानेर के खनिज पदार्थ

489. श्री **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर डिवीजन में कहां-कहां कौन-कौन से खनिज पदार्थ पाये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में पोटाश के स्त्रोत मिले हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पोटाश उपलब्ध है, कितनी मात्रा में है एवं कब तक पोटाश की खानों पर खनन कार्य शुरू कर दिया जायेगा ?

(3) जिला बीकानेर में खनिज विभाग को खनिज पदार्थ खनन से गत वर्ष कितना लाभ हुआ था ?

(4) गत वर्ष जिला बीकानेर में कितने नये लोगों को विभिन्न खनिज पदार्थों के खनन पट्टे दिये गये ?

उत्तर

(1) बीकानेर डिवीजन में पाये जाने वाले खनिज निम्न प्रकार से हैं :—

बीकानेर जिला

खनिज	स्थान
1. जिप्सम—	जामसर, मारू, काम्रोनी।
2. क्लेज—	मढ़, कोटरी, चान्दी, इन्दोकाबाला, देश, गुढा, मानरी, मोरावाटन।
3. सिलिकासैण्ड—	मढ
4. लिग्नाइट—	पलाना
5. ब्रिक अर्थ—	करणीसर, गंगाशहर, शिवबाडी, सुजानदेसर, सरनमानिया, सरूपदेसर आदि।
6. फुलसेअर्थ—	मढ, नाल, इन्दोकावला
7. सेलेनाइट—	लूणकरणसर,
8. ओकर्स—	जोगिडा, देह, इन्दोकालाबा।
9. कंकरबजरी—	कोलायत तहसील।
10. इमारती पत्थर—	दुलमेरा

गंगानगर जिला

खनिज	स्थान
1. जिप्सम—	सूरतगढ़, पूरबसर, देशलों, रामबास, रघुनाथपुरा, करणीसर, मुल्कासर पल्लू, धोधरा।
2. साल्टपीटर—	सूरतगढ़, सांगरिया, अनूपगढ़, हनुमानगढ़।

(खनिज मंत्री)

3. ब्रिक अर्थ– मल्लेल, मग्रातिया, थयानिया, मुलाण्डा, एवं चक।

चूरू जिला

1. इमारती पत्थर–बिदासर, बिरमसर, डूंगरास

2. ब्रिकअर्थ–डूंगरगढ़, सरदारशहर।

3. जिप्साइट–बायन, भालान, सर्गरन, देवगढ़िया।

4. हेलाइट– लखासर।

(2) बीकानेर एवं चूरू जिलों में लखासर, कालू, हसेरा, मल्कासर आदि क्षेत्रों में पोटाश खनिज के संकेत प्राप्त हुए हैं। यह खनिज सेंधा नमक (हेलाइट) की परत के साथ कहीं कहीं सूक्ष्म मात्रा में पाया गया है, जो 320 मीटर से 538 मीटर की गहराई में है। पोटाश की मात्रा केवल 8 प्रतिशत तक पाई गई है। इन क्षेत्रों में भंडारों का पता लगाने के लिए भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग द्वारा छिद्रण से खोज जारी है। सम्पूर्ण खोज हो जाने के उपरान्त ही खनन कार्य करने संबंधी निर्णय लिया जा सकेगा।

(3) बीकानेर जिले में गत वर्ष (1979-80) में खनिजों के खनन से कुल राजस्व 26 लाख 68 हजार रुपया प्राप्त हुआ।

(4) गत वर्ष बीकानेर जिले में विभिन्न खनिज पदार्थों के खनन पट्टे निम्न प्रकार से स्वीकृत किये गये :—

चायना क्ले–एक पट्टा

ईंट मिट्टी—सत्ताईस पट्टे

बालक्ले-फायरक्ले—चार पट्टे

बजरी कंकर—नौ पट्टे

कोलायत बीकानेर की गोचर भूमि

491. श्री देवीसिंह (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बीकानेर की तहसील कोलायत व तहसील बीकानेर में ग्रामवार कुल कितनी गोचर भूमि छोड़ी गई है? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त तहसीलों में गोचर भूमि में नाजायज काश्त होती है? यदि हां, तो कृपया ऐसे रकबे की ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) गोचर भूमि में हो रहे अतिक्रमण के लिए प्रशासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों।

(4) क्या यह सही है कि गांव के तालाबों के पायतन का तहसील द्वारा आवंटन कर दिया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से गांव में कितना रकबा? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या ऐसे आवंटन को सरकार रद्द करने के आदेश देगी?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले की तहसील बीकानेर एवं कोलायत में कुल 9082 हैक्टेयर गोचर भूमि छोड़ी हुई है। ग्रामवार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। केवल तहसील बीकानेर के ग्राम बम्मलू में चरागाह के खसरा

Page No. 38

(38)

(राजस्व मंत्री)

नम्बर 200 रकबा 40 बीघा पर अतिक्रमण है जिसके लिए राजस्व मंडल का स्थगन आदेश ताहुक्मसानी है।

(3) अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

जिला वन अधिकारी, बूंदी द्वारा वर्दी हेतु आमन्त्रित निविदा

492. श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला वन अधिकारी, बूंदी द्वारा सन् 1980 में वन कर्मचारियों की वर्दी हेतु ओलोग्रीन, ड्रिल जीन (कपड़ा) के टेण्डर मांगे गये थे ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा टेण्डर पेश किये गये ? कृपया प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त कपड़ा खरीदने हेतु टेण्डर किस फर्म अथवा व्यक्ति का स्वीकार किया गया व किस दर पर ?

(3) उक्त टेण्डर की स्वीकृति पर किन फर्मों अथवा व्यापारियों द्वारा आपत्ति की गई थी ? कृपया आपत्ति प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखें। आपत्ति पर क्या निर्णय दिया गया ? कृपया आदेश की प्रतिलिपि भी सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, मैसर्स बैंगलोर सिल्क एम्पोरियम, कोटा, (2) मैसर्स मनामनदास नवलराय, बूंदी (3) मैसर्स उत्तमचन्द एण्ड क., बूंदी, (4) मैसर्स लछमनदास चंदूमल बूंदी, (5) मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स, कोटा व (6) मैसर्स पंजूमल हरीश कुमार, बूंदी द्वारा टेण्डर पेश किए गए थे, जिनकी प्रति संलग्न है।

(2) मैसर्स अग्रवाल टेडर्स, कोटा का 10/- रु. प्रति मीटर की दर से टेण्डर स्वीकार किया गया है।

(3) मण्डल वन अधिकारी, बूंदी द्वारा प्राप्त टेण्डरों को दि. 8-2-80 को ही खोला जाकर मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स, कोटा के टेण्डर स्वीकृति की सूचना उसी दिन उक्त फर्म को दे दी गई थी। मैसर्स उत्तम चन्द एण्ड कम्पनी, बूंदी द्वारा एक शिकायत दि. 11-2-80 को माननीय वन मंत्री महोदय को प्रेषित की गई थी, जिसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है। उक्त शिकायत संबंधी जांच विचाराधीन है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

पंचायत समिति, चेचट के ग्रामों का जल

493. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, चेचट के ग्राम खणी, मोतीपुरा तथा ब्रह्मा का छापर के गांवों की कृषि भूमि खारे पानी के कारण अन-उपजाऊ व बेकार हो गई है तथा मनुष्य एवं पशु रुग्ण हो गये हैं ?

(श्री हरीश शर्मा)

(2) इस समस्या के समाधान हेतु सरकार को सूचना देने पर भी अभी तक कोई निदान क्यों नहीं हुआ है ?

(3) क्या सरकार ने मिट्टी की जांच करवाई है ? यदि हां, तो कृपया जांच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम मोतीपुरा व प्रकाश पर कुओं में का पानी खारा होने के कारण उसके उपयोग से भूमि समस्यायुक्त हो रही है। मानव व पशुओं की रुग्णता के सम्बन्ध में जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(2) मनुष्यों व पशुओं के रुग्ण होने की जानकारी कृषि विभाग को नहीं है जब कि अनउपजाऊ व बेकार भूमि का सर्वेक्षण करा लिया गया है तथा आवश्यक एक्ट प्रावधान उपलब्ध होने पर प्रतिवेदन के अनुसार प्रदर्शन आयोजित किया जाकर तदनुसार उपयुक्त फसलों संबंधी सिफारिश किया जाना सम्भव होगा।

(3) जी हां। प्रायमिक जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, मेयो लिंक रोड (अजमेर) की भूमि परिवर्तन का प्रकरण

494. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर, पूर्व) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, मेयो लिन्क रोड, अजमेर के भूमि किस्म परिवर्तन का मामला सचिवालय स्तर पर विचाराधीन है ?

(2) क्या अनुसूचित जातियों के लोगों को आवास सुविधा हेतु सरकार इस प्रकरण में शीघ्र निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कबतक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस प्रकरण में रूपान्तरण की अनुमति राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक एवं आवासीय प्रयोजनों हेतु रूपान्तरण, आंवटन एवं नियमन) नियम, 1978 के नियम 4(ई) के प्रावधान के कारण नहीं दी जा सकती है। जिसमें व्यवस्था है कि यदि किसी गृह निर्माण सहकारी समिति ने भूमि की खरीद 14 नवम्बर, 1973 के बाद की है तो उसका रूपान्तरण नहीं किया जा सकेगा। गृह निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा क्रय की गई कृषि भूमियों का आवासीय प्रयोजन हेतु रूपान्तरण के बाबत अपनाई जा रही नीति पर पुनर्विचार किया जा रहा है एवं शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

पंचायत समिति, बूंदी का विद्युतीकरण

495. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सम्पूर्ण पंचायत समिति, केशवरायपाटन, जिला बूंदी का विद्युतीकरण किये जाने की योजना सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब तक इस योजना पर कितनी

(श्री गोपाल पचेरवाल)
रकम खर्च की जावेगी ?

(2) उक्त विद्युतीकरण से कितने ग्राम लाभान्वित होंगे ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या सरकार ने उक्त योजना को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

(2) स्वीकृत योजना के अभाव में गांवों की सूची सदन के पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृति के पश्चात् ही योजना की क्रियान्विति का आदेश दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

जिला अलवर में रिश्वतखोरी के प्रकरण

496. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में वर्ष 1980 में रिश्वतखोरी के कितने मामले पंजीकृत हुए ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें मंत्री एवं विधायकों के सम्बन्धी सम्मिलित हैं ? यदि हां, तो किस से सम्बन्धित हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) उक्त अवधि में एक मामला अपराध सं. 24/80 जुर्म धारा 161 आई. पी. सी. 5(1) (डी) (2) पी. सी. एक्ट में पंजीबद्ध हुआ।

(2) जी नहीं, प्रश्न पैदा नहीं होता

ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त इकाइयों को आर्थिक सहायता

497. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं
श्री बाबूलाल आर्यवीर (डग) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980-81 में ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी अतिरिक्त इकाइयों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य था ?

(2) इनमें से कितनी इकाइयों को किस हेतु कितना ऋण अथवा अनुदान दिया गया ? कृपया नाम व पता सहित पूर्ण जानकारी सदन के पटल पर रखें।

(3) इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को और रोजगार दिलाने का लक्ष्य था तथा क्या वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?

उत्तर

(1) 10,000 इकाइयों को।

(2) 15 मार्च, 1981 तक 6,502 इकाइयों को 142.55 लाख रु. ऋण तथा 27.87 लाख रु. सहायतास्वरूप स्वीकृत किया जा चुका है। प्रत्येक का नाम, पता देने के लिये सूचना एकत्रित की जा रही है।

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

(3) 15,000 अतिरिक्त व्यक्तियों को यह लक्ष्य चालू वर्ष में प्राप्त कर लिया जावेगा।

ग्राम भादेड़ के सार्वजनिक कुए की जमीन पर असामाजिक तत्वों का कब्जा

498. श्री **रामधन** (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले की लाडनूं तहसील के ग्राम भादेड़ के सार्वजनिक कुएं के ताड़े की जमीन पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश, नागौर ने उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध तहसीलदार, लाडनूं को जांच का आदेश दिया था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) लाडनूं तहसील के ग्राम भादेड़ के खसरा नम्बर 141/159 व 159/348 रकबा 22-4 पर जीवणराम पुत्र चैनाराम जाट, भादेड़ ने 2037 में नौजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है।

(2) जी नहीं। तहसील लाडनूं में अतिक्रमण के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत मुकदमा दर्ज कर अतिक्रमण को बेदखल किया एवं 505/- रु. जुर्माना आरोपित करने के आदेश दिये हैं।

अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व मांग पर चर्चा के समय की सीमा

श्री **अध्यक्ष**: माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज मांगों की परिणि शाम को 7-बज कर 45 मिनट पर समाप्त हो जाना चाहिये या आठ बजे तक तो निश्चित रूप से हाउस स्थगित हो जाना चाहिये। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज बोलते वक्त अनावश्यक समय नहीं लें और जो व्यवस्था दी जा रही है उसी के अनुरूप कार्य करें। इसके अलावा स्थगन प्रस्तावों को जो अस्वीकार कर दिया जाता है उस पर माननीय सदस्य अपने स्थगन प्रस्तावों के बारे में एक बजे तक बोल लें और उसके बाद में जो माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये वह दो बजे तक समाप्त हो जाने चाहिये। उसके बाद में मांगों पर चर्चा होगी। माननीय सदस्य इसलिये स्थगन प्रस्तावों पर ज्यादा नहीं बोलें।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: क्यों, साहब, आज शाम को क्या है ?

श्री **अध्यक्ष**: आज गवर्नर साहब के यहां डिनर है।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: गवर्नर साहब के यहां पर डिनर है, वह क्या विधान सभा की कार्यवाही से अधिक महत्वपूर्ण है ?

श्री **अध्यक्ष**: मैं तो वैसे नहीं कह रहा था लेकिन आपने पूछा तब मैंने जिक्र किया वरना मैंने तो जिक्र नहीं किया, इसीलिये मैंने माननीय सदस्यों को निवेदन किया कि आज सदन की कार्यवाही आठ बजे तक समाप्त हो जानी चाहिये वैसे तो सदन का समय पांच बजे तक का ही है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

वे प्रस्ताव जिन पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा:—

(1) श्री हरीश शर्मा व श्री गोपाल पचेरवाल :

लाडपुरा, जिला कोटा के ग्राम बनियानी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्राध्यापक द्वारा छात्र-छात्राओं के साथ अनैतिक कृत्य किये जाने के विषय में ।

(2) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया :

सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के महाविद्यालय में पी. जी. विज्ञान, विधि व संस्कृत विषय नहीं होने से छात्रों में असन्तोष के विषय में ।

(3) श्री यदुनाथसिंह व 8 अन्य सदस्य :

किसान रैली में भेजी गई बसों के बिलों में कमी करने के विषय में सरकार द्वारा निगम पर दबाव डालने के विषय में ।

(4) श्री कैलाश मेघवाल :

गत जनवरी 20 को चोरी के एक मामले में गिरफ्तार श्री रूपाराम पुत्र श्री पेमाराम बावरी हरिजन, निवासी गांव डोडियाना, थाना पादू कलां, जिला नागौर की पुलिस हिरासत में मारपीट से मृत्यु ।

(5) श्रीमती उजला अरोड़ा :

दिनांक 24 मार्च, 81 को राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ली गई विधि की तृतीय वर्ष की परीक्षा में उपाय विधि के पर्चे में कोर्स के बाहर के प्रश्न आ जाने के विषय में ।

वे प्रस्ताव जो राज्य सरकार को सूचनार्थ भेजे जा रहे हैं और जिन्हें स्वीकृति नहीं दी जा रही है ।

(6) श्री उम्मेदसिंह :

श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह, निवासी गांव चावणियां के तीन वर्ष पहले लापता होने के विषय में ।

(7) श्री नन्दलाल मीणा :

तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में कुछ सहकारी समितियों के कर्मचारियों द्वारा सदस्यों से कर्ज न लेने पर भी वसूली करने के विषय में ।

(8) श्री दाऊदयाल जोशी :

देवस्थान विभाग के आत्मनिर्भर मन्दिरों की लाखों रुपयों की शुद्ध बचत का रोकड़ बही में दर्ज न करना और फिक्स्ड डिपोजिट के नवीनीकरण नहीं कराने के विषय में ।

(9) श्री बालचन्द्र आर्यवीर, श्री अनंग कुमार जैन व श्री महावीरप्रसाद जैन :

गत वर्ष 22 मार्च को झुंझुनु से 40 किलोमीटर दूर सूरजगढ़ कस्बे के निवासी शिवकुमार को गुण्डों द्वारा पीटने से हुई मृत्यु के विषय में ।

(10) श्री जीतमल जैन :

गत 7 मार्च को तिजारा, जिला अलवर में श्री शिवलाल सैनी को 5 व्यक्तियों द्वारा

(श्री अध्यक्ष)

लूटने व एक व्यक्ति को घायल करने के विषय में

(11) श्रीमती विद्या पाठक :

सांगानेर कस्बे में माह अक्टूबर की राशन की चीनी अभी तक नहीं मिल सकी है, इसे विषय में।

(12) श्री महाराम चौधरी :

पंचायत समिति, मूण्डवा व नागौर के क्षेत्रों में सीमान्त, लघु और अनुसूचित जाति के किसानों को ऋण एवं अनुदान देने में अवहेलना।

(13) श्री फतेसिंह :

बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील में फरवरी की शक्कर, कैरोसिन आदि न मिलने के विषय में।

(14) श्री बंशीलाल पटवा :

भीलवाड़ा नगर में गन्दगी व्याप्त होने के विषय में।

(15) श्री रघुवीरसिंह कौशल :

कोटा जिले की पंचायत समितियों में अध्यापकों की कमी के कारण प्राथमिक स्कूल बन्द होने के विषय में।

(16) श्री गुलाबचन्द कटारिया :

उदयपुर जिले की देवास योजना का द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण का कार्य रुका होने के विषय में।

(17) श्री रामकिशोर मीणा :

सिकराय तथा टोडाभीम तहसीलों में बालाजी नामक नई पंचायत बनाने के विषय में।

(18) सुश्री पुष्पा जैन :

गत 23 मार्च को जयपुर से सवाई माधोपुर जाने वाली ट्रेन में श्री हरिश्चन्द्र जैन नामक एक व्यक्ति पर किये गये हमले के विषय में।

निम्नांकित प्रस्तावों पर राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई है :

(1) श्री बालचन्द आर्यवीर व श्री अनंगकुमार जैन :

सुनेल कस्बे में चोरियों की अधिकता।

(2) श्री देवीसिंह भाटी :

बीकानेर नगर परिषद् द्वारा गंदे पानी के ठेके देने से उत्पन्न स्थिति। इन सूचनाओं का अध्ययन किया जा रहा है और बाद में निर्णय लिया जायेगा।

(3) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंगकुमार जैन :

पचपहाड़ कस्बे में तहसील हटाने की कार्यवाही।

सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि तहसील हटवाई नहीं जा रही है बल्कि तहसील का नया भवन बनाया जा रहा है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

इसके अतिरिक्त श्री हीरालाल आर्य की ओर से कोटा तथा बारां से कुछ गांवों में जाने वाली बसों के समय पर न चलने और बसों की संख्या कम होने के विषय में भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

(श्री अध्यक्ष)

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। इस विषय पर माननीय सदस्य सदन में कोई चर्चा नहीं करेंगे।

अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव आज मिले और आज ही अस्वीकृत कर दिये हैं अथवा सरकार से सूचना प्राप्त होने के पश्चात अस्वीकृत किये हैं? वह दो-दो मिनट में अपनी बात कह सकते हैं।

नाथपा झाकड़ी परियोजना में राजस्थान सरकार के स्वामित्व के अधिकार की समाप्ति

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्य मंत्री जी कृपापूर्वक सदन में विराजे हुए हैं। कल जिस विषय के ऊपर चर्चा हुई थी नाथपा झाकड़ी के संबंध में क्या माननीय मुख्य मंत्री उस संबंध में कोई वक्तव्य देने की तैयारी में हैं?

श्री **अध्यक्ष** : आज कार्य सूची में वक्तव्य नहीं है।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : नहीं, कार्य सूची में तो नहीं है। वह चाहे तो दे सकते हैं।

श्री **राजबहादुर** : विषय भी बहुत महत्व-पूर्ण है।

श्री **जगन्नाथ पहाड़िया** (मुख्य मंत्री) : श्रीमन्, सारे मामले पर हम जानकारी कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार से लगातार हमारा वार्तालाप चल रहा है। जैसे ही हम निश्चित कर पायेंगे तो थोड़ा सा वक्तव्य दे देंगे इस पर लेकिन मैं आपसे निवदन कर रहा हूं कि जितने सजग और जागरुक विरोधी दल के नेता हैं उससे लाभ ही होता है सरकार को, सरकार भी सजग होती है और राजस्थान का मामला भी आगे बढ़ता है। हम चाहते हैं कि इस तरह के मामलों में चर्चा हो तो लाभ होता है लेकिन कभी-कभी अनावश्यक चर्चा करने से नुकसान भी हो जाता है इसलिए मैंने निवेदन किया कि मैं लगातार केन्द्रीय सरकार के सम्पर्क में हूं और मुझे ऐसा विश्वास है कि जो हमारी सत्र की भावना रही है उसमें सफल होंगे।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : क्वेश्चन यह स्पष्ट था कि क्या राज्य सरकार के और नेशनल हाइड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन के बीच में कोई समझौता हुआ है जिस समझौते के आधार पर राजस्थान सरकार को 15 परसेन्ट बिजली एश्योर्ड सप्लाई के रूप में दिये जाने का कोई अनुबंध हुआ है। यह क्वेश्चन कल उठा था और इस पर कल ही हमारा डिसकशन हुआ था। तो माननीय मुख्य मंत्री जी एक तो स्पष्ट कर दें कि इस प्रकार का कोई अनुबन्ध नहीं हुआ क्या?

श्री **जगन्नाथ पहाड़िया** : राजस्थान सरकार की जानकारी में नहीं है।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, सरकार की जानकारी में नहीं है, यह कैसे हो सकता है। क्या राज्य सरकार को श्री विक्रम महाजन का कोई पत्र नहीं मिला है?

श्री **जगन्नाथ पहाड़िया** : विक्रम महाजन साहब का पत्र मिला है मेरी बाराबर बात भी होती रही है और कल भी बात हुई है। कल श्री विक्रम महाजन साहब से भी बात हुई और केन्द्र सरकार के राज्य मंत्री श्री अब्दुल गनी चौधरी से भी बात हुई। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि इसका कुछ इन्तजार करें। मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

इसका नतीजा हमारे राज्य की भावनाओं के अनुरूप ही होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वक्तव्य का सवाल है इसमें इस पर तो चर्चा होने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य का इसमें कहां प्रश्न है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो इन्कार कर दिया और आज ही राज्य सभा में चर्चा हुई है इस संबंध में।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य देने का प्रश्न नहीं है। कभी आपने तो विचाराधीन था नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विचाराधीन तो नहीं है लेकिन सरकार की ओर से यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी····

श्री अध्यक्ष : सरकार उचित समझे तो वक्तव्य दे सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को ही अपील कर रहा हूं। जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि यहां जो चर्चा होगी उस चर्चा के कारण से उसका लाभ होगा, भारत सरकार को उस संबंध में कहा जा सकता है और भावनाओं को वहां पहुंचाया जा सकता है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी इस संबंध में एक वक्तव्य दें कि किस प्रकार की आज स्थिति है नाथपा झाकड़ी के संबंध में आपको शायद जानकारी नहीं है आपके ही एक मंत्री महोदय ने यहां वक्तव्य दिया है कि राज्य सरकार को समाचार-पत्रों के अलावा किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। तो उस संबंध में स्पष्टीकरण हो जाये कि हरियाणा और हिमाचलप्रदेश के बीच में कोई समझौता हुआ है। समाचार पत्रों के अतिरिक्त आपको कोई जानकारी है या नहीं है, सारी स्थिति स्पष्ट हो। इससे तो उल्टे हमारी बदनामी हुई है कि इतना बड़ा समझौता हो रहा है राजस्थान सरकार को जानकारी भी नहीं है। तो सरकार सारी स्थिति को स्पष्ट करते हुए....

श्री अहमद बक्स सिंधी (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, कार्य सूची में यह बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके समझ की बात नहीं है। यह कोई हैडमास्टर के ट्रान्सफर का मामला नहीं है। यह बिलकुल जटिल समस्या है। इसकी जटिलता को आपको समझना चाहिए। ......

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में हमें भी ज्यादा फिक्र है। हमें राज्य चलाना है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर, आर्डर····

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह (गुढ़ा) : राज्य चलाना है तो क्या जनता को मारकर राज्य चलाना है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से इस संबंध में वास्तविक स्थिति

(श्री अध्यक्ष)

क्या है वह स्पष्ट करें। आपको भी याद होगा कि आपने भी सरकार से एक प्रश्न पूछा था कि नापथा झाकड़ी के संबंध में केवल समाचार पत्रों के अतिरिक्त इस सरकार को आफिशियल लेवल पर कोई जानकारी है या नहीं? उसका जिस प्रकार का उत्तर आया मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो उस चीज के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। फिर यहां जो 15 पर्सेन्ट का समझौता किया है उस समझौते के बारे में भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे और सरकार के बीच में इस प्रश्न पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। केवल विवाद एक ही है कि हमारा हिस्सा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नहीं खा जाये। इस विवाद को राजनैतिक आधार पर नहीं लेकर राजस्थान के हित की दृष्टि से लेना चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी से कि वह आज या कल जिस समय भी उचित समझें सारी स्थिति के ऊपर एक वक्तव्य दें ताकि उस आधार पर स्थिति का भी स्पष्टीकरण हो जाये और भारत सरकार को भी इस सदन की सारी संयुक्त भावना किस प्रकार की है उसका अनुमान हो जाये।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, माननीय विरोधी दल के नेता मुख्य मंत्री रहे हैं। इतनी बात तो वह जानते ही होंगे कि जो जानकारी मुख्य मंत्री को हो सकती है शायद वह अन्य मंत्रियों को नहीं हो सकती। संबंधित मंत्री भी कई बार बिना मुख्य मंत्री से बात किये हुए कह नहीं सकते मैं इस मामले के अन्दर कोई भी ऐसी बात जिससे राजस्थान के हितों को नुकसान पहुंचे नहीं करना चाहता हूं। मैंने आपसे निवेदन किया कि कल भी लोक सभा के अन्दर सवाल उठा। उसके बाद मैंने विक्रम साहब से भी बात की और श्री अब्दुलगनी चौधरी साहब से भी बात की। क्योंकि मेरे पास वह लिखित में बात नहीं आई है इसलिए मैं कोई ऐसी बात, जो प्रमाणित नहीं हो, आपसे नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि चौधरी साहब ने इस बात का विश्वास दिलाया है कि जो बात मैं कह रहा हूं वह राजस्थान केहक की कह रहा हूं निश्चित रूप से उसके हक को प्रोटेक्ट किया जायेगा। मैं बात और खुलासा कर दूं। टलीफोन का ही नहीं सवाल है। सवाल इस बात का है कि हम उसमें से एश्योर्ड सप्लाई लेंगे या हम पार्टनर होंगे। अब केवल यही मुद्दा है। खास तौर से दोनों में अन्तर वहां भी हो रहा है इसलिए उनके अन्तर को वह निपटायेंगे। आप और मैं नहीं निपटा सकते उस अन्तर को। विक्रम महाजन साहब क्या कहते हैं और चौधरी साहब क्या कहते हैं जब तक हमारे पास निश्चित रूप से कुछ लिखकर नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे चौधरी साहब ने यह कहा है कि जो आप कह रहे हैं निश्चित रूप से उसको ध्यान में रखकर जल्दी ही फैसला करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बड़ा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है। आज आप एक बात का स्पष्टीकरण कर दीजिए हम आगे नहीं पूछेंगे। क्या राजस्थान सरकार एश्योर्ड सप्लाई के मामले में इन्कार कर चुकी है? एश्योर्ड सप्लाई के आधार पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष : विरोधी पक्ष के नेता महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मुख्य मंत्री जी ने स्थिति बताई है उन परिस्थितियों में पार्टनर होना अथवा बेची हुई बिजली

(श्री अध्यक्ष)
का लेना इस विषय पर यहां चर्चा करने से लाभ नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लाभ ही होगा अगर यह एग्रीमेन्ट कर लेते हैं फिर राजस्थान सरकार के तो हाथ कट गये । फिर बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता । हम तो यह एश्योरेन्स चाहते हैं कि यह पार्टनरशिप के मामले में जितना भी संघर्ष करें यह सदन मुख्य मंत्री जी के साथ है लेकिन पार्टनरशिप को छोड़कर यदि एश्योर्ड सप्लाई के बेसिस पर यह एग्रीमेन्ट कर आये तो मैं अध्यक्ष महोदय, यही कह सकता हूं कि राजस्थान को इतनी बड़ी हानि होगी जिसकी पूर्ति हम भविष्य में किसी रूप में भी नहीं कर सकते इसलिए क्वेश्चन सिद्धान्त का है एश्योर्ड सप्लाई के किसी प्रकार के भ्रम में नहीं आ जायें ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन् मैं एक बात निवेदन कर दूं ………

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : श्रीमान मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि एश्योर्ड सप्लाई हम खरीद सकते हैं या उसमें हमारी पार्टनरशिप है । सवाल यह भी है कि हमारा हक उसमें कितना बनता है । तो मुख्य मंत्री जी से मैं आश्वासन चाहूंगा कि हमारा जो हक मिलना चाहिए सतलज के पानी में हमारी भागीदारी के अनुपात को देखते हुए उस अनुपात से उतने ही के हम साझीदार हैं। जितना जोर इस बात पर दें कि हम पार्टनर हैं उतना ही उस साझेदारी की मात्रा पर · ·

श्री अध्यक्षः सभी प्रश्न नीहित हैं इसमें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, मैं एक बात निवेदन कर दूं। मुझे क्षमा करेंगे, सभी माननीय सदस्यों को विस्तार से जानकारी हो ही नहीं सकती है । जो संबंधित मंत्री रहे हैं, मुख्य मंत्री रहे हैं या जो दिलचस्पी लेते हैं केवल उन्ही को जानकारी है । मैंने इसलिए आपको निवेदन किया कि दो मुद्दे इसमें बहुत अहम् हैं एक तो लीगल है और दूसरा है टेक्निकल और दोनों मुद्दों को हम बराबर देख रहे हैं । हमारी तैयारी जिस सीमा तक भी जाकर राजस्थान के हितों को प्रोटेक्ट करने की है वह की जायेगी । उसमें हम कभी भी पीछे नहीं रहे हैं । अभी जो कहा गया उसको ध्यान में रखकर चल रहे हैं। लेकिन अब मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि बाद में माननीय सदस्यों के काम में आये । श्रीमन्, यह प्रोजेक्ट बन रहा है तैरती हुई नदी के पानी पर । उस पानी को एक जगह से निकाला जायेगा। पानी में से बिजली बनेगी । उस पानी को उसी नदी में फिर डाल दिया जायेगा। सवाल इस बात का है। कि ऐसे पानी पर हमारा कितना हक है। लीगली हमने इसको एग्जामिन कराया है। बड़े से बड़ा जो वकील हो सकता है उससे इस बात की जानकारी कर रहे हैं टेक्निकली क्या हो सकता है, उसकी जानकारी कर रहे हैं । हमने कभी कोई एग्रीमेन्ट न किया है न कभी माना है । इसलिये थोड़ा निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा इतन्जार कर लें । जल्दी ही आपको इस बारे में जानकारी मिल जायेगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । किस मामले में बोलेंगे ?

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : इस बारे में नहीं । अध्यक्ष महोदय, आज इस

(श्री गोपाल पचेरवाल)
सदन का सौभाग्य है कि सदन में मुख्य मंत्री जी विराजमान हैं। मुख्य मंत्री जी आपके द्वारा जानकारी चाहता हूं कि 18 मार्च को मानसिंह होटल में एक राष्ट्रीय लेवल का, अन्तर्राष्ट्रीय लेवल का एक प्रश्न ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज की सूची में नहीं है, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तीन लाख रुपये भेंट किये गये हैं...

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण सवालों को सदन में लाने की प्रक्रिया है।

श्री गोपाल पचेरवाल : तीन लाख की भेंट थी....

श्री अध्यक्ष : 50 लाख की चीज हो सकती है। नियमों के अनुसार रखी जाये..

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैं अनधिकृत रूप से किसी विषय पर चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। मैं नाम पुकार रहा हूं यदि कहना चाहें तो दो-दो मिनट में अपनी बात कह दें....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मैंने व्यवस्था दी है जो विषय कार्य सूची में है उसके अलावा नहीं लिया जायेगा.....

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, स्टेट का मामला है....

श्री गोपाल पचेरवाल : सदन का मामला है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ माननीय मुख्य मंत्री जी यहां विराजे हुए हैं इसलिए उनका स्पष्टीकरण चाहिये......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया नियमों का ध्यान रखें।

आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : सदन और आसन सुनने के लिये बाध्य नहीं है..

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

अंकित न हो।

श्री मेघराज तावड़ । ×××

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदसिंह, गोविन्दसिंह पुत्र श्री गणपत सिंह निवासी गांव चावाणिया

(श्री अध्यक्ष)
के तीन वर्षों से लापता होने के विषय में।

(व्यवधान)

मुझे बाध्य होकर नियमों के तहत कार्यवाही करनी पड़ेगी। कृपया बाध्य न करें।

अंकित न हो।

श्री मेघराज तावड़ : XXX।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य, मैं नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करूंगा। आर्डर, आर्डर। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्री उम्मेदसिंह यदि कुछ कहना चाहें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

अंकित न हो। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री मेघराज तावड़ XXX।

श्री राजबहादुर : मुझे इजाजत देंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एक बात निवेदन करना चाहूंगा। अगर आप आज्ञा दें तो।

अध्यक्ष महोदय,

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इनको कैसे आज्ञा दी है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। नियमों का अध्ययन कीजिये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस मामले के अन्दर भ्रांति न रह जाये

(व्यवधान)

श्रीमान्, जो कवेश्चन आल आफ ए सडन यहां उठाये जायें, उनका जवाब न दिया जाये, आपने रूलिंग दे दी, हम चुप बैठे हुए है, इस बारें में कहना नहीं चाहते थे.....

श्री अध्यक्ष : अंकित भी नही किया है...

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं, भ्रांति न रहे, जो मुख्य मंत्री जी को भेंट दी गई है। वह जी. ए.डी. में जमा करा दी गई है। दूसरी बात मैं कहता हूं आज तीन, चार लाख की बात कर रहे हैं जो इनको भेंट हुई हैं वह जी. ए. डी. में जमा हो जाये। यह पब्लिक में भ्रांति फैलाने की बात है..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें। मुझे बाध्य होकर निवेदन करना पड़ेगा, आप नियमोंका उल्लंघन कर रही हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

Page No. 50

(50)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके कहने से बैठ जाती हूं, फिर उठना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गोविन्द सिंह पुत्र गणपत सिंह, उम्र 30 साल, गांव चावण्डिया नं. 507 आर. ए. सी. बटालियन, धौलपुर, तीन वर्ष पहले ड्यूटी पर था। रात्रि को सोया। सुबह वह वहां उपस्थित नहीं मिला। आज तक उसका पता नहीं लगाया गया, उसके साथ क्या हुआ। क्या उसको डाकू ले गये, और डाकूओं ने उसको मार दिया या वहां के आर. ए. सी. के आफिसरों ने मार दिया, कहीं गायब कर दिया, या स्वतः ही कहीं चला गया? किसी तरह की अभी तक कोई सूचना घर को नहीं दी गई है। इस बाबत गत वर्ष सी. आई. डी. को जांच के आदेश दिये गये थे लेकिन आज तक उसकी जांच पूरी नहीं हो पाई। क्या हुआ उसका? क्या नहीं हुआ? वह जांच दबा दी गई। यह मामला बनता है। अधिकारी लोग इस मामले को दबाना चाहते हैं। गोविन्दसिंह का एक बच्चा, एक उसकी बूढ़ी मां, एक बच्ची और उसकी एक पत्नी है। उनका जीवन निर्वाह का कोई अन्य साधन नहीं है, न उनके पास कोई जमीन है। सरकार उसके बारे में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था आज तक नहीं कर पाई है। उनके जीवन यापन के लिये कोई प्रबन्ध किया जाये। एक सैनिक कुटुम्ब की उपेक्षा की जा रही है। जो जवान देश के लिये कुर्बान हो गये, उसका एक भाई पिछली चीन की लड़ाई में मारा गया, खतम हो गया था उसको भी किसी प्रकार की कोई जमीन नहीं दी गई। उसको कोई जमीन या उसके जीवन-यापन का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया, इसलिए इसका उत्तर दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल। तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़ में कुछ सहकारी समितियों के कर्मचारियों द्वारा सदस्यों द्वारा कर्जा न लेने पर भी वसूली करने के संबंध में।

श्री हरीश शर्मा : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन।

श्री अध्यक्ष : कोई पाइन्ट आफ कलेरिफिकेशन होता ही नहीं है। पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन होता है।

श्री हरीश शर्मा : ....(अस्पष्ट)........ जिन्दगी बरबाद हो जायेगी....

श्री अध्यक्ष : नन्दलाल जी, आप बता दें, माननीय सदस्य, क्या कहना चाहते हैं?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह बता रहे हैं कि इस वर्ष जो बोर्ड के एग्जाम होने जा रहे हैं उसमें कक्षा 10 व 11 के पर्चे आउट हो चुके हैं, इसकी वजह से छात्रों में असन्तोष है।

श्री अध्यक्ष : सदन में किस तरह लाया जाय, यह प्रश्न है। किसी काल अटेन्शन मोशन के जरिये ले आयें।

(व्यवधान)

पर्चे आउट हो गये हैं तो दूसरे आ जायेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर.... (व्यवधान)... राज्य सरकार....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, इसके बारे में व्यवस्था दे दी गई है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, व्यवस्था दे दी गई है।

Page No. 51

51

(श्री अध्यक्ष)
उस पर शायद वक्तव्य दिलाया जा रहा है. .... (व्यवधान)... आप कार्यालय से मालूम कर लें ।

श्री नन्दलाल ।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, जिसे आसन ने अस्वीकार कर दिया है और जो महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है, निवेदन करना चाहता हूं, प्रतापगढ़ तहसील में सहकारी समितियों के माध्यम से जिन सदस्यों ने कर्जा लिया था, उन कर्जों की वसूली सख्ती से हो रही है । अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं यह स्थिति बताना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ तहसील में 20 सहकारी समितियां हैं और 16,437 सदस्य हैं जिनमें से 6059 सदस्य शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं । अध्यक्ष महोदय, वसूली हो, यह हम भी चाहते हैं। जो राशि संस्था ऋण के रूप में देती है वह उसे वसूल भी करती है लेकिन मैंने निवेदन किया प्रतापगढ़ तहसील को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया। वहां 50 प्रतिशत से कम खराबा हुआ है । अध्यक्ष महोदय, इसकी वजह से अकाल राहत कार्य शुरू नहीं हुए लेकिन वहां के आदिवासियों की, किसानों की, मजदूरों की वर्तमान में क्या स्थिति है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वे लोग एम. पी. और गुजरात में पलायन कर रहे हैं। भूख की ज्वाला से मर रहे हैं, और भूख को शान्त करने के लिये मच्छी मार-मार कर खाते हैं, तो भी उनको बन्दूकों से मारा जा रहा है । सरकारी जो कर्जा बकाया है 15-15 साल से अधिक उसको तो वसूल नहीं किया जा रहा है लेकिन जिनका एक दो वर्ष का कर्जा बकाया है उनसे जबरन वसूल किया रहा जा है, जबरदस्ती उनसे सामान छीना जा रहा है, उनके जो कुछ खेती करने के उपकरण है, वे भी छीने जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : वे गरीबों से अपना टार्गेट पूरा करना चाहते हैं ।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर स्थिति बन चुकी है वहां के आदिवासी की । चींटी भी तब काटती है जब उसको कुचला जाय । तो मेरा निवेदन है कहीं ऐसा रूप धारण न कर लें जिस पर सरकार को काबू पाना मुश्किल हो जाय । उनकी भूख की ज्वाला को शान्त कीजिये । अगर यह भी नहीं करते हैं तो कम से कम जो कुछ उनके पास बचा है उसको तो बचाने का प्रयास कीजिये । मैंने सहकारिता मंत्री जी को भी निवेदन किया था । वहां लोगों ने जानकारी दी है कि वसूली की कार्यवाही बहुत सख्ती से हो रही है। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह उनसे वसूली है जिनके नाम से लाखों रुपये झूठे मण्डवा लिये गये, झूठे कर्जे लिखवा लिये गये, सारे फर्जी काम किये गये । वे लोग, जिन्होंने कर्जे लिये हैं, वास्तव देना चाहते हैं परन्तु सरकार के कर्मचारियों ने, और सहकारी समितियों के सदस्यों ने जो कर्जे झूठे लिखवा लिये हैं, वह कर्जे जबरन वसूल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा अन्याय वहां हो रहा है । मैं यह चाहता हूं आवीरामा, कुलमीपुरा, उठेल, नारायणखेडा, रायपुर सहकारी समिति के लेखे जो प्लाट के अन्तर्गत है जिसमें आदिवासी अधिक सहकारी समितियों के मेम्बर हैं वे आज रोटी-रोजी की तलाश में घूमते फिरते हैं, उनसे जबरन वसूली की जा रही है । वहां के पदाधिकारी कांग्रेसी हैं । यहां तक कहा जा रहा है, वे हनुमान प्रसाद प्रभाकर का नाम लेकर कहते है कि हमें इस प्रकार के आदेश हैं...

Page No. 52

(52)

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन वहां इस प्रकार की बातें कही जा रही है। कुलमीपुरा के लोग यहां आये और उन्होंने जानकारी दी है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है ......

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, उनके जो आरक्षण की बात है, वह तो दूर रही, कहीं वर्ग संघर्ष न हो जाये, आज इस की भी काफी सम्भावना हो गई है। आज वे इस बात पर उतारू हो गये हैं कि आदिवासियों को किस तरह परेशान किया जाय, किस तरह उनको दबाया जाय, किस तरह उनके खून पसीने की कमाई को खाया जाय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप व्यक्तिगत रूप से कहें इन मंत्रियों को कि उन गरीबों के लिये कुछ करें, और उनसे जबरन वसूली न करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी । देवस्थान विभाग के आत्मनिर्भर मन्दिरों के बारे में ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : देवस्थान विभाग में जो अनियमितताएं चल रही हैं, जनता पार्टी के शासन में उन अनियमितताओं की ओर ध्यान दिया गया था। दुःख और आश्चर्य है कि 74-75 में, 75-76 में, 76-77 में तीन साल लगातार रोकड़ वही में कहीं कोई इन्द्राज नहीं है, कहीं कोई आय-व्यय का हिसाब नहीं है। 77 में उस सारी रोकड़ को देखा गया और जांच की गई। इन तीन सालों की जो रोकड़ देवस्थान की है उसमें आय-व्यय का कोई हिसाव-किताव नहीं है। दुर्भाग्य की बात है 74-75 से लेकर 76-77 तक, इन तीन सालों में तीन देवस्थान के उपायुक्त हुए, उन तीनों उपायुक्तों ने जितनी धनराशि जमा है, जितने जेवर जमा हैं, जितनी फिक्स्ड डिपोजिट्स है, तथा जितने बान्ड्स हैं उनका कोई जमा खर्च नहीं किया और चले गये। एक श्री भंवर लाल श्रीमाली हैं, जिन्होंने चार साल तक चार्ज नहीं दिया, जिनको जनता पार्टी के शासन में नोटिस दिया गया। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया, चाबी नहीं है। ताले तुड़वाये गये तो पांच लाख की फिक्स्ड डिपोजिट्स की राशि उस अलमारी में निकली। उनसे पूछा गया, रिन्यू क्यों नहीं करवाये तो उन्होंने बताया कि मेरे तो ध्यान में ही नहीं था। पांच लाख की फिक्स्ड डिपोजिट की राशि, जिस पर व्याज मिलने वाला था, डूबत खाते में हो गई। उन पर कार्यवाही करने के लिये देवस्थान मंत्री ने नोटिस दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वे दो साल तक बिना चार्ज के रहे। उनके भी ताले तुड़वाये गये तो अशर्फियां, अमेरिकन डालर और विदेशी मुद्रा मिली, और काफी बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त हुई है। इसी प्रकार भारत के प्रसिद्ध मंदिर ऋषभदेव के खजान्ची ने पेंशन होने के बाद चार्ज नहीं दिया। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, इस देवस्थान विभाग में क्या हो रहा है। सारी देवस्थान की सम्पदा डूबत खाते में जा रही है। जब ऋषभदेव के मन्दिर के खजान्ची से चाबी के लिये पूछा

(श्री दाऊदयाल जोशी)
गया तो उन्होंने भी यही बताया कि चाबी खो गई। उनको जनता पार्टी के शासन में कहा था कि चाबी लाओ लेकिन उन्होंने चाबी नहीं दी। जब ताले तुड़वाये गये तो 38 तोला सोना आलमारी में कम मिला। उन पर कार्यवाही की गई। मुझे आपके माध्यम से देवस्थान मंत्री से निवेदन करना है कि इन सब व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये पुलिस को लिख दिया था लेकिन साल भर होने को आया, आज तक इन चारों व्यक्तियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। देवस्थान विभाग की सम्पदा को लूट-लूट कर खाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऋषभदेव के मन्दिर में 38 तोला सोना कम निकला वह किसने खाया, उस पर क्या कार्यवाही हुई ? और कार्यवाही नहीं हुई तो तुरन्त करने की कृपा करें।

श्री **अध्यक्ष** : श्री बाल चन्द्र आर्यवीर, श्री अनंग कुमार, श्री महावीर प्रसाद, झुन्झुनूं से 40 किलोमीटर दूर सूरजगढ़ कस्बे के निवासी शिव कुमार की गुण्डों द्वारा पीटने से हुई मृत्यु के विषय में। एक माननीय सदस्य बोल दें, पर्याप्त होगा।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : इनके बोलने से यदि गुण्डे काबू में आते हों।

श्री **बाल चन्द्र आर्यवीर** (डग) : आज वर्तमान में कानून व्यवस्था भयंकर बिगड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं :—

श्री **अध्यक्ष** : आपने कह दिया, मैंने मान लिया।

बाल चन्द्र आर्यवीर : झुंझुनूं से 40 किलोमीटर दूर सूरजगढ़ कस्बे में एक श्री शिव कुमार नाम का 28 वर्ष का लड़का, युवक जब अपने घर से अपनी पत्नी को लेकर मोटर स्टैन्ड पर जा रहा था तो वहीं पास पड़ोस के कुछ गुण्डों ने घेरकर उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। उसने मुकाबला किया और कुछ कहा-सुनी की। वह वापस जब घर पर आया तो घर पर आकर उन गुण्डों ने उसके मकान पर हमला किया और उसके परिवार जनों को भी पीटा। इस शिव कुमार को अधिक चोटें आयीं। तुरन्त अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस शिव कुमार की गत गुरुवार को मृत्यु हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि यह जो काण्ड हुआ है, इसकी तुरन्त जांच कराकर जो दोषी व्यक्ति हैं, उनको सजा देने की व्यवस्था करें।

श्री **हजारी लाल शर्मा** (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, यह झुन्झुनू जिले का मामला है।

श्री **अध्यक्ष** : झुन्झुनू जिले का होने से अधिकार थोड़े ही हो जाता है, बोलने का।

श्री **हजारी लाल शर्मा** : एक मिनट।

श्री **अध्यक्ष** : अच्छा।

श्री **हजारी लाल शर्मा** : यह आपसी लड़ाई है, और आपसी लड़ाई दोनों को लगी है, एक आदमी की मृत्यु हो गई, और मारने वाला गिरफ्तार हो गया।

श्री **अध्यक्ष** : यह विवाद का विषय हो गया। इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री जीत मल जैन, गत सात मार्च को तिजारा, जिला अलवर

(श्री अध्यक्ष)

में श्री शिवलाल सैनी को 5 व्यक्तियों द्वारा लूटने व एक व्यक्ति को घायल करने के विषय में।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 7-3-81 को तिजारा में चुंगी नाका है, उस पर श्री शिवलाल सैनी अपनी भतीजी और अपनी लड़की के साथ कोटपूतली से उतरा बस से। उतरने के बाद वहां से उनकी जो ढाणी है वह एक किलोमीटर के करीब दूर है। वहां जैसे ही जाने लगे, कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में 5 लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। उनकी व श्री शिवलाल सैनी की आपस में गुत्थम गुत्था हुई और चाकू से चोट आयी। उसके बाद वह बेहोश हो गया। उसके बाद दोनों लड़कियों के जो जेवर थे लगभग 20 तोले सोना उसको डकैत ले गये। उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो एक पिस्टल, एक फर्सा, एक कुल्हाड़ी, उसका वजन लगभग दो किलो है, एक लूंगी, एक चाकू और एक टिकट किशनगढ से तिजारा का वहां उनको मिला लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो कि इस संबंध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 3-7-81 को घटना हुई और आज तक कोई अपराधी पकड़ में नहीं आया। 16 तारीख को जब यह व्यक्ति वहां के डी. एस. पी., श्री महापौर से मिला, तो उन्होंने कहा कि 80 पर्सेन्ट माल बरामद हो गया है, जल्दी ही बाकी माल बरामद हो जायेगा। माल बरामद हो गया है लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा गया है, यह आश्चर्य का विषय है। दोनों में विरोधाभास है। अगर अपराधी से माल बरामद हुआ है तो यह बड़ा सोचने का विषय है। सबसे बड़े दु:ख की बात यह है कि यह मामला बिल्कुल डकैती का है, एक गाऊन, एक पिस्टल बरामद हुआ है, एक कुल्हाड़ी बरामद हुई है, चाकू से घायल है लेकिन पुलिस ने इसको डकैती का मामला दर्ज नहीं करके, केवल चोरी का मामला दर्ज किया है। इस प्रकार की प्रवृत्ति बनती जा रही है, इस प्रकार के जो डकैतियों के मामले होते जा रहे हैं उनको डकैती का मामला दर्ज नहीं करें ताकि प्रशासन कमजोर नहीं लगे, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने आदेश दे रखे हैं कि इस प्रकार की जो घटना घटे उनको डकैती नहीं कह कर, केवल सामान्य चोरी कहें। इस संबंध में तिजारा में 8 मार्च को सारे कस्बे में हड़ताल हुई।

श्री अध्यक्ष : फिर साधारण चोरी को किसमें डालें ?

श्री जीतमल जैन : जब पिस्टल मिले, चाकू मिले फिर आप बताइये, अध्यक्ष महोदय। एक इस संबंध में आश्चर्यजनक बात है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने तलाश किया और पैरों के निशान से वहां पर पहुंचे जहां उनका अनुमान था कि छिपा हुआ है. अपराधी छिपा हुआ है एस. एच. ओ. और कस्बे के दो व्यक्ति अन्दर गये, बाकी जिन लोगों के, परिवार के साथ जिनके साथ घटना घटी उनको अन्दर नहीं ले जाया गया। 15 मिनट रहने के बाद एस.एच. ओ. बाहर आये। इसके बीच में उनकी क्या बातचीत हुई वह किसी को नहीं बताया, आज तक पता नहीं। इसलिये ऐसी आशंका है कि उसके साथ पुलिस की और एस.एच.ओ. की मिली-भगत हो रही है। आज तक अपराधी नहीं पकड़े जाने के कारण हैं। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना

(श्री जीतमल जैन)

चाहूंगा कि इस संबंध में कोई कार्यवाही करके सरकार द्वारा अपराधी को पकड़ा जाय। इस प्रकार की घटनायें जो प्रदेश में निरन्तर बढ़ रही हैं, वह हमारे लिए, आपके लिये बड़ी चिन्ता का विषय है। इतना ही आपसे निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

(अनुपस्थित)

श्री महाराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री फतेसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री बंसीलाल पटवा।

भीलवाड़ा नगर में गंदगी व्याप्त होने के विषय में।

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा नगर में नगर परिषद् की ओर से जो वर्तमान में व्यवस्था जारी है उसके अन्तर्गत नगर में जहां जाओ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जितनी भी गंदे पानी को ड्रेन आउट करने की नालियां हैं या जो उसके साथ क्रासिंग बने हुए हैं 9 इंची के, कोई क्रासिंग गटर में नहीं होकर, पट्टी के क्रासिंग हैं। आवागमन की दृष्टि से ठेलागाड़ी, घोड़ागाड़ी, स्कूटर, साइकिल जो भी लेकर निकलते हैं तो वहां दुर्घटनाएं आये दिन होती रहती हैं। इस तरह की दयनीय स्थिति है। इसके अतिरिक्त, सफाई का अभाव तो है ही, लेकिन जितने भी शौचालय हैं, दूसरी अन्य बस्तियों में हैं चाहे लेदर कालोनी को ले लीजिए, चाहे शास्त्री नगर को ले लीजिए, चाहे हरिजन बस्ती को ले लीजिए, चाहे माणक्य नगर बस्ती को ले लीजिए, चाहे सांगानेरी पुल को ले लीजिए, जितने भी शौचालय बने हुए हैं, वर्षों से बने हुए हैं। आज तक उनकी रिपेयर नहीं हुई। शौचालय के जितने भी सैपटिक टैंक हैं उनकी ऐसी दयनीय स्थिति है कि मलवा बाहर निकलकर सड़कों पर बहता रहता है। उनके ऊपर पट्टियां या छत जो रहती हैं वह पट्टियां टूटी हुई हैं। कई बार इस तरह के अवसर आये हैं उनमें व्यक्ति गिर गये, और मवेशी गिर गये या किसी इस तरह दुर्घटनाग्रस्त होते-होते बचे। पिछली बार भी एक बच्ची गिर गयी बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचायी गयी। कई बार नगर परिषद् का ध्यान आकृष्ट किया गया लेकिन इस दिशा में आज दिन तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसका मूल कारण यह है कि पार्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासन एक तरह से ठप्प पड़ा है। सफाई की दृष्टि से तो परेशानी है ही, लेकिन जो नगरपरिषद् के बाकी के काम हैं वह भी चाहिये काम समय पर नहीं होते। इस स्थिति को सुधारने की दृष्टि से और इसमें आवश्यक सुधार हो इस दृष्टि से मेरा आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मन्त्री से निवेदन है कि वहां पर परमानेन्ट स्थायी रूप से एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक भेजें या नगर पार्षदों के चुनाव तत्काल कराये जायें ताकि चुनिन्दा व्यक्तियों के हाथों में बोर्ड आये और उनके द्वारा व्यवस्था देखी जाय। क्योंकि डेढ़ दो वर्ष से पार्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर रहता है परिणामस्वरूप वह समय नहीं दे पाता। प्रशासन की दृष्टि से ढीली नीति अपनायी जाती है और शिथिलता है। तो मेरा निवेदन है स्थायी रूप से प्रशासक भेजकर म्युनिसिपैलिटी के प्रशासक को चुस्त बनाया जाय ताकि गंदगी दूर करने और अन्य विकास के काम भीलवाड़ा में समय पर हो सकें। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री रघुवीर सिंह कौशल, कोटा जिले में अध्यापकों की कमी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में पंचायत समितियों में 198 अध्यापकों की कमी है। 36 स्कूल वहां बन्द रहे हैं .....

श्री अध्यक्ष: सात हजार की कमी बता रहे हैं उसके मुकाबले में कम ही बता रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल: मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह कमी स्कूलों की बताई है कि 36 स्कूल बन्द रहे हैं, यह भी एक तिकडमबाजी है। कारण क्या है कि पंचायतसमितियों में ज्यादातर स्कूल एक अध्यापक के रहते हैं। पांच सात स्कूलों में चार पांच अध्यापक रहते हैं। स्कूल बन्द इसलिये रहे हैं कि जहां पांच अध्यापकों की आवश्यकता है वहां एक अध्यापक स्कूल चला रहा है। स्कूल बन्द नहीं हों इसकी कोशिश की जाती है। नतीजा यह होता है कि पांच अध्यापक की जगह जहां पर एक अध्यापक है वहां पर लड़के लड़कियां ने स्कूल जाना बन्द कर दिया है। गांवों में जब हम जाते हैं अपने क्षेत्र में दौरे पर जाते है तो वहां के अभिभावक हमको कहते हैं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। आपस में बाते नहीं करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल: पांच जगह हैं लेकिन केवल एक अध्यापक पढ़ा रहा है। लड़के लड़कियों ने स्कूल जाना बन्द कर दिया है। मैं यदि आपको फिगर दूं कि छबड़ा में 47 अध्यापकों की कमी है, 21 स्कूल बन्द रहे हैं वहां।

श्री भैरोंसिह शेखावत: यह विरोधी दल के नेता के साथ व्यवहार है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल: छीपा बड़ौद में 25 अध्यापकों की कमी है। इसी प्रकार 36 स्कूल बन्द हैं। ये केवल फिगर कम करने के लिए बन्द हैं। वस्तुतः पंचायत समितियों की यह प्राथमिक शालायें कोटा जिले में अस्त-व्यस्त हो रही हैं। मैं कोटा जिले की बात कर रहा हूं लेकिन वैसे सारे राजस्थान की स्थिति यही है। जो सात हजार अध्यापकों की कमी है उसमें से 4900 केवल प्राथमिक शालाओं में कमी है। सत्र प्रारम्भ हुआ और सत्र अन्त होने जा रहा है। सरकार की जानकारी में यह तथ्य है कि अध्यापको की कमी है, अध्यापक नहीं हैं। हम जिलाधीश से मिले तो उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश हैं कि आप किसी नए अध्यापक को नियुक्ति नहीं दे सकते। इस तरह से प्राथमिक शालाओं की प्राइमरी एजूकेशन पर सरकार कुठाराघात कर रही है। यह बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। फिर गांव के लड़के क्या किसी कम्पिटीशन में बैठ सकते हैं, क्या उनका फर्स्ट डिवीजन आ सकता है? यह केवल प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों की बात नहीं है, कोटा जिले में देखा जाय तो एस. डी. आई. नहीं हैं जो स्कूलों पर नियंत्रण रखें। आज स्कूल बन्द हैं। कहीं एक जगह एक अध्यापक है, वह भी कभी जाता है, कभी नहीं जाता है। सरकार की जानकारी में यह बार-बार लाने के बाद भी अध्यापकों के अभाव में स्कूल बन्द हैं और सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

मान्यवर, सांगोद में 25 अध्यापकों की कमी है। पिड़ावा में 17 कम हैं। यह फिगर कम

(श्री रघवीरसिंह कौशल)

हैं । हमने अपने क्षेत्र में जाकर देखा वहां नहीं है बल्कि यह तो वह स्थिति है तो हमारे प्रश्न के उत्तर में बताई गई है ।

श्री अध्यक्ष: सत्तारूढ दल के किसी सदस्य के क्षेत्र के आंकड़े अगर आपके पास हों तो वह भी बता दें ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल: सत्तारूढ दल के भी आंकड़े आपके सामने पेश कर दूं । लाडपुरा में केवल चार अध्यापकों की कमी है··

श्री अध्यक्ष: वह तो शहरी बस्ती है ।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इसमें कुछ शहरी हिस्सा है । मान्यवर, मैं निवेदन कर दूं कि किशनगज कांस्टीट्यूएन्सी, जहां से माननीय समाज कल्याण मंत्री जी जीत कर आए हैं में केवल, 21 अध्यापकों की कमी है।··

श्री अध्यक्ष: भेदभाव कम हुआ । सभी जगह इतने ही अध्यापकों की कमी है ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : भेदभाव वाली बात नहीं है। मेरा आरोप भेदभाव वाली बात का नहीं है। उपेक्षा की दृष्टि से इस बात को किया जा रहा है । प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों की कमी पंचायत समितियों में, गांवों में, यह गांवों की शिक्षा की तरफ उपेक्षा है । एक तरफ आप गांवों के लोगों को, प्रौढ लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रौढ शिक्षा चला रहे हैं । दूसरी तरफ जिन बच्चों को शिक्षा देना आवश्यक है, जहां कम्पलसरी एजूकेशन की बात कर रहे हैं, जहां लड़के लड़कियों को अभियान चला कर स्कूलों में भर्ती किया गया है, वहां आज उनका स्कूल जाना बन्द हो गया है । जहां पांच अध्यापकों की जरूरत है वहां एक से काम चलाया जा रहा है । यह घोर उपेक्षा का दृष्टिकोण है सरकार का । प्राथमिक शालाओं के बारे में जानकारी देने के बाद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है । मैं आपके माध्यम से यदि कोई सुन रहा हो तो उनसे यह निवेदन करूंगा वह अध्यापकों की कमी पूर्ति करें । आप यह कहेंगे कि सत्र समाप्त होने वाला है इसलिए छुट्टियों की तनख्वाह क्यों दें । पूरा सत्र निकल गया है अध्यापकों के अभाव में । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि न तो यहां पर विकास मंत्री जी हैं, न शिक्षा मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्रालय इस बजट को विकास विभाग को ट्रान्सफर कर देता है और विकास विभाग नियुक्तियों में कंजूसी करता है और उसका फल गांव की पाठशालाओं को भुगतना पड़ता है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस विषय में यदि शिक्षा मंत्री जी और विकास मंत्री जी को कहें कि गांवों की पाठशालाओं की तरफ ध्यान दिया जावे तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे यहां तीन महीने से बन्द है सांगोद में ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह काम योजनापूर्वक है । बजट में बचत हो, बचत की जा सके इसलिए जान बूझ कर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है । कहा गया कि स्थिरीकरण करेंगे । स्थिरीकरण होता नहीं, पोस्टिंग होता नहीं । जब कि शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था । मैं फिर आपके माध्यम से दोहराना चाहता हूं, जैसी उन्होंने घोषणा की कि व्यवस्था करेंगे, वह व्यवस्था करें । अभी तक की जो व्यवस्था है वह यह है कि जान बूझ कर अध्यापक कम रखे जा रहे हैं ।

Page No. 58

58

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, देवास योजना की सैकिंड, थर्ड व फोर्थ जो स्टेजेज हैं, उनके बारे में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था कुछ समय पहले लेकिन नहीं आने के कारण मुझे मजबूरन स्थगन प्रस्ताव देना पड़ा··

श्री अध्यक्ष : यह जल्दी आ गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसलिए, श्रीमान्, मैं चाहता था कि सिंचाई की डिमाण्ड पर बोला जावे लेकिन बोलने का नम्बर नहीं आ सका। अकाल पर विचार के वक्त भी अवसर नहीं मिल सका। यह जो देवास योजना है, इस पर उदयपुर जिले के भविष्य की जिन्दगी निर्भर करती है। उदयपुर में जिस प्रकार पानी की शोर्टेज पिछले कुछ वर्षों से बराबर बनती जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए जो साबरमती में पानी जा रहा है और समुद्र में मिल रहा है, यह योजना इसलिए बनाई थी कि राजस्थान में बहने वाले पानी को रोक कर उसको राजस्थान में उपयोग में ले सकें। इसके लिए बहुत पहले सन् 1968 और उसके पहले योजना बनी थी और उसका पहला चरण था गिराणा डेम। वह तो पूरा हो गया 71 में और 71 के बाद में लगातार इस योजना की अनदेखी की जा रही है, काम आगे नहीं बढ़ा है। उसके कारण से इस क्षेत्र के अन्दर, उदयपुर में यदि एक वर्ष पानी अच्छा नहीं पड़े तो पीने के पानी के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। जो कादा है केवल दो तीन फीट तालाब का पानी, है वही उदयपुर की जनता को सप्लाई किया जाता है। इसलिए इस योजना के बारे में लगातार उदयपुर के प्रायः सभी विधायक इस बात को उठाते रहे। वहां के जो इस समय एम. पी. हैं माननीय मुखाड़िया जी, उन्होंने लगातार हर भाषण में, हर स्थान पर इस बात को कहने का प्रयत्न किया है। सरकार को कई बार चिट्ठियां लिखी। मुख्य मंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया है क हम इस योजना को लागू करेंगे लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना बन कर सामने आ गई उसमें कहीं इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। यह इस बात की शंका पैदा कर रहा है कि इस क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है। उदयपुर जिले के सम्भाग में 8 कांस्टीट्यूएन्सीज रिजर्वड हैं जिनमें से सात शिड्यूल्ड ट्राइब्स और एक कास्ट की है। यह डैम बनने वाला है वह गोगुन्दा, कोटडा, झाडोल और उदयपुर ग्रामीण की जो चार सीटें हैं और उदयपुर, मावली और वल्लभनगर, इन छः कांस्टीट्यूएंसीज को इससे लाभ होगा। इसका बहुत अधिक खर्चा भी नहीं है, श्रीमान्। इसका जितना केचमेंट एरिया है, इसका टोटल केचमेंट 1130 स्क्वायर फीट का है उसमें लगभग 18320 एम. ए. एफ. जो पानी बहेगा उसमें से····

श्री अध्यक्ष : अठारह सौ····

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 18320/- उसमें से केवल 1320 एम. ए. एफ. पानी को डायवर्ट किया जाएगा टनल के द्वारा उदयपुर की ओर इस कारण से इस पानी के आधार पर उदयपुर में पेयजल की समस्या जो आगे आने वाली है, यदि एक साल बरसात नहीं होगी तो उदयपुर में पीने के पानी का हाहाकार मच जाएगा जैसा कि पिछले 73 के समय में भी हुआ था। पिछले साल भी केवल चार फीट पानी तालाब में रह गया था। तो पीने के पानी की समस्या इससे हल होगी। दूसरा उदयपुर का जो औद्योगिक

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विकास हो रहा है वह औद्योगिक विकास आगे नहीं बढ़ पायेगा जब तक उसका पानी नहीं मिलेगा। उदयपुर में पानी का और कोई सोर्स बचा नहीं है। केवल देवास योजना एक मात्र योजना बची है जिसके पानी का उपयोग करके उदयपुर और उदयपुर के आस-पास के क्षेत्रों का, भविष्य के लिये विकास किया जा सकता है। श्रीमान्, इसमें बहुत अधिक खर्चा भी नहीं है। श्रीमान अब इसमें तीन स्टेज हैं। सैकिंड स्टेज पर 4.18 करोड़ का खर्चा है। थर्ड स्टेज पर 4.48 करोड़ का है और फोर्थ स्टेज होगी वह 2.48 करोड़ की है। यह तमाम मिला कर 11.49 करोड़ का खर्चा है। हम यह नहीं चाहेंगे कि सारा काम एक साल में ही पूरा कर दिया जावे। उसको पांच वर्षों में पूरा करिये लेकिन यह जो छठी पंचवर्षीय योजना है इसमें काम प्रारम्भ करिये। चाहे पांच साल लगें, चाहे सात साल लग जायं हमको अफसोस नहीं है लेकिन काम एक बार प्रारम्भ हो गया तो यह पानी जिस पर हमारा हक है और दूसरे वहां का हक है जहां उसको हम ले नहीं पा रहे हैं, उसको लेने में असफल रहे हैं और जो हमारे पास पानी है, वह साबरमति में बह करके समुद्र में गिर रहा है। हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। केवल यह कह कर कि बी.सी. रेश्यो नहीं बनता है। तो बी.सी.रेश्यो को भाड़ में जाने दें। अपने पानी की एक एक बूंद का उपयोग करने के लिए कह रहा हूं। उदयपुर के पीने के पानी के लिये निवेदन करना चाहता हूं। मैं भविष्य के लिये कह रहा हूं। ऐसा अगर दो साल अकाल पड़ गया तो पीने के पानी के लिये दूसरी पाइप लाइन लगानी पड़ेगी या फिर जयसमन्द से पाइप लाइन डाल कर उदयपुर को पानी पिलाना पड़ेगा। इस गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रीजी देर से पधारे हैं, लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर की देवास योजना को प्राथमिकता दें। जल बिना उदयपुर का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जिसको झीलों की नगरी कहते हैं, वह मरुस्थल बन जायगा अकाल के समय और वहां के लोग तड़प तड़प कर जान दे देंगे। स्थानीय लोगों की मंशा को समझ कर, जनता की मांग को समझकर, इसे छठी पंचवर्षीय योजना में किसी भी प्रकार सम्मिलित करें और इसको पूरा करने का प्रयत्न करें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सी. पी. जोशी : हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण बाद में आयेगा।

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : एक मिनट ही बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। उदयपुर में जल कुंभी जब लगी हुई थी, तब राज्य सरकार ने 16 लाख रुपये जल कुंभी को हटाने के लिये खर्च किये। देवास योजना का काम पूरा नहीं करते हैं, जिसकी लागत केवल मात्र 11 करोड़ रुपये हैं, जबकि केवल मात्र एक साल में जलकुंभी हटाने के लिये 16 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। उदयपुर में जिस हिसाब से इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट के लिये देवास की जमीन ली, उस हिसाब से इंडस्ट्रियल डवलपमेंट के प्रोसीजर को दिमाग में रखते हुए, पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए और आस पास के ग्रामीण इलाके, जो आदिवासी इलाके है, की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यदि हम हर साल जलकुंभी हटाने के लिये केवल मात्र 16 लाख रुपये खर्च करें उसके बनिस्पत यदि हम देवास योजना के सैकण्ड, थर्ड और फोर्थ चरण को पूरा करें

(श्री सी. पी. जोशी)

तो यह समस्या, पेयजल की समस्या का निराकरण ही नहीं करें बल्कि आने वाले वर्षों में औद्योगीकरण के लिये आवश्यक है कि राज्य सरकार छठी पंचवर्षीय योजना में 81.82 में कम से कम शीघ्र इसे प्रारम्भ करने की घोषणा सदन में करें।

श्री **अध्यक्ष** : श्री भैरूलाल।

श्री **भैरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): मैंने देवास योजना के संबंध में प्रश्न पूछा था और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद में भी मैंने इसकी याद दिलायी थी।

श्री **अध्यक्ष** : हां मुझे याद है।

श्री **भैरूलाल मीणा** : पिछले साल जैसा अकाल पड़ा है, अकाल में करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है अनाज खराब होने की वजह से यदि इस पानी को रोक कर अकाल ग्रस्त क्षेत्र को सिंचित किया जायेगा तो ज्यादा फायदेमन्द होगा। बाकी पैसा खर्च करने से गवर्नमेंट का खर्चा होता है, अकाल होने से करोड़ों रुपये का जो नुकसान होता है वह नुकसान बच जायेगा और उदयपुर में पानी के संबंध में सुधार हो जायेगा, उद्योग आगे और लगेंगे। अभी जो मौजूदा उद्योग हैं, उनको भी पानी पूरा नहीं होता उस पानी से यदि आग उद्योग बढेंगे तो पानी नहीं होगा तो उद्योग लगाना भी बेकार होगा। तो इससे चार-पांच चुनाव क्षेत्रों में फायदा पहुंचता है। सराड़ा, मावली, और कुछ सलूम्बर और झाडोल गोगुन्दा इन सब क्षेत्रों को फायदा पहुंचता है इस बांध को बांधने से इसलिए इस बांध को बांधना जरूरी है और इस योजना को पूरा करना जरूरी है।

श्री **अध्यक्ष** : इस पर चर्चा थोड़े ही है स्थगन प्रस्ताव था माननीय सदस्य का उस पर मैंने इजाजत दी। इसको अन्य तरीके से उठाया जा सकता है, इसका महत्व मैंने समझा है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके दिये हुए हैं, उस पर जानकारी मंगाऊंगा ताकीद से, उसका तब निर्णय करेंगे।

एक माननीय सदस्य : सरकार का कई लाख रुपया खर्च हुआ है। उदयपुर में हमारी देवास योजना जल्दी से जल्दी लागू हो।

श्री **अध्यक्ष** : श्री रामकिशोर मीणा। सिकराय तथा टोडा भीम तहसीलों में बालाजी नामक नई पंचायत न बनाने के विषय में। यस।

श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय): घाट मेहन्दीपुर बालाजी पूरे देश भर मे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह जयपुर और सवाई माधोपुर दोनों जिलों की सीमाओं पर स्थित है। इस बालाजी नामक स्थान पर तीन पंचायतें लगती हैं। दो सिकराय तहसील की एक टोडाभीम की। अभी डेढ माह पहले अखबारों में बालाजी नामक नयी पंचायत बनाने बाबत छपा। वहां के लोगों ने उसको पढा। उस बाबत मुझ से सभी दल के लोगों ने सम्पर्क किया। इसी मुद्दे को लेकर गत तीन या चार मार्च को बी.डी. ओ. टोडाभीम ने अचानक रात्रि को आठ बजे एक मीटिंग बुलाई कलकत्ते वाली धर्मशाला में और कुछ गिने-चुने आदमियों को वहां पर बुलाया। उसमें यह प्रस्ताव लिया गया कि यहां पर एक नयी पंचायत बनायी जाये। मैंने गत 8 तारीख को सिकराय में मीटिंग बुलाई जिसमें दो पंचायत, जो कि सिकराय तहसील से लगती है, के लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि

(श्री रामकिशोर मीणा)

यहां पर न तो हमारी तरफ से कोई इस तरह का प्रस्ताव है, न हम इस तरह की आवश्यकता महसूस करते हैं। इसी के आधार पर गत 22 तारीख को प्रोपर बालाजी के अन्दर तीन पचायतों के नागरिकों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस (आई) के भूतपूर्व प्रधान, जो टोडाभीम के हैं, ने उसकी अध्यक्षता की है, तीनों पंचायतों के लोग उसमें उपस्थित थे। सबने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके दिया कि यहां न तो कोई नयी पंचायत की आवश्यकता है और न ही इस तरह की हमारी मांग है। इस स्थान का ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाता है तो इन तीन पंचायतों को और गतिशील बनाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो मूल कारण है, मैं जहां तक समझ पाया हूं, जहां तक जानकारी मिली है, कुछ निहित स्वार्थ लोग हैं जो कि सिकराय तहसील की दो पंचायत लगती हैं, एक टोडाभीम की लगती है, उदयपुरा नामक पंचायत है, वहां जितनी भी जमीन है, वह वहां पर आबादी के विस्तार के लिये पूरी हो चुकी है, और दूसरी पचायत जो करौली है, वहां के सरपंच, वहां के जो मंत्री हैं उनके प्रभाव में नहीं है। वहां के मंत्री 500 रुपये ज्यादा से ज्यादा एक धर्मशाला के पट्टे के लेते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं, जो भक्तजन आते हैं, उनको पचास-पचास हजार रुपये में उस जमीन को दे देते हैं। यह वहां पक्का सिर्फ एक स्वार्थ है, और इस स्वार्थ की पूर्ति हेतु एक नयी पंचायत बनाने की साजिश की जा रही है, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी वहां के भक्त हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, शपथ लेते ही वह सबसे पहले वहां गये, लेकिन बाद के क्षणों में कभी कहीं ऐसी गलती नहीं कर जायें कि वहां के लोग, जो कि शांत एरिया के हैं, के लिये ऐसा स्थान न बना दिया जाये कि वहां आन्दोलन भड़क जाय। उस रोज माननीय बद्रीप्रसादजी गुप्ता भी बालाजी के अन्दर उपस्थित थे, 22 तारीख को। उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन आप वहां पर पहले पधार चुके थे। आपका भी यह सुझाव था कि नयी पंचायत बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि उसका ज्यादा से ज्यादा विकास कराना है तो टाउन एरिया कमेटी बनायी जा सकती है। लेकिन टाउन एरिया कमेटी को वहां के मंत्री अपनी स्वार्थसिद्धि में बाधक मानते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पंचायत मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा, ऐसी यदि कोई विचारधारा है, केबिनेट में ऐसा मसला विचाराधीन है, तो इन सारी परिस्थितियों को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय करें जिससे वहां के क्षेत्र की जनता का कोई अहित न हो।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन। गत 2 मार्च को जयपुर से सवाई माधोपुर जाने वाली ट्रेन में श्री हरिशचन्द्र जैन नामक एक व्यक्ति पर किये गये हमले के विषय में।

सुश्री **पुष्पा जैन** (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जिस दुर्घटना का अभी बयान करने जा रही हूं, उसे सुनने के बाद सब माननीय सदस्यों को, माननीय मंत्रियों को मजबूरन यह मानना पड़ेगा कि राजस्थान की कानून और व्यवस्था कितनी अपंग, लूली, और लंगड़ी है, लिहाजा हर समुदाय आज आतंक से भयग्रस्त है। अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख को लुहारू-सवाई माधोपुर ट्रेन, जो जयपुर से पौने छः बजे जाती है, मैं हरिशचन्द्र जैन, जो जयपुर में मैसर्स खांडराम पन्नालाल फर्म के

(सुश्री पुष्पा जैन)

मालिक हैं, अपनी उगाई के लिये वहां गये हुए थे। उन्होंने महावीरजी, सवाई-माधोपुर, उनियारा और उनियारा से चौथ का बरवाड़ा में अपनी उगाई की। जो सारी कुल मिलाकर 11 हजार रुपये उनके बैग में थी। उस बैग को लिये हुए भीलवाड़ा से रेस्ट करने हेतु शाम को ट्रेन में सवाई माधोपुर जा रहे थे। आउटडोर सिगनल के पास जब वह उतरने के लिये खड़े हुए, तो उन्हीं के आगे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। उस व्यक्ति ने जबर्दस्त ताकत के साथ उनके हाथ पर अपना हाथ मारा जिसके फलस्वरूप वे थोड़ा-सा डगमगाये और उस व्यक्ति ने उनका बैग छीन लिया। बैग छीन कर वह पायेदान पर आया ट्रेन के और भागने की कोशिश करने लगा। लिहाजा हरिशचन्द्र जैन उससे जूझ गये बैग वापस लेने हेतु। इसके फलस्वरूप उस व्यक्ति ने जबर्दस्त धक्का दिया, धक्के के फलस्वरूप हरिशचन्द्र जैन चलती ट्रेन से नीचे गिर गये। मौत और जिन्दगी में सिर्फ एक पल का फासला था। जब वह चिल्लाये तो ट्रेन से वह व्यक्ति भाग गया हरिशचन्द्र जैन ने सवाई माधोपुर जी. आर.पी. थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। यह 23 तारीख का वाकया था। उनको अस्पताल ले जाया गया। गहरे घाव थे और अन्य चोटें भी थीं। ऐसी मजबूरी की हालत में रिपोर्ट दर्ज कराई और यह भी बता दिया कि उस व्यक्ति ने कहा था कि तुम्हें जानकारी नहीं कि मैं सवाई माधोपुर का नामी गुण्डा हूं। बागी हूं। खबरदार जो मेरा पीछा करने का प्रयास किया। वहां के लोगों ने उस व्यक्ति के बारे में आइडेंटिफिकेशन, परिचय दिया इसके बावजूद पुलिस आज तक उसको पकड़ नहीं पाई। इससे क्या जाहिर होता है? साफ है, अध्यक्ष महोदय, है प्रोटेक्शन उस व्यक्ति को। कानून और व्यवस्था भंग हो गई है, प्रशासन लापरवाह हो गया है और आज इतना आतंक छाया हुआ है, अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति अपने बिजनेस से जाता है उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं। उनके बैग में सिर्फ 11 हजार रुपये ही नहीं थे 2629 रुपये का एक ड्राफ्ट भी था कलकत्ता की एक पार्टी के नाम। वह बैग लेकर भाग गया। तीन दिन हो गये, कोई कार्यवाही नहीं हुई। अफसोस तो इस बात का है कि तीन दिन के बाद सरकार को स्थगन प्रस्ताव के जरिये जानकारी मिलती है वह भी, अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव की सूचना चाही तब, सरकार के इतने लंबे-चौड़े हाथ होने के बावजूद...

श्री अध्यक्ष : इसमें आप हमारी तारीफ कर रही हैं या सरकार की।

सुश्री पुष्पा जैन : आपकी तो मैं शुक्रगुजार हूं, अध्यक्ष महोदय, आपने कम से कम सूचना के लिये सरकार को भेज दिया लेकिन मुझे अभी भी शक है कि सरकार उस व्यक्ति को पकड़ने के लिये प्रयास करेगी या नहीं और इसकी सूचना भी दी जायेगी या नहीं या इसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जायेगा और बाद में जब कभी ऐसा मसला दोहराया जायेगा तो सदन में यह दोहरा दिया जायेगा कि तुम्हारे राज में भी ऐसा ही हुआ था। अध्यक्ष महोदय, हर मर्ज का इलाज यह नहीं होता कि जब कुछ नहीं कर पायें तो टालमटोल करने के लिये आगे-पीछे के बहाने लेते रहें। आज आप सरकार में बैठे हैं। आपका परम कर्त्तव्य है कि राजस्थान को प्रोटेक्शन मिले, लोगों को न्याय मिले और लोग बिना किसी भय के कहीं भी घूम फिर सकें। यदि आपसे यह नहीं हो सकता तो कोई भय नहीं, कोई चिन्ता नहीं ऐलान कर दीजिये राजस्थान में कि राजस्थान की सर-

(सुश्री पुष्पा जैन)

कार राजस्थान की सुरक्षा करने में बिल्कुल अक्षम है, असहाय है, अपंग है, उससे कुछ, नहीं हो सकता लिहाजा राजस्थान की जनता अपनी सुरक्षा स्वयं करे। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता की सुरक्षा का इन्तजाम करना पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, वे बड़े काबिल हैं, सक्षम हैं। वे इस दुर्घटना के वाकयात मालूम करें कि किसकी लापरवाही की वजह से यह घटना घटी और शीघ्रातिशीघ्र उस व्यक्ति को पकड़ कर बिजनेसमैन को पैसा दिलाया जाय। धन्यवाद।

श्री **महाराम चौधरी** : मेरा स्थगन प्रस्ताव है, अध्यक्ष महोदय।

श्री **अध्यक्ष** : आपका नाम पुकार लिया गया। आप उस समय उपस्थित नहीं थे।

श्री **महाराम चौधरी** : मुझे प्यास लग गई थी, अध्यक्ष महोदय।

श्री **अध्यक्ष** : कल जो अध्यक्षीय व्यवस्था बताई थी उसमें यह जिक्र था कि अध्यक्ष नाम पुकारे और माननीय सदस्य उपस्थित न हों तो दुबारा चांस नहीं दिया जायेगा। माननीय सदस्य ध्यान रखें। श्री महाराम।

श्री **महाराम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ग्रामीण एकीकृत योजना के अन्तर्गत सीमान्त और लघु कृषकों को ऋण सुविधा और अनुदान देने के संबंध में सरकार की योजना है उसमें सरकारी अधिकारी जानबूझ कर काश्तकारों के प्रति दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अभी पिछले सितम्बर-अक्टूबर में ग्रामीण क्षेत्र में एक केन्द्र लगाया गया। उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में एप्लीकेशन फार्म और भरवाये गये। उसके बाद अब तक किसी भी आदमी को लोन नहीं दिया गया जिनके ऋण के प्रार्थना-पत्र मंजूर कर लिये गये नागौर के पशु मेले के वक्त में उन लोगों को पशु खरीदने के लिये पंचायत समिति और विकास अधिकारी की तरफ से सूचना भेज दी गई थी कि तुम अपने पशु, बैल, छकड़े आदि मेले में खरीद सकते हो। काश्तकारों ने बैल, छकड़े खरीद लिये और खरीदने के बाद ऊंटों और बैलों के आंक भी लगा दिये। इसके बावजूद भी काश्तकारों को ऋण उपलब्ध नहीं हुआ। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में, काश्तकारों में इस योजना को सरकार क्रियान्वित कर रही है इसमें सरकारी अधिकारियों और विशेष कर नागौर विकास अभिकरण के प्रोजेक्ट आफिसर जो हैं उन्होंने जानबूझ कर काश्तकारों के साथ सहानुभूति न होने की वजह से बैल और छकड़ों पर आंक लगाने के बाद भी उनको पैसा नहीं दिया जिसकी वजह से जिन लोगों से उन्होंने छकड़े और बैल खरीदे थे वे वापिस लेकर चले गये और वे लोग महरूम रह गये। क्या इस बारे में सरकार विचार करेगी कि उन काश्तकारों, से बैल, पशु खरीदवा दिये और अब उनके साथ ज्यादती हो रही है।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैंने सरकार से जानकारी चाही है, यह नहीं होगा। पूर्व में व्यवस्था दे दी है इस मामले को गंभीर समझकर जानकारी के लिये भेजा है।

श्री **हंसराज शर्मा** : गये साल भी जानकारी के लिय भेजा था, अध्यक्ष महोदय।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, मैंने पूर्व में भी निवेदन कर दिया। आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, गंभीर मामला है। मैंने जानकारी ली है, आर्डर प्लीज, इस पर चर्चा नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य : मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : जितने माननीय सदस्य बोलने वाले थे उनके नाम पुकार लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, चोरियां हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप ध्यान से सुन लिया करें। मैंने व्यवस्था दे दी थी। जिनको बोलना था उनको अवसर दे दिया उसके पश्चात् जो अलग विषय हैं, सूची में ले लिये गये हैं। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर, परिवहन मंत्री, गृह (ग्रुप-7) विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर (परिवहन मंत्री) : मैं गृह(ग्रुप-7) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाए नं. 1 से 69 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, जानकारी के लिये सूचनाएं जो रखी जा रही हैं उनके केवल रेफरेन्स नम्बर दिये गए हैं। किस विषय में हुई हैं, उनका क्या तात्पर्य है, उनका संबंध किस डिपार्टमेंट अथवा सबजेक्ट मैटर से है, यह तक भी नहीं है। कुछ तो इण्डिकेशन हो इनके विषय के संबंध में।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, इनसे पता ही नहीं चलता है कि क्या है, क्या हो गया, हम को जानकारी ही नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : अगर जानकारी ही नहीं हुई है तो शिकायत तो वाजिब है उसका भी कुछ करेंगे।

श्री राजबहादुर : इसमें किस मंत्रालय की है, यह इसका जरा भी इंडिकेशन नहीं है? संख्या में यह 60-70 हैं, एक में भी संकेत नहीं है कि किस विषय में है, किस बारे में है।

श्री अध्यक्ष : गृह (ग्रुप-7) विभाग की अधिसूचनाएं हैं, जो सदन की मेज पर रखी गई हैं।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर (परिवहन-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं बता दूं, स्कूलों के विद्यार्थी जो बसेज में जाते हैं उनके लिये परिवहन कर समाप्त किया जाये, इस संबंध में 1 से 69 तक अधिसूचनाए हैं।

(1) प. 5 (51) गृह-7/80, दिनांक 24-10-80

(2) प. 5 (33) गृह-7/80, दिनांक 24-10-80

(3) प. 5 (114) गृह-7/80, दिनांक 6-11-80

(4) प. 5 (38) गृह-7/80 दिनांक 13-11-80

(5) प. 5 (53) गृह-7/80, दिनांक 27-10-80

(6) प. 5 (57) गृह-7/80, दिनांक 1-11-80

(7) प. 5 (112) गृह-7/80, दिनांक 25-11-80

(8) प. 5 (64) गृह-7/80, दिनांक 24-10-80

(9) प. 5 (63) गृह-7/80, दिनांक 25-10-80/27-10-80

(10) प. 5 (113) गृह-7/80, दिनांक 6-11-80

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

(11) प. 5 (109) गृह-7180, दिनांक 11-11-80

(12) प. 5 (80) गृह 7180, दिनांक 31-10-80

(13) प. 5 (111) गृह-7180, दिनांक 5-11-80

(14) प. 5 (44) गृह-7180, दिनांक 16-10-80

(15) प. 5 (60) गृह 7180, दिनांक 24-10-80

(16) प. 5 (110) गृह-7180, दिनांक 5-11-80

(17) प. 5 (52) गृह-7180, दिनांक 28-10-80

(18) प. 5 (106) गृह-7180, दिनांक 30-10-80

(19) प. 5 (98) गृह-7180, दिनांक 3-11-80

(20) प. 5 (35) गृह-7180, दिनांक 23-10-80/ 24-10-80

(21) प. 5 (43) गृह-7180, दिनांक 24-10-80

(22) प. 5 (45) गृह-7180, दिनांक 24-10-80

(23) प. 5 (47) गृह-7180, दिनांक 24-10-80

(24) प. 5 (56) गृह-7180, दिनांक 30-10-80

(25) प. 5 (58) गृह-7180, दिनांक 1-11-80

(26) प. 5 (77) गृह-7180, दिनांक 31-10-80

(27) प. 5 (59) गृह-7180, दिनांक 29-11-80

(28) प. 5 (107) गृह-7180, दिनांक 30-10-80

(29) प. 5 (20) गृह-7180, दिनांक 3-10-80

(30) प. 5 (100) गृह-7180, दिनांक 31-10-80

(31) प. 5 (146) गृह-7180, दिनांक 2-12-80

(32) प. 5 (49) गृह-7180, दिनांक 24-11-80

(33) प. 5 (93) गृह-7180, दिनांक 3-11-80

(34) प. 5 (28) गृह-7180, दिनांक 3-11-80

(35) प. 5 (73) गृह-7180, दिनांक 28-10-80

(36) प. 5 (61) गृह-7180, दिनांक 25-10-80

(37) प. 5 (61) गृह-7180, दिनांक 27-10-80

(38) प. 5 (88) गृह-7180, दिनांक 28-10-80

(39) प. 5 (37) गृह-7180, दिनांक 31-10-80

(40) प. 5 (78) गृह-7180, दिनांक 1-11-80

(41) प. 5 (34) गृह-7180, दिनांक निल

(42) प. 5 (46) गृह-7180, दिनांक 23-10-80/24-10-80

(43) प. 5 (25) गृह-7180, दिनांक 13-10-80

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

(44) प. 5 (92) गृह-7180, दिनांक 3-11-80

(45) प. 5 (141) गृह-7180, दिनांक 26-11-80

(46) प. 5 (79) गृह-7180, दिनांक 1-11-80

(47) प. 5 (151) गृह-7180, दिनांक 29-12-80।30-12-80

(48) प. 5(104) गृह-7180, दिनांक 3-11-80

(49) प. 5 (89) गृह-7180, दिनांक 3-11-80

(50) प. 5(97) गृह-7180, दिनांक 31-10-80

(51) प. 5 (65) गृह-7180, दिनांक 27-10-80

(52) प. 5(148) गृह-7180, दिनांक 20-12-80

(53) प. 5(82) गृह-7180, दिनांक 3-11-80

(54) प. 5(21) गृह-7180, दिनांक 15-9-80/16-9-80

(55) प. 5 (108) गृह-7180, दिनांक 1-11-80

(56) प. 5(50) गृह-7180, दिनांक 27-10-80

(57) प. 5(55) गृह-7180, दिनांक 27-10-80

(58) प. 5 (99) गृह-7180, दिनांक 31-10-80

(59) प. 5 (90) गृह-7180, दिनांक 3-11-80

(60) प. 5 (27) गृह-7180, दिनांक 23-10-80

(61) प. 5 (96) गृह-7180, दिनांक 30-10-80

(62) प. 5(76) गृह-7180, दिनांक 24-10-80

(63) प. 5 (41) गृह-7180, दिनांक 9-10-80/13-10-80

(64) प. 5 (81) गृह-7180, दिनांक 3-11-80

(65) प. 5(62) गृह-7180, दिनांक 24-10-80

(66) प. 5(48) गृह-7180, दिनांक 24-10-80

(67) प. 5(143) गृह-7180, दिनांक 28-11-80

(68) प. 5(54) गृह-718, दिनांक 1-11-80

(69) प. 5 (13) गृह-7180, दिनांक 22-8-80

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री घनश्याम तिवाड़ी संक्षेप में ।

सीकर नगर परिषद् द्वारा रेलवे फाटक के निर्माण हेतु राशि जमा कराने पर स्वीकृति प्रदान न करना

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का सीकर नगरपरिषद् द्वारा रेल्वे फाटक के निर्माण हेतु राशि जमा कराने पर स्वीकृति प्रदान न करने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में स्वीकृति दी जा चुकी है : नगर परिषद् को कहा गया है कि वह रुपया जमा करा दे और एडमिनिस्ट्रेटर को भी कहा गया है कि वह रुपया प्राप्त कर इस पर कार्यवाही जल्दी करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कब तक?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस महीने में जमा हुए हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तीस तारीख तक?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कह दिया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक छोटासा प्रश्न और है। नगरपरिषद् 71005|- रुपया एडवान्स बिल नं. 556, दिनांक 5-9-1980 प्री ऑडिट कर जमा कराने वाली थी कि श्री परसराम मोरदिया, संयोजक जिला कांग्रेस कमेटी ने एक दरख्वास्त दी श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर को। जो यह बिल जमा होने वाला था, उस समय उस फाइल को मंगा लेने के कारण वह नहीं जमा हो सका। मल्लिकार्जुन ने लोक सभा में कहा कि वहां काम हो रहा है। अब यह 80 हजार रुपये से बढ़ कर ऐस्टीमेट 1 लाख 22 हजार रुपये का हो गया। इस प्रकार 42,000 रुपया और ज्यादा जमा कराने पड़ रहे हैं। फाइल मंगा लेने के कारण यह 9 महीने लेट हो गया। इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह डिबेट का प्रश्न नहीं है। पहले यह कहा था कि 71,000 का एस्टीमेट है और तीन महिने बाद यह बताया गया कि 1 लाख 22 हजार का एस्टीमेट होगा। उस टाइम रुपया नहीं था। अब फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने एग्री कर लिया है। उनके पास रुपया है। जनता की सुविधा के लिये गवर्नमेन्ट ने स्वीकृति दी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, रुपया पांच तारीख को ही जमा हो रहा था परन्तु फाइल मंगवा लेने के कारण यह 9 महीने लेट हो गया.....

श्री अध्यक्ष : काम तो हो गया। पेड़ गिनने से क्या, आम खाने से मतलब है।

मंत्री द्वारा वक्तव्य। श्री जीतमल जैन के स्थगन प्रस्ताव पर भारत एलम्स एण्ड केमिकल्स फैक्ट्री, अलवर से विषैली गैस फैलने के सम्बन्ध में।

शासकीय वक्तव्य

अलवर में विषैली गैस फैलने से फसलों को क्षति

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, सिंचाई) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं इस वक्तव्य को पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष : अनुमति दी गई।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैसर्स भारत एलम्स एण्ड कैमिकल्स लि., मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर में स्थित है। भारत सरकार के औद्योगिक मंत्रालय द्वारा इस उद्योग को सल्फरिक एसिड एवं सिंगल सुपर फास्फेट के विनिर्माण हेतु औद्योगिक लाईसेन्स क्रमशः 1975 व 1979 में दिया गया था। वर्तमान में यह उद्योग कार्यरत है। इस फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाली विषैली गैस से आस-पास के खेतों की फसलों, पशु-धन व मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ने सम्बन्धी वर्ष 1980-81 की घटना के सम्बन्ध में विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से जिलाधीश, अलवर, राज्य सरकार के तकनीकी अधिकारियों तथा राजस्थान राज्य जल प्रदूषण एवं नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जांच की गई है।

यद्यपि अभी तक हुई जांचों से यह पूर्णतया व शकोशुवाह की कतई गुंजाइश के बिना सिद्ध नहीं हो पाया है कि फसलों को हानि का कारण इस फैक्ट्री से निकलने वाली दूषित गैस ही है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी जिम्मेदारी से नकारा नहीं जा सकता। अतः जांच के द्वारा प्रथम दृष्टियां राज्य सरकार द्वारा गैस का प्रभाव मुख्य रूप से फसलों एवं अन्य वनस्पतियों पर पड़ना माना गया है।

भारत एलम्स एण्ड कैमिकल्स लि., अलवर के परवर्ती गून्दपुर, झारोड़ा; मजीट; जहाजपुर, देसूला और खानपुर जार 6 ग्रामों की वर्ष 1980-81 की खरीफ फसल को उक्त सल्फरिक एसिड फैक्ट्री की विषाक्त गैस से प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षेत्र में हुई हानि की जांच के दौरान गिरदावरी कराई गई। उन 6 ग्रामों में से पहले 3 ग्रामों गून्दपुर, झारोड़ा और मजीट के 122 काश्तकारों की कुल 649 बीघा 19 बिस्वा काश्तशुदा भूमि में से 185 बीघा 6 बिस्वा क्षेत्र में फसलें प्रभावित होने की जानकारी मिली है।

इस वर्ष माह मार्च के प्रथम सप्ताह में अचानक पुनः 500 पी. पी. एम. से अधिक प्रदूषित वायु निकलने के कारण वहां के निकटवर्ती गांव में खड़ी रबी फसल को नुकसान होना पाया गया। जिलाधीश, अलवर से प्राप्त रपट के अनुसार रबी की फसल में इस वर्ष जो खराबा हुआ है वह ग्राम मजीट में लगभग 8 हैक्टेअर, ग्राम झारोड़ा में लगभग 13 हैक्टेअर तथा ग्राम गून्दपुर में 49 हैक्टेअर क्षेत्र में खराबा हुआ है।

इकाई द्वारा उनके कन्सल्टेन्ट प्रोफेसर दवे के सुझावानुसार चिमनी से निकलने वाली गैस को ऊंचाई पर छोड़ने के लिये 18 हजार मीटर प्रति घंटे की गति वाला एयर कम्प्रेशर चिमनी से गैस दूर फेंकने के लिये लगाया गया। यह कम्प्रेशर चिमनी से गैस के निकलते ही उसको उष्ण कर देता है जो गैस को ऊपर जाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त इकाई ने सल्फरिक एसिड प्लान्ट में 60.00 लाख रुपये की लागत से डबल कन्वर्शन वल एब्जार्शन तकनीकी अपना ली है। इस तकनीक को अपनाने से सल्फर डाई आक्साइड एमीशन परम्परागत

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

फैक्ट्रियों के 2000 पी. पी. एम. सल्फर डाई आक्साइड एमीशन्स की अपेक्षा घटकर 500 पी. पी. एम. रह जाते हैं जो भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है ।

इस गंभीर समस्या के निवारण हेतु राज्यस्तर पर स्वायत्त शासन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27-2-1981 को राज्य के विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया तथा दिनांक 12-3-1981 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में कम्पनी के प्रबन्ध संचालक, कम्पनी के प्रदूषण निवारण सम्बन्धी सलाहकार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के प्रोफेसर दवे के साथ विचार-विमर्श हुआ । उक्त बैठकों में हुए विचार-विमर्श के पश्चात् इस क्षेत्र के प्रभावित 100 एकड़ भूमि को कम्पनी द्वारा अधिग्रहित करने का निर्णय लिया गया । कम्पनी व काश्तकारों के बीच इस खरीद बेचान में आवश्यक सहायता देने हेतु जिलाधीश, अलवर को निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि., जयपुर को प्रदूषण निवारण हेतु ज्वाइन्ट एवं कामन ट्रीटमेंट प्लान्ट फैसिलिटी सिस्टम आदि के अध्ययन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं । यद्यपि राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड, वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में कार्यवाही करने को वैधानिक दृष्टि से समक्ष नहीं है परन्तु फिर भी जल प्रदूषण समस्या के निवारण हेतु सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी के द्वारा आवश्यक कार्यवाही करके प्रदूषण को रोकने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

बिजली सप्लाई बन्द होने पर प्रक्रिया रुक जाने के बाद पुनः चालू करने पर छोड़ी गई गैसों में प्रदूषणकारी तत्वों का जमाव अधिक हो जाता है । अतः इस संभावना से भी बचने के लिये विद्युत् प्रदाय अनवरत रखने तथा प्रदूषित गैस को नियन्त्रित करने की दृष्टि से शासन के निर्देश पर कम्पनी द्वारा तीन जनरेटिंग सैट्स लगाये गये हैं तथा चतुर्थ सैट शीघ्र लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इससे फैक्ट्री में अनवरत विद्युत् प्रदाय बना रहेगा व प्रदूषित गैसों के निकलने की संभावना में कमी होगी ।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विषैली गैस से होने वाली संभावित फसलों की क्षति के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति के लिये कम्पनी को कानूनन उत्तरदायी ठहराये जाने की कानूनी संभावना एवं प्रक्रिया के बिन्दु पर विधि विभाग द्वारा परीक्षण करने हेतु भी निर्देश दिया गया है ।

क्योंकि कानूनन किसी औद्योगिक इकाई को उसके स्थान से हटाने में कानूनी व प्रायोगिक समस्याओं के साथ-साथ राज्य के औद्योगिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों व श्रमिकों के हितों पर भी विपरीत असर पड़ने की संभावना है। अतः इस विपरीत प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए फैक्ट्री के प्रदूषण को बचाने के लिये उपरोक्त कदम उठाने का निर्णय लिया गया है ।

सामान्यतया क्षेत्र के निवासियों एवं विशेषतः प्रभावित क्षेत्र की जमीनों के काश्तकारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिये शासन ने हर संभव कानूनी व प्रायोगिक कदम उठाये हैं और शासन यह सुनिश्चित करने के लिये कटिबद्ध है कि उनकी पूर्ण सुरक्षा की जाये ।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उक्त समस्या के निराकरण हेतु राज्य सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है ।

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है इस जहरीली गैस के कारण उसके संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें करना बिल्कुल आश्चर्यजनक लगता है। गत अधिवेशन के अन्दर भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था । मैंने कहा था कि इससे निकलने वाली गैस से ये जो सारे किसान हैं किसानों की फसल है, वह बरबाद होती है। मेरे प्रश्न के उत्तर में, मैं कहना चाहूंगा उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है उसका सरकार विस्तृत सर्वेक्षण करा रही है । इस नुकसान की जिम्मेदारी कानूनन फैक्ट्री मालिक की है । इसमें अभी निश्चय हो रहा है। समाधान के बाद ही मुआवजा दिलाने की कार्यवाही की जा सकेगी । पिछले जुलाई-अगस्त में इस प्रकार का एक प्रश्न आया था तब फसल बरबाद हुई थी। उसके बाद अगस्त से लेकर मार्च आ गया है और गरीब किसान की दुवारा फसल खराब हो चुकी है, लेकिन इस सम्बंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। फैक्ट्री मालिक से समझौते की बात चलती है तो कब तक गरीब किसान की हर साल फसल इस गैस के कारण खराब होती रहेगी । इसका मुआवजा दिलाया जाये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको जितने प्रश्न पूछने है एक साथ पूछ लें, मैं जवाब दूंगा । इस मामले में इतना निवेदन करना कि हम इस मामले में, अध्यक्ष महोदय, विधि विभाग की राय ले रहें हैं कि किस कानून के तहत उनको मुआवजा दिलाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : मामूली सी बात है जहरीली गैस से फसल जल गयी है। मानलो आग से जल जाती तो? दोनों में फर्क क्या है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, वही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं । इसलिये इस मामले के अन्दर ऐसा निवेदन किया । हमारी फैक्ट्री मालिक को प्रोटेक्शन देने की इच्छा नहीं है। काश्तकार के हितों की हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं। हम लॉ डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं कि किस प्रकार मुआवजा दिलाया जा सकता है । अध्यक्ष महोदय, जो कदम उठायें हैं राजस्थान में राजस्थान वाटर पाल्यूशन बोर्ड तो बना हुआ है लेकिन एयर पाल्युशन बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। अभी पालियामेण्ट में एक बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ है उसके कानून बनने के बाद ही हम कार्यवाही करने में सक्षम हो पायेंगे । इसके बावजूद जो कदम उठाये जाने चाहिये थे जो अपने निर्देश दिये, उन्होंने एक बहुत बड़े विशेषज्ञ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जो इस काम में बड़े विख्यात हैं, कि इस मामले में भी सलाह ली जा रही है कि किस प्रकार से काम चले, काश्तकारों को कम से कम नुकसान हो या बिलकुल ही नहीं हो। हम भी चिन्तित हैं । माणक संस्थान का जो मापदण्ड निर्धारित है उसके अनुसार जो कदम उठाये गये हैं उनका पूर्ण वर्णन मैंने किया । इसके साथ-साथ यह कोशिश की जा रही है कि जो जमीन ऐसी है जो इसके कारण बहुत ज्यादा इफैक्टेड हो रही है करीब 100 एकड़ आती है उसके लिये इस बात का दबाव डाल रहें है कि आप इसकी मार्केट रेट के ऊपर खरीदें व

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जितने लोगों की जमीनें खरीदी जायें उनके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को आप अपनी फैक्ट्री में खपाने का प्रयत्न करें । यह बात अभी चल रही है । यह उम्मीद है कि हम किसानों के हितों की रक्षा करने में सक्षम होंगे । इसके लिये कदम उठाये जायेंगे कि कम से कम नुकसान हो या बिलकुल नहीं हो । नतीजा क्या सामने आता है उसको भी देखना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय । फैक्ट्री ने इसके लिये 60 लाख रुपया खर्च किया है । वाटर पोल्यूशन एक्ट के तहत जितने कदम उठा सकते थे वह उठायें हैं। जो जहरीला धुआं निकलता है उसके लिये एयर कम्प्रशर लगाया गया है । कभी-कभी बिजली की सप्लाई बंद होने के कारण जब बिजली पुनः आती तो........

श्री अध्यक्ष : इतना तो कम से कम आप कर ही सकते हैं कि एग्रीकल्चर केमिस्ट हैं, साइन्टिस्ट हैं, इसके अलावा जो क्राप्स के बारे में जानते हैं, उनसे सर्वे करा दें । तो इसके कारण जो इस फसल में इतनी क्षति हुई है उसका कि अगर दावा पेश करना पड़ें तो एविडेंस में काम आये, खाली जुबानी बात न हो । आपका पटवारी और दूसरे हैं उनसे कहें कि इस बात के लिये पाबन्द कर सकते हैं कि यह निश्चित करें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसकी गिरदावरी करायी गयी थी । जो सुझाव आपने दिया है मैं उसको स्वीकार करता हूं और इस मामले के अन्दर उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देश देंगे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों को भेजें और इस बात की जाच करायें...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पिछली विधान में भी आया था.....

श्री अध्यक्ष : उससे तो इम्प्रूवमेंट है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस बीच के समय में सरकार ने कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की, इस प्रश्न के उठाने से पहले और जो आश्वासन दिया था इस बीच के 6 महीने में क्या कार्यवाही की ? क्या इन 6 महीनों में उनको मुआवजा दिया गया ? कितना नुकसान हुआ इसके फिगर वगैरह लिये गये ? अगर लिये गये तो आपने उस पर क्या क्या कार्यवाही की ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने इस पर अभी विस्तृत चर्चा की कि डायरेक्शन्स दिये, मशीनों का इंस्टालमेंट कराया, कम्प्रेशर का इंस्टालमेंट कराया, प्लाँट लगाया, जनरेटर खरीदने के लिये कहा और इस बात के लिये मजबूर किया कि आप विशेषज्ञ की सेवायें लें । जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर मि. दवे, जो इसके विशेषज्ञ हैं, वे बड़े वैज्ञानिक हैं, की राय लें ।

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया है । पहले वाले से काफी विस्तृत जवाब आ गया है। मुझे पहले वाली की जानकारी है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह बात तो ठीक है, मेरा प्रश्न बिलकुल साफ है कि पिछले सत्र में जो आश्वासन दिया उसे लेकर जो प्रश्न दुबारा पूछा गया विधान सभा में इस बीच में आपने क्या स्टेप लिये ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि कौन-कौनसी तारीख को आपने क्या-क्या स्टेप लिये ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तारीख की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले के अन्दर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। तारीख वाइज बताना कि क्या किया, यह कोई अदालत तो है नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है कि आपने क्या किया कितने बजे आप कहां पर थे, क्या काम किया लेकिन 6 महीने में जो..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वहां पर कितना नुकसान हुआ यह तय नहीं किया, अगर आपने तय किया, है तो बतावें कि किसानों का कितना कितना नुकसान हुआ.....

श्री अध्यक्ष : सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं। श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि फसल के अलावा क्या इस बात की भी जानकारी की है कि क्या इस सारे प्रदूषण से मनुष्य जीवन और पशु जीवन पर असर पड़ता है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जानकारी की है इस बारे में आदमियों के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। मैं इसको स्वीकार करता हूं इससे फसलों के ऊपर और मानवीय जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है जब मानव पर पड़ता है तो पशुओं पर तो निश्चित रूप से पड़ता स्वाभाविक है। इसको मैं मानता हूं और इसके लिये ही य कदम उठाये गये है।

श्री जीतमल जैन : मंत्री महोदय, इस बात को मान रहे हैं कि मानव, पशु और फसल तीनों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो लगभग 8 महीने हो गये। इन आठ महीनों में इसको रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसलिये जैसा माननीय कटारिया जी ने कहा कि गरीब किसानों के साथ, जिनके पास दो दो, तीन-तीन बीघा जमीन है, अन्याय हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब आ गया है, स्पष्टीकरण हो गया है कि किसानों के हितों की रक्षा की जायेगी जो हर्जाना होगा वह दिलाया जायेगा। विशेषज्ञ की सेवायें ले रहे हैं।

श्री जीतमल जैन : मुआवजा कब तक दिला देंगे ?

श्री अध्यक्ष : अभी इसकी कोई प्रक्रिया तय नहीं है, माननीय सदस्य, इसलिये निवेदन किया कि सिविल में भी जाना पड़े तो क्योंकि इसका अभी तक कोई कानून बना हुआ नहीं है। जो जनरल लॉ है उसके अन्तर्गत ही इस केस को लेना पड़ेगा। इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है। मैं समझता हूं थोड़े दिन और इन्तजार करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : शहर का हो तो जल्दी हो जाता है, लेकिन ग्रामीण का होता है तो ....

मेजा फीडर से सम्बन्धित मेगजीन में अग्निकाण्ड।

श्री अध्यक्ष : मैं काश्तकारों की तरफ से बैठा हूं ना।

श्री केलाश मेघवाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सिंचाई राज्य मंत्री भीलवाड़ा जिले में मेजा फीडर से संबंधित मेगजीन

(श्री अध्यक्ष)

में आग लग जाने के संबंध में एक वक्तव्य देंगे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, सिंचाई): अध्यक्ष महोदय, चट्टानों की खुदाई के लिये जिलेटिन व डिटोनेटर विस्फोटक पदार्थों की आवश्यकता होती है। विस्फोटक पदार्थों को रखने के लिये मेजा फीडर खण्ड के अधीन कारोई गांव के पास मेगजीन का निर्माण कर वर्ष 1972 में उसका लाइसेन्स सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया गया था, जिसका नवीनीकरण प्रति वर्ष होता रहा है दिनांक 1-4-1980 से मेगजीन में 14 टन तक विस्फोटक पदार्थ रखने की स्वीकृति प्राप्त की हुई है। मेगजीन के लिये मार्च, 1981 तक का वैध लाइसेन्स है । मेगजीन में दो भवन हैं । एक भवन में जिलेटिन व फ्यूज कोइल रखी जाती थी तथा दूसरे भवन में डिटोनेटर । दोनों भवनों की दूरी लगभग 500 फीट है । डिटोनेटर जिलेटिन में विस्फोट पैदा करने के काम में आता है ।

दिनांक 21-2-1981 को मेगजीन भवन, जिसमें जिलेटिन एवं कोइल रखे हुए थे, से सायंकाल 5.10 बजे धुआं उड़ता देखा गया, जिसकी तुरन्त सूचना खण्डीय अधिकारी, एग्जिक्यूटिव इन्जीनियर को भीलवाड़ा पहुंचाई गई। खण्डीय अधिकारी एक्स. ई. एन. ने जिलाधीश को सूचना देकर फायर ब्रिगेड को घटना स्थल पर लगभग 7 बजे पहुंचाया था । आग पर रात को 9.15 बजे काबू पाया गया था । आग लगने की सूचना पुलिस थाना, वागोर एवं डिप्टी कन्ट्रोलर, ग्वालियर को भी दे दी गई थी ।

आग लगने से मेगजीन में रखा निम्नलिखित सामान पूर्णतः जल गया था:—

		टन	मूल्य
(1)	विस्फोटक जिलेटिन	13.4192	3,20,973.65
(2)	फ्यूज कोईल		21,735.00
	कुल रु.		3,42,708.65

प्रारम्भिक जांच के दौरान अभी तक कोई संदिग्ध तथ्य सामने नहीं आये हैं ।

विभागीय तौर पर अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई, भीलवाड़ा तथा पुलिस विभाग इस विषय में आगे जांच कर रहे हैं । डिप्टी कन्ट्रोलर, एक्सप्लोजिव, ग्वालियर को भी इस विषय में जांच करने के लिये निवेदन किया जा चुका था । उन्होंने भी मौके का निरीक्षण 1 मार्च को कर लिया है। उपखण्डीय अधिकारी, भीलवाड़ा ने भी इसकी जांच प्रारम्भ कर दी है । रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(1.39 म. प.)

श्री तकउद्दीन अहमद, सभापति पदासीन)

श्री कैलाश मेघवाल : सबसे पहला सवाल तो मैं माननीय सिंचाई मन्त्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि उपखण्ड अधिकारी से आपका मतलब एस.डी.ओ. से है क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया एग्जीक्यूटिव इन्जिनियर ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, 21 तारीख को मेगजीन में आग लगी. 23 या 24 तारीख को मैंने स्थगन प्रस्ताव रख दिया, उसकी रिपोर्ट भी आ गई । मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से यह कहना

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कई तरह की चर्चाएं, माननीय सिंचाई मंत्रीजी आप तक भी पहुंची हैं। राजस्थान के सिंचाई विभाग के इतिहास में यह पहला मौका है, माननीय सभापति महोदय, जब किसी मेगजीन में आग लगी हो। जैसा आपने कहा कि संदिग्ध स्थितियां सामने नहीं आई, मैं कहता हूं कि इस स्टेज पर संदिग्ध ही संदिग्ध स्थितियां बनती हैं इसका कारण, माननीय सभापति महोदय, आपने अपने स्टटमेंट में कहा है कि डिप्टी इन्सपेक्टर एक्सलोजिव को सूचित किया। मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, मसला बहुत गंभीर है, इसलिए कि ब्लैक में इसकी बिक्री की कीमत दस गुना है। 4 लाख के बाजार में बेचने जाओ तो उसके चालीस लाख रुपये मिलते हैं और इस बात की आम चर्चा है, पिछली बार भी जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को रखा था कि मेजा फीडर के बारे में अमेरिका में भी चर्चा हुई। ये कोईल और जितने भी एक्सप्लोजिव्ज हैं अवैध रूप से बाजार में खरीदे जाते हैं। यह मेगजीन एक पहाड़ी पर बनी हुई है। सुरक्षा के लिए नियम है उसके अनुसार वह आज की स्थिति में नहीं रह सकता। मैं आपको यह कहना चाहता, आपने कहा है कि आग लगने की स्थिति नहीं थी, और स्थिति बन भी नहीं सकती, मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है पांच बजे उसमें आग लगी, एक्सप्लोजिव एक्ट की धारा 8 की पालना हुई या नहीं? नम्बर दो एक्सप्लोजिव एक्ट के नियम 112 की पालना हुई या नहीं? मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कोट कर दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : Indian Explosives Act, 1884-Sec. 8 (1)—

"Whenever there occurs in or about, or in connection with any place in which an explosive is manufactured, possessed or used, or any carriage or vessel either conveying an explosive or on or from wihch an explosive is being loaded or unloaded, any accident by explosion or by fire attended with loss of human life or serious injury to person or property, or of a description usually attended with such loss of injury, the occupier of the place, or the master of the vessel, or the person in charge of the carriage, as the case may be, shall within such time and in such time and in such manner as may be by rule prescribed give notice thereof and of the attendant loss of human life or personal injury, if any, to the Chief Inspector of Explosives in India and to the Officer in charge of the nearest police station."

श्री प्रद्युम्नसिंह : But there is no personal life involved.

कोई पसर्नल प्रॉपर्टी में आग नहीं लगी।

श्री कैलाश मेघवाल : आप पहले समझने की कोशिश कीजिये। मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसको समझ लीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप पढ़िये उसको।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन आपने बीच में इण्ट्रप्ट किया लॉस ऑफ लाइफ एण्ड इन्जरी हो तो उसकी सजा

(श्री कैलाश मेघवाल)

क्या है, इसमें फर्क आप समझिये —

"......shall within such time and in such manner as may be by rule prescribed, give notice thereof and of the attendant loss of human life or personal injury, if any to the Chief Inspector of Explosives in India, and to the Officer in charge of the nearest police station."

(1) Whenever there occurs in or about, or in connection with, any place in which an explosive is manufactured, possessed or used, or any carriage or vessel either conveying an explosive on or from which an explosive is being loaded or unloaded, any accident by explosion or by fire attended with loss of human life or serious injury to person or property, or of a description usually attended with such loss or injury, the occupier of the place, or the master of the vessel, or the person in charge of the carriage, as the case may be, shall within such time & in...."

आगे पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि उसकी पालना नहीं हुई है। आप उसको देखिये—

"Such manner as may be by rule prescribed, give notice thereof and of the attendant loss of human life or personal injury, if any, to the Chief Inspector of Explosives in India and to the Officer in charge of the nearest police station.

(2) Whoever in contravention of sub-sec. (1) fails to give notice of any accident shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees, or if the accident is attended by loss of human life with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine, or with both."

Now there is one relevant Rule 112 of Indian Explosives Rules 1940 क्योंकि एक्सप्रेस टेलीग्राम देना पड़ता है, टेलिग्राफिक एड्रेस-

"एक्सप्लोजिव न्यू देहली –

Rule 112--The notice of an accident required to be given under sec. 8(1) of the Act shall be given forthwith (a) to the Chief Inspector by Express Telegram (Telegraphic Address Explosives, New Delhi followed within 24 hours by a letter giving particulars of the occurence.

इतना इसलिए चला है, माननीय सभापति महोदय, यह मजदूरों की बस्ती है, लाइट व्यू माननीय सिंचाई मंत्रीजी ले रहे हैं, इसकी गम्भीरता देखिये, आगे कहते हैं —

"followed within 24 hours by a letter giving particulars of the occurence and (b) to the Officer in charge of the nearest police station by the quickest route."

यह और सुन लीजिए आप—

"Pending the visit of the Chief Inspector, or his representative, or until instruction

(श्री कैलाश मेघवाल)

is received from the Chief Inspector, or his representative, or until instruction is received from the Chief Inspector that he does not wish any further investigation or injury to be made, all wreckage and debris shall be left untouched except in so far as its removal may be necessary for the rescue of person injured, and recovery of the bodies of any persons killed by the accident or in the case of railways, for the restoration of through communication."

यह रूल है। अभी आपने एक बात कही। डिप्टी इन्सपेक्टर एक्सप्लोजिव को सूचना दी गई, वह इस रूल की रिक्वायरमेंटस को पूरा नहीं करती — Chief Inspector is Chief Inspector. इन्सपेक्टर आफ एक्सप्लोजिव देट इन्क्लूड्स डिप्टी इन्सपेक्टर आफ एक्सप्लोजिव। इसलिए चीफ इन्सपेक्टर को भी जाना चाहिए। मेरा मंत्री महोदय से पूछना है कि सिंचाई विभाग का पार्ट एण्ड पार्सल यह मेगजीन नहीं है, मेगजीन की व्यवस्था सिंचाई विभाग की इस एक्ट के तहत एक ड्यूटी है। इस बात को आपने स्वीकार किया है कि वर्ष 1972 से वेलिड लाइसेंस है आपकेपास 31 मार्च, 1981 तक का। इसलिए सिंचाई विभाग का पार्ट एण्ड पार्सल तो नहीं है, यह अलग से व्यवस्था है और इस एक्ट के तहत यह लाइसेंसी उस लाइसेंसी की जो ओबलीगेटरी ड्यूटी है, एक्सप्रेस टेलीग्राम से 24 घण्टे के अन्दर-अन्दर, आपने लैटर भी लिख दिया चीफ इन्सपेक्टर आफ एक्सप्लोजिव को या आपने किसी दूसरे को लिख दिया नंबर एक। सभापति महोदय, यह बड़ा मुद्दा है, डेबरिस पड़ा हुवा है, वह हटाया गया या नहीं, किसने सूचना दी, कितने बजे सूचना दी, कौन वहां था? कोई नहीं है। जब मेगजीन की व्यवस्था होती है तो एक्सप्लोजिव्ज का इन्चार्ज अलग से रहता है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, ये आपके रिक्वायरमेंट्स पूरे हुए या नहीं? दूसरे जो डेबरिस, जो मलवा रह गया है उसकी आपने जांच कराई या नहीं, क्योंकि जल्दी सूचित नहीं किया है? तारीखें देखें कि कब सूचित किया गया है और एक्ट की रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई या नहीं? केमिकल एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक्सप्लोजन का मलवा है, उसकी राख है या लकड़ी की राख है। आपकी मेगजीन की क्या स्थिति रही है? यह सही है कि डिटोनेटर अलग पड़े थे लेकिन विस्फोट हुआ या नहीं? फ्रेम्स ठीक नहीं थे उसके आधार पर मेगजीन को डेमेज कितना हुआ। इसलिए, सभापति महोदय, अखबारों ने लिखा है, मैं अखबारों को रेफर नहीं करना चाहता। अखबार छापने के तरीके होते हैं। सब अखबार यह कहते हैं कि सारा माल बेच दिया गया। सिंचाई मंत्री, आपने भी पढ़ा होगा।

अब मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। आखिर मेजा फीडर पर कितना काम कराना चाहते थे? आपने प्रारंभ किया स्टटमेंट को। चट्टानें तोड़ने के लिए 1 किलो, .02 से .2

(श्री कैलाश मेघवाल)

केजी का कोइल होता है, रिपोर्ट आपकी है। और इसी तरह से 14 टन का 14000 केजी और 14 हजार केजी के 70 हजार coil इस मेगजीन में थे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सवाल उठाया; और कल भी कहा है कुछ आइटम्स खर्चने के लिए खरीदे जायेंगे। खर्चने के बाद और बजट कब आया। जरूरत है या नहीं, और जनरल बजट कितना था जिसके लिए आपको 14 टन जिलेटिन व फ्यूज कोइल्स की जरूरत पड़ती। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि 70 हजार कोइल्स थे उनका पूरा मिलान करने की पोजीशन में थे या नहीं ? यह आवश्यक है इस सारी जांच में, सारा मालूम होना चाहिए, आखिर लोकल इन्चार्ज है, वहीं रहते हैं भीलवाड़ा में। माननीय सिंचाई मंत्री 4 लाख का सामान जला था, चीफ इंजीनियर को भी मालूम हो गया था। वहां भी सूचना आई होगी जो 40 लाख का मुद्दा था इतना बड़ा था, वह इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बात गलत हो सकती है लेकिन circumstances will tell the truth. लेकिन आपको सर्कम्सटांसेज को देखना चाहिए जिस तरीके से सारी बात हुई है वह नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक धन की। हमारे यहां पौराणिक कथा है—नाग की तरह सार्वजनिक धन को समझना चाहिए। सभापति महोदय, आपने पौराणिक कथा सुनी होगी। जो सार्वजनिक धन होता है उसकी नाग सुरक्षा करता है लेकिन हमारे देश में सार्वजनिक धन 4 लाख का जल रहा है तो जल रहा है और चीफ इंजीनियर जांच की कोशिश न करें, तो सिंचाई मंत्री आप जवाब कुछ भी दें, सत्य का अगर पता लगायें तो कल ही चले जायें परसों ही चले जायं, और देख लीजिए क्या आग लगाने की पोजीशन गड़बड़ घोटाले की गलत रिपोर्ट आ रही है, 40 लाख रुपये का इसमें घपला है, यह मलबा पड़ा है, वह केवल लकड़ी के खोखों का है या किसका है, यह भी तो देखिए, जांच करें। केमिस्ट या स्पेशलिस्ट पता लगाता है कि जहर खाया या नहीं, आई विटनेसेज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन्स आपके चल रहे हैं। देखने से ही मालूम पड़ जाता है कि क्या सच्चाई है। माननीय सिंचाई मंत्री आप ओवर-एनथ्यूजिएस्टिक हैं, ओवर शार्प हैं, लेकिन इस सारे केस में अन्डर-एनथ्यूजिएस्टिक और अन्डर-शार्प कैसे हो रहे हैं ? समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सर्कम्सटांसेज को देखना पड़ेगा लाइसेंसी के रूप में जो सारा घपला हुआ है, उसको देखना पड़ेगा।

लास के बारे में मैंने आपसे पूछा है, जांच करते तो स्थिति मालूम पड़ जाती, वहां माल बिकता है, क्लू नहीं है, दूसरे लोगों से कह सकते हैं, सैक्रेटरी से कह सकते हैं, आप चीफ इंजीनियर से कह सकते हैं। जांच कीजिए, गड़बड़ किया है तो कहीं से तो रोको।

श्री रामसिंह बिश्नोई : सभापति महोदय, आपने कितने मिनट बोलने की इजाजत दी है ?

श्री कैलाश मेघवाल : स्टेटमेंट है। जरूरी होगा उतना बोलूंगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, समय का प्रतिबंध नहीं है। यह महत्वपूर्ण मसला है, मैं बोल रहा हूं। बढ़िया एफ. आई. आर. की नकल आपके पास होगी, सिंचाई मंत्री उसको देखिए। स्टॉक रजिस्टर रहता है मेगजीन में, यह कहां की व्यवस्था है ? मुझे जो सूचना है, आप एफ. आई. आर. देख लीजिए। मेरी सूचना कुछ चर्चा के आधार पर, कुछ अखबारों के आधार पर है क्योंकि हमारे तो सीमित साधन हैं, सभापति महोदय। इसलिए पूछ रहा हूं कि स्टाक रजिस्टर

(श्री कैलाश मेघवाल)

की क्या पोजीशन थी, कितना पुराना पड़ा था, वह खतम नहीं हुआ और नया बनाया गया, यह सारे मुद्दे हैं। सिंचाई मंत्री से जवाब चाहते हैं, स्टाक रजिस्टर का चैकिंग हुआ है या नहीं ? इस सारे मसले में भ्रष्टाचार की, बाजार में ब्लैक में बेचने की गंध आती है। इसकी माकूल जांच कराकर और जो कानून के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया गया है उसके खिलाफ मुकदमा चलायें मैं यह कमिटमेंट चाहता हूं। एक्सप्रेस टेलीग्राम दिया गया था उसके 24 घंटे के बाद। आप लाइसेंसी हैं, आप गृह मंत्री के रूप में कई बार आए हैं और स्टेटमेंट देते हैं, आप मुख्य मंत्री को डेपूटाइज करते हैं तो आपसे पूछना चाहता हूं क्या सरकार एक्सप्लोजिव एक्ट व रूल्स का वायोलेशन हुआ है उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी ? मैंने जिन मुद्दों की तरफ मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है उनका जवाब दें।

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्री सभापति : ऐसा है, मेरे पास जो सदन की सूची है उसमें जिन व्यक्तियों ने इस संबंध में ध्यान आकर्षण किया है उनके नाम पुकारता हूं। आपका नाम होगा तो पुकारा जायेगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप देख लीजिए, होना चाहिए, मैंने दिया था।

श्री सभापति : आपका नाम है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, वैसे तो सारी जानकारी अजमेर से आने वाले दस्य ने दी है लेकिन यह निश्चित बात है कि आग लगी नहीं है, यह कहानी के रूप में बनाई गई है, मेरा यह मानना है कि आग लगाई गई है।

श्री सभापति : मैं निवेदन कर दूं माननीय सदस्य ने पहले ही विस्तार से चर्चा की है उसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, कोई नई बात हो तो कहें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : रिपीटिशन नहीं होगा। उनके जो स्टाक रजिस्टर्स वगैरह हैं उनमें आग लगी है और मैंने चैलेंज किया है कि उसकी फिजीकली जांच की जाये और उच्च स्तरीय जांच करके जो दोषी अधिकारी है उनको दंड दिया जाये।

श्री सभापति : श्री बन्सीलाल पटवा।

श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं रिपीटिशन तो नहीं करूंगा। मैं स्वयं साइट पर जाकर आया हूं, मैंने मौका देखा है जैसा मंत्री महोदय ने रिपोर्ट दी है। यह दुर्घटना जहां हुई है उससे इतनी दूरी पर है कि उससे यह नुकसान नहीं हो सकता। जो मेगजीन की पोजीशन है उसको मैंने देखा। इसके साथ-साथ 18 तारीख को दो ट्रक 14 टन, एक्सप्लोजिव मेगजीन में पड़ा हुआ था। यह मेगजीन जहां पर स्थित है वहां पर इतना बड़ा एक्सप्लोजिव हो वह बात नहीं हो सकती। क्योंकि यह एक्सप्लोजिव जो है वह इण्डियन नहीं है। वह तो यू. के. का है। इसके साथ-साथ 14 टन दो ट्रक करीब-करीब 150 पेटियां एक्सप्लोजिव पहले से ही पड़ा था। सभापति महोदय, मैंने और मेरे साथियों ने वहां पर जाकर मेगजीन जहां थी उसको देखा। वहां पर ऐसी स्थिति पायी गयी कि मेगजीन जो रखी जाती है उसकी एक टैक्नीक होती है और उसका एक तरीका होता है। उसमें सामान रख-

(श्री बंसीलाल पटवा)
में कुछ स्पेस छोड़ा जाता है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि वह मेगजीन क्या उसी टेक्नीक से व्यवस्थित जिस तरीके से वह रखी जाती है। क्या बीच में जो स्पेस होनी चाहिए वह स्पेस थी। क्या वह एक्सप्लोजिव उसी टेक्नीक से रखा गया था। इसके साथ-साथ वहां पर मलवा हमने पड़ा देखा, जहां पर 550 पेटियां एक्सप्लोजिव की रखी गयी हों तो क्या वह एक के बाद एक रखी गयी थीं? उस मेगजीन की हाइट का मैंने नाप-तौल तो नहीं किया पर, सभापति महोदय, उसकी हाइट जो थी वह दस फीट से ज्यादा नहीं थी और जो मलवा था वह करीब चार इन्च या छः इन्च मैक्जीमम सात इन्च से ज्यादा नहीं था। इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, आज वहां मलवा है वहां आग लगी है पांच बजे। तो यह भी बताया जावे कि जब पांच बजे आग लगी तो वहां पर कौन चौकीदार ड्यूटी पर था एक बात? दूसरी, वह चौकीदार जब ड्यूटी पर से उतरा तो उसके बाद दूसरा चौकीदार कौन आया? वह कब गया और उस दूसरे चौकीदार के ड्यूटी से उतरने के बाद आग कब लगी? उस आग लगने में कितना फासला था कितना अन्तर था और कौन चौकीदार था, वहां पर? पहले और दूसरे चौकीदार के समय में क्या फर्क था? इस तरह की स्थिति ऐसा लगता है कि वहां पर आग लगी नहीं है अगर थोड़ी देर के लिये मान भी लें कि वहां पर आग लगी है, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि आग लगी है और इसके साथ-साथ पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करायी। जिस एरिया में मेगजीज बना था वह कारल ग्राम के पास है और भागोल गांव के पास है जो भीलवाड़ा जिले के ऐसे केन्द्र हैं जहां पर एक्सप्लोजिव प्रचुर मात्रा में फ्लैश होता है। सभापति महोदय, पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज की गयी। सारी सूचना पहुंचने के बाद पुलिस ने क्या कार्यवाही की? हिन्दुस्तान का एक्सप्लोजिव नहीं था यह फारेन का एक्सप्लोजिव था, यू. के. का था, इसके लिये पुलिस को जगह जगह पर रैड करनी चाहिये। क्या पुलिस ने कोई रैड की? मैं सोचता हूं, सभापति महोदय, यह एक्सप्लोजिव में आग नहीं लगी। यही नहीं, यह बिका इसलिये रैड करनी चाहिये थी। सदन में यह मामला उठाया गया और आपने यहां पर नीचे से जैसा स्टेटमेंट बन कर आया उसी तरह का स्टेटमेंट पढ़ दिया।

श्री सभापति : यह शब्द माननीय सदस्य ने पहले ही कह दिये हैं आप कोई नये पाइन्ट हो तो बतावें।

श्री बंसीलाल पटवा : सभापति महोदय, यह बातें नहीं कहीं, कारल और भागोल गांव के बारे में गांवों का नाम नहीं लिया और भीलवाड़ा जिले में जो केन्द्र है उनका नाम नहीं लिया। आप फर्मा रहे हैं वह बात अलग है यह स्थिति भिन्न है मैंने खुद ने जाकर देखा है मेजा फीडर में बहुत बड़ा कांड हुआ है। वहां पर आज भी बन्डल पड़े हुए हैं वहां पर इतनी राख भी नहीं है। इसके साथ-साथ चौकीदार कौन बदला चौकीदार, कब ड्यूटी पर आया? आग लगी जब कौन था? इसके अलावा ग्वालियर से एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई वह क्या है? 14 ट्रक एक्सप्लोजिव 18 तारीख को लाया गया उसके पूर्व भी वहां पर 150 पेटियां पड़ी हुई थी यह एक्स

(श्री बन्सीलाल पटवा)

प्लोजिव कौन सा था, कब से वहां पर पड़ा था ? यह सारी सूचना आप मंगाकर जांच करके दें। इसमें बहुत भारी नुकसान सरकार का हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, यह कोई कम नुकसान नहीं है। इसके साथ-साथ मैं यह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह एक्सप्लोजिव रखा गया था इसमें 550 पेटियां और एक्सप्लोजिव की जल गयीं यह पहले आया था तो कब कब आया और यह कब कब जला उसका पता कब चला कि वह जल गय है ? वहां पर, सभापति महोदय, छत को जाकर देखा छत की हालत में कोई विशेष अन्तर नहीं है वह सुरक्षित है। वहां पर डेढ़ दो मीटर के डाईमीटर में प्लास्टर गिरा हुआ था। इस तरह जो यह बातें मैंने पूछी है, मन्त्री महोदय जब जबाब दें तब सदन की जानकारी के लिये स्थिति बतायें। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे घोटाले की एक उच्च स्तरीय जांच करायी जानी चाहिये। मेजा फीडर का यह बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। भीलवाड़ा जिले के सिंचाई विभाग के लोग बहुत वर्षों से पुराने समय से ही पहले ही बदनाम रहे हैं इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह सारी सूचना चाहूंगा। सारी स्थिति को स्पष्ट रूप से जांच होनी चाहिये और यहां पर सदन में अवगत कराया जाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मैंने इस संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव के जरिये विधान सभा में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था तब मंत्री महोदय से मैंने यह, प्रार्थना की थी कि इस मामले की भीलवाड़ा जिले में बहुत चर्चा है। एक्सप्लोजिव का घोटाला इस जिले में कुछ लोगों के लिये वरदान के रूप में सिद्ध हो रहा है हिन्दुस्तान भर में कम्प्रेशर्स की सबसे ज्यादा संख्या भीलवाड़ा जिले में है। यह कम्प्रेशर्स यूनिट्स भीलवाड़ा के बाद में महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात में हैं। यहां पर बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव की जरूरत रहती है जैसा कि पूर्व में बताया गया। इस मेजा फीडर में कितना एक्सप्लोजिव था और उसके बाद में कितना एक्सप्लोजिव आया और मेगजीन में उसके साथ अन्य प्रकार की सामग्री कितनी थी उसका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ। यहां पर मनमाने तौर से यह आता रहने और यहां से बिकता रहा जैसा कि यहां पर बताया कि राजस्थान में दो ट्रक भर के आया। सभापति महोदय, भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया क्षेत्र में एक्सप्लोजिव ज्यादा मात्रा में रहता है। जब यह सारा कांड हुआ तो, सभापति, महोदय, इस सारे घटना क्रम तथ्यों को जिस तरह से मंत्री महोदय ने बड़े ही मधुर शब्दों में यह कह दिया कि वह किसी भी अधिकारी को प्रोटेक्शन देना नहीं चाहते हैं, मैं मंत्री महोदय की इस बात को सही नहीं मानता वरना यह हमें एहसास कराते, इस सारे काण्ड के मूल्यांकन के लिये वह स्वयं वहां पर जाकर आते। सभापति महोदय, इतना बड़ा मेजा फीडर काण्ड भीलवाड़ा जिले में हुआ, सभापति महोदय, खुद मंत्री महोदय वहां पर जाकर आते पर वह वहां पर नहीं गये। वह खुद अगर वहां पर जाकर देखते कि यह एक्सप्लोजिव कहां पर रहता है वहां पर कौन-कौन अधिकारी थे उनकी क्या रिपोर्ट दी, इसके अलावा एफ. आई. आर. में जो तथ्य

(श्री रतनलाल ताम्बी)

रखे गये वह कुछ और ही है और जो वहां अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है वह कुछ और है। मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इसकी जांच करायें, इसके साथ-साथ मौके पर जाकर देख कि एक्सप्लोजिव जहां था, क्या वहां आग लगी। वहां मकानों में कुछ नहीं हुआ सभापति महोदय, अगर एक्सप्लोजिव होता और आग लगती तो उन मकानों का जर्रा जर्रा नजर नहीं आता। सभापति महोदय, वहां जाने से सारी स्थिति चौपट हो जाती, और जो एक्सप्लोजिव जला नहीं उसका पता लग जाता। सभापति महोदय, वह एक्सप्लोजिव जला नहीं है, वह जल गया बताया गया है। केवल घटना से बचने के लिये, और वजूहात से बचने के लिये यह सारा बताया गया है। एक्सप्लोजिव जला नहीं बल्कि वहां से गायब हुआ है। सभापति महोदय, बड़ी मात्रा में गायब करके बेचा गया है यह इतना जल्दी आया, और इतना जल्दी बहुत बड़ी मात्रा में गायब हो गया वहां पर आस-पास के क्षेत्रों में ग्रामीण बस्ती है, इतना बड़ा विस्फोट हुआ उससे दूर सामग्री पड़ी हुई मिलनी चाहिये थी। वहां पर बड़ा भारी एक्सप्लोजिव का ढेर मिलना चाहिये था इसलिए मैं सारी बात को रिपीट नहीं करते हुए मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ है, यह बहुत बड़ा घोटाला मेजा फीडर कांड का है। आपने इतने बड़े कान्ड में किसी भी अधिकारी को सस्पेन्ड नहीं किया, और न हीं कोई कार्यवाही इसके लिए की। केवल एक स्टेटमेंट आपने दे दिया जो कि वहां के लोगों ने भेजा। इसके लिये आपको निष्पक्ष जांच सी. बी. आई. से करानी चाहिये और जो आपने वहीं के अधिकारियों को यह जांच करने के आदेश दिये हैं यह तो वही अधिकारी हैं जो कि उन्हीं लोगों में उठते बैठते हैं। यह क्या निष्पक्ष जांच कर पायेंगे? इसलिये मैं मन्त्री महोदय से, सभापति महोदय डिमान्ड करता हूं कि इस मेजा फीडर घोटाला काण्ड, जिसकी न केवल भीलवाड़ा में, बल्कि राजस्थान के कई जगहों पर इतिहास की चर्चा है, जो मेजा फीडर चार करोड़ में बनना चाहिये था अब 16 करोड़ रुपये उस पर खर्च होने जा रहे हैं. आखिर इसमें क्या घोटाला है यह पता लगाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं मन्त्री जी की ईमानदारी पर विश्वास करता हूं जैसाकि उन्होने कहा कि वह किसी भी अधिकारी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जांच वह सी. बी. आई. से कराने को तैयार क्यों नही होते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये? इसमें आप जरूर विवेक से काम क्या लें। इस सारे घोटाले की जांच सी.बी.आई. से कराने का साहस करेंगे क्या? क्योंकि भीलवाड़ा जिले की 13 लाख जनता में यह विषय बहुत चर्चित है। यह प्लेग इतना हो रहा है कि किसानों के लड़के इसमें मर गये, इसलिए कि वह लोग चलाना जानते नहीं, उनको एक्सप्लोजिव वहां से मिल जाता है। कई तरह के मामले इसमें होते रहते हैं। कम्प्रेशर्स से लोग मर रहे है। यह घटनायें पहले भीलवाड़ा जिले में हो चुकी हैं इसलिए इस गम्भीर घटना के लंक से राजस्थान सरकार अपने आपको बचाने के लिए सी. बी. आई. अथवा न्यायिक जांच कराने की बात को स्वीकार करेगी। मंत्री महोदय फिर कह देंगे कि मैं प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं, मैं यह तथ्य मंगा रहा हूं इस बात को हम स्वीकार करने के लिए पहले तैयार नहीं हैं। राजस्थान विधान सभा में

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इस जिले के दो-तीन सदस्यों ने इस बात को रखा। मैं जानता हूं राजनैतिक दबाव भी है, कुछ लोग दबाव डालने की कोशिश कर रहे होंगे और कुछ लोग जांच में बाधा भी डाल रहे होंगे। मैं कहूंगा कि आप स्वयं पधारें हम चलने के लिए तैयार हैं। आस-पास के ग्रामीण लोग हैं, आस-पास की बस्ती के लोग हैं, जो वहां पर चौकीदार रहता है, जैसा अभी पूर्व वक्ता......

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, रिपीशन से कोई हासिल नहीं होगा।

श्री **रतनलाल ताम्बी** : नहीं, मैं दूसरी बात बता रहा है, साहब। एक्सप्लोजिव एक्ट में जो प्रावधान है उन सब को वहां पर भंग किया गया है। इतना बड़ा अपराध किया गया है उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। गृह मंत्री आप हैं उनको गिरफ्तार करके निलम्बित करने की कार्यवाही करें। साथ में एक्सप्लोजिव एक्ट के अन्तर्गत और फौजदारी एक्ट के तहत इस मामले की कार्यवाही करें। संबंधित अधिकारियों को जब तक निलम्बित नहीं करेंगे, वहां पर निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। जो भी अधिकारी आपको रिपोर्ट दे रहे हैं वह स्वयं इसमें इन्वाल्व्ड हैं, वह बचना चाहते हैं इसलिए इस तरह का स्टेटमेन्ट दिया गया है। आप मौके पर चलें या सी. बी. आई. से जांच करायें, इन्हीं शब्दों के साथ मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा। इस आशा और विश्वास के साथ कि मुझे बहुत तथ्य मिलेंगे कि सरकार की निष्पक्ष जांच का नतीजा हमारे सामने आयेगा, मैं समझता हूं कि कोई नतीजा नहीं आया। लीपापोती का स्टेटमेन्ट जो गवर्नमेन्ट हमेशा अपने अधिकारियों के आधार पर देती है वही स्टेटमेन्ट है। ऐसे स्टेटमेन्ट की हम आपसे आशा नहीं करते थे।

श्री **सभापति** : श्री देवेन्द्र सिंह।

श्री **देवेन्द्र सिंह** (बनेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, जिस प्रश्न को विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने उठाया है ऐसा लगता है जैसे सरकार की सारी सम्पत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं पर है और सरकार अथवा इधर के बैठे हुए माननीय सदस्य इस संबंध में कोई जागरुकता नहीं रखते हैं। ऐसी बात नहीं है। जिस तारीख को यह एक्सीडेन्ट हुआ, मैं भी भीलवाड़ा में था। उसी रोज जब हमें सूचना मिली...

श्री **मोहन लाल मोदी** : आपने विस्फोट की आवाज सुनी होगी ?

श्री **देवेन्द्र सिंह** : आपने सुनी हो तो आप बता दें ? बैठ जाओ।

श्री **सभापति** : आर्डर प्लीज।

श्री **देवेन्द्र सिंह** : आपको शायद यह ख्याल नहीं है कि विस्फोट जब तक डिटोनेटेड नहीं लगता तब तक विस्फोट होता ही नहीं। आप पहले इस बात को समझिये फिर कहिये।

सभापति महोदय, जिस तारीख को यह दुर्घटना घटी और जैसा अभी अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान में यह पहली घटना है। वास्तव में यह पहली घटना है और मैं समझता हूं कि यह पहला अवसर है कि यह घटना घटी इसलिए राजस्थान

(श्री देवेन्द्र सिंह)

की विधान सभा में पहला मौका है इस विषय पर चर्चा का आया है इसलिए यह कह देना कि बहुत बड़ी कोई घटना घटी और सरकार इस पर लीपापोती कर रही है इस संबंध में, मैं कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, जिस तारीख को यह घटना घटी, शाम को पांच बजकर दस मिनट पर-ठीक उसके बाद जिस गांव का नाम भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने लिया बागौर का, बागौर में थाना लगता है । बागौर के थाने में रिपोर्ट दी गयी वहां के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने आफिशियेटिंग एडीशनल एस. पी. जो एस. पी. का काम कर रहे थे को कहा, कलेक्टर साहब को कहा और तत्काल ही सब लोग घटना स्थल पर पहुंचे हैं । उसी के साथ-साथ जो अभी कहा गया और आपने एक्सप्लोजिव एक्ट को कोट करके बताया कि टेलीग्राम जो दिया गया वह गलत आथोरिटी को दिया गया । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लाइसेन्सिग आथोरिटी है उन्हीं को यह टेलीग्राम दिया गया । उन्हीं के यहां से आये लोगों ने जांच की और जैसा माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा कि उसकी जांच हो रही है । मकान की बात कही गयी, मैं समझता हूं कि आपने शायद वहां जाकर उस मकान की स्थिति नहीं देखी । यदि वह मकान खराब नहीं होता तो मेगजीन के काम वापस आ सकता था लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस हालत में यह मकान आज की तारीख में है सारे मकान को डेस्ट्राय करना पड़ेगा, वह मेगजीन के काम नहीं आ सकता ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय, यह माननीय सदस्य किस हैसियत से बोल रहे हैं ! यह स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं या सरकार की तरफ से उत्तर दे रहे हैं ?

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य ने अपनी जानकारी के बिना पर मुझसे आज्ञा चाही, और मैंने दी ।

श्री मोहनलाल मोदी : तो फिर क्या दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने की आज्ञा देंगे इस तरह से बोलने के लिए ? जानकारी के आधार पर कहना चाहते हैं या यह सपोर्ट करना चाहते हैं या इतने बड़े कांड पर पर्दा डालने के लिए बोलने दिया है ? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे भी समय दिया जाये ।

श्री **सभापति** : ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ।

माननीय सदस्य संक्षेप में ।

श्री **देवेन्द्रसिंह** : मैं माननीय सदस्य की पीड़ा समझ सकता हूं, अभी जो माननीय सदस्य इनके पास से बोले हैं । मैं तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं उससे उनको एतराज हो सकता है इसलिए यह बीच में एतराज कर रहे हैं ।

श्री **मोहनलाल मोदी** : एतराज नहीं हो सकता । गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हैं और जो गुनाहों पर पर्दा डालता है वह स्वयं भी अपराधी होता है ।

श्री **देवेन्द्रसिंह** : माननीय सभापति महोदय, एक्सप्लोजिव की ब्लैक की बात कही गयी । जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं जानते है कि भीलवाड़ा जिले में केवल मेजा फीडर

(श्री देवेन्द्रसिंह)
पर इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के पास में ही इस एक्सप्लोजिव का लाइसेन्स नहीं है। भीलवाड़ा जिले में प्राइवेट लाइसेन्स होल्डर्स कितने हैं और किस तरह से उनका उससे संबंध है और किस तरह से वह बिकता है उसको स्वयं माननीय सदस्य जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेजा फीडर जिसका काम हो रहा है, वहां पर इतनी बड़ी टनल बन रही है उस टनल में यह एक्सप्लोजिव ही नहीं और कितना एक्सप्लोजिव लगेगा उसका उन्हें स्वयं को अन्दाजा है। जो एक्सीडेन्ट हुआ है, यह सही है कि एक्सीडेन्ट हुआ है, हमने मौके पर जाकर देखा है। कलेक्टर साहब से निवेदन किया, और कलेक्टर साहब ने उसी वक्त उनके अधिकारियों को भेजा है। जांच हो रही है, एस. पी. जांच कर रहा है और सरकार इसकी जांच करायेगी इसमें आपत्ति नहीं, लेकिन इसको पालिटिकल इम्पलीकेशन दिया गया और यह कहा जाये कि हम कोई दबाव डाल रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि इस मामले में हमने आज तक सरकार को निवेदन नहीं किया है। हम चाहते हैं कि जांच हो लेकिन इस तरह से यह कहा जावे कि पालिटिकल प्रेशर से हम लोग इसको दबाना चाहते हैं ऐसा नहीं है। यदि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर दोषी ठहराया जायेगा तो उसको जो भी सरकार सजा देगी वह देगी। लेकिन आज वह चाहते हैं कि एस. ई. को, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को, ए.ईएन. को, सस्पेन्ड कर दें तो मैं समझता हूं कि जब तक इसकी जांच नहीं हो जाये, अभी तो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी नहीं हुई उसके पहले यह कहें ......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको क्या दर्द है ?

श्री देवेन्द्रसिंह : आपको क्या दर्द है, आप बैठे रहिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : एस. ई. को चीफ इन्जीनियर बना दीजिए आप।

श्री देवेन्द्र सिंह : इसकी जांच होने दीजिये और उसके बाद ही हम करें। इसमें कोई पालिटिकल इम्पलीकेशन नहीं है। हमें भी उतना ही दर्द है जितना वह दर्द दिखा रहे हैं।

धन्यवाद।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप भीलवाड़ा से संबंधित हैं ?

श्री मोहनलाल मोदी : मैं राजस्थान से संबंधित हूं। सभापति महोदय, एक्सप्लोजिव का मामला है। यह भीलवाड़ा जिले का प्रश्न नहीं है प्रश्न है राजस्थान का। राजस्थान का जो धन है उसकी क्षति हुई है, नुकसान हुआ है उसके लिए हर माननीय सदस्य को दर्द है और जैसा भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की है उसके लिए मैं भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मोहन लाल शर्मा : सभापति महोदय, यह तो × × × के सिवाय कुछ था ही नहीं। यह तो राजनैतिक दबाव है और क्या है। आप

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

(श्री मोहनलाल मोदी)
इनको भी मौका दीजिए और हमको भी दीजिए, साहब ।

श्री **सभापति** : आर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, हमें समय मिलना चाहिए ।

श्री **मोहनलाल मोदी** : सभापति महोदय, अभी जिक्र किया गया . . .

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : आर्डर प्लीज ।

श्री **सभापति** : जिन माननीय सदस्यों ने इस पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था इस विषय में मेघवाल जी ने बड़ी विस्तृता के साथ इस पर चर्चा की है और मैं समझता हूं जो चर्चा उन्होंने इस सदन में की उसका उत्तर अगर सरकार दे देती है तो सारे सदन में जितने सवालात है उन सब का जवाब आ जाना है इसलिए उनकी चर्चा को देखते हुए जो और माननीय सदस्यों ने राय दी है उसमें कोई और नई बात नहीं कही । श्री देवेन्द्रसिंह जी ने कोई नई बात नहीं कही । इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे जवाब दें ।

श्री **बंशीलाल पटवा** : आन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर । मेरा निवेदन यह है कि जिस नीति के तहत देवेन्द्र सिंह जी को ध्यान आकर्षण करने की दृष्टि से आपने इजाजत दी उसी संदर्भ में मेरा यही निवेदन है कि अन्य माननीय सदस्यों को जो इस संबंध में जानकारी रखते है, बोलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है, जब उनको दी गई है आसन की ओर से । मेरा निवेदन यह है कि व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है । जो माननीय सदस्य इस बारे में जानकारी रखते हैं । क्योंकि यह अहमीयत का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। यह पालिटिकल दृष्टि से नहीं देखना चाहिये . . . .

श्री **सभापति** : मैं समझ गया । चेयर का भी दायित्व है, माननीय सदस्य । चेयर का भी यह दायित्व है कि चेयर जब इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि सम्बन्धित मैटर के अन्दर जो मुद्दे उठने थे वे सब मुद्दे उठा लिये गये हैं तो ऐसी सूरत में और माननीय सदस्यों को इस पर और बोलने की इजाजत दी जाये या न दी जाये यह चेयर का डिस्क्रिशन है । मैं यह मुनासिब समझता हूं कि अब और माननीय सदस्यों को इजाजत न दी जाये ।

श्री **मोहनलाल मोदी** : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य जिनको बोलने की इजाजत दी गई उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला, इस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है । मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि . . . .

श्री **सभापति** : आर्डर प्लीज ।

श्री **मोहनलाल मोदी** : पर्दा डालने वाले सदस्य को आप समय दें और जो पर्दाफाश करें उसको आप समय नहीं दें, यह उचित नहीं है ।

श्री **सभापति** : आर्डर प्लीज ।
माननीय मंत्री जी ।

श्री **मोहनलाल मोदी** : दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

श्री **सभापति** : अगर मैं आपको इजाजत दूंगा तो और माननीय सदस्य बोलेंगे ।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को पर्दाफाश करने का समय मिलना चाहिये ।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, यह एक्सप्लोजिव का मामला है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक्सप्लोजिव में आग लगे तो मेगजीन बच नहीं सकती, एक्सप्लोसिव में आग लगने का मतलब यह होता है कि आस पास जितने गांव हैं उनमें कम से कम एक किलोमीटर में इसका इफेक्ट पड़ेगा, वहां पर पत्थर के टुकड़े जायें और नहीं तो कम से कम वह 10 किलो मीटर के एरिया में जैसे आग लगी हुई नजर आये । मैं आपसे एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं मुझे उनसे पूरी आशा भी है कि वे इस कांड पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करने देंगे । यह बात बिल्कुल

(2. 25 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

स्पष्ट है कि यहां जितना एक्प्लोजिव आता है वह ब्लैक में बिकता है और उसके ऊपर पर्दा डालने की यह सारी कोशिश की गई है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के जो अधिकारी हैं, जो एक्स. ईएन. और ए. ईएन. है स्पाट पर जो संबंधित हैं उनको तुरन्त सस्पेन्ड करें । उनको वहां से हटाकर इसकी उच्च स्तरीय जांच करके सजा दें इसका आप उदाहरण पेश करें कि आप सही जांच करा के वहां के लोगों को संतोष प्रदान करेंगे । यही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि कई प्रश्न यहां पर उठाये गये हैं । जब यह मामला प्रथम बार मेरे सामने आया था तो मैं स्वयं इस बात से सन्तुष्ट नहीं था कि मेगजीन के अन्दर आग कैसे लग सकती है क्योंकि मेगजीन का जो निर्माण होता है श्रीमान, उसके अन्दर उसका प्रारूप है,उसका नक्शा है, उसको देखकर ही मेगजीन का लाइसेंस दिया जाता है । उसका एक सरटेन तरीका होता है तभी दिया जाता है वरना लाइसेंस मिलता नहीं है । इस मामले के अन्दर मैं स्वयं चिंतित था कि आग लगी कैसे । नीम का थाना से जो माननीय सदस्य आते हैं उनको निवेदन कर दूं कि यह जिलेटिन के अन्दर आग लगी, वहां धमाका होने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष : मेरा भी ख्याल ऐसा था जैसा नीम का थाना के माननीय सदस्य का है लेकिन असलियत यह है कि जब तक फ्यूज नहीं लगे तब तक डैटोनेटर में एक्सप्लोजिन नहीं होता ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह गलत फहमी मुझे भी थी ।

श्री मोहन लाल मोदी : आग लगाने के लिये लगाई जाती है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारी गलत फहमियों में ही धमाका हो गया, अध्यक्ष महोदय ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान, तो मैंने इसकी विस्तुत जानकारी की और यहां पर मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन के अन्दर जो अधिकारी हैं, माईन्स के बारे में तुजुर्बेकार हैं, उनको बुलाकर बात की और अभी मैंने उनसे और कहा है इसको देखें । इस मामले

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
के अन्दर राजनीति का सवाल नहीं है। मेरे विभाग का मैं जानता हूं कि 3 लाख 20 हजार का नुकसान हुआ है। विभाग का नुकसान हुआ है, सरकार का हुआ है। यह नुकसान चाहे 10 रुपये का हो, चाहे 10 लाख रुपये का हो, सरकारी सम्पत्ति के नुकसान को बचाया जा सके यह हमारा दायित्व है। श्रीमान, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाये। मैं निवेदन करूं कि जो फार्मेलिटीज थी जिनको लाइसेन्स दिया जाता है इस मेगजीन का, हिन्दुस्तान को विभिन्न जोन में बांट दिया गया है और राजस्थान का हिस्सा ग्वालियर के तहत है। डिप्टी कन्ट्रोलर आफ एक्सप्लोजिव्ज, ग्वालियर को एक्सप्रेस टेलीग्राम द्वारा खबर दी गई थी मेरे पास कापी है। एफ. आई. आर. उसी रोज दर्ज करा दी गई थी। यह बात भी सही है। अब आपने कहा किसी मेगजीन का माल वहां बिकता है, ब्लैक में बिकता है। वहां आलरेडी चार पांच मेगजीन हैं। लेकिन इसके बारे में भी जैसा मैंने निवेदन किया कि मामले के अन्दर जो वहां डिप्टी कन्ट्रोलर आफ एक्सप्लोजिव्ज, ग्वालियर के अधिकारी आये थे वह उसकी जांच करके ले गये हैं और उनकी रिपोर्ट आने के उपरांत ही पता लगेगा, क्या मेगजीन में स्वतः आग लग सकती है या नहीं। हमको उस पर विश्वास करना चाहिये। डिप्टी कन्ट्रोलर आफ एक्सप्लोजिव्ज की रिपोर्ट गाईडिंग रिपोर्ट रहेगी उसके आधार पर दोषी बनेंगे और उसी के आधार पर आगे कार्यवाही करेंगे। वह रिपोर्ट आना बाकी रह गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं और भी कार्यवाही सोच रहा हूं। अधिकारियों से परामर्श किया है। इसके ऊपर एक दफा उनकी रिपोर्ट आ जानी चाहिये। एक ही प्रश्न निहित है क्या अपने आप आग लग सकती है या नहीं लग सकती है। अगर अपने आप आग लग सकती है उस विषय में अगर वहां के डिप्टी कन्ट्रोलर आफ एक्सप्लोजिव कह सकते हैं कि आग अपने आप लग सकती है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं सदन में कहता हूं अगर वे यह कह देते हैं कि इसमें घोटाला हुआ है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को बख्शने वाला नहीं हूं। यही मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : केवल दो प्रश्न.. इसलिये कि कुछ लीगल पोजीशन है उस लीगल पोजीशन, के आधार पर, जैसा मैंने कहा, डिप्टी कन्ट्रोलर ही अगर सब कुछ है तो....

श्री अध्यक्ष : आप सेक्शन (8), कौनसा बोल रहे थे, वह सेक्शन पढ़ दीजिये।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : Just a minute, मैं निवेदन कर दूं।

बहुत से रूल्स बनते हैं बहुत सारे रूल्स हैं उन रूल्स में क्या प्रावधान है मैं चैलेन्ज नहीं करता, न मैं आपकी बात काटना चाहता हूं। आप कह सकते हैं कि चीफ कन्ट्रोलर आफ एक्सप्लोजिव्ज को सूचना देना लाजिमी था। इसमें भी मेरा कोई रिजिड स्टेण्ड नहीं है और रिजिड स्टेण्ड इसलिये नहीं है कि किसी को प्रोटेक्ट करने की मेरी कोई मंशा नहीं है। अगर आप कहते हैं आबलीगेटरी या मेण्डेटरी रूप से सूचना देनी थी तो मैं जो रूल्स हैं, उनको

(श्री प्रद्युमन सिंह)

देखूंगा, जो मेन्यूग्रल है उसको देखूंगा अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो उस पर भी विचार किया जायेगा । ग्वालियर वालों को खबर दी है और जो उनको जानकारी दी गई है वह इस आधार पर दी है कि वे ही इन्सपेक्शन करते हैं, वे ही इस मामले में लाइसेन्सिंग आथोरिटी है इसलिये एक्सप्रेस टेलीग्राम से खबर दे दी है । मजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी चल रही है चीफ इंजीनियर साइमलटेनियसली सीज्ड है, हम सब लोग उसके लिये जिम्मेदार हैं । मेरे डिपार्टमेंट का कमिश्नर, चीफ इंजीनियर और मैं खुद सीज्ड हूं, इस प्राब्लम से और जब रिपोर्ट आयेगी तो कार्यवाही करेंगे ।

श्री कैलाश मेघवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, यही मेरा निवेदन है । जैसा आपने संकेत किया है कि कानून की मंशा का पालन हो गया, यही मैंने निवेदन किया है और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सैक्शन (8) के अन्दर क्लियर है । कानून में चीफ इन्सपेक्टर की परिभाषा दी गई है । डेफिनेशन में चीफ इन्सपेक्टर की परिभाषा क्लियर है ।

श्री अध्यक्ष : आप तो सेक्शन (8) पढ़ दीजिये न मेरे सामने ।

कौनसा सैक्सन पढ़ना है, सेक्शन (8) पढ़ दीजिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे पास अध्यक्ष महोदय, मेन्यूग्रल है. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सैक्शन (8) पढ़ दीजिये ।

(व्यवधान)

पहले इसका निर्णय हो जाय ।

श्री कैलाश मेघवाल : वह तो हो जायेगा । माननीय सिंचाई मंत्री जी अगर डिप्टी एक्सप्लोजिव्ज इन्सपेक्टर यह रिपोर्ट दे देता है कि आग अपने आप लग जाती है तो हम मानेंगे, कोई चारा नहीं है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है कि सिंचाई मंत्रीजी इसको इतना लाइटली ले रहे हैं । मान लीजिये रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट आ गई लेकिन मैं कहता हूं यह एक्सप्लोजिव नहीं था । इसका पता लगाया जा सकता है लेकिन आप उसको करना नहीं चाहते हैं । अगर यह कह दिया लकड़ी का था तो मुझे आश्चर्य होता है कि इस मामले में यह सब क्या हो रहा है । एक्सप्लोजिव्ज इन्सपेक्टर की यह रिपोर्ट आ जाती है कि अपने आप आग लग सकती है उस स्थिति में माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : उस संबंध में मंत्री जी का पूर्वाग्रह प्रतीत नहीं होता है ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस एम्फेसिस से सिंचाई मंत्री जी ने यह बात कही इससे चेतना में, मानस पर यह शंका पैदा होती है....

श्री अध्यक्ष : फिर भी फाइनल आथोरिटी गवर्नमेंट रहती है, रिपोर्ट आने के बाद में ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने यही तो निवेदन किया रिपोर्ट आ जाती है अगर उसमें यह आता है कि सारा मलबा जला हुआ है वह लकड़ी का है, जब यह रिपोर्ट आ जाती है तो आप क्या करेंगे ? आग अपने आप लग गई लेकिन यह पोजीशन आ गई कि यह सारा मलबा लकड़ी के जलने का है उससे सिंचाई मंत्री जी फिर आपकी क्या पोजीशन होगी ?

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रश्न में एक्सप्लोजिव एक्ट में क्या कार्यवाही करनी थी, क्या कार्यवाही हुई है और रिपोर्ट कब आयेगी उसकी क्या परिणाम निकलेगा मैं उस विषय में तो नहीं कहता हूं केवल एक ही विषय में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस सदन में जिस प्रकार की चर्चा हुई है और समाचार पत्रों में जिस प्रकार की चर्चा हुई है-भीलवाड़ा जिले में इस प्रकार के पदार्थों का काफी मात्रा में ब्लैक मार्केटिंग होता है आग लगने के नाम पर कोई एक्सप्लोजिव बाजार में बिके और इस प्रकार की एक्सप्लोजिव एक्ट में जानकारी मिल जाय, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन जो आम चर्चा का विषय बन गया है इसके विषय में जिलाधीश से जांच करवा ली जाये कि इस चर्चा में सत्यता है या नहीं-तो मैं समझता हूं सरकार को अपने इन्वेस्टीगेशन में लाभ मिलेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने....

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : "When ever there occurs in or about or in connection with any place in which an explosive is manufactured processed or used or in carriage or vessel either conveying an explosive or on or from which an explosive is being loaded or unloaded, any accident due to explosion or by fire, attended with loss of human life or serious injury to person or property or of a description usually attended with such loss or injury, the occupier of the place or the master of the vessel or the person in charge of the carriage as the case may be...."

श्री अध्यक्ष : समझ गया हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : (व्यवधान) आगे है असली तो वह तो आप कह रहे हैं पुलिस को इत्तला देंगे.....

(व्यवधान)

पूरा सुन लीजिये। जब आप स्पष्टीकरण करने के लिये कह रहे हैं तो पूरा सुन लीजिये।

".......shall within such time in such manner as may be by rule prescribed, give notice thereof and of the attendant loss of human life or personal injury, if any, to the Chief Inspector of Explosives in India and to the officer-in-charge of the nearest police station."

श्री अध्यक्ष : आपने जो कहा है वह समझ गया....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

इसका कुल मिलाकर मतलब यह है कि थर्ड पार्टी को पर्सनल इन्जरी है या प्रापर्टी का लॉस है....

(व्यवधान)

कोई एक्सप्लोजन हो गया-तो-रिपोर्ट...

(श्री अध्यक्ष)

लेना जरूरी है । जिसका सामान रखा है उसकी प्रापर्टी उड़ जाय तो यह थर्ड परसन के लिये है । इसमें वह कन्डीशन नहीं है । इसलिये चर्चा समाप्त हुई ।

श्री कैलाश मेघवाल : आपने इन्टरप्रेट कर दिया इतना आसान नहीं है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आपने जो पढ़ा उसको सुन रहा था ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : बहुत समय हो गया है, माननीय सदस्य । दूसरे भी मामले हैं आज 8.00 बजे खतम करना है ....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, अमेरिकन दूतावास का एक अधिकारी आया हुआ है और इसमें रिपोर्ट आई हुई पड़ी है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं डिस्कस करूंगा । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । आपको आपत्तिजनक शब्द नहीं कहने चाहिए । बैठ जाइये ।

एक माननीय सदस्य : बैठ जाइये ।

श्री अध्यक्ष : इसका अधिकार मुझे है, आपकी तरफ से किसी को नहीं कहना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये डिप्टी स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं ।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 42–उद्योग एव मांग संख्या 14.–बिक्री कर

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । श्री जगन्नाथ पहाड़िया ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से .....

श्री अध्यक्ष : आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42, उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,18,03,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या 14 ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 14, बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3 करोड़ 22 लाख 27 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

मांग संख्या 42 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

(1) जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में स्टील एवं सीमेन्ट का मिनी कारखाना लगाये ज

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

2. प्रतापगढ़ आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने बाबत चर्चा के लिये।

3. घोसून्डा में खाद का कारखाना शीघ्र लगाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

4. जिले के उपनिदेशकों को और अधिक अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी),
श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

5. राज्य में उद्योगों को दी जा रही सहूलियतों को और बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

6. बीकानेर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर),
श्री नाथूसिंह (बांदीकुई),
श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),
श्री जीतमल जैन (अलवर),
श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां),
सुश्री पुष्पा जैन (आमेर),
श्री दयाल जोशी (दीगोद),
श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन),
श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक),
श्री छीतरलाल आर्य (अटरू),
श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय),
श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

7. राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रचुर सम्भावना है फिर भी राज्य सरकार द्वारा समुचित विकास नहीं हो पा रहा है इस पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

8. उद्योग विभाग द्वारा सीकर औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर नये उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिये जमीन दिलाने की कार्यवाही किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

9. सीकर जिले के नीमका थाना में चूने पर आधारित सीमेन्ट कारखाना लगाने की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

10. राज्य में खनिज आधारित उद्योगों के विकास पर चर्चा के लिये।

11. लघु उद्योगों को राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से दिये जाने वाले ऋण एवं उसे प्रोत्साहित करने हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि शीघ्र दिलाने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

12. झुन्झुनूं एवं सीकर जिले के ग्रामों में स्थापित किये गये लघु उद्योगों को कारखाना निरीक्षक द्वारा परेशान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

13. उद्योग विभाग के बाट व माप निरीक्षकों की लापरवाही एवं दुकानदारों से मिली भगत के कारण जनता को होने वाली कठिनाई के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

14. नागौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग संबंधी विशेष कार्यक्रम बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : एवं

श्री **हंसराज शर्मा** (सवाईमाधोपुर) :

15. लघु उद्योगों को दी जाने वाली अनुदान राशि में अत्यधिक विलम्ब होने पर चर्चा के लिये।

श्री **यदुनाथसिंह** (नदवई) :

16. सरकार कुटीर उद्योग तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम का लाभ ग्रामीण अंचल में पहुंचाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री **दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) :

17. उद्योगों को ग्रामों में लगाने में तेजी नहीं बरतने बाबत चर्चा के लिये।

श्री **सूर्यकुमार** (नैनवा) :

18. बून्दी जिले में- बून्दी-नैनवा पर एवं बून्दी-देवली रोड पर एक सीमेंट फैक्ट्री तथा नैनवा-बून्दी रोड पर एक शूगर मिल की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

श्री **जीतमल जैन** (अलवर),

श्री **नाथूसिंह** (बांदीकुई) :

19. उद्योग विभाग द्वारा उद्योगपतियों को समुचित सुविधा प्रदान न कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. उद्योग विभाग राजस्थान वित्त निगम की अव्यवहारिक नीति से लघु औद्योगिक इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराने में असफल रहा इस पर चर्चा के लिये।

श्री **जीतमल जैन** (अलवर) :

21. अलवर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ में हुये गबन के कारण दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री **नाथूसिंह** (बांदीकुई) :

22. राज्य में सर्वेक्षण कर तीव्र औद्योगिक विकास की नीति अपनाई जाये इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री **रेवतराम चौधरी** (डूंगरगढ़) :

श्री **भालू खां** (चूरू) :

23. डूंगरगढ़ व चूरू विधान सभा क्षेत्र में उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु और अधिक राहत दिलाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री **भगवानदास शास्त्री** (अजमेर-पश्चिम) :

24. लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री **अहमदबक्श सिन्धी** (जोधपुर) :

25. सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेन्टोनाइट के कारखाने बाड़मेर में सरकार द्वारा चलाये जा सकते हैं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री **भूपालसिंह** (निम्बाहेड़ा) :

26. प्रदेश में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री **हरीसिंह** (कुम्हेर) :

27. राजस्थान में भरतपुर जिला उद्योगों के लिये पिछड़ा घोषित किया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

28. विभाग द्वारा गरीब लोगों को लघु उद्योग लगाने हेतु कम ब्याज पर शीघ्र ऋण दिलाने की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

29. झालावाड़ जिले में उद्योग लगाने में विभागीय अधिकारियों द्वारा उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये ।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) :

30. बेरोजगार स्नातकों को उद्योगों में विशेष सुविधायें उपलब्ध करवायें जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

31. प्रदेश के लवण क्षेत्रों का विकास करने एवं प्लाट आवंटन के सम्बन्ध में बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

32. सीमेन्ट पर आधारित उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में सीमेन्ट उपलब्ध करवाये जाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये ।

33. श्रीमाधोपुर क्षेत्र (सीकर) में औद्योगिक क्षेत्रों का निर्णय कर उनमें उद्योग विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

34. श्रीमाधोपुर क्षेत्र में मिनी औद्योगिक केन्द्रों का और अधिक निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना) :

35. सिवाना क्षेत्र में सदड़ी में औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट का आवंटन कराने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

36. कोटा एवं रामगंजमंडी में उद्योगों में हाड़ौती के युवकों को रोजगार में प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

37. केशोराय पाटन क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर उद्योग के लिये अनुसंधान करने हेतु चर्चा के लिये ।

38. प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा फर्जी कार्यवाही कर उद्योगों के नाम पर ली गयी धनराशि से उद्योग नहीं लगाये गये, इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

39. शिक्षित बेरोजगारों को लघु एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना में विशेष सुविधा देने हेतु चर्चा के लिये ।

40. लघु एव ग्रामोद्योगों के लिये शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

41. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों को ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिये ऋण सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

42. केशोरायपाटन क्षेत्र में लघु एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री समर्थलाल (राजगढ़),

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

43. अलवर में लेलैण्ड के कारखाने स्थापित न होने से असमंजस की स्थिति पैदा होने से असंतोष के क्रम में चर्चा के लिये ।

(श्री समर्थलाल)

44. विभाग की उदासीनता से गलीचा उद्योग, राजगढ़ (अलवर) का कार्य अवरुद्ध हो जाने के क्रम में चर्चा के लिये ।

45. विभाग की निष्क्रियता के कारण औद्योगिक क्षेत्र राजगढ़ (अलवर) में औद्योगिक विकास के अवरुद्ध हो जाने से असंतोष के क्रम में चर्चा के लिये ।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) :

46. डीडवाना क्षेत्र में नये उद्योग खोलने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना):

47. उद्योगों को बढ़ावा देने में राज्य सरकार असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) :

48. उद्योगों को समय पर आवश्यक सुविधाएं दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

49. नसीराबाद में औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने बावत चर्चा के लिये ।

श्री अमीन खां (शिव) :

50. बाड़मेर जिले में ऊनी उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

51. बाड़मेर जिले के गांव गागरीया में जिप्सम, ग्राम बिरमोणी में रॉक फास्फेट और सीमावर्ती क्षेत्र में ऊनी गलीचे बनाने के उद्योग लगाने पर चर्चा के लिये ।

52. बाड़मेर जिले के गांव गागरीया में जिप्सम का कारखाना तथा बिरमाणीया गांव, तहसील शिव में रॉक फास्फेट का कारखाना लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

53. अप्रेन्टिस स्कीम प्रारम्भ करवा कर शिल्प उद्योग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

54. ग्रामोद्योग व लघु उद्योग के लिये ग्रामीणों को जानकारी व सहायता देने में संबंधित विभाग के अधिकारियों की उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये ।

55. कोलायत में खनिज के आधार पर कारखाने लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

56. टोडारायसिंह एवं देवली क्षेत्र में उद्योग विकास के लिये उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में विभाग की असफलता के बारे में चर्चा के लिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत (भीम) :

57. औद्योगीकरण में शिथिलता बरतने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

58. प्रदेश में औद्योगिक विकास करने में सरकार असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

श्री मेरूसिंह गुर्जर (खारची):

59. मारवाड़ जंक्शन औद्योगिक क्षेत्र

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)
घोषित कर उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाय, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा):

60. करडा ग्राम को फ्लासफर खनिज के उत्पादन से कोई उद्योग लगाकर विकास की गति प्रदान की जाय, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ):

61. अजमेर जिले को औद्योगिक तौर पर पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री तेजपाल यादव (चौमू):

62. ग्राम मोरीजा (जयपुर) में मिनी स्टील कारखाना खोलने पर चर्चा के लिये ।

63. चौमू को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने एवं गोविन्दगढ़ व कालाडेरा में उद्योग लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम):

64. राजस्थान में लघु उद्योग, हाथ कर्घा उद्योग, एवं खादी ग्राम उद्योग व अन्य उद्योगों को पनपाने के लिये तकनीकी प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था कर उद्यमियों को प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना):

65. राजस्थान में नये उद्योग स्थापित करने में विभाग की असफलता, के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर):

66. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में कुटीर उद्योग पनपाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

67. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में उद्योग विस्तार में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

68. बांसवाड़ा जिला के औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों की परेशानी पर, चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर):

69. भीलवाड़ा में उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में सरकार को असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर):

70. ब्यावर नगर में नये औद्योगिक क्षेत्र बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह (गुढ़ा):

71. राजस्थान में नमक उत्पादन के क्षेत्रों को बढ़ाने एवं कमजोर तबके को प्लाट अलाट करने के क्रम में चर्चा के लिये ।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक):

72. टोंक औद्योगिक क्षेत्र का शीघ्र विकास किया जावे एवं बीमार उद्योगों को शीघ्र चालू करने की व्यवस्था की जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा):

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग):

73. नये उद्योग लगाने के लिये तत्काल ऋण व स्वीकृति देने हेतु चर्चा के लिये ।

(श्री बंशीलाल पटवा)

74. रोजगार मुहैया करने के लिये लघु उद्योगों का विकास करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री शिवनाथसिंह राठौड़ (जैतारण) :

75. राज्य में नये उद्योग लगें इसके लिये सरकार द्वारा ज्यादा सहूलियत दिलाने बावत चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द अग्रामलिया (चौरासी) :

76. उद्योग विभाग, डूंगरपुर के अधिकारियों द्वारा प्लाट एलाट करने, सब्सिडी की पत्रावलियों के फैसले नहीं किये जाने से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री माणकमल मेहता (पाली) :

77. पाली शहर में चल रहे वायल रंगाई उद्योग को सरकार द्वारा और सहूलियत दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्रीमती कमला (सागवाड़ा) :

78. सिन्टेक्स (डूंगरपुर) की अव्यवस्था दूर कर आदिवासियों को प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

79. डूंगरपुर में सिन्टेक्स की स्थापना में बेरोजगारों को न लेकर राजस्थान से बाहर से श्रमिकों को लाकर रोजगार देने पर चर्चा के लिये ।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) :

80. मकराना इन्डस्ट्रियल एरिया में उद्योग लगाने वाले को ऋण नहीं दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

81. कठूमर विधान सभा क्षेत्र में उद्योगों की कमी को दूर करने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाय, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) :

82. जोधपुर में सरकार नये उद्योग स्थापित करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर),
श्री चुन्नी लाल (खण्डार) :

83. सवाई माधोपुर में छीपा जाति कोली, खरादी आदि लोगों के लिए छपाई, बुनाई तथा लकड़ी के छोटे छोटे उद्योग खुलवाकर हजारों लोगों को रोजगार दिलाने पर चर्चा के लिये ।

84. सवाई माधोपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

85. राजस्थान में खाद का कारखाना सवाई माधोपुर में लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री छोगाराम बाकोलिया (रेवदर) :

86. राजस्थान राज्य की हर तहसील को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर, सम्पूर्ण राजस्थान का औद्योगीकरण करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) :

87. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में चूना उद्योग लगाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

(श्री फते सिंह)

88. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिला के कुशलगढ़ को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

89. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिला के उद्यमियों को आर्थिक सहायता देने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा):

90. सराड़ा तहसील के ग्राम में लघु उद्योग की कमी के कारण चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं):

91. लघु उद्योगों के विकास में सरकार द्वारा बरती गई उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री बाल चन्द्र आर्यवीर (डग):

92. लघु उद्योगों हेतु ऋण उपलब्ध कराने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

93. इन्द्रगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

94. इन्द्रगढ़ में सीमेंट उद्योग लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

वैद्य भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़):

95. भावी उद्योगों की स्थापना नगरों में न कर ग्रामों में ही लगाये जाये संबंधी पाबंदी लगाये जाने में संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क):

96. उद्योगों को समय पर अपेक्षित मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध नहीं कराये जाने से उद्यमियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा):

97. उदयपुर जिले के उद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां):

98. कोटा में उद्योगों पर सरकारी बकाया वसूली न करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार):

99. देवली, जिला टोंक में जगन्नाथ मीसलिया को 3 वर्ष बाद भी वर्किंग कैपिटल नहीं मिलने के कारण उद्योग नहीं पनप सकने के संबंध में चर्चा के लिये।

100. सवाई माधोपुर में रसायनिक खाद्य कारखाना लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी):

101. माधोराजपुरा औद्योगिक क्षेत्र घोषित होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर):

102. उद्योग नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

Page No. 98

(98)

श्री **ज्ञानसिंह** (भादरा) :

103. राजस्थान में खेतो पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिये ।

104. औद्योगिक दृष्टि से गंगानगर जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री **नरपतराम बरबड़** (सूरसागर) :

105. जोधपुर के उद्योगों की समस्याओं के निराकरण के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री **सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) :

106. जालोर में ग्रेनाइट फैक्टरी (पोलिसिंग) लगाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री **कनकराज मेहता** (सांचोर) :

107. सांचोर नगरपालिका क्षेत्र में उद्योग लगाने पर चर्चा के लिये ।

श्री **भैरूलाल** (उदयपुर ग्रामीण) :

108. उदयपुर संभाग में कच्चा माल बहुत पाया जाता है और उद्योगों की कमी है, ऐसी स्थिति में उद्योगों की संख्या बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री **भैरूलाल** (मनोहरथाना) :

109. लघु उद्योग हेतु बैंकों से लिये जाने वाले ऋणों को प्राप्त करने में प्राप्तकर्ता को आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

श्री **महादेवसिंह** (खण्डेला) :

110. सलेदीपुरा (खंडेला) के पायराइट्स खाद के कारखाने की स्थापना में ढ़िलाई पर चर्चा के लिये ।

श्री **लच्छूराम** (मण्डावा) :

111. लघु उद्योगों को गांवों में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री **जीतमल जैन** (अलवर) :

112. उद्योग विभाग द्वारा उद्योग पतियों को दी वाली सहूलियतों का दुरुपयोग करने संबंधी चर्चा के लिये ।

श्री **नाथू सिंह** (बांदीकुई) :

113. उद्योग निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

114. औद्योगिक दृष्टि से प्रदेश का सर्वेक्षण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री **जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) :

115. जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिये बस्सी, बांसखोह एवं कानोता को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये ।

116. बस्सी के सार्वजनिक क्षेत्र में एक उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

117. जयपुर जिले की बस्सी तहसील में सिलिका माइन्स के बाहुल्यतमता को मद्देनजर रखते हुये बांसखोह में सिलिका पर आधारित एक उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

118. कृषि व्यवसाय को उद्योग में सम्मिलित कर उद्योग संबंधी सभी सुविधाए सुलभ कराय जाने के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री मानकमल मेहता (पाली) :

119. पाली शहर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने एवं वर्तमान में विद्यमान उद्योगों के प्रति विभाग द्वारा बरती जा रही उपेक्षा-पूर्ण नीति पर चर्चा के लिये ।

120. पाली में रंगाई, छपाई के मुख्य उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की ओर से आर्थिक अनुदान देने में बरतीजा रही भेद-भाव पूर्ण नीति के संबंध में चर्चा के लिये ।

121. पाली शहर में उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों द्वारा बार बार निवेदन करने पर वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने में सरकार द्वारा बरती गई उदासीनता के संबंध में चर्चा के लिये ।

122. सरकार द्वारा उद्योगों के प्रति बरती जा रही उपेक्षा पर चर्चा के लिये ।

श्री सुरजाराम (नोखा) :

123. राज्य सरकार गांवों के विकास हेतु लघु उद्योग और ग्रामोद्योग पर पूर्ण ध्यान देने में असमर्थ रही हैं, इस पर चर्चा के लिये।

124. राजस्थान में उद्योगों की कमी के कारण राजस्थान का विकास नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये ।

125. उद्योग विभाग की शिथिलता के कारण राजस्थान में नये उद्योग नहीं पनप रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) :

126. राजस्थान लघु उद्योग निगम की इकाई आर. एच. ई. बम्बई की प्रशासनिक अव्यवस्था एवं स्वार्थ सिद्धि से गत वर्ष हुये एक लाख तीस हजार रुपये का घाटा होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

127. राजस्थान लघु उद्योग निगम को इकाइ डी.डी. आर. सी., जयपुर की प्रशासनिक अव्यवस्था एवं स्वार्थ सिद्धि से गत वर्ष एक लाख छासठ हजार रुपयों के हुये घाटे पर भी अनुदान दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

128. राजस्थान लघु उद्योग निगम को इकाई एफ. एम. सी., जयपुर की प्रशासनिक अव्यवस्था एवं स्वाथ सिद्धि के कारण गत वर्ष दो लाख पन्द्रह हजार रुपये के हुये घाटे पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

129. राजस्थान लघु उद्योग निगम की इकाई आर. डब्लू. एस. एम., चूरू की प्रशासनिक अव्यवस्था एवं स्वार्थ सिद्धि के कारण गत वर्ष पांच लाख अठारह हजार रुपयों के हुये घाटे पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

130. राजस्थान लघु उद्योग निगम की इकाई आर. डब्लू. एस. एम., लाडनूं की प्रशासनिक अव्यवस्था एवं स्वार्थ सिद्धि के कारण गत वर्ष तीन लाख उन्यासी हजार रुपयों के हुये घाटे पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

131. राजस्थान लघु उद्योग निगम की इकाई एम. बी. आई. टौंक, को प्रशासनिक अव्यवस्था एवं स्वार्थ सिद्धि के कारण गत वर्ष पिचानवें हजार रुपयों के घाटे पर भी दिये

(श्री कैलाश मेघवाल)

जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

132. राजस्थान लघु उद्योग निगम की इकाई एयर कारगो काम्पलेक्स को प्रशासनिक अव्यवस्था एवं स्वार्थ सिद्धि के कारण गत वर्ष इकतालीस हजार रुपयों के हुये घाटे पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

133. दिनांक 12 एवं 23 मार्च, 1981 को आर. एम. डी. सी. के अधिकारियों ने अपने मिलने वाले लोगों से सांठगांठ कर विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थित को ऋणि युवा उद्यमियों को सम्पति की वसूली राशि से भी कम बोली पर नीलामी करने से राज्य सरकार को होने वाली हानि पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):

134. उद्योग विभाग द्वारा लोहे एवं मोम के कोटा का उचित वितरण न करने से उत्पन्न स्थिति के सबंध में चर्चा के लिये ।

135. बीकानेर में (आर. आई. आई. सी. ओ.) रीको के अधिकारियों द्वारा समय पर भूमि एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं कराने से उद्योग विकास में बाधाएं उत्पन्न होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

136. उद्यमियों को समय पर भू-आवंटन कराने में उद्योग विभाग की विफलता से उत्पन्न स्थितियों के बारे में चर्चा के लिये ।

137. बीकानेर में सार्वजनिक संयुक्त क्षेत्र में कागज एवं कांच के कारखाना खुलवाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

138. बीकानेर डिवीजन मुख्यालय पर जिप्सम आधारित खाद कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में खुलवाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

139. बीकानेर में ऊन आधारित वूलटोप्स का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में खुलवाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए ।

140. बीकानेर की औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

141. बोछवाल औद्योगिक क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए ।

142. लघु उद्योगों को विभाग द्वारा समय पर कच्चा माल एवं अन्य सुविधायें न मिलने पर चर्चा के लिए ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) :

143. राज्य के उद्योग की असफलता पर चर्चा के लिए ।

मांग संख्या 14 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्रीमती डॉ उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

1. वाणिज्य कर अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को परेशान किये जाने के संबंध

श्रीमती डॉ० उजला अरोड़ा)
में चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

2. विक्रय कर संग्रहण में विभागीय अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को परेशान किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर),

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई),

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू),

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद),

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर),

श्री जीतमल जैन (अलवर),

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक),

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां),

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन),

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय),

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

3. बिक्री कर को समाप्त किया जाय जिससे इसमें होने वाली चोरी एवं परेशानी से बचा जा सके, इसे किसी अन्य रूप में वसूल किया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

4. बिक्री कर निर्धारण प्रक्रिया के वैज्ञानिकरण करने एवं केवल प्रथम पाईन्ट पर ही कर लगाने संबंधी प्रक्रिया पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

5. राज्य में बिक्री कर समाप्त करने की सरकार की घोषणा का पालन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

6. सरकार बिक्री कर की चोरी रोकने में अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ),

श्री मालू खां (चूरू) :

7. बिक्री कर की वसूली प्रणाली में परिवर्तन कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर, पश्चिम) :

8. बिक्री कर से संबंधित निरीक्षकों की मिलीभगत के कारण 20 प्रतिशत आय ऊपर से उड़ जाती है और राज्य सरकार तक मामूली आय प्राप्त होना। अतः यू. पी. सरकार के समान लाइसेंस प्रणाली से आय बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

9. विक्रय कर की दरों में सुधार किया जाये, इस पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

10. बिक्री कर की वसूली से होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) :

11. बिक्री कर की वसूली की प्रक्रिया को सरल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

12. बिक्री कर की समाप्ति कर उत्पादन कर के रूप में वसूल किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

13. बिक्री कर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) :

14. विक्रय कर की वसूली प्रक्रिया को सरल बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

15. विक्रय कर समाप्त करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री चतर्भुज (टोडारार्यसिंह) :

16. बिक्री कर वसूली प्रक्रिया के सरलीरकण हेतु चर्चा के लिये ।

श्री नानूराम कुमावत (आन्सीद) :

17. यू. पी. की भांति लाइसेन्स प्रणाली राजस्थान में भी लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री चेतराम मीणा (टोड़ाभीम) :

18. बिक्री कर की चोरी रोकने में अधिकारियों की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) :

19. राजस्थान में बिक्री कर समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

20. बिक्री कर वसूली में अधिकारियों द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा),

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

21. बिक्री कर समाप्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी) :

22. डूंगरपुर जिले में वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई धांधली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भरोसी राम (हिण्डौन) :

23. बिक्री कर की बकाया वसूली के सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

1. श्री राम नारायण डूडी (बिलाड़ा),

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

24. बिक्री कर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा राम-गढ़) :

25. बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

26. बिक्री कर की वसूली में बढ़ रही अनियमितता पर चर्चा के लिये ।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) :

27. बिक्री कर पर सुझाव आमन्त्रित करने के लिये एक संयुक्त समिति के गठन की

(श्री घनश्याम जैन)

आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मरूलाल (मनोहर थाना) :

28. बिक्री कर विभाग के इन्सपेक्टरों द्वारा छोटे व्यापारियों को अनावश्यक (अकारण) ही परेशान करने पर चर्चा के लिये ।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

29. बिक्री कर कानून को रेशनेलाइज करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई):

30. राज्य में अग्रिम रूप से बिक्री कर वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

31. बिक्री कर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

32. बिक्री कर की चोरी करने वालों से सख्ती से निपटे जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

33. ऊन एवं ऊन टॉप्स को अलग अलग मानकर दोहरा विक्रय कर लगाने से उत्पन्न विषय पर चर्चा के लिये ।

34. पूर्व में खण्डसारी पर दोहरा विक्रय कर माफ करने एवं वर्तमान में ऊन एवं ऊन टॉप्स पर दोहरा विक्रय कर लगाने से ऊन मंडी समाप्त होने के संबंध में चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 42 व 14 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री जयकृष्ण । वाद विवाद में हिस्सा लेना चाहेंगे ? श्री सी. पी. जोशी ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह सर्वविदित फैक्ट है, सत्य है कि प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर के बीच में जो लाभ का प्रतिशत है, वह अधिकांशतः प्राइवेट सैक्टर में पब्लिक सैक्टर के मुकाबले ज्यादा है ऐसा रिसर्च के बाद पता लगा कि जो सेन्स

(2.43 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति पदासीन)

आफ सिक्योरिटी है वह डायरेक्टली लिंक्ड है, एफीशिएन्सी से । प्राइवेट सैक्टर में जितनी ज्यादा जॉब सिक्योरिटी है, उतना ज्यादा एडवान्टेज भी है। जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसके तहत लाभ का बहुत प्रतिशत प्राइवेट सैक्टर में करना चाहते हैं । लेकिन उसके अनुपात में जितनी ज्यादा फैसिलिटी हम पब्लिक सैक्टर में कन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके अनुपात में लाभ का प्रतिशत बहुत कम होता जा रहा है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करें, हम ऐसे मैथड्स और मोटीवेशन्स या रिसर्च से, मैथडिक माध्यम से या ओ. एण्ड एम. डिपार्टमेंट को स्ट्रांग करके हम इस बात का पता लगायें कि राजस्थान में खास तौर से पब्लिक सैक्टर में जितना मुनाफा होना चाहिये, इनवेस्टमेंट करने के बावजूद उतना क्यों नहीं हो रहा है । उसके कम्परीजन में जितना फायदा

(श्री सी. पी. जोशी)

प्राइवेट सैक्टर में हो रहा है, उतना फायदा हमारे यहां क्यों नहीं हो रहा है । उसके साथ-साथ एक तो फाइंडिग यह है कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट का या स्टेट का, उतना ही सिक्योरिटी प्रोपेगेट होगी मजदूरों के अन्दर । लेकिन राजस्थान में दुर्भाग्य या सौभाग्य समझिये, हमने पब्लिक सेक्टर में इनवेस्टमेंट किया है उतना जो सिक्योरिटी प्रोपेगेशन नहीं हो पायी है । इसलिए खास तौर से मैं निवदन करना चाहता हूं कि हम अपने रिसर्च, ओ. एण्ड टी. डिपार्टमेंट को इतना स्ट्रांग करें, हम इस बात का पता लगायें कि पब्लिक सेक्टर के अन्दर इतना इनवेस्टमेंट करने के बाद भी हम प्रोफिट क्यों नहीं ले पा रहे हैं । इसके साथ जो एक सीधा प्रश्न जुड़ा हुआ है, वह बेरोजगारी का मसला जुड़ा हुआ है । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, हम बड़ी गंभीरता से इस बात को सोचें कि राजस्थान में जिस तरह से इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स डवलप करना चाहते हैं, जितनी सुविधायें हम बड़े बड़े कन्सर्नों को दे रहे हैं, उसके अनुपात में बेरोजगारी की समस्या का निदान क्यों नहीं हो रहा है । बार बार यह कह कर कि स्किल्ड लेबर उपलब्ध नहीं है इसलिए जो भी बड़े कन्सर्न राजस्थान में लग रहे हैं, चाहे कोटा, जयपुर, अलवर, उदयपुर में लगे, उनमें स्किल्ड लेबर में राजस्थान से बाहर के लोगों को यहां पर नौकरी दी । मैं क्षेत्रीय भावना से, भावनात्मक रूप से बात नहीं कहता, लेकिन गम्भीरता से बात सोचनी चाहिये कि राजस्थान में स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है तो हर उद्योग के अन्दर अप्रेन्टिसशिप स्कीम को बड़ी मुस्तैदी से लागू करने की आवश्यकता है । यह बात इसलिए भी आवश्यक है कि बीस सूत्री कार्यक्रम में हमने एक आधार सूत्र माना है हम अप्रेन्टिसशिप स्कीम को लागू करेंगे । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम स्किल्ड लेबर के नीचे की जो लेवर है, जो अनस्किल्ड लेवर है जो सेमी स्किल्ड लेवर हो उसके अन्दर कम से कम राजस्थान के जो निवासी हैं, उनको कम से कम हन्ड्रेड पर्सेन्ट एम्प-लायमेंट मिले । हम इस तरह से कन्डीशन पैदा करें कि हर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कन्सर्न में कम से कम सेमी स्किल्ड तक की लेवर राजस्थान की लेवर को लगाये । यदि हम इस बात के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए सरकार हमको कहे कि भारत सरकार की रुचि नहीं है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम क्वालिफिकेशन में इन्क्लूड कर सकते हैं कि या तो कम से कम एक डिग्री राजस्थान में पास किया हो या कम से कम लोकल भाषा का जानने वाला हो । यदि हम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अन्दर एक कन्डीशन डाल दें कि अनस्किल्ड लेवर तक हम उसी आदमी को रोजगार देंगे जो राजस्थान की एक भाषा को जानता हो, तो मैं समझता हूं बेरोजगारी की समस्या का समाधान इसके तहत कर सकते हैं । जहां तक स्किल्ड लेवर का सवाल है, मैं इस बात को मानता हूं कि जब कोई इण्डस्ट्रियलिस्ट इनवेस्टमेंट करता है तो नेचरली उसका इनवेस्टमेंट इस बात के लिय होता है कि उसका रिटर्न उसको मेग्जीमम मिले, उसके लिए वह चाहेगा कि स्किल्ड लेवर बाहर से लें । उसमें भी अगर कम से कम 30 पर्सेन्ट या 40 पर्सेन्ट, हम एक कन्डीशन डाल दें उसके अन्दर की कम से कम 3 साल को अप्रेन्टिसशिप स्कीम लागू करने के बाद यदि राजस्थान का आदमी एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है तो स्किल्ड लेवर में उसको मौका

(श्री सी. पी. जोशी)

देगें तो इस समस्या का समाधान हो पायेगा। मैं खास तौर से इसलिये कहना चाहता हूं, कुछ समय पूर्व फलौदी संभाग के अन्दर इस मांग को युवकों ने उठाया और युवकों की जब मैं बात करता हूं तो उन युवकों की बातें नहीं कहना चाहता हूं जो स्कूल में या कॉलेज में युवक शिक्षा लेते हों जो सेन्सस के आंकड़े हैं, शिक्षा का प्रतिशत 24.05 प्रतिशत है। इसका मतलब 24.05 के अलावा 75-76 पर्सेन्ट के करीब जो लोग हैं, जो युवक हैं, जिनकी ऐज ग्रुप है 18 से 21 उसकी ऐज ग्रुप के लोगों को रोजगार की सुविधा उद्योग के माध्यम से नहीं दे सकते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह राजस्थान के युवकों के सामने खड़ा हो जायगा, 30 वर्ष के अथक प्रयत्न के बाद भी। मेरा सरकार से और मंत्री महोदय से पुरजोर आग्रह है कि वह इस बात की जांच करा लें कि जितने राजस्थान में प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर लगे हैं, उनके अन्दर स्किल्ड वर्क में 18 या 19 पर्सेन्ट बाहर के लोगों को एम्पलाय किया है। यह स्थिति राजस्थान के लिए सुखद नहीं है, राजस्थान के युवकों के लिए सुखद नहीं है, बेरोजगारी की समस्या का निदान करने के लिए सुखद नहीं है और बीस सूत्री कार्यक्रम को ईमानदारी से लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुखद नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब वे रिप्लाई दें तो इस बात का जवाब दें। यदि हम बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करना चाहते हैं तो 81-82 के अन्दर चाहे पब्लिक सैक्टर, चाहे प्राइवेट सैक्टर हो, उसमें हम अप्रेन्टिसशिप स्कीम लागू करेंगे और अन-स्किल्ड लेबर तक सौ पर्सेन्ट एम्पलायमेन्ट हम राजस्थान के लोगों को देंगे। राजस्थान के बाहर के लोगों ने एम्पलायमेंट एक्सचेंज का टैम्प्रेरी सर्टिफिकेट लेकर एप्लाई कर रखा है। जहां भी वह पढ़े सर्टिफिकेट यह कहकर ले लेते हैं कि हम राजस्थान के निवासी हैं। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। मेहनत करने से चूकते नहीं हैं लेकिन उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध नहीं कराना चाहें तो वे बेरोजगारी की समस्या से उलझेंगे। इससे जब आदमी बेरोजगार होता है तो बेरोजगारी के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, कानून-व्यवस्था की बात आती है, छात्र आन्दोलन की बात आती है, दूसरी और बातें आती हैं। मेरा मेन मुद्दा यह था कि बेरोजगारी की समस्या का निदान हो। एक तरफ हम बेरोजगारी के निदान के लिए बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उनको जॉब मुहैया करके, ट्रेनिंग देकर उनकी बेरोजगारी की समस्या का निदान करने का प्रयास तो कर सकते हैं। मेरा नीतिगत प्रश्न इस बात का है कि जहां इस तरह की सुविधा उपलब्ध हों, राजस्थान सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोच-विचार करना चाहिए।

दूसरा मेरा निजी मत इस बात का है, खास तौर से मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में माइन्स बेस्डइण्डस्ट्री बहुत डवलप हो सकती है। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि राजस्थान में मकराना का जो मारबल अवलेबुल है। उसकी इतनी शार्टेज होने के बाद भी उसकी पोटेंशियलटी राजस्थान के अन्दर है। आपने भी नोटिस किया है यह डिसीजन कर लिया है कि राजस्थान की माइन्स को हम किसी प्राइवेट फैक्टरी को नहीं देंगे। श्रीमन्, मैं मंत्री महोदय से

(श्री सी. पी. जोशी)

निवेदन करना चाहता हूं कि माइन्स को ढाई वर्ष हो गये आज दिन तक राजस्थान सरकार इसको किसी को दे नहीं सकी। किसी को लीज दे नहीं सकी। एक लीज पर 25 हजार रुपये का राजस्थान को लोस होता है। यदि हम मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्री को डवलप करना चाहते हैं तो मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये कन्डीशन नहीं डालें कि मकराना के अन्दर जब तक वन विण्डो कैटरिंग नहीं होगा तब तक राजस्थान में वन विण्डो कैटरिंग लागू नहीं हो सकेगा। यह स्थिति राजस्थान में उद्योग पनपाने के लिए सुखद और अच्छी नहीं है। रिको और आर. एफ. सी. के माध्यम से लोग बाग यहां पर माइन्स उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके सामने बड़ी गम्भीर समस्या इस बात की है, आर. एफ. सी. और रिको तो लोन सैक्शन कर देते हैं लेकिन रेवेन्यू और कलेक्टरी के उद्योगपति 4-4, 6-6 बार चक्कर काटता है, तब वह दुखी होकर सोचता है कि मैंने राजस्थान में उद्योग क्यों लगाया। केवल मात्र एक उदाहरण देना चाहता हूं, रिको और आर. एफ. सी. के आदमी यहां बैठे हुए हैं। राजस्थान के अन्दर खास तौर से शुगर मिल रीको और आर. एफ.सी. ने करोड़ों रुपये का लोन स्वीकृत किया है, उसने अपनी मेहनत करके एक फैक्ट्री लगायी थी; और जब कलेक्टरी से उसने पूछा कि मैं कुआ खोदना चाहता हूं जमीन में तो कलैक्टर महोदय ने कहा कि इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, सरकार से पूछना होगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान में इण्डस्ट्री लगाने का अवसर देते हैं तो चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सवाल हो चाहे जमीन का सवाल हो इन सब समस्या का भी इण्डस्ट्रियलिस्ट को लोन देने के साथ समाधान होना चाहिए, तब हम जाकर तीव्र गति से इण्डस्ट्रियल काम्पलैक्स और इन्फ्रा स्ट्रक्चर को बढ़ा सकेंगे। यदि आप एक तरफ लोन देते हैं और दूसरी तरफ उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कलेक्टरी के धक्के खाने के लिए छोड़ देते हैं तो इण्डस्ट्रियलिस्ट के लिए यह सुखद स्थिति नहीं हो सकती, जितना इनवेस्टमेंट वह करना चाहता है, वह कर नहीं पाता। इसलिए इन समस्याओं का निदान करने के लिए आवश्यक है कि इन्ट्रीगेटेड अप्रोच हम करें जो एजेन्सी लोन देगी, उसी एजेन्सी द्वारा उस इण्डस्ट्रियलिस्ट को आने वाली कठिनाइयों चाहे रेवेन्यू के बारे में हों, चाहे लैण्ड इवेक्शन के मामले में हों, उन सभी का निदान लोन देने के साथ साथ किया जाना चाहिए।

साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आर.एफ.सी. और रिको लोन देकर इण्टरप्रिन्योर एक्टीविटिज राजस्थान में जनरेट करना चाहते हैं। श्रीमान्, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट्स राजस्थान के बाहर काम कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बम्बई में घोषणा की थी और हम हर बार यह घोषणा करते रहे हैं कि हम एक कण्डूसिव एनवायरमेन्ट राजस्थान के अन्दर इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिए देना चाहते हैं। यदि इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना चाहते हैं तो श्रीमान्, अन्य प्रान्तों के अन्दर जो सुविधा मिलती है, गुजरात के अन्दर जो सुविधा है, महाराष्ट्र के अन्दर जो सुविधा है उन सुविधाओं को यदि हम देना चाहते हैं, इस प्रकार का इंसेंटिव यदि हम बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट्स को देना चाहते हैं तो एक ब्रोड काम्प्रीहेंसिव स्कीम बना कर उनके

(श्री सी. पी. जोशी)

सामने रखनी पड़ेगी। बिना स्कीम बनाये लोगों के सामने घोषणा करें तो इसका इम्पेक्ट नहीं होने वाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में बड़ी गंभीरता से सोचें।

दूसरा मुख्य मुद्दा, श्रीमान्, यह है कि जितना इण्डस्ट्रियल इन्फास्ट्रक्चर डवलप होता है, वह डवलप होता है जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, अलवर में। इन बिग सिटीज में आज हालत यह हो रही है कि रीको और आर. एफ. सी. जो लैंड एक्वायर करवा रही है, कम से कम उदयपुर के बारे में मैं जानता हूं, मेडवास एक जगह है जहां पर लैंड एक्वीजिशन के नोटिस आपने दिये हैं। एक काश्तकार की रोजी रोटी का साधन खेती हो, उस काश्तकार को आप अपने कम्पन्सेशन एक्ट के तहत लीगल नोटिस दे दें और उसके सामने जिन्दगी और मौत का सवाल बना दें और जो आदमी और कोई काम नहीं कर सकता, उस आदमी की जमीन, इण्डस्ट्रियल काम्पलैक्स डवलप करने के नाम से ले लेना चाहते हैं। तो श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इण्डस्ट्रियल काम्पलैक्स डवलप करना चाहते हैं तो आप छोड़िये, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर को इनके अलावा जो बीग सिटीज राजस्थान के अन्दर हैं, उनके अन्दर आप कण्डीशन डाल दीजिए कि जो नया इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप होगा वह मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का डवलप होगा। वरना यह हालत हो जाएगी कि जयपुर, जोधपुर उदयपुर के अन्दर ग्रीन बैल्ट नाम से आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। जिन लोगों को बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी, कम से कम सौ साल से अपने जीवन यापन का साधन, केवल मात्र खेती है यदि आप इंडस्ट्रियल डवलपमेंट के नाम से उनकी जमीनें ले लें तो बड़ी भारी समस्या पैदा होने वाली है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि औद्योगिक नीति के साथ में भविष्य में किस तरह के उद्योग कहां लगाना चाहते हैं, कहां इंडस्ट्रियल काम्पलैक्स डवलप करना चाहते हैं और जिनके जीवन यापन का साधन केवल मात्र एग्रीकल्चर ही है, उनके इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करके हम इण्डस्ट्रीज को राजस्थान में डवलप कर सकें, इस संबंध में एक नीति बना ली जाय, तभी जाकर हम राजस्थान में किसानों के हितों की रक्षा कर सकेंगे, गरीब आदमियों के हितों की रक्षा कर सकेंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकेंगे और इण्डस्ट्रीज का डवलपमेंट और उनमें इनवेस्टमेंट भी ढंग से कर सकेंगे।

इसके साथ-साथ मैं केवल मात्र एक निवेदन और करना चाहूंगा, राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल के बारे में कि यह एक वाईट एलीफेंट राजस्थान के लिए है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज नहीं तो आज से पांच साल बाद यह स्थिति पैदा हो जाएगी, केवल मात्र आपने लिख रखा है कि राक फास्फेट की क्रशिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना आपने यूटिलाईजेशन किया है जितनी आपकी ओप्टीमम कैपेसिटी थी उसका आप यूटिलाइजेशन नहीं कर सके, और आपने सब-कांट्रेक्ट कर दिया, सब-कांट्रेक्ट दिया तो क्यों दिया, कितना पैसा खर्च हुआ। इसी तरह से यह जो ओवर बर्डन रिमूव करना है उस ओवर बर्डन को रिमूव करने को आज दिन तक हमने बैलेंस शीट में शो नहीं किया है? एक स्थिति ऐसी पैदा हो जाएगी कि जब हम ओवर बर्डन को रिमूव करेंगे तब आर. एस. एम. एम. का नेट प्रॉफिट

(श्री सी. पी. जोशी)

लॉस में चला जाएगा। यह गंभीर समस्या है राजस्थान के बारे में। इसके साथ-साथ आर. एस. एम. एम. का आफिस मिनरल इंडस्ट्री के नाम से कलकत्ता में खुला हुआ है। कलकत्ता के अन्दर आफिस केवल मात्र इसलिए खुला हुआ है, मैं क्षेत्रीय भावना से नहीं कहना चाहता लेकिन आर. एस. एम. एम. में जितने आदमी बंगाल के रहने वाले हैं वह एक प्लेजर ट्रिप और एक लेजर ट्रिप कलकत्ता की करना चाहते हैं इसलिए उनका एक हेड आफिस खुला हुआ है, एक टेलीफोन रखा हुआ है जिसका हजार रुपया महीना वहां पर खर्चा आता है। यह स्थिति इस बात की द्योतक है कि प्राइवेट सेक्टर को हम ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में छोड़ दें, इन ब्यूरोक्रेटस को चैक नहीं करेंगे तो, श्रीमान, जो राजस्थान की रेवेन्यू बढ़ाने का सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, उसमें हम राजस्थान के लोगों का भला नहीं कर सकेंगे। इसलिए खनिज का जितना दोहन राजस्थान में करना चाहिए वह नहीं हो सकेगा।

इसके साथ-साथ मैं नीतिगत उद्योगों के मामले में निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी उद्योग नीति स्पष्ट करें। औद्योगिक नीति के साथ में इंसेंटिव देने के लिए जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनकी एक काम्पेक्ट, इण्टीगेटेड स्कीम बना कर उनको दें और साथ में जहां इण्डस्ट्रियल काम्पलैक्स डवलप करना चाहते हैं वहां ऐसी स्थिति पैदा नहीं करें कि गरीब काश्तकार डूब जाय, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो सकें। तीसरा। मैंने आपको गंभीरता से निवेदन किया, और फिर आप से निवेदन करना चाहता हूं कि बेरोजगारी की गंभीर समस्या है। यह बात इसलिए भी कहना चाहता हूं कि वह युवक, जिन्होंने 1977 में सम्पूर्ण क्रांति के नाम पर हिन्दुस्तान में हलचल मचाई थी वही आज 1980-81 में आरक्षण और क्षेत्रीय भावना और साम्प्रदायिक भावना के नाम पर हलचल मचाना चाहता है। यह हलचल तब तक चलती रहेगी जब तक हम बेरोजगारों को रोजगार की सुविधा जुटाने का अवसर प्रदान नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते तो रोजगार प्रदान करने का बहुत बड़ा अवसर है उद्योगों के माध्यम से, इसके साथ साथ बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए कि इसपब्लिक सेक्टर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेन्ट करने के बाद भी लॉसिज क्यों हो रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर स्टेट गवर्नमेंट की फैसिलिटीज का यूटिलाईजेशन करने के बाद भी लोग बाग लखपति और करोड़पति क्यों बन रहे हैं? यह बड़ी गंभीर बात राजस्थान के लिए और खास कर यहां के निवासियों के लिए है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय जब रिप्लाई दें तो इस समस्या के बारे में बात करें।

मैं मेरे क्षेत्र की एक बात निवेदन करना चाहता हूं। हम उद्योगों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना चाहते हैं। उसके लिए यह आवश्यक है कि जहां जिस तरह के साधन, सुविधा उपलब्ध हैं वहां उसी तरह की इण्डस्ट्रीज डवलप करें। आज उदयपुर में मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्री डवलप करें तो ज्यादा सक्सेसफुल जायेगी। यदि हम अलवर और

(श्री सी. पी. जोशी)

जयपुर में कल-कारखाने लगायें, गिलट का कारखाना लग रहा है, उसी तरह का कारखाना लगायें तो वहां का डवलपमेंट ज्यादा हो सकेगा। आज, हालत यह है कि राक फास्फेट पैदा तो हो उदयपुर के अन्दर और कारखाना लगायें बाहर। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां रॉ-मैटीरियल अवेलेबिल है उसका इण्डस्ट्रियल काम्पलैक्स वहीं पर डवलप हो। रॉक फास्फेट उदयपुर में मिलता है तो उदयपुर में ही कारखाना लगना चाहिए तभी हम सक्सेसफुली औद्योगिक नीति को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, इनवेस्टमेन्ट लोगबाग ज्यादा कर सकेंगे, बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकेंगे। अपने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन बातों पर अपना रिप्लाई देते समय ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री केसरीचन्द चौधरी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, एक सत्ता पक्ष के हो गए, अब एक विपक्ष से लें।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ): माननीय सभापति महोदय, अपने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से मैं राजस्थान के औद्योगिक विकास के सिलसिले में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। असल में हम पिछले कई वर्षों से राजस्थान में औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनकी तरफ देखते हैं परिणामस्वरूप चाहे कोई सरकार आये, नतीजा वही का वही है कि कोई भी औद्योगिक घराना नये उद्योग नहीं लगाता। पिछले कई वर्षों में, राजस्थान में, जहां तक मैं समझता हूं, कोई भी बहुत बड़े दस-बीस करोड़ से ज्यादा के उद्योग धन्धे न तो लगे हैं और न पनपे हैं। मुख्य मंत्री चाहे जनता सरकार के हों, चाहे कांग्रेस के हों, बम्बई और कलकत्ता की तरफ ही देखते हैं परिणामस्वरूप उद्योगों के लाइसेंस भी मिलते हैं, जैसे ब्यावर में सीमेंट का लाइसेंस मिला था, और तीन-तीन हाथों में बदला, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक सीमेंट फैक्ट्री नहीं लग पाई। लेकिन उद्योग लगाते नहीं हैं।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर): अब लग रही है।

श्री केसरीचन्द चौधरी: अब तीसरी दफा भी लग जावे तो बहुत बड़ी बात है। मेरा निवेदन है कि हम राजस्थान के औद्योगिक विकास के सिलसिले में अगर आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाड, इन चारों राज्यों को देखें तो रिजर्व बैंक के कोआपरेटिव सेक्टर का हर स्टेट ने करीब पांच-सात हजार करोड़ रुपया औद्योगिक क्षेत्र में, उद्योगों को डवलप करने में लगाया है। हमारी राज्य सरकार भी, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो कम से कम बम्बई और कलकत्ता जाने में और उद्योगपतियों से बात करने में काफी कठिन रहे हैं, इस तरफ ध्यान दें तो सहकारी क्षेत्र में काफी बड़े उद्योग प्रारम्भ किये जा सकते हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या हमारे राज्य में यह है कि 26 जिलों में से पांच या छः जिले तो राज्य में औद्योगिक तौर पर पिछड़े हुए घोषित किये गये हैं। उनकी स्थिति यह है कोटा और अलवर जिले का जहां तक सवाल है काफी एग्जास्ट जिले माने जा सकते हैं। वहां भूमि की

(श्री केसरीचन्द चौधरी)

कीमतें काफी बढ़ गई हैं और अन्य साधन भी आज उपलब्ध नहीं हैं। मैं मेरे जिले की बात कहूं, मेरे विजयनगर में एक उद्योग का लाइसेंस मिला वह गुलाबपुरा पहुंच गया, मुझे इसका अफसोस नहीं है। मेरे पास परवतसर में दस-दस करोड़ की इंडस्ट्री लग सकती है लेकिन किशनगढ़ में नहीं लग सकती है। क्योंकि अजमेर जिला औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा जिला घोषित नहीं है। राज्य सरकार का, माननीय सभापति महोदय, इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कहें, अजमेर जिला सन् 81 की जनगणना में भी पढ़े लिखों की श्रेणी में सबसे आगे है लेकिन पिछले बीस वर्षों में हमारे यहां कोई भी उद्योग, जिसको उद्योग कह सकें, नहीं लगा हैं। परिणामस्वरूप हम बहुत शांति भी रखें, लेकिन पढ़े-लिखे नवयुवक इस तरह सोचते हैं कि आखिर भारत सरकार की घोषणा के हिसाब से एक जिले में औद्योगिक पोटेंशियलिटी होते हुए भी कोई नया उद्योग नहीं लग सकता हैं, किशनगढ़ में पावरलूम उद्योग है, बगैर किसी सहयोग से पूरे दस हजार पावरलूम किशनगढ़ में चलते हैं। पूरे राजस्थान में एक हजार पावरलूम होंगे। इसी तरह से सीमेंट का सबसे बड़ा पोटेंशियल ब्यावर में है। ऊन के उद्योग में केकड़ी और ब्यावर में है। नसीराबाद में ज्यादातर चीनी के बर्तन के रॉ मैटीरियल का बहुत बड़ा भण्डार है और वह सारे हिन्दुस्तान को सप्लाई करता है। उसके बावजूद भी अजमेर औद्योगिक तौर पर पिछड़ा हुआ घोषित नहीं है, परिणामस्वरूप कोई भी उद्योगपति अजमेर में उद्योग लगाने को तैयार नहीं होता है। सभापति महोदय, एक दिक्कत सबसे बड़ी और भी है, जैसा अभी मुझसे पूर्व वक्ता माननीय जोशी जी ने कहा, सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर कोई उद्योगपति छोटा या मोटा उद्योग लगाने भी आये तो उद्योग के लिये भूमि बदलने के बाबत जिलाधीश के पास कागज इतने विलम्ब से जाते हैं, सारे कागज एस. डी. ओ. से सिफारिश होकर जिलाधीश के पास जाते हैं और जिलाधीश से रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक आते 2 कागज खो जाते हैं। बहरहाल उसके परिणामस्वरूप छोटा-मोटा जो उद्योगपति दस पांच लाख का धंधा करने आता है तो देखता है कि कहां फंस गये। और वह कहीं और जगह उद्योग लगाने की बात सोचता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पिछड़े जिले जो औद्योगिक तौर पर घोषित नहीं किये गये हैं, उनको औद्योगिक तौर पर पिछड़ा जिला घोषित किया जाय। इसी के साथ कोआपरेटिव सेक्टर में सबसे ज्यादा औद्योगिक पूंजी लगाने की व्यवस्था राज्य सरकार करे। राज्य सरकार को कुल साढ़े बारह प्रतिशत अपने फण्डस इनवेस्ट करने पड़ेंगे और साढ़े सत्यासी प्रतिशत भारत सरकार या अन्य एजेन्सी के मार्फत प्राप्त होगा, इससे उद्योग धंधे पनपेंगे। राजस्थान में जहां तक औद्योगिक पोटेंशियलिटी का सवाल है, टैक्सटाइल को लीजिये सबसे सस्ता श्रमिक या अन्य किसी भी प्रकार के मैटीरियल को ले लिजिये पूरा अवेलेबल है। इसके साथ साथ जहां तक बिक्री कर का संबंध है, वह भी उद्योगों के साथ पूरे तौर पर संबधित है। कई उद्योग ऐसे हैं कि अगर बिक्री कर का रास्ता थोड़ा ठीक से बैठे तो राजस्थान में उद्योग बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से पनप सकते हैं। जैसे किशनगढ़ की ही बात है, कुल

(श्री केसरीचन्द चौधरी)

दस हजार पावरलूम राजस्थान के किशनगढ़ में हैं। नये पावरलूम पर सेल्स टैक्स नहीं है, पुराने पावरलूम पर दो प्रतिशत टैक्स वसूल करते हैं? राज्य सरकार को इससे सिर्फ नौ लाख रुपये की आमदनी होती है। लेकिन इस बिक्री कर के परिणामस्वरूप किशनगढ़ से थोड़े पावरलूम अभी भी चले गये हैं और थोड़े दिनों में किशनगढ़ से बाहर यू. पी. या अन्य प्रान्तों में चले जायेंगे। मेरा निवेदन यह था कि इन सारी परिस्थियों को देखते हुए दो पर्सेन्ट सेल्स टैक्स को वापस लिया जाय और बिक्री कर को रीशेड्यूल किया जाय जिससे राजस्थान में उद्योग धंधे बढ़ सकें। यह प्रयत्न किया जाय कि बिक्री कर की चोरी नहीं हो और बिक्री कर ज्यादा आये। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो सुझाव रखें हैं राज्य सरकार से आशा करता हूं कि उन पर विचार करेगी।

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): सभापति महोदय, उद्योग और बिक्री कर पर आज विचार हो रहा है। आशा बंधी थी कि मुख्य मंत्री, जो उद्योग मंत्री हैं वह आकर यहां पर विराज रहे हैं, शायद राजस्थान में उद्योगों की जिस प्रकार से दुर्गति हुई है, वह यह कह कर आये थे कि मैं राजस्थान का चहुंमुखी विकास करने आया हूं, राजस्थान का चहुंमुखी विनास कर दिया। सामने बैठे2 सुनेंगे लेकिन दुर्भाग्य है कि वह चले गये। और एक बात और है माननीय प्रद्युम्नसिंह जी को, हमेशा यहां बात होती है, यहां पर बिठा जाते हैं जिस प्रकार महाभारत काल में उदाहरण आया था ××× को आगे करके दूसरों पर आक्रमण किया जाता था, उसी प्रकार उनको आगे किया है। और खुद बचकर बैठे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद.....

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर: ××× के बारे में पूरी जानकारी तो है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी: पूरी है।

सभापति महोदय, सरकार की कोई औद्योगिक नीति नहीं है। जनता पार्टी की सरकार के समय पिछले दो ढाई साल में एक ऐसी माहौल बना था, राजस्थान औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा था। इस सरकार के आने के बाद, नीति विहीनता के कारण, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, नीति विहीनता यहीं से शुरू नहीं होती, उस समय शुरू हुई थी जब देश का औद्योगिक विकास करने की नीति बनाई गई थी। उस समय बड़े उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया गया था। पंडित जवाहर लाल नेहरू, जिनके प्रति सारे देश में बहुत श्रद्धा और सम्मान है, ने देश को लोकतंत्र दिया है, देश को सब कुछ दिया है, महात्मा गांधी में और उनमें एक मूलभूत अन्तर था वह औद्योगिक विकास के बारे में था। पंडित जी मानते थे कि बड़े 2 उद्योग होने चाहिये और देश को उसी ढांचे में घसीटा। राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है, उसकी भी कोई नीति नहीं है। जनता सरकार ने यह तय किया था कि दस लाख से बड़े शहरों के पास में उद्योग नहीं लगाये जायेंगे। उन्होंने यह नीति तय की थी यह जो उद्योग लगाये जायेंगे छोटे उद्योग, लघु उद्योग उनमें जो माल उत्पन्न होता है, उनको बड़े उद्योगों में उत्पादित नहीं करने दिया जाय। इस प्रकार की नीति बनायी थी, इस प्रकार की संरचना की थी। उस समय के माननीय

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मुख्य मंत्री ने भ्रमण किया था, कलकत्ता बंबई बड़े बड़े शहरों में जो जो उद्योगपति थे उनमें भावना बनी थी, चलो अपने घर चलो, राजस्थान चलो, और उद्योगों की वहां गंगा बहाओ, उस समय हवा चली थी, नये नये औद्योगिक क्षेत्र बने थे । ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में औद्योगिक इकाइयों का गठन हुआ था । बड़े-बड़े औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ था । लेकिन सभापति महोदय, दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि राजस्थान में जो वातावरण बना था, वर्तमान सरकार आने के पश्चात् उसकी वह वातावरण इस प्रकार का हो गया है, जिस उद्योगपति ने एप्लीकेशन दे दी थी, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था वह वापस भाग रहे हैं, आज जो उद्योग लगे थे, काम शुरू किया था वह वापस चले गये । इसका कारण है पिछले कुछ समय से लघु उद्योगों का बड़े उद्योगों द्वारा शोषण हुआ है । मैं कहना चाहूंगा पिछला साल, राजस्थान के औद्योगिक विकास के इतिहास में अराजकता, अकर्मण्यता का साल रहा है । पिछले साल राजस्थान में 90 दिन तक कारखानें बन्द रहे । आज तक भारत के इतिहास में देश में कितना बड़ा संकट रहा हो, 90 दिन तक सभी कारखानें बन्द नहीं रहे । सभापति महोदय, राजस्थान में 90 दिन तक लघु उद्योगों को एक दिन भी बिजली नहीं दी गई है, और वह सब उद्योग बन्द पड़े हैं । आज उद्योगों की क्या हालत है । जनता पार्टी का शासन आया । जो वायर पैदा करने वाली दो फैक्ट्रियां थीं, 18 फैक्ट्रियां हुई । बिजली उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां थीं, आज उनकी क्या हालत है ? आज बिजली उत्पादन करने वाली सब फैक्ट्रियां बन्द पड़ी हैं । बिजली बोर्ड ने माल खरीदना बन्द कर दिया है । उत्पादन का काम ठप्प हो गया है । उत्पादन के अलावा, इन्होंने पिछले साल जिस प्रकार बिजली दी उसके कारण मजदूरों की छंटनी हुई है उसके कारण लघु उद्योग बन्द हो गये हैं, उसके कारण मजदूरों में अराजकता का वातावरण पैदा हुआ है । सभापति महोदय, बड़े उद्योगों के साथ सांठ गांठ की गई है । छोटे उद्योगों ने सिर्फ 6 लाख यूनिट बिजली की मांग की थी, कम से कम हमको बिजली मिली, उस समय बड़े उद्योगों को 44 लाख यूनिट बिजली दी गई जब कि छोटे उद्योगों ने 6 लाख यूनिट बिजली की मांग की थी । उनको नहीं दी गई । बड़ी बड़ी टैक्सटाइल मिल हैं, उनको लगातार बिजली मिलती रही, चाहे खेती की बिजली में कटौती की गई हो, या अन्य बिजली में कटौती की गई, लेकिन बड़े उद्योगों की बिजली में कटौती नहीं की गई । मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के बूटासिंह जी आये थे, उस समय कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया था, टैक्सटाइल मिल वालों को बिजली दी गई है, 18-18 घंटे बिजली दी गई, और छोटे उद्योगों की बिजली बन्द कर दी गई । यह अखबारों में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है मेरा कहना नहीं है । यह मेरा कहना नहीं है, एक कांग्रेस के नेता के कथन से साफ साफ प्रमाणित है कि सरकार ने छोटे उद्योगों की बिजली बन्द की, बड़े उद्योगों से मिल कर राजस्थान ढांचे के औद्योगिक को नष्ट करने का षड़यन्त्र किया है । इसमें एक बात और आती है, सभापति महोदय, वित्त निगम राजस्थान का जो है, वह ऋण देता है । लघु उद्योगों को ऋण देता है, सब्सिडी देता है, व विकास करता है । इस वित्त निगम के ढांचे को इस राजस्थान सरकार के आने के बाद जिस प्रकार बिगाड़ा है उसकी मिसाल नहीं है । आकड़े मेरे पास हैं, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । जनता शास

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के समय 34 करोड़ रुपये का ऋण वितरण हुआ था, पिछले साल सिर्फ 20 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया। इसके अलावा सब्सिडी का मामला है। सभापति महोदय, सब्सिडी के मामले पर सरकार मुगालते में रख रही है। दो प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। एक स्टेट सब्सिडी है और एक सेन्ट्रल सब्सिडी है। माननीय प्रद्युम्नसिंह जी आप जानकारी कर लीजिये आपकी सरकार के गठन के पश्चात् एक भी स्टेट सब्सिडी का केस तय नहीं हुआ आज तक सभी फाइलें पैंडिंग पड़ी हुई हैं। सिर्फ केन्द्रीय सब्सिडी की कुछ फाइलें निकाली हैं। यह क्या हो रहा है? केन्द्र से सब्सिडी नहीं ले सकते, लघु उद्योगों के लिये, सब्सिडी राजस्थान का वित्त निगम दे नहीं सकता है। वित्त निगम के अन्दर, गवर्नमेंट की सब्सिडी का फैसला वित्त निगम करता है। इस प्रकार जो सारा का सारा मामला सब्सिडी का है, वह अधरझूल में लटका रखा है। सभापति महोदय, एक भी नये औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। आज तक जनता सरकार के टाईम में जमीन एक्वीयर करने के जितने भी नोटिसेज दिये थे, वह सब फाइलें पैंडिंग हैं। जनता पार्टी की सरकार के जाने के बाद नयी सरकार के गठन होने के पश्चात् एक भी नये औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। जो 52 ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र आने वाले थे उन औद्योगिक क्षेत्रों की हालत वैसी की वैसी पड़ी है, उनका खर्चा दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इस प्रकार से उद्योग कहां से लगायेंगे? नये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र जो बन चुके हैं उनके विकास पर जो खर्चा होना चाहिये था, उस खर्चे में कमी कर दी गई है। जितने लैण्ड एक्वीजिशन के नोटिस दिये हुए थे वन विभाग से लेने के नोटिस दिये हुए थे, वह सब की सब फाइलें अभी तक पड़ी हुई हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। एक तरह से उद्योग मंत्रालय का काम ठप्प हो गया है। इस प्रकार विकास की संभावनाओं का कोई सवाल नहीं उठता। सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं। देश के औद्योगिक विकास की पिछले साल रिपोर्ट आई 10 से 12 परसेंट, इसमें राजस्थान के विकास की गति 3 परसेंट है। यह पिछले साल की नहीं है, यह औसत है। पिछले साल तो राजस्थान के विकास की गति माइनस में है। कोई विकास नहीं हुआ। तो राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं? हम जानते हैं कि कृषि पर विकास की गति आधारित है। कृषि पर इतना बड़ा बोझ है। कृषि पर आपका जो बोझ है उसको उद्योगों को ट्रांसफर कीजिये। ऐसा करने से विकास हो सकता है। हम सब जानते हैं कि जापान जो पिछले दो विश्वयुद्धों में तहस नहस हो चुका था वह औद्योगीकरण के कारण आज विश्व में सीना तान कर खड़ा है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? राजस्थान तो पहले ही पिछड़ा हुआ था। इस सरकार के आने के बाद उद्योगों के आधार पर तो बर्बाद कर दिया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करने जा रहा था कि औद्योगिक क्षेत्रों के साथ-साथ औद्योगिक उत्पादन में भी गिरावट आई है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान स्टेट मिनरल्स एण्ड माइन्स लिमिटेड, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि सफेद हाथी है। उसका एक छोटा सा नमूना पेश करना चाहता हूं। ये कहते हैं कि कंपनी में इतने वर्षों के दौरान बजट सेशन के लिये प्रावधान करने से पूर्व गत वर्ष में 272.73 लाख की तुलना में 74.49 लाख का लाभ हुआ और इतना कम होने का कारण मुख्य रूप से रॉक फास्फेट का कम उत्पादन तथा अति-वृष्टि होने के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह गति है लाभ की। 272 और 74 यानि 200 कम। यह इनकी गति है। और सुनिये, सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त रॉक प्रमाणित करने के अर्थ की कमी से उपकरण उपलब्ध नहीं हो सके जो पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त किये जाने की योजना बनाई थी। और गति का क्या कहूं? न थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू किया जिससे बिजली प्राप्त कर सकते थे, न राजस्थान नहर पूरी कर सकते हैं, न राक फास्फेट के खनन के उपकरण प्राप्त कर सकते हैं तो आखिर करना क्या चाहते हैं, कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं? यह दिशा नहीं है भ्रमित होकर घूम रहे हैं। इसके अलावा गत वर्ष 5.67 लाख मैट्रिक टन की बिक्री की तुलना में इस वर्ष 4,47,099 मैट्रिक टन रॉक फास्फेट की बिक्री हुई। रॉक फास्फेट की बिक्री में कमी, उत्पादन में कमी। लाभों में कमी और यंत्र भी आप प्राप्त नहीं कर सकते और सबसे बड़ी उपलब्धि आप सुन कर हंसेंगे, आश्चर्य करेंगे। लिखते हैं कि माननीय सदस्यों को जान कर प्रसन्नता होगी कि आपकी कंपनी के एक अधिकारी ने यूनेस्को द्वारा रॉक फास्फेट पर आयोजित तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिया। यह सबसे बड़ी सफलता है। इससे बड़ी सफलता कुछ नहीं। इससे क्या खुशी हुई? सारा तो बंटाधार कर दिया आपने। सब विकास की गति अवरुद्ध कर दी और विदेशों में भ्रमण करके आपका अधिकारी आ गया तो प्रसन्नता हो गई। इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है हमारे कागजों में। या तो मुख्यमंत्री जी जयपुर से दिल्ली यात्रा करते हैं या हमारे अधिकारी यूनेस्को की मीटिंग में भाग लेकर आते हैं। इसके अलावा राजस्थान में कोई प्रगति नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी साल में भी राजस्थान में कोई नया उद्योग नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस पार्टी की सरकार आने के बाद लीलैण्ड के कारखाने को छोड़ दीजिये, जिस पर तो पहले से ही बात चल रही थी, कोई भी नया उद्योग राजस्थान में लगाया क्या?

(व्यवधान)

वह आप नहीं लाये, वह तो पहले से ही ...

(व्यवधान)

और नया क्या किया? वह भी बता रहा हूं। चिन्ता मत करो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, बातें न करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, इन्होंने एक ही काम किया कि कैसे ब्लैक-हो, कैसे पैसों में समझौता किया जाय। मैं चार्ज लगाना चाहता हूं, जनता पार्टी के समय में दो सीमेंट फैक्ट्रियों का सारा काम हो चुका था एक ब्यावर में लगने वाली थी और एक नीम का थाना में लगने वाली थी। सिर्फ सरकार के इक्विटी शेयर न देने से, वह इक्विटी शेयर आज भी नहीं दिये गये हैं, मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी सारा दबा कर बैठे हैं और उस पर सांप की तरह कुण्डली मारे बैठे हैं, जब तक सांप के आगे दूध नहीं रखा जायेगा, जब तक सांप को दूध नहीं पिलाओगे तब तक उन फाइलों से कुण्डली नहीं हटेगी। सभापति महोदय, सीमेंट के दो कारखाने किसलिये नहीं लगे? एक तो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सरकार ने इक्विटी शेयर का पैसा जमा नहीं कराया, इस कारण से एड नहीं मिल सकी और राजस्थान से सीमेंट की फैक्ट्रियां नहीं खुलीं।

(व्यवधान)

वह तो बयाना के चुनाव के समय था। कभी बयाना के चुनाव आ जाते हैं कभी वैर के चुनाव आ जाते हैं। सभापति महोदय, उन सीमेंट फैक्ट्रियों का क्या हुआ ? जिन फैक्ट्रियों को लाने का राजस्थान को पूरा का पूरा अधिकार है जो फैक्ट्रियां राज्य सरकार के अन्तर्गत चलनी थीं मेरा आरोप है सरकार इसे टेंजीबिल करे और साबित करे कि उपरोक्त शर्तों पर केन्द्र सरकार ने देने की कोशिश की और करीब-करीब बात इसमें हो गई थी।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सुपर जिंक स्मेल्टर का कारखाना लगने वाला था। क्या हुआ उसके बारे में ? समाचार-पत्रों में खबर छपी थी उसका इन्तजार है। क्या हुए आपके प्रयास ? क्या कार्यवाही की ? कौन सी मशीनरी खरीदने के आदेश दिये, इसकी स्वीकृति प्राप्त की या नहीं ? मैं पूछना चाहता हूं कि सुपर जिंक स्मेल्टर के कारखाने का क्या हुआ ? यह बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में जो स्कीम लगने वाली थी वह राजस्थान से बाहर जा रही हैं।

इसके अलावा गैस पर आधारित खाद का कारखाना, राजस्थान में लगने वाला था, लोक सभा ने भी स्वीकार किया उसका क्या हुआ ? लोकसभा में जवाब दिया गया है सभापति महोदय, दो गुजरात में लगेंगे, दो महाराष्ट्र में लगेंगे और राजस्थान में नहीं लगेगा। इस सरकार ने सबसे बड़ा भारी काम किया वह यह किया है कि बम्बई हाई के रासायनिक बेस पर जो खाद का कारखाना उदयपुर में लगने वाला था, भरतपुर में लगा लेते, धौलपुर में लगा लेते, राजाखेड़ा में लगा लेते, कहीं तो लगाते लेकिन यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वह कारखाना राजस्थान से बाहर चला गया। राजस्थान से बाहर सभी चीजें जा रही है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पहाड़िया जी नहीं जा रहे। एक ही सवाल है पहाड़िया जी को रखना है या कारखानों को रखना है। पहाड़िया जी रहेंगे तो कारखाने नहीं रहेंगे और ये नहीं हटेंगे तब तक कारखाने नहीं नहीं आयेंगे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिनरल पर आधारित कारखानों का क्या हुआ ? पाइराइट्स पर आधारित कारखाना लग रहा था सलादीपुरा में, उसका क्या हुआ ? पाइराइट्स पर आधारित खाद का कारखाना गोसुण्डा में लग रहा था उसका क्या हुआ ? अभ्रक पर आधारित कागज उद्योग का क्या हो रहा है ? ये योजनायें कहां गई ? कौन खा गया ? कोई जवाब देने की परिस्थिति में नहीं है। सरकार विचार करने वाली नहीं, सरकार जवाब देने वाली नहीं, बिलकुल डम्मी है। विचार करने वाले आदमी नीति संबंधी वक्तव्य दे नहीं सकते। माननीय प्रद्युम्नसिंह जी को बहुत श्रद्धा और स्नेह से कहना चाहता हूं कि वे तो केवल वक्तव्य देंगे, नीति निर्धारित करने वाला ऊपर कमरे में बन्द बैठा है, आने जाने के काबिल नहीं, विचार की तो बात ही नहीं। यह हाल कर दिया राजस्थान का।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं ?

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि अगले वर्ष में राजस्थान में इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ेगी। कोटा के थर्मल पावर का काम बन्द होने के बाद उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि अगली मई के सीजन में राजस्थान को 1664 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी और राजस्थान में बहुत अच्छी वर्षा होने के बाद 1100 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 70 प्रतिशत बिजली की कटौती रहेगी। एक भी नया उद्योग नहीं लगेगा। एक भी खेत को बिजली नहीं मिलेगी, और राजस्थान की सारी औद्योगिक गतिविधियों का ह्रास हो जायेगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर में तेल-शोधक कारखाना लगने वाला था जो मथुरा में लग गया। कोई बात नहीं। लेकिन इसमें हमको आश्वासन दिया गया कि इसके सहायक उद्योग सवाई माधोपुर या भरतपुर के क्षेत्र में लगाये जायेंगे। मथुरा में तेल शोधक कारखाना लगा लेकिन उसके 40-50 सहायक उद्योग लगने वाले थे वे भी एक-एक करके उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं। उनका क्या हुआ ? मंत्री महोदय, उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या हुआ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सीकर जिले के बारे में। मेरे जिले की बात कहता हूं जहां बहुत बड़ा पाइराइट्स का कारखाना लगाना चाहिये था। नीम का थाना में सीमेंट का कारखाना लगाना चाहिये था लेकिन पता नहीं, किन कारणों से औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ सीकर जिला है जहां पर एक भी उद्योग नहीं, न राजस्थान सरकार की ओर से, न केन्द्र सरकार की ओर से कोई उद्योग है, न कोई पूंजी निवेश हुआ है। सभापति महोदय, राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन में घाटा है। राजस्थान के सभी उद्योग करीब-करीब घाटे में चल रहे हैं। मेरे पास सारे आंकड़े हैं, सारी बातें हैं सारे तथ्य है मुझे समय दे तो मैं बता सकता हूं कि किस किस उद्योग में कितने-कितने प्रकार का नुकसान हुआ।

इसके अलावा एक बात और है। आपने राजनैतिक बेईमानी देखी होगी, भ्रष्टाचार की बानगी देखी होगी, लेकिन आपने उद्योगों के आधार पर किसी को मुख्य मंत्री पद पर रोटी सेंकते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री, राजस्थान की विधान सभा में आकर × × × बोलें उद्योग धंधों के बारे में, और यह प्रमाण पिछली बार मुख्य मंत्री जी ने वित्त निगम के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए दिया था।

राजस्थान के मुख्य मंत्री ने राजस्थान विधान सभा में × × × बोला, × × × बोला। पिछली बार मुख्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में उद्योगों के बारे में यह कहा था वह प्रतिवेदन मैं पढ़कर सुना रहा हूं। यह दस्तावेज पढ़कर सुनाता हूं ...

एक माननीय सदस्य : यह न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कोई न्यूज पेपर नहीं पढ़ रहा हूं। यह दस्तावेज पढ़ कर सुना रहा हूं। इससे पोल खुल जायेगी आपकी। एक प्रश्न

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी) :

पूछा था कि राजस्थान के अन्दर कितनी पदोन्नति हुई है और विभागीय समिति की बैठक हुई या नहीं हुई। उसका उन्होंने जवाब दिया कि विभागीय समिति की कोई बैठक नहीं हुई और न कोई पदोन्नति हुई है। परन्तु उसी तारीख को यह आर्डर वित्त विभाग का निकला हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि विभागीय कमेटी हुई, और दो व्यक्तियों की पदोन्नति हुई है। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था। इस प्रकार जो झूठ कहा गया है उस पर प्रिविलेज मोशन बनता है। अगर मुख्य मंत्रीजी सुन रहे हों तो इसको दुरुस्त कर लें नियमों के अन्तर्गत। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश होगा।

सभापति महोदय, मैं संक्षेप में यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का औद्योगिक विकास न होकर विनाश हुआ है। राजस्थान के जो प्राइराइट्स के कारखाने थे वे चले गये, राजस्थान में लगने वाले जो जिंक स्मेल्टर के कारखाने थे वे चले गये। राजस्थान का औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। एक प्रश्न मैं माननीय य के सामने रखना चाहता हूं कि अकर्मण्य, निष्क्रिय मुख्य मंत्री पहाड़ियाजी रहेंगे तो बस राजस्थान का विकास नहीं होगा। अगर आप वास्तव में राजस्थान का विकास चाहते हैं तो पहाड़ियाजी को निकालो, राजस्थान को बचाओ। अकर्मण्य सरकार के इस मुख्य मंत्री को हटाओ, नहीं तो राजस्थान का औद्योगिक विकास बंद हो जायेगा। राजस्थान के विकास की गति ठप्प हो गई है। आने वाले समय में राजस्थान का औद्योगिक विनाश हो जायेगा, औद्योगिक विकास नहीं होगा। जितने दिन भी पहाड़ियाजी रहेंगे, राजस्थान को विनाश के कगार की ओर ले जायेंगे।

अन्त में यही निवेदन करता हूं कि सारे राजस्थान का विनाश नहीं हो, इसलिये इस अकर्मण्य और अयोग्य मुख्य मंत्री को हटाओ और राजस्थान को बचाओ ताकि इसका औद्योगिक विकास हो सके। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इतना ही कह कर, सभापतिजी, आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : सभापति महोदय, आज के इस वैज्ञानिक युग में अगर यह देखना हो कि कौनसा राज्य कौनसा देश आगे बढ़ा है, तो हमें अपने उद्योगों के ऊपर नजर डालनी होगी। आज के युग की यह कसौटी है कि कौन औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ा हुआ है। अगर हम इस नजर से राजस्थान की ओर नजर डालें तो हमें कोई खुशी नहीं होगी। उद्योगों के तीन अंग हैं—, पब्लिक-सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और कोआपरेटिव सेक्टर या जोइन्ट सेक्टर। जब पब्लिक सेक्टर की ओर नजर डालते हैं तो सभापति महोदय, तीस वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा जो रुपया लगाया गया है उसमें राजस्थान को कितना प्रतिशत मिला है, यानि पब्लिक सेक्टर में जो रुपया लगा है उसमें राजस्थान को क्या मिला है— एक हजार रुपये के पीछे दो रुपये।

माननीय सदस्य आप मेरी बात सुनेंगे। मैं आंकड़े दे रही हूं। मेहरबानी करके ध्यान दें। आपस में बात न करें।

तो मैं यह निवेदन कर रही थी कि राजस्थान को मिला है हजार रुपये के पीछे दो रुपये यानि दो प्रतिशत नहीं, एक रुपये में एक पैसा नहीं, एक रुपये में एक पैसे का बीसवां हिस्सा, यह मिला है।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

इधर हमारे राज्य में राजकीय उपक्रमों की ओर नजर डालें तो मैं सोचती हूं अंगुलियों पर गिनने लायक हमारी स्टेट के पास ये राजकीय उपक्रम हैं। सबसे बड़ा गंगानगर शुगर मिल है, एक लेदर टेनरीज है, एक धौलपुर का हाई टेक, ऐसे ऐसे दो-चार राजकीय उपक्रम हैं, जो गिनती के हैं। इसी तरह से हम कोआपरेटिव सेक्टर की ओर नजर डालें तो बहुत निराशा होती है। केवल एक-दो लगे हैं। गुलाबपुरा, हनुमानगढ़ और एक-दो और लगे हैं जबकि हम महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश की ओर नजर डालें तो कोआपरेटिव इन्डस्ट्रीज हैं उसके अन्दर शुगर केन के कारखाने चलते हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि केन्द्र के जो नियम हैं, अगर कोई राज्य कोआपरेटिव इण्डस्ट्रीज लगावे तो उसमें साढ़े बारह प्रतिशत ही राज्य को लगाना पड़ता है, बाकी सारा का सारा केन्द्र देता है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगी कि इस ओर ध्यान दें। इस मद में आप ज्यादा से ज्यादा रुपया ला सकें तो कोआपरेटिव सेक्टर में केवल साढ़े बारह प्रतिशत खर्च करने के बाद यहाँ पर कई प्रकार की इण्डस्ट्रीज लगा सकते हैं।

हमारे राज्य का औद्योगिक विकास क्यों नहीं हुआ है? यों तो एक नहीं अनेक कारण हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण है, वह यह है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर हम कायम नहीं कर सके हैं। जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है तब तक औद्योगिक क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास में बिजली कम है, हमारे पास में कोयले की कमी है। हमारे पास में पानी की कमी है और सबसे बड़ी कमी है हमारे पास में रेलों की। कुछ रेलें हैं, छोटी छोटी लाइनें हैं जबकि दूसरे राज्यों के मुकाबले में ब्राडगेज लाइन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसमें पहली जरूरत है इन्फ्रास्ट्रक्चर की। हमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर पहले राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर कायम करना है और अगर हम इन्फ्रास्ट्रक्चर कायम कर सकें तो हमारे उद्योग आगे बढ़ेंगे, चाहे वह पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या और कोई सेक्टर हो। हमें बहुत ही ध्यान देकर इसके ऊपर अपनी ताकत लगानी होगी कि हम किस प्रकार अधिक से अधिक कोयला प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक बिजली प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक स्टील प्राप्त कर सकें और हम पानी की व्यवस्था कर सकें। इसके आधार पर ही हमारे यहाँ पर उद्योगों का विकास होगा।

जब पूरे देश के नक्शे पर नजर डालते हैं तो हमें क्षेत्रीय असन्तुलन नजर आता है। केन्द्रीय सरकार की एक नीति यह है कि क्षेत्रीय असन्तुलन को कम किया जाये। अगर इसको कम नहीं किया जाता है तो जो आगे बढ़े हुए प्रदेश हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता रहेगा, वे आगे बढ़ते जायेंगे और जो पिछड़े हुए राज्य हैं वे बराबर पिछड़े ही रह जायेंगे। आज स्थिति यह है, सभापति महोदय, कि हमारे मुल्क में चार, पांच राज्य बैकवर्ड राज्यों में गिने जाते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश शामिल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि औद्योगिक क्षेत्र की बैकवर्ड राज्यों की जो सूची है उसमें राजस्थान का नाम सब से नीचे है। हमारे मुल्क में औद्योगिक क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य राजस्थान है। इधर हमें एक हजार रुपये के पीछे केवल दो रुपये प्राप्त हुए हैं और उधर हम देखें तो

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत)

हमारी आबादी के हिसाब से हर बाईस के पीछे एक राजस्थानी आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से दसवां स्थान है। इसलिए क्षेत्रीय असंन्तुलन के बारे में हमें अपनी आवाज केन्द्र में उठानी चाहिये। इस हिसाब से, इस अनुपात से हमारे बैकवर्ड राज्य को देखते हुए इन्फा स्ट्रेक्चर में ये चीजें प्राप्त करना हमें निहायत जरूरी है। जैसे बोम्बे हाई से गैस निकल रही है, पर आधारित फर्टिलाइजर के कारखाने बन रहे हैं, सारे के सारे 6 कारखाने हैं। यह पाइप लाइन हमारे राज्य को बिलकुल बीच में चीरती हुई जायेगी। हमारे राज्य को भी यह देना होगा। केन्द्र ने कहा है। हमारे दिमाग में यह होना चाहिये। हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी कि हमारे राज्य को कम से कम दो फर्टिलाइजर के कारखानें मिले। यह आपको और हम को, सब को पूरी ताकत के साथ कहना होगा ताकि हम अपना हिस्सा ले सकें। आप प्रस्ताव रख सकें, अपनी आवाज को बुलन्द कर सकें। सभापति महोदय, यह तो हमें केन्द्र से प्राप्त करने की बात है। अब मैं राज्य सरकार के इन्डस्ट्रीज विभाग के बारे में एक दो बात कहना चाहूंगी। यों तो हमारे देश में राजस्थान, मध्य-प्रदेश और बिहार के बाद में खनिज क्षेत्र में तीसरा नम्बर हमारे राज्य का है। हमारे पास में बहुत खनिज सम्पदा है। हम उसका दोहन नहीं कर सके हैं। इसलिये उसका दोहन करना नितान्त आवश्यक है। हमारे यहां पर कई प्रकार के अलभ्य मिनरल्स है। उनके बारे में मैं एक-दो का जिक्र करूंगी। जो लाइम स्टोन है मांडलगढ़ क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा भण्डार है। आज के समय में जो कारखानें लग हुये हैं उनकी उत्पादन कैपेसिटी 36 लाख मैट्रिक टन है। इसका हम चाहें तो बड़ी आसानी से दुगनी, 30–40 लाख मैट्रिक टन तक बड़ी आसानी से उत्पादन कर सकते हैं। इसके बारे में 10 करोड़ का कारखाना लगाने के लिये, कई उद्योगपतियों ने दरख्वातें भी दे रखी हैं। माननीय सभापति महोदय, लेकिन यह दिक्कत आ रही है कि पानी की कमी है और यह इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार को देना पड़ेगा जिससे कि उद्योग लगाने वाले उद्योग लगायें, आपको इस क्षेत्र में पानी की तरफ ध्यान देना होगा यहां पर सर्वे भी हो चुका है, और कहते हैं कि अण्डर ग्राउन्ड वाटर भी है वह दिया जा सकता है तो फिर सवाल यह आ जाता है इस क्षेत्र में पांच बड़े कारखानें लग सकते हैं, और लगाये जा सकते हैं तो उसके लिये बड़ी रेले लाइन की जरूरत होगी जो कोटा चित्तौड़ लाइन है उसको और इसी तरह से चित्तौड़-उदयपुर की जो छोटी लाइन है उसको बड़ी लाइन में बदलना आवश्यक है। यह बातें होने के बाद ही यह आगे बढ़ सकता है। कोयले का मूवमेंट और अलाटमेंट के ऊपर भी पूरा पूरा ध्यान देना होगा तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, सभापति महोदय, हमारे उद्योग आगे बढ़ सकेंगे। हमारे यहां पर उद्योग पनप सकें इसके लिये रीको की स्थापना की गयी है। इन्वेस्टमेंट और इंडस्टीज लिये पिछले वर्षों में इसने प्रगति भी की है लेकिन मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि जहां तक इसका रुपया देने का फाईनेंस करने का सवाल है वहां तो यह ठीक ढंग से काम कर रहा है उनकी प्रमोशनल एक्टीविटीज की तरफ ध्यान देता है। उनकी प्रमोशनल एक्टीविटीज जो होनी चाहिये वह नहीं हैं जिस तरह अग्रसर हो रही है उसके ऊपर

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)
हमें सन्तोष नहीं है। किसी उद्योग लगाने वाले के पास प्लान है और वह प्लान लेकर रीको में जाता है तो उसको वित्तीय सहायता तो अवश्य कर देते हैं लेकिन प्लान नहीं है तो गाइडेंस नहीं दे सकते हैं, प्लान के लिये कोई रास्ता नहीं बता सकते हैं, अगर उसके पास प्लान नहीं हैं तो कुछ भी देने में असमर्थ हैं। इस समय रीको की स्थिति यह है कि वह केवल वित्तीय संस्था बनकर रह गयी है टैक्नीकली प्रोजेक्ट देने के लिये, फिजीबिलिटी कायम करने या देने में माहिर नहीं है, न उद्यम लगा रही है जितना कि दूसरे राज्यों में है। इस सिल सिले में मैं महाराष्ट्र के सिमकोन का जिक्र करना चाहूंगी। कोई भी व्यवसायी आ जाता है तो उसके पीछे इस तरह पड़ जाते जैसे किसी दुकान में कोई ग्राहक आ जाता है तो दुकानदार सोचता है कि ग्राहक खाली हाथ नहीं चले जाये। इसी तरह कोई उद्योग लगाने वाला आता है तो महाराष्ट्र की संस्था इस तरह का प्लान देती है, मदद देती है, उद्योगपति के घर पर बड़े से बड़ा अधिकारी जायेगा और चाहेगा कि यही पर पूंजी लगाये और उद्योग स्थापित करे, लेकिन यहां पर रीको का मामला उल्टा है। यहां पर कोई उद्योगपति अगर नहीं आयेगा तो बतायेंगे कि यह देंगे लेकिन जब उद्योगपति आ जाता है तो फिर उसको चक्कर लगवाते है।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

मैं पांच मिनट और बात करूंगी। हम उनको ज्यादा से ज्यादा मदद दें, आगे बढ़ायें यह बात तो दूर रही जैसे राजस्थानी भाषा में कहते है घोचे डालने शुरू कर देते हैं, मदद देना तो दूर रहा, आगे बढ़ाना तो दूर रहा और चक्कर लगाते लगाते आदमी परेशान हो जाता है।

इसी तरह आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा के पास विजय नगर गुलाड़ा आदि औद्योगिक बस्तियों बन रही हैं और काफी आगे बढ़ने की गुंजाइश है लेकिन इसमें भी वही दिक्कत आ रही है वहां पर टैक्सटाइल्स मिल वाले 12 करोड़ का एक्सपेन्सन करने को तैयार है यह मंजूर कर रखा है लेकिन मुश्किल वहां भी पानी की है तो यह पानी का इन्फ्रास्टेक्चर सरकार को देना होगा। वहां पर कई व्यवसायिक मंडी गुलाबपुरा; भीलवाड़ा, गुलाडा, विजयनगर हैं उनमें अगर पानी की तरफ ध्यान दें तो ये बस्तियां आगे बढ़ सकती है। ज्यादा से ज्यादा व्यवसायियों को उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं।

दूसरा, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कुछ वर्ष पहले माइका उद्योग राजस्थान में एक चमकता हुआ सितारा था लेकिन 7-8 वर्षों से इसमें गिरावट आ रही है। आज भीलवाड़ा जो भीलवाड़ा नजर आता है उसके पीछे ये माइका की खानें ही हैं जिसमें पिछले वर्षों में काफी गिरावट आयी है लेकिन अब एक नयी बात की ओर ध्यान नहीं दें रहें हांलाकि इसका पहले वाला इन्टरनेशनल मार्केट नहीं है इसका बहुत सारा चूरा पड़ा हुआ है जो वेस्टेज पड़ा है। आजकल एक नयी टैक्नालोजी निकाली गयी है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहती हूं कि यह फ्रांस और वेस्ट जर्मनी और दूसरे इलाके हैं और हमारा माइका का जो कारपोरेशन बिहार में है वह भी इसके लिये सोच रहा है कि इसे काम में लिया जाय, इसकी हम टैक्नोलॉजी इम्पोर्ट करके यहां ले आयें तो हमारी माइक

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

की खानों में जो अनाप शनाप चूरा भरा है वेस्टेज भरा है उसको काम में ले सकते हैं उससे माइका पेपर तैयार होगा, जो पेंट के काम में आने वाला मसाला है वह बनेगा। इससे लाखों लोगों को रोजगार दे सकेंगे, करोड़ों की आमदनी होगी और जो वेस्टेज है उसका सदुपयोग कर सकेंगे। हमारा जो बिहार का कार्पोरेशन है माइका का उससे बात करें या राज्य सरकार सीधी ही बात करे। लाइसेंस दिलायें और सरकारी यानि पब्लिक सेक्टर में लगायें या प्राइवेट सेक्टर में लगायें या फिर जोइंट सेक्टर में लगाय लेकिन हमारी पूरी ताकत होनी चाहिये इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उद्योग हमारे राज्य में लगे जब तक यह हमारे राज्य में नहीं लगेंगे हम पिछड़े रहेंगे आगे व्यवसाय की नजर से नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा पड़ोसी हरियाणा कहां पहुंच गया है पंजाब आगे बढ़ चुका है, जो लाइम स्टोन है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश हमसे आज बहुत आगे है और हम उद्योग की दृष्टि से बहुत पीछे हैं।

एक और आपको सुझाव देना चाहूंगी मीडियम इण्डस्ट्रीज को जो कोयला लेने के लिये इजाजत देते हैं उसको मीडियम ईण्डस्ट्रीज के लिये आप डी कंट्रोल कर दें। आप राजस्थान के स्माल सेक्टर के लिये रखें क्योंकि वह इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन मीडियम इन्डस्ट्रीज हैं उनको कोयला लाने के लिये डी कंट्रोल कर दें इससे राज्य सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन वे वहां से कोयला ले आयेंगे। हमारा जो राजकाज है उसका जो काम चलता है वह व्यवसायी के ढंग से काम नहीं चलता है। राज के तौर तरीकों से चलता है वक्त पर नहीं आता है डी कंट्रोल कर देते हैं तो कोयला वक्त पर मिलेगा और इण्डस्ट्रीज की वायबिलिटी बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा और रोजगार मिलेगा।

अन्त में एक और सुझाव देना चाहूंगी उद्योग लगाने वालों को जमीन की जरूरत पड़ती है तो उसके लिये कृषि की जो भूमि होती है उसका कन्वर्सन कराने की जरूरत पड़ती है। उसका आधा खून तो कन्वर्सन कराने में ही सूख जाता है कैसे कन्वर्ट कराया जाये, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाकर कन्वर्सन होता है। कन्वर्सन करा लेते हैं उसके बाद में लोन लेने के लिये जाते हैं तो उस समय उसको इस भूमि पर लोन नहीं मिलता है कहते हैं कि वह लीज पर मिली है इसलिये जमीन की कीमत का लोन नहीं दिया जाता है इससे क्या होता है कि बड़े उद्योग वालों को तो इन बातों की चिन्ता नहीं होती है लेकिन छोटों के लिये 15-20 हजार रुपये कम हो जाते हैं तो बड़ी परेशानी हो जाती है इसलिए मेरा निवेदन यह है कि पहले तो ऐसे कानून बनायें कि कन्वर्सन हो उसका सरलीकरण होगा और दूसरा इसके ऊपर लोन प्राप्त हो सके ताकि छोटे उद्योगपति स्माल स्केल वाले उसके आधार पर छोटे छोटे उद्योग लगा सकें इन्डस्ट्रीज चला सकें। थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा ज्यादा कर लेंगे तो लोगों को रोजगार मिल सके। सभापति महोदय आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद और मंत्री जी यह ताकत लगायेंगे कि राजस्थान जो सूची में बिल्कुल नीचे है जो अपमान जनक नजर आता है तो वह ऊपर आये। राजस्थान ऊपर आये जो कि आज सबसे नीचे है।

श्री सभापति : श्री नरपतराम!

(अनुपस्थित)

श्री देवदत्त।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : माननीय सभापतिजी, राजस्थान में उद्योगों की क्या स्थिति है और उसके हिसाब से हमारे जिले बाड़मेर में क्या हालत है, इस विषय में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। निवेदन यह है कि आज सारे संसार में एक इण्डस्ट्रियल इम्पीरियलिज्म की होड़ लग रही है। जो लोग कहीं किसी भी प्रकार की इण्डस्ट्री लगाने में सक्षम हो सकते हैं वे उस इण्डस्ट्री को नहीं लगाते हैं तो दूसरे लोग जो संपन्न और ताकतवर होते हैं, वे लोग अपनी इण्डस्ट्री वहां लगाना चाहते हैं यह होड़ सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं, सारे विश्व में चल रही है। हम यह देख रहे हैं कि जितने भी दूसरे उद्योगपति हैं, वे राजस्थान से आगे बढ़े हुए हैं। इसलिये कोई भी उपयुक्त स्थान इण्डस्ट्रीज के लिये हो सकता है तो वह राजस्थान ही है, यह बात दूसरी है कि···

(3.42 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति पदासीन)

अमुक सरकार ने राजस्थान में उद्योगों को नहीं पनपाया। यह सभी सरकारों की भूल रही है कि हमारा ध्यान इस ओर कम गया है। यही कारण है कि बड़े-बड़े उद्योगपति दूसरी जगह बैठ हुए हैं और वहां पर काम हो रहा है। अगर उनको यहां पर अच्छे अवसर मिलते तो निश्चित रूप से अपने उद्योगों को वे यहां पनपाते इस। बात से बचने के लिये कि यहां के लोग उद्योग लगाने के लिए बाहर नहीं जावें, यहीं पर अपने उद्योगों को पनपायें, जैसा कि माननीय सदस्या ने अभी कहा था, हम अपने यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। बड़े-बड़े उद्योगपति हमारे यहां पर आवें और उन सुविधाओं का लाभ उठावें। मैं आपसे इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या है, और हम क्या कर रहे हैं। राजस्थान पीछे रहा है, और विशेषकर हमारा जिला, जो बोर्डर का जिला है। अत्यन्त ही इस मामले में पीछे रहा है। यह बात हमको विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिये कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान पर हमला करे और आप यह अपेक्षा करें कि हम बहादुरी से उसका मुकाबला करें और उसको परास्त करें। एक तरफ तो आप हमसे यह अपेक्षा करते हैं और दूसरी तरफ जहां किसी भी प्रकार के डवलपमेंट का प्रश्न आता है तो आप हमारी उपेक्षा करते हैं, एक तरफ अपेक्षा और दूसरी तरफ उपेक्षा। मैं समझता हूं कि इसमें सामन्जस्य होना बहुत ही आवश्यक है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने हमला किया हमारे यहां पर सड़कें नहीं थीं, हम इसके लिये पहले से चिल्ला रहे थे, नतीजा यह हुआ कि 1965 में हमने मात खाई। फिर यह कहने पर कि हमारे यहां पर अच्छी सड़कें नहीं हैं, राज्य सरकार ने सड़कें बनवाई और 1971 में जब पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर हमला किया तो इसका नतीजा यह हुआ कि हम 50 मील तक अन्दर चले गये। इसी तरह से बॉर्डर पर देखते हैं गलत धन्धें होते हैं, स्मगलिंग होता है, लोग कई तरह का सामान उठाकर लाते हैं। यह न समझिये कि हमारे यहां चीजें आती हैं, चोर के लिये कोई भी सगा नहीं होता जो सामान उधर से लाते हैं तो इधर से ले भी जायेगा। यह लोगों की बुरी आदत है। इस आदत से लोगों को बचाने के लिये यह आवश्यक है कि हम वहां पर इस प्रकार के

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

धन्धे खोलें जो कि गांवों के अन्दर बहुत दूर तक फैल सकें जिससे उन लोगों का ध्यान उन धन्धों की ओर जायेगा। सरकार को यह देखना है कि उस इलाके में दूसरे साधन नहीं हैं जिनसे कि उन धन्धों को वहां पर पनपाया जा सके ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वहां पर ऐसे धन्धे लगाना कठिन है, लेकिन कठिन होते हुए भी और नुकसान उठाकर भी हमको वहां पर यह काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वह बॉर्डर का इलाका है उसको हर दृष्टि से मजबूत करना है ताकि वहां के लोग गलत धन्धे न करें। साथ ही सारे सदन में इस बात को महसूस किया गया कि पश्चिमी इलाका है, वह पश्चिमी इलाका बाड़मेर और जैसलमेर है जहां पर अकाल की छाया हमेशा बनी रहती है। इस अकाल की छाया के कारण वहां के लोगों को कितने ही धन्धों की आवश्यकता रहती है। यदि वहां पर किसी भी प्रकार के उद्योग धन्धे पहले से पनपाये हुए हों तो संभवतःहमारे सामने इस तरह की जो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है वह कठिनाई हमारे सामने खड़ी न हो। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक ओर जहां वह इलाका पिछड़ा हुआ है, दूसरी ओर उस इलाके की देन भी है। वहां पर कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हैं और इस तरह की चीजें हैं, जिनके उद्योग बहुत अच्छे ढंग से लगाये जा सकते हैं जो उद्योग दूसरी जगह आसानी से नहीं लगाये जा सकते। मैं यह निवेदम करना चाहूंगा आज आप देखेंगे तो इस हिसाब से हमारे यहां रंगत का काम होता है। रंगत का हमारे यहां इतना अच्छा काम होता है जो दूसरी जगह आसानी से नहीं हो सकता क्योंकि दूसरी जगह डॅम्प क्लाइमेट होती है। बम्बई इसके लिये उपयुक्त नहीं है अहमदाबाद इसके लिये उपयुक्त नहीं है। वहां से कच्चा सामान आकर बालोतरा और बाड़मेर में रंगत का काम होता है। कारण इसका यह है कि वहां पर डॅम्प क्लाइमेट नहीं है खुश्क क्लाइमेट है और यहां के लोग रंगत का काम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यही नहीं ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं, आज अगर मैं निवेदन करूं हमारे यहां बैन्टोनाइट निकल गया जिसको बारीक करना है दूसरे वातावरण में आसानी से नहीं हो सकता लेकिन जहां पर खुश्क क्लाइमेट है उस जगह यह काम आसानी से किया जा सकता है इसका धन्धा हमारे यहां लगाया जा सकता है। बाड़-मेर उसके लिये बहुत ही उपयुक्त स्थान है। इसके अतिरिक्त मैं आपसे निवदन करूं जिप्सम हमारे यहां निकलता है, हजारों-हजारों टन जिप्सम निकलता है लेकिन उसका कारखाना बिहार में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में जबकि हमारे यहां लिग्नाइट नाम का कोयला निकल गया, हमारे यहां भी ऐसे साधन पैदा हो गये हैं। पानी की कमी बतलाते हैं, ऐसे कूप हमारे यहां निकल गये हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी प्राप्त हो गया है, इस तरह के कारखाने हमारे जिले में सरकार क्यों नहीं लगाती? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम सभी इस बात को महसूस करते हैं कि जितना पशुधन पश्चिमी राजस्थान में है उतना कहीं नहीं है, क्या वहां पर डेयरी की तरह के उद्योग नहीं लगाये जा सकते जिससे कि वहां के पशुधन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सकता है? लेकिन आज तक भी हमने इनकी उन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया यह दुर्भाग्य की बात है। और तो और, हमारे यहां नमक जैसी चीज है जो कि खानों में पड़ी हुई है, खानों में काम करने वाले लोगों को कोई ऐसा उद्योग नहीं दे सकते, वह उसका माल

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

नहीं उठाते वहां वे करें कैसे ? मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी उद्योग मैंने गिनाये हैं उनके लिये हमारे यहां पर बहुत अच्छे साधन हैं। हमारे यहां पर ऊन बहुत पैदा होती है। इतनी अच्छी ऊन पैदा होती है कि आस्ट्रेलिया की ऊन का मुकाबला भी कर सकती है। लेकिन हमारा ध्यान उस ओर नहीं है, ऊन से कितनी ही प्रकार की चीजें बनती हैं, उसकी सफाई का कारखाना वहां पर लगाया जा सकता है। बुनाई का काम गांवों में बहुत बड़ी तादाद में लोग करते हैं इससे लोगों को बहुत अच्छा रोजगार दिया जा सकता है लेकिन हमारा ध्यान उस ओर नहीं है। हमारे यहां जूट पैदा होती है जिससे बनी हुई चीज बाहर ईरान और ईराक में जाती है, लेकिन हमारा ध्यान उस ओर नहीं है, न हमारी सरकार का कभी उस ओर ध्यान गया। इस तरह की चीजों को बनाने के लिये व्यापारी लोग कदम उठायें तो यह धन्धे आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि ऊन की जूट साधारण सी दिखाई देती है लेकिन उससे बहुत सुन्दर चीजें बनाई जा सकती हैं, जो बहुत ही बेशकीमती होती हैं। इसी तरह से हमारे यहां जो सामान प्राप्त होता है उसको देखते हुए हमारी सरकार को प्रयास करने चाहियें। चमड़े के और हड्डियों के कितने ही ऐसे कारखाने हमारे यहां लगाये जा सकते हैं उन कारखानों से ये इलाका सम्पन्न हो सकता है। एक कमी केवल इतने दिनों तक यह रही कि बिजली नहीं है ठीक है बिजली के लिये सरकार ने प्रयत्न किया और दूसरी जगह भी संकट रहा है। अभी सरकार प्रयत्न कर रही है वहां पर 132 के. वी. की लाइन पहुंच जाय। मैं आशा करता हूं कि 132 के.वी. की लाइन वहां जल्दी पहुंच जायेगी। लेकिन जैसा कि हम इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करते हैं, वहां भी डवलप किये जायं, इसलिए हमें चाहियें कि उसके लिए पहले से ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करके रखेंगे और जब समय आ जायेगा, बिजली वहां पहुंच जायेगी। पानी के लिये जैसा कि मैंने निवेदन किया बहुत अच्छे नलकूप वहां पर मिल गये हैं जो कि बाड़मेर को खुद पहले से पानी सप्लाई कर रहे हैं, बाड़मेर को और ज्यादा वहां से सप्लाई किया जा सकता है, गांवों को भी सप्लाई किया जा सकता है, ऐसी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है तो हमें चाहिये कि इन तमाम चीजों का आश्रय लेकर एक प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ें जिससे दूसरे लोग इन्डस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं कर पाए। हमारे यहां कालीन बनाने का काम होता है। इसकी शिक्षा राज्य सरकार ने चालू की थी। मैं चाहता हूं पुनः चालू की जाय क्योंकि यह काम बहुत सुन्दर है। ऐसे बढ़िया कालीन बनाए जाते हैं जो कि विदेशों में हजारों लाखों की संख्या में भेजे जा सकते हैं। इसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। पहले सेन्टर की तरफ से ऐसा केन्द्र खोला गया था। मैं आशा करता हूं आप पुनः इस ओर ध्यान देंगे और सिखाने का काम फिर चालू करेंगे। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज छोटे छोटे कामों को सिखाने के लिये आवश्यक है कोई इस तरह का इन्स्टीट्यूट खोलें जिसमें लड़के दसवीं क्लास पास करके आठवीं क्लास पास करके वहां कामों को सीख सकें। यदि ऐसा कर सकेंगे तो हमारे जिले में भी अच्छी तरह से इन तमाम चीजों का काम हो सकेगा और जो उद्योग पूर्वी राजस्थान में नहीं लग सकते हैं बाड़मेर और जैसलमेर जिले में आप लगा सकते हैं।

लाइम के भंडार की बात कही गई है। जैसलमेर में लाइम बैस्ट क्वालिटी का है,

(श्री देवदत्त तिजाड़ी)

बढ़िया से बढ़िया लाइम माना गया है। वहां सीमेंट का कारखाना लगाना चाहें तो बढ़िया लग सकता है जिससे जितनी मुसीबतें सीमेंट में आ रही हैं वे दूर हो सकती हैं। मेरा सुझाव है इस बारे में यद्यपि सरकार सजग है, इन्स्टीट्यूट खोले हैं, ऋण भी दिये हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में दिये जायं, इस तरह से किया जाय कि उनको इतना नहीं दबाया जाय कि वे ऋण से बिलकुल दब जायं और वापस नहीं दे सकें। ऋण देने का तरीका सुगम बनाया जाना चाहिये। जहां तक सब्सिडी का प्रश्न है वह भी अच्छे ढंग से दी जाये, ज्यादा मात्रा में दी जाय क्योंकि वह उनकी इनीशियल स्टेज होगी। ऐसा करने से हम अपने जिले से न्याय कर सकेंगे।

श्री सभापति : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : सभापति महोदय, मेरे दल के माननीय सदस्य बोले हैं इसलिए मैं ज्यादा न बोलकर संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा। सरकार द्वारा औद्योगीकरण के पिछड़ेपन के लिए कई नई नई बात कही गई हैं। सारे प्रदेश में देश में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं क्योंकि सरकार उद्योग चलाने वालों के निर्देशन पर चलती है, उनके इशारों पर चलती है। इसलिए कौनसा कारखाना राजस्थान से यू. पी. चला गया और यू.पी. से बिहार चला गया, वह बात भैंस के आगे बीन बजाने वाली होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की जो औद्योगिक नीति है वह स्पष्ट नहीं है। पिछड़े लोग जो बेरोजगार हैं, उन बेरोजगार युवकों को आप आगे लाना चाहते हैं उनको आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, सक्षम नहीं हो पा रहे हैं आदमी बढ़ गए हैं, आप उनको अच्छी जगह नौकरियां नहीं दे रहे हैं। आई. ए. एस. में पास नहीं होगा इसलिए नौकरी नहीं दी। अगर वास्तव में गरीबों का भला चाहते हैं उनके प्रति आपकी हमदर्दी है तो औद्योगिक क्षेत्र में आप ईमानदारी से प्रोत्साहन दें लेकिन प्रोत्साहन इस तरह से नहीं कि उनको इतना लोन दिया जायेगा, जमीन अलाट की जायगी सब्सिडी दी जायेगी। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो सब्सिडी की प्रक्रिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर पिछड़े वर्ग का व्यक्ति फैक्ट्री लगाता है तो उसको 25 परसेन्ट देंगे लेकिन जयपुर में अगर कोई लगाये उसको नहीं देंगे यह दोहरी नीति है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बूंदी जिले के हिंडोली या केशवराय पाटन में फैक्ट्री लगाई तो उसका आधार क्या है? हिंडोली में लगाते हैं पानी की सुविधा नहीं, रेल्वे स्टेशन की सुविधा नहीं? आप सब्सिडी देंगे हिंडोली में फैक्ट्री लगाये तो उस व्यक्ति को, कई व्यक्ति आयेंगे इसलिए नहीं लगा पायेंगे फिर कहेंगे तुम अयोग्य हो यह तो बनिए, महाजन और सेठों का धंधा है, आप नहीं चला पायेंगे। अगर वास्तव में उनको देना चाहते हैं तो पिछड़े वर्ग के लोग जयपुर में लगाना चाहते हैं उनको सब्सिडी दें, बूंदी और पाटन में लगाना चाहते हैं उनको सब्सिडी दें, हिंडोली में लगाना चाहते है उनको भी दी जाय लेकिन इतना सरलीकरण किया जाये कि आसानी से सब्सिडी मिल जांय।

मैंने पहले भी निवेदन किया था देवली में एक शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति ने हड्डियों की फैक्ट्री लगाई, आपने सब्सिडी मंजूर

(श्री गोपाल पचेरवाल)

की लेकिन उसकी सब्सिडी उसके लोन में जमा कर दी गई तो फिर आप सब्सिडी देना चाहते हैं बिजली नहीं देते, वर्किंग केप्टिल के लिए बैंक ने लोन नहीं दिया उसकी फैक्ट्री बिलकुल नहीं चली और आपने सब्सिडी मंजूर कर दी उसको लोन में जमा करा दिया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं जितनी भी गुंजाइश कर सकते हैं जितना सरलीकरण ला सकते हैं लाकर उनको आगे लाने के लिए प्रोत्साहन दें। आप उद्योग लगाना चाहते हैं बिजली नहीं देंगे तो आपका कारखाना कैसे चलेगा? इसलिए आपसे विशेष तौर से आग्रह है मैं उस वर्ग का व्यक्ति हूं। आप सेठों की, कोटा में डी. सी. एम. और जे. के. वालों की कटौती कर दें लेकिन पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जो नया कारखाना लगाता है छोटा व्यक्ति नया कारखाना लगाता है उसको विशेष तौर से बिजली दी जायें ताकि वह उस कारखाने को चला सके।

बूंदी जिले में सहकारी शुगर मिल है जब से वह लगी है मैं नहीं कहना चाहूंगा आरोप और प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहूंगा, मिल किन कारणों से अब तक निरंतर घाटे में चलती रही है। अगर आप उचित समझें और आपका जमीर आपको इजाजत देता है तो जांच कराइए वह मिल किन कारणों से पतन की ओर है। अगर सहकारी आंदोलन को आगे लाना चाहते हैं तो जो मिल केंद्रीय सरकार के हाथ में है वह वापस अपने हाथ में लें और उसको जीवित करने के लिए आपको सब्सिडी देनी पड़े और आर्थिक सहयोग देना पड़े या उसमें नए उत्पादन का प्रोजेक्ट लगाना हो जो भी अंधे हों तो लगाइए लेकिन उस मिल को अपने हाथ में लेकर जीवित किया जाये।

डीडवाना में लवण के क्यारे हैं, 1150 क्यारे हैं लेकिन उनमें से 750 जो उत्पादक क्यारे हैं उनके लिए विभाग से आदेश निकला है कि मार्च 31 तक बंद कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनमें वे लोग हैं जो अन्त्योदयी हैं वे गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, छोटे परिवार के लोग हैं तो 1100 में से 750 बंद कर रहे हैं। उनको बंद करने से 12 हजार मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। इसलिए विशेष तौर से वहां के जो लवण उत्पादक हैं जिनको आप बंद करना चाहते हैं, मैं आपके आदेश की कापी पढ़ कर सुना सकता हूं अगर आप उचित समझें या फिर उसकी जानकारी कर लें और उनको जो वापस बंद करने का आदेश दिया है उसको वापस लें और उनके साथ न्याय करें क्योंकि उसमें 12 हजार मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे।

दूसरा, मेरा निवेदन है बूंदी जिले में अभी आपकी जानकारी में है चित्तौड़गढ़ से कोटा रेल्वे लाइन की बात चल रही है। पार्लियामेंट में भी मसला उठा था। केंद्रीय सरकार ने आश्वासन दिया कि चित्तौड़गढ़ से कोटा लाइन निकाली जा रही है उसके लिए काफी तैयारी होती जा रही है। मेरे बोलने का मकसद है मंत्री महोदय आप बूंदी जिले पर कृपा करें। पिछली बार आप नहीं कर पाए हैं या और सरकारें नहीं कर पाई हैं लेकिन इस बार कांग्रेस के तीन विधायक हैं, कम से कम तीन क्षेत्रों को पिछड़ा घोषित करें ताकि उद्योगों को प्रोत्साहन मिले क्योंकि बूंदी जिले की हालत ऐसी है कि वह उपेक्षित है। वहां लाखेरी में अच्छी सीमेंट फैक्ट्री है, केशवराय पाटन

(श्री गोपाल पचेरवाल) -
में शुगर मिल है। हिंडोली की हालत देखिए। कल माननीय सदस्य कह रहे थे कि जयपुर से कोटा जायेंगे तो बूंदी में रुकेगा, नैनवा और हिंडोली में नहीं। वहां बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीबी है, अकाल है, उस जिले को प्रोत्साहन देने के लिए मेरी पुरजोर मांग है कि बूंदी जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित कर प्रोत्साहन दें।

दूसरा निवेदन है कोटा की बेरोजगारी के संबंध में। आज कोटा में बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, राज्य मंत्री को जानकारी है।

सभापति महोदया, मैं माननीय राज्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने कोटा में हाड़ौती के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए मांग की थी। आज कोटा की फैक्ट्रीज में वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है बाहर से आये हुए लोगों को रोजगार दिया जाता है और कोटा के शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर घूमते फिरते हैं। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कोटा में पढ़े लिखे युवक रोजगार को तरसते हैं लेकिन वहां पर उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। सभापति महोदया, मैं यहां पर यह बात इसलिये कह रहा हूं कि जब राज्य मंत्रीजी कालेज में पढ़ते थे तब उन्होंने कोटा के लोगों को कोटा की फैक्ट्रीज में रोजगार दिलाने के लिए आन्दोलन किया था उस समय उन्होंने अगुवाई की थी। मैं उनको उनकी पुरानी भूमिका जो उन्होंने निभाया था उसे याद दिला रहा हूं। आज वह सरकार के अन्दर बैठे हैं। अब इस हाल में भी कोटा के नौजवानों जो कि शिक्षित हैं बेरोजगार हैं उनको रोजगार वहां नहीं दिलायेंगे तो मैं समझूंगा कि उनका फिर राज्य सरकार में आना कोई सार्थक नहीं होगा। आपने चूंकि कोटा के शिक्षित युवकों के लिये रोजगार के लिये लड़ाई लड़ी थी उनके लिये आन्दोलन भी किया था इसलिये कह रहा हूं कि आप कोटा के औद्योगिक क्षेत्र में कोटा के युवकों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था करावें। सभापति महोदया, वहां पर यह हालत है कि कभी जब वहां पर यू.पी. का मैनेजर आता है तो यू.पी. वाले दस बारह युवकों को भर देता है। और जब आसाम का कोई जनरल मैनेजर आता तो वह दस आदमी आसाम वालों को रख लेता है और जो कोटा के पढ़े लिखे युवक हैं उनके लिये रोजगार वहां कोई नहीं अभी तक मिल पा रहा है। इसलिये मेरी उन्हें पुरजोर शब्दों में मांग है कि आप कोटा की फैक्ट्रीज में कोटा के पढ़े लिखे युवकों को नौकरी दिलावें। दूसरी बात बूंदी जिले को आप पिछड़ा क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से घोषित कराने की व्यवस्था करावें।

श्री **सभापति** : श्री बुलाकीदास कल्ला !

श्री **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : सभापति महोदया, आज सदन में मांग संख्या 42 और मांग सख्या 14 पर बहस चल रही है। मैंने भी इन मांगों पर अपने कटौती के प्रस्ताव रखे है। मैं उन कटौती प्रस्तावों के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हुआ अपने विचार रख रहा हूं। सभापति महोदया, राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है और यहां के लोगों का मुख्य धन्धा पशुपालन और कृषि है परन्तु सभापति महोदया, किसी भी राज्य के आर्थिक विकास के लिये औद्योगीकरण होना बहुत आवश्यक है। हमारे प्रान्त में सभापति महोदया, प्रचुर मात्रा में कच्चा माल और खनिज पदार्थ तथा पशु धन तथा सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। फिर भी राज्य में औद्योगिक विकास

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अन्य प्रान्तों का तुलना में बहुत ही मन्द गति से हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है इसके बारे में हमें विचार करना जरूरी है।

सभापति महोदया, किसी भी प्रान्त के औद्योगिक विकास के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता होती है केन्द्रीय सहायता की और हमारे राज्य में केवल 6 जिलों को ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना जाता है जबकि समूचा राजस्थान ही पिछड़ा हुआ घोषित किया जाना चाहिये जैसा कि इस बारे में हमारे मुख्य मंत्रीजी समय-समय पर केन्द्र में इसके लिये आवाज बुलन्द करते रहते हैं। सभापति महोदया, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, नागौर और भीलवाड़ा यह 6 जिले हैं जो कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए माने गये हैं। इसके अलावा हमारे राजस्थान में विशेष तौर से बीकानेर, गंगानगर, बूंदी और अन्य जिले हैं जैसे झालावाड़ जो कि औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। इनको भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला घोषित किये जाने की श्रेणी में रखा जाना चाहिये। आज विभाग से इन जिलों को केन्द्रीय अनुदान नहीं मिलता है और न ही खुद उनको अनुदान उपलब्ध करवाता है। आज विभाग उद्योगों को जो अनुदान देता है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। जैसे शहर के इलाके में अगर कोई उद्योग लगाता है तो उसको अनुदान नहीं दिया जाता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाता है। इसका भी मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि बीकानेर नगर परिषद् की सरहद से करीब पांच किलो मीटर दूरी पर एक बीकवास है जहां औद्योगिक केन्द्र खुलने वाला है वहां पर करीब 800 उद्योग लगेंगे। उन उद्योगों के लगाने के लिये लोगों को भूमि आवंटन होने वाला है लेकिन अभी तक विभाग ने इसके लिये कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिये हैं कि यह क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र घोषितकर दिया है। सभापति महोदया, बीकवास बीकानेर से पांच किलो मीटर दूर है। सभापति महोदया, यह केवल बीकानेर का ही सवाल हो वह बात नहीं लेकिन राजस्थान के समस्त जिलों को, औद्योगिक दृष्टि से विकास करने के लिये उन 20 जिलों जिन्हें कि अनुदान नहीं मिलता है को भी अनुदान दिलाने के लिये केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को विशेष रूप से प्रयास करने चाहियें। जिन जिलों को केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिलता है उनके लिये प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार को चाहिये कि वह अपने यहां अनुदान दे और उनका औद्योगिक दृष्टि से विकास करना चाहिये। सभापति महोदया, औद्योगिक दृष्टि से विकास के लिये पांच चीजें होनी चाहिये। कच्चा माल, भूमि, श्रमिक, साहसिक और संगठन। हमारे राज्य में तीन चीजें उपलब्ध हैं लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहां पर साहसियों की कमी है। सभापति महोदया, आज आपको न केवल हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में बल्कि विश्व के प्रान्तों में हमारे राजस्थान के उद्योगपति मिलेंगे। सभापति महोदया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जूरिस्ट ने अपनी पुस्तक इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट में यह उल्लेख किया है कि हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जहां मारवाड़ी समाज के लोग बहुत बड़े साहसी हैं वे न केवल भारत में ही बल्कि लेटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में विद्यमान हैं। लेकिन आज राजस्थान के वह लोग राजस्थान में उद्योग नहीं लगाते हैं उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि राजस्थान में जो उद्योग विभाग है उसमें तारतम्य का अभाव है। वहां पर एक विभाग भूमि आवंटन करता है

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

और दूसरा विभाग कच्चा माल आवंटन करता है। इसके लिये सभापति महोदया, मेरा मंत्री महोदय से यह सुझाव है कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जानी चाहिये वह साहसी उद्योगपतियों को और लघु उद्योग लगाने वालों को सारी सुविधायें एक साथ उपलब्ध करावे। इसलिये विभाग से आग्रह करूंगा कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाये वह एक महीने में एक बार निश्चित रूप से समयबद्ध कर्यक्रम बनाये। जो लोग साहसी हैं उद्योग लगाने वाले हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर एक साथ एक ही बार में सभी सुविधाएं समान रूप से मुहैया करवाये, जैसे एक साथ कच्चा माल दिया जावे, एक साथ भूमि का अलॉटमेंट किया जावें ताकि उन लोगों को किसी भी प्रकार की चीज के लिये असुविधा नहीं हो और अगर उसमें कोई असुविधा होती हो तो वह उच्च स्तरीय समिति उसका समाधान करें। महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में इस प्रकार की व्यवस्था है। वहां पर हर माह में एक बार उच्च स्तरीय समिति की मीटिंग होती है मंत्रिमण्डल स्तर पर वहां समय-समय पर बैठक होती है और वह उच्च स्तरीय समिति वहां पर एक साथ बैठ कर लोगों को सारी सुविधायें एक साथ उपलब्ध करा देती है। आज राजस्थान में दो वर्ष तक न तो उद्योगपतियों को भूमि अलॉट होती है और कभी कभी तो 15-15 साल तक भूमि अलॉट नहीं होती है। यही कारण है कि आज हमारे राजस्थान के उद्यमी राजस्थान के बाहर आसाम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में अपने उद्योग लगाते हैं। यहां पर हमारे प्रवासी राजस्थानी उद्योगपति आते हैं लेकिन समय पर सुविधायें उपलब्ध नहीं होने के कारण वह लोग आकर वापस यहां से चले जाते हैं। आज राजस्थान का औद्योगिक विकास मंथर गति से हो रहा है वह इसी तरह से चलता रहेगा। अगर हम राजस्थान का औद्योगिक विकास सही मायने में द्रुत गति से करना चाहते हैं और अगर आप यहां लोगों को रोजगार की व्यवस्था करना चाहते हैं तो आपको उद्योगपतियों को आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना पड़ेगा। इससे राजस्थान की राजस्व में अभिवृद्धि होगी। इसलिये आवश्यक है कि आवश्यक वस्तुओं को समय पर मुहैया कराया जाये। राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिये अन्य माननीय सदस्यों ने यहां पर बताया कि हमें इसके लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। आज बिजली की कमी हमारे यहां पर आ रही है इसके लिये हमें पहले सोचना पड़ेगा और हमें हमारे स्वतंत्र स्रोत बिजली के लिये तैयार करने पड़ेंगे। आज हमारे पलाना में लिगनाइट के स्रोत हैं, इसकी बहुतायत है अगर लिग्नाइट से बिजली बनाकर सप्लाई की जाय तो वहां से 16 जिलों को बिजली प्रदान की जा सकती है। इसके लिये हमें रीको से बात करनी चाहिये। उद्योग विभाग, रीको से बात करके जोइन्ट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में यहां पर बिजली उत्पन्न करने की व्यवस्था को सर्वप्रथम हाथ में लेना चाहिये। क्योंकि बिजली हमारे विकास के कार्यों के लिये बहुत आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त जहां-जहां भी खनिज पदार्थ हैं वहां पर उन खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग लगाये जाने चाहिये। जैसे झामरकोटड़ा में रॉक फास्फेट की बहुतायत है तो वहां पर रॉक फास्फेट के उद्योग लगाये जाने चाहिये। इसी तरह बीकानेर में जिप्सम से दो करोड़ रुपये की राजस्थान को आय होती है उसके

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

लिये वहां खाद का कारखाना खोला जाना चाहिये । प्रति वर्ष सरकार मे इस बारे में मांग की जा रही है लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने वहां पर खाद का कारखाना नहीं लगाया। इसलिये मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर में खाद का कारखाना लगाया जाये, केन्द्रीय सरकार से अनुमति तुरन्त लेकर लगाया जाय ।

इसके अलावा, सभापति महोदया, बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मण्डी है । वहां पर वूलन मिल एक तो राजकीय थी, पब्लिक सेक्टर में वह भी एक नीजी उद्योगपति ने ले ली है और उसको अपने फायदे के लिये इस्तेमाल कर रहा है । वहां पर वूलन मिल मजदूरों की हालत बहुत खराब है मजदूरों का शोषण हो रहा है। इसके अलावा बीकानेर में वूलटोप्स का कारखाना खोला जाना चाहिये । सभापति महोदया, यह वर्षो पहले ही खोल दिया जाना चाहिये था पर अभी तक नहीं खोला गया है। वहां के इलाके की मांग है कि वुलटोप्स का कारखाना जल्दी से जल्दी खोला जाये।

मैं यह आग्रह करूंगा कि बीकानेर में ऊन आधारित वूलटोप्स का कारखाना रीको द्वारा प्राइवेट सैक्टर में या पब्लिक सेक्टर में खोलकर इस इलाके के लोगों को रोजगार मुहैया करायें।

इसके अतिरिक्त बीकानेर में राजस्थान कैनाल के विकास के कारण कमाण्ड एरिया डवलपमेंट के कारण कागज का उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में खोला जा सकता है । इसके बारे में विभाग को प्रयास करने चाहिए । बीकानेर चूरू और गंगानगर में कृषि का उत्पादन बहुत होता है लेकिन कृषि पर आधारित उद्योग बीकानेर में नहीं है । यहां पर गम फैक्ट्री व तेल फैक्टरी और शुगर मिल सहकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक लगाई जानी चाहिए और उसके बारे में विभाग को उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए । रीको जहां इस विभाग के अन्तर्गत कई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है मैं कहना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में वर्ष 1979-80 में 755.54 एकड़ भूमि और 80-81 में 679.53 एकड़ भूमि को अपने प्रयास से अपने अन्तर्गत लिया है इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन प्रश्न यह उठता है कि रीको को राज्य सरकार ने इस वर्ष 31 करोड़ रुपया विकास के लिये दिया है और राजस्थान की इस समय जनसंख्या 3 करोड़ 49 लाख के लगभग है ऐसी स्थिति में यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है । रीको के माध्यम से यदि उद्योगों का विकास चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह राशि 31 करोड़ की न होकर 350 करोड़ की होनी चाहिए । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसके लिए डिबेन्चरर्स, बाण्ड जारी करने चाहिए जिससे उद्योगों के विकास में लगे हुए मेहनतकश मजदूर इस राशि को प्राप्त कर उद्योगों के विकास के लिए लगा सके ताकि राज्य में एक और मेहनतकश को रोजगार मिल सके और दूसरी ओर राजस्थान के उद्योगों का विकास हो सके ।

रीको के द्वारा टेलीविजन के क्षेत्र में और इलेक्ट्रोनिक के क्षेत्र में जो कार्य किये गये हैं वह सराहनीय हैं परन्तु इलेक्ट्रोनिक क्षेत्र में अभी भी कार्य की बहुत गुंजाइश है इसके लिए और अधिक राशि रीको को दी जानी चाहिए ।

सभानेत्री महोदया, राजस्थान लघु

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उद्योग निगम कच्चे माल का वितरण करता है लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि इस विभाग के जो अधिकारी हैं वह समय पर और समानता के आधार पर वस्तुओं का वितरण नहीं करते हैं। लोहे और मोम का वितरण उन लोगों के बीच में किया जाता है जो कि सम्पन्न लोग होते हैं। हमारे बीकानेर, नागौर, चूरू और झालावाड़ के जो लोग हैं जो अल्पसंख्यक जाति के लोग हैं, वह लुहार यानि ब्लैकस्मिथ का काम करते हैं उन लोगों को लोहा समय पर नहीं मिलता है। मिलता है तो बहुत कम मात्रा में मिलता है क्योंकि वह अनपढ़ हैं। दूसरी बात यह है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी की कमी है। इस कारण से उनको समय पर यह चीजें नहीं मिलती हैं। बीकानेर में सिवालयों को 100 बोरी मोम मिलता है तो दूसरी ओर मानकचन्द को एक वर्ष में 10 बोरी मोम मिलता है। वह भी पीला मोम मिलता है। इस सम्बन्ध में उद्योग विभाग के अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि इसके लिये समान वितरण की व्यवस्था करें और इनकी कैपेसिटी के आधार पर वितरण व्यवस्था चालू रखें।

बीकानेर में उद्योगों की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। बीकानेर में लकड़ी की बहुत कमी है लेकिन मैं, सभानेत्री महोदया यह कहना चाहूंगा कि इस रेगिस्तान के इलाके में 500 टन लकड़ी रोज जल रही है। हमारे उद्योग विभाग द्वारा बीकानेर की आवश्यकता की तुलना में केवल 11 प्रतिशत कोयला ही दिया जाता है। इसके कारण से पहले से ही बीकानेर में रेगिस्तान है और अधिक रेगिस्तान बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में कोयले की मात्रा बीकानेर में अधिक दी जानी चाहिए।

बीकानेर में सीमेंट की आवश्यकता है। एक महीने में 500 टन की वहां आवश्यकता है। राजस्थान में प्रतिदिन 5 हजार टन सीमेंट बनता है लेकिन बीकानेर की आवश्यकता एक महीने में 500 टन की है उसकी भी पूर्ति विभाग नहीं कर रहा है। इसलिए समय पर सीमेंट और कोयला पार्टियों को मुहैया कराया जाना चाहिए। बीकानेर में अभी पिछले दिनों में पोटाश निकली है। इसमें भी विभाग को दूर गामी योजना बनाते समय यह देखना चाहिए कि इन इलाकों में जो खनिज पदार्थ मिलते हैं उनके ऊपर आधारित उद्योग लगाये जाने चाहिए।

इसके अलावा अब मैं मांग संख्या 14 पर अपने संक्षिप्त विचार रख रहा हूं। सभानेत्री महोदया जी, दो प्रकार के कर अपने देश में प्रचलित हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। राजस्थान प्रत्यक्ष कर वसूल करता है जिसको बिक्री कर के नाम से जाना जाता है। बिक्री कर का भार सदैव व्यवस्थित कर दिया जाता है अर्थात् जो व्यक्ति बेचता है उस पर कर भार नहीं पड़ता है और जो वस्तु को खरीदता है उस पर कर का भार डाल दिया जाता है लेकिन बड़ी विडम्बना की बात है कि राजस्थान में पिछले 9 वर्षों से वूल और वूलटाप दो अलग-अलग चीजें मानी जाती हैं। मैं समझाना यह चाहता हूं कि जिस प्रकार से कपास और कपास की पूनी एक ही चीज है उसी प्रकार से ऊन और ऊन की पूनी एक ही चीज है लेकिन ऑडिट आब्जेक्शन के कारण से विभाग की बिना सलाह से राज-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

स्थान में पिछले 9 वर्षों से यह विवाद विचाराधीन है और संबंधित लोगों ने अपना कर 9 वर्ष से बराबर भरा है। पूरे राजस्थान में और समूचे देश में ऊन और ऊन की पूनी को एक जैसा माना जाता है लेकिन दोहरी बिक्री कर नीति के कारण आज बीकानेर की ऊन की मण्डी, जो ऊन की सबसे बड़ी मण्डी मानी जाती है उसकी दशा ऐसी हो गयी है कि वह कभी भी बन्द हो सकती है। करीब 15 हजार मजदूर इस कार्य में लगे हुए हैं। यह मण्डी कभी भी समाप्त हो सकती है और यह सारे के सारे लोग अपने रोजगार से वंचित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में विभाग को यह तय करना चाहिए कि अगर आपकी सलाह के अनुसार, आपकी नीति के अनुसार काम नहीं होता है और एक महत्वपूर्ण वस्तु जिसको विभाग वर्षों से एक मानता आ रहा है को आपने एक ऑडिट आब्जेक्शन के आधार पर अलग करके दोहरा कर लगाया है वह गलत है। इसको एक जैसी मानकर जैसे पहले टैक्स लिया जाता रहा है वैसे ही टैक्स दिया जाता रहना चाहिए। इस संबंध में मैं सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आपको कोट करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पाइन एपल और पाइन एपल जूस को एक जैसा माना है और यह निर्णय दिया है कि इसमें कोई किसी प्रकार का अन्तर नहीं है तो फिर ऊन और ऊन की पूनी अलग अलग कैसे हो सकते हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा राज्य में खण्डसारी के ऊपर दोहरा विक्रय कर लगाया गया है लेकिन विभाग को इस संबंध में अपील की गयी थी तो दोहरा विक्रय कर समाप्त कर दिया गया था। यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि जब विक्रेताओं ने कर ही वसूल नहीं किया है तो वह 9 वर्ष बाद इस रैकर को कैसे भरेंगे ? इसलिए विभाग को इस संबंध में सिम्पेथेटिकल कन्सीडरेशन के आधार पर पुरानी कर नीति में संशोधन करना चाहिए और नये सिरे से आप जो भी कर लगाते हैं उससे विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

मैं यहां पर बिक्री कर विभाग द्वारा बकाया करों की वसूली के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। चालू वर्ष में 432.95 करोड़ रुपये के पुराने कर और नयी मांग के अनुसार 905.11 लाख के कर की रकम बकाया है। यह राशि बहुत अधिक है। इन बकाया करों की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। मनोरंजन कर का भी लगभग 5 लाख रुपया बकाया है इसके लिए भी विशेष प्रयास करने चाहिए। विभाग के पास 13638 अपीलें विचाराधीन हैं इनका भी निपटारा करने के लिये विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। मैं पुनः यह आग्रह करता हूं कि राजस्थान में बिक्री-कर की मात्रा अन्य प्रान्तों की तुलना में कम है। तमिलनाड, केरल और आन्ध्र प्रदेश में बिक्री कर 200 से लेकर 256.8 रुपया प्रति व्यक्ति है जब कि राजस्थान में यह केवल 156.7 रुपया प्रति व्यक्ति कर भार है। इसलिए राजस्थान में विलासिता की वस्तुओं के ऊपर, बड़े और सम्पन्न लोग जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं जैसे कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स, हीटर्स और सिगरेट आदि मादक वस्तुएं हैं उनके ऊपर बिक्री कर हमारे यहां बढ़ाया जाये ताकि राजस्व

(श्री बुलाकीदास कल्ला)
प्राप्ति अधिक हो सके और वह पैसा राज्य के विकास के काम में लाया जा सके ।

जयहिन्द ।

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला ।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : सभापति महोदया, मैं सबसे पहले तो यह निवेदन करूंगा कि हम सारे मसलों को बैठकर देखते है, लेकिन मुझे अफसोस है सभापति महोदया, आपने कितने बढ़िया सुझाव यहां दिये थे लेकिन उद्योग मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं। आपने जो सुझाव दिये उनका उत्तर कौन दे ? कल भी जब जल प्रदाय की मांगें थीं हमको यह कहा गया था कि पहले मंत्री महोदय को बोलने दिया जाये, क्लेरीफिकेशन्स बाद में दिये जायेंगे । हमारे ऊपर 8 करोड डालर का अमरीका का वर्ल्ड बैंक का कर्जा है। उसके बारे में हम सवाल पूछना चाहते थे और भी कई बातें थीं वह सब बातें यों की यों रह गई । मैं आपसे, सभापति महोदया, अनुरोध करूंगा, आज मैं मानकर चलता हूं कि उद्योग और बिक्री कर के जो विभाग हैं . .

श्री दाऊदयाल जोशी : आपका भाषण सुन कौन रहा है ? आप जो कह रहे हैं वे भी नहीं सुन रहे हैं। दो मंत्री जी है, दोनों ही बातों में मशगूल हैं ।

श्री **वीरेन्द्र प्रताप सिंह** : भैंस के आगे बीन बजाना है । आपकी सरकार कितनी जागरुक है ।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : सभापति महोदया, मैं यह अनुरोध कर रहा था कि हम जिन बातों के बारे में बात करते हैं, सदस्यगण बड़ा समझकर, पढ़-लिखकर, लोगों से संपर्क कर अपनी बातें यहां कहने के लिये आते हैं और कहते हैं । उन बातों का जब उत्तर नहीं मिलता, रटे रटाये जवाब जो सूचनायें रात को उपलब्ध होती हैं वही सूचना यहा पर हमको सुना दी जाती हैं, उसके बाद हमारा मन मर जाता है । माननीय सभापति महोदया, मैं खुद मानता हूं आपने जिस प्रकार यह कहा 0.2 पर्सेन्ट यहां पर सेन्ट्रल का इनवेस्टमेंट है, यहां के उद्योग धन्धों के लिये । कौन प्रयत्न करता है उद्योग लगाने के लिये ! अभी थोड़े दिन पहले मैं दिल्ली गया था ? मैंने उनसे अनुरोध किया आप कारखाने दीजिये । कैसे कारखाने ? हिन्दुस्तान जिंक और हिन्दुस्तान कॉपर के अन्दर एक करोड़ रुपये का रोज घाटा हो रहा है। आप वहां पर बिजली उपलब्ध नहीं करा सकते । आप और कारखानों की बात करते हैं . . .

अनेक माननीय सदस्यगण : शेम, शेम ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब यह शेम वाली बात नहीं है । आपके जमाने में भी ऐसा था । आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो, ऐसी स्थिति आपकी भी नहीं रही है . . . .

(व्यवधान)

क्यों परेशान हो रहे हो । अपनी-अपनी बात कह लेने दो भाई ।

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर बना दो, शांति हो जायेगी ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह बात ठीक है जो आप कह रहे हैं। हमारी पार्टी का हर आदमी मिनिस्टर है। आप यह मानकर चलें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : इन्हें बोलने दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो अव्यवस्था का प्रश्न कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : सभापति महोदया, आपसे निवेदन है कि सदन का अमूल्य समय घोटाला वाले ने भाषण देकर खराब कर दिया, इनके समय में से समय काटा जाये। यह कोई बात है? यह भाषण है क्या?

श्री सभापति : आप बेकार का पाइन्ट ऑफ आर्डर कर रहे हैं, आपके समय में से समय काटा जायेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे अनुरोध कर रहा था अभी जो माननीय सदस्य ने फर्माया, मैं तो समझता हूं बिना आंखों के अन्धे को नैनसुख कहते हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह घोटाला वाला शब्द जो इन्होंने कहा है, इसको कार्यवाही से निकाला जाये .....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह उप नाम है।

श्री सभापति : अगर गोटवालाजी को एतराज नहीं तो मुझे क्या एतराज है?

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदया, मुझे एतराज तो बहुत है पर मेरे में बर्दाश्त करने की ताकत है और मैं समझता हूं जो घोटाला करते हैं व यदि कुछ भी कह दें, मैं बुरा नहीं मानता।

सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन कर रहा था बिक्री कर के संबंध में और उद्योग विभाग के संबंध में मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि दो लाख की जिनकी बिक्री होगी उनको असेसमेंट कराने के लिये सैल्स टैक्स ऑफिसर के सामने, सी. टी. ओ. के सामने नहीं जाना पड़ेगा और ठीक इसी तरह की घोषणा इनकम टैक्स के बारे में केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री वेंकटरमन साहब ने सेंटर में की थी कि 25 हजार तक की आमदनी वालों को असेसमेंट करवाने के लिये नहीं जाना पड़ेगा। आज मुझे यह कहते हुए तकलीफ होती है कि वहां पर जो फैसला किया उसके लिये अलग से अधिकारी नियुक्त कर दिये और 25 हजार की ऊपर की आमदनी के केसेज को लेकर निपटा दिया। यहां सब कुछ नहीं किया गया। आज स्थिति यह है जिनकी दो लाख की बिक्री है उनको असेसमेंट करवाने के लिये परेशान होना पड़ रहा है और वेंकटरमन साहब ने पार्लियामेंट में यह स्वीकार किया है कि हमने जो छूट दी थी 25 हजार का असेसमेंट बिना बही खातों के पार्टियों को बिना बुलाये कर दिया उससे हमारी आमदनी बढ़ी है। उन्होंने यह कहा कि इससे बड़े

(श्री श्रीराम गोगेवाला)

केसेज में ध्यान देने के लिये हमें टाइम मिल गया है। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं, मुख्यमंत्रीजी ने घोषणा की थी उसके बारे में होना यह चाहिये था जैसे इनकम टैक्स के लिये 25 हजार की आमदनी तक के केसेज के लिये अलग अधिकारी नियुक्त कर दिये, दो लाख तक की जिनकी बिक्री है उनके असेसमेंट भी अलग हो जायें तो मैं समझता हूं जो उन्होंने घोषणा की है वह पूरी हो जायेगी, और इस समय जो विसंगतियां चल रहीं हैं वह विसंगतियां दूर हो जायेंगी। इस बिक्री कर के बारे में अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले, जो बीकानेर से आते हैं कल्ला साहब, ने जो सैल्स टैक्स की रेट बढ़ाने की बात कही है, सभापति महोदया, मैं अनुरोध करता हूं यदि राजस्थान में बिजनेस को, इण्डस्ट्रीज को पनपाना है तो हमको इस बात को देखना पड़ेगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिस प्रकार से सेन्ट्रल सैल्स टैक्स के अन्दर दिल्ली में वहां का सामान बाहर से मंगाना है और बाहर भेज देता है, वहां केवल एक पर्सेन्ट टैक्स लगता है, यहां की तरह 4 पर्सेन्ट सैल्स टैक्स नहीं लगता। उनके आंकड़े हैं। वहां पर उन्होंने छूट दी उनकी आमदनी ज्यादा बढ़ी है। पड़ोसी राज्यों में जो सैल्स टैक्स है राजस्थान में उससे ऊंचा सैल्स टैक्स नहीं होना चाहिये। इसी का यह परिणाम है। राजस्थान के अन्दर फर्नीचर के ऊपर 12 पर्सेन्ट टैक्स है और दिल्ली में 9 पर्सेन्ट है। आपके यहां के बहुत सारे लोग सारे आइटम्स दिल्ली से खरीद लाते हैं। 3 पर्सेन्ट की बचत, सभापति महोदया, बहुत बड़ी बचत होती है और तीन पर्सेन्ट की बचत के नाम पर राजस्थान की इण्डस्ट्रीज पनप नहीं रही हैं। एक कन्डीशन राजस्थान की इण्डस्ट्रीज के बारे में निवेदन करता हूं। राजस्थान सरकार ने सी. एस. पी. ओ. नाम का आर्गेनाइजेशन बना रखा है और यह तय कर रखा है कि राजस्थान के अन्दर जो माल बनता है वह और कहीं दूसरी जगह से नहीं खरीदेंगे। राजस्थान स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को उन्होंने इस बात के लिये तय कर रखा है कि यह आइटम्स स्केल स्माल इण्डस्ट्रीज से खरीदेंगे। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का आॅर्डर है सेन्ट्रल स्टोर्स पर्चेज आर्गेनाइजेशन का, उस में साफ लिखा है:

Stores should be divided into following two groups-(1) Items which can be purchased entirely from small scale industries units as per Schedule,

और उस शिड्यूल 1 के अन्दर लिस्ट दी गई है, और उसके अन्दर बारबेड वायर भी है। लाखों रुपये का बारबेड वायर यहां की फर्मों से न खरीद कर, बाहर की फर्मों से खरीदा है। यहां प्राइस डिफरेन्स का आर्डर निकाल रखा है। 15 पर्सेंट प्राइस का रेट डिफरेन्स यहां की इण्डस्ट्रीज को मिलेगा। उसका भी अधिकारी लोग पालन नहीं कर रहे हैं। सभापति महोदया, इस प्रकार से आपने जो सारी बातों के लिये कहा था, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं जब तक बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, बड़े कारखाने नहीं आयेंगे, यहां बड़े उद्योग धन्धे विकसित नहीं हो सकते। मैं यह भी मान कर चलता हूं अगर हमको राजस्थान का औद्योगीकरण करना है, हमें गौरव है इस बात का कि कितने ही राजस्थान के लोग आज हिन्दुस्तान के औद्योगीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान के अन्दर उद्योगपतियों का त्रिकास सम्मेलन करीब 11 साल पहले हुआ था वहां पर उन सब लोगों ने बैठकर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कई फैक्ट्रियां लगाने की बात कही थी। यहां पर चार बड़ी सीमेंट फैक्ट्री लगने की बात थी। एक तो सुराणा जी, एक बांगड़ ब्रादर्स की, एक जे. के. की और एक स्टा बोर्ड वालों की तरफ से लगने वाली बात थी। सभापति महोदया, वे सारे काम हमारी प्रशासनिक ढिलाई से पूरे नहीं हो रहे हैं। रीको को भी मिनी सीमेंट प्लान्ट के लिये चार लाइसेन्स मिले हुए हैं। मुझे पता नहीं उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे अभी तक कहीं सीमेंट का उत्पादन नजर नहीं आ रहा है। सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के बारे में कई बार विचार रखे गये, और यह कहा जाता है कि किस प्रकार प्रॉडक्शन बढ़ायें।

सभापति महोदया, जो देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है वह सीमेंट की आवश्यकता है, उसे किस प्रकार पूरा किया जा सके, इसके नगण्य प्रयास हो रहे हैं। मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा अगर राजस्थान की गरीबी को मिटाना है, राजस्थान की पर केपिटा इनकम को बढ़ाना है तो इन छोटे उद्योग-धन्धों को और बढ़ना पड़ेगा। जहां तक मेरी जानकारी है। 30 हजार के करीब छोटी इण्डस्ट्रीज हैं उनमें 10-12 लाख आदमी काम कर रहे हैं। इस पर कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे, आपने भी कहा था कि हम औद्योगीकरण की तरफ तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और हम योजनाबद्ध ढंग से प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि आधुनिक सुख-सुविधायें उद्योगों को पनपाने वालों को देनी होगी ताकि व प्रदेश में औद्योगीकरण का विस्तार कर सकें। लेकिन मुझे लगता है इन्फ्रा-स्ट्रक्चर जो डवलप करना चाहिये वह नहीं हुआ है। बहुत बार कहा है वन विण्डोसिस्टम होना चाहिये, आज उसके बजाय हाई विण्डो सिस्टम काम कर रहा है। एक दफ्तर में जायें कर्जे के लिये, तो दूसरे दफ्तर में जायें दूसरी बात के लिये, और तीसरे दफ्तर में जायें तीसरी बात के लिये ये सब दफ्तरों में अलग-अलग बात होगी। इस प्रकार की स्थिति होने से समस्याएं जटिल हो जाती है.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, सात मिनट तो इन्होंने मेरे मार दिये हैं। पांच मिनट में समाप्त कर देता हूं।

सभापति महोदया, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमको यह संकल्प लेकर चलना होगा कि आज जो गांवों की हालत है उसको बदलें। बगारू और सांगानेर में हाथ की छपाई और रंगाई का उद्योग है उससे उनकी हालत बदली है। क्या 35 वर्षों के बाद भी उसी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में चलना चाहते हैं? हमें अब सारे ढांचे को बदलना चाहिये। हमें कृषि के अलावा जो ऐसी चीजें हैं जिनसे उद्योगों को पनपा सकें, उन पर ध्यान देना होगा।

हमारे राजस्थान में 85 करोड़ के मिनरल्स भरे पड़े हैं। आज खाद के कारखानों की बात करते हैं तो कोई कहता है सवाई माधोपुर में लगना चाहिये, कोई कहता है धोलपुर में लगना चाहिये, कोई कहता है सलादीपुरा में लगना चाहिये। मैं इस बात का अनुरोध करके चलना चाहता हूं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं और जहां पर मिनरल्स उपलब्ध हैं वहीं पर वह व्यवस्था करें तो ज्यादा ठीक होगा। मैं पाइराइट के बारे में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में दो ही जगह पाइराईट की खानें हैं। एक सिणधरी में पाइराईट वेस्ड कारखाना है, और दूसरा सीकर जिले के सलादीपुरा में है। आज वहां 110 मैट्रिक टन के भण्डार मौजूद हैं। भारत सरकार की तरफ से दो करोड़ 57 लाख रुपये उस खान के विकास के लिये लगाये जा चुके हैं। बहुत पहले यह रिपोर्ट आई थी कि वहां पानी उपलब्ध नहीं है परन्तु जब जियोलोजिकल सर्वे की रिपोर्ट आई तो पता चला कि वहां भी टाईम पानी ज्यादा है।

आज राजस्थान में जो हालत है, उससे राजस्थान का विकास रुकता है। 220 करोड़ का खाद का कारखाना यदि राजस्थान में लगता है तो आप मान कर चलें कि 100 कारखाने छोटे मोटे और लगते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सारी बातों को सोच कर चलें कि किस प्रकार बड़ी इण्डस्ट्री और उसके साथ छोटे मोटे उद्योग धन्धे लगाये जा सकते हैं। इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो गांवों की पुरानी कला छपाई और रंगाई की है वह भी किस तरह पनप सके। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं, पता नहीं कौन लिख रहा है, मुझे तो पता नहीं चल रहा है रात को भी हम लोग 12.00 बजे तक बैठ कर गये थे।

एक माननीय सदस्य : कोई नहीं लिख रहा है....।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुख्य मंत्री जी की तरफ से कहा गया था कि चुंगी समाप्त करेंगे। क्या कदम उठाये गये, यह तो उन्हीं को मालूम। लेकिन विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया, जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा है, को एक तरफ तो ये मानते हैं कि जयपुर की सीमाओं से बाहर है, दूसरी तरफ उद्योगों को जो ग्रामीण क्षेत्रों का अनुदान मिलता है, 15 पर्सेन्ट, वह भी उनको नहीं मिलता है और जो वहां से माल लाते हैं उस पर चुंगी वसूल की जाती है। तो मेरा निवेदन है कि इस विसंगति को भी दूर करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के लिये एक रुपया 35 पैसे पर स्क्वायर मीटर जमीन दी जाती है। लेकिन आज उस जमीन का भाव 20) रु. कर दिया। मैं पूछता हूं, कौन इण्डस्ट्री लगाने वाला यहां आयेगा ? लैण्ड के कन्वर्सन की जो दिक्कत है, सदन को आपने इसके लिये अवगत भी कराया था लेकिन आज महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं और व्यवस्था नहीं होती है। अब तो हाउस टैक्स और लगा दिया है। फैक्ट्रियों पर हाउस टैक्स वसूल करते हैं, अरबन सीलिंग में क्लियरेन्स देना पड़ता है इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं जिनसे विकास की तरफ आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाना पड़ रहा है। जिस तेजी से विकास की गति पकड़नी चाहिये थी वह नहीं है। आज स्थिति यह है कि 70 पर्सेन्ट विश्वकर्मा के शेड बन्द पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा हमें इसके विकास के लिये रामेटिरियल जुटाने के लिये जो टैक्स हैं उसको हटाना पड़ेगा। एक अनुरोध और करूंगा, पूरी छंटनी कर दी जाती है कि कितना पर्सेन्ट रॉ-मेटीरियल चाहिये और उसके बाद......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट और लूंगा। इसका नतीजा यह होता है कि जितना चाहिये वह

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

नहीं मिल पाता है। एक्चुअल असेसमेंट करते हैं उसका 50 पर्सेन्ट कट कर देते हैं और 50 पर्सेन्ट वहां कम हो जाता है, मतलब यह है कि 20 पर्सेन्ट पर यहां की इण्डस्ट्रीज चलती है। बाहर की दूसरी इण्डस्ट्रीज कमाती है किन्तु यहां की घाटे में जाती है। कोई भी मंत्रीगण वह जाकर बात नहीं करते हैं कि कितना कोटा इनको चाहिये। आज मैं कोयले और लोहे की स्थिति के बारे में निवेदन करूंगा, जो होशियार लोग हैं वे तो लाभ उठाते हैं बाकी के लोगों को रा-मैटीरियल की सही उपलब्धि नहीं हो पाती है। हालांकि स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन हैं और बाकायदा एक पुराना बोर्ड बना हुआ है, मैं अनुरोध करूंगा उसमें सुधार होना चाहिये। जो बदली हुई स्थितियों हैं उनमें यदि आप राजस्थान के लिये कुछ करना चाहते हैं तो यह कीजिये कि उनका एक रिप्रेजेंटेटिव उसमें होना चाहिये। मैं तो यहां तक कहूंगा, 26 जिलों में आफिसर लगाकर जो उद्योग धंधे चालू कराने के लिये बात की है उसमें मदद करनी चाहिये। हालांकि यह योजना फैल हो गई है। आप उन 26 जिलों में जन-प्रतिनिधियों को भी इन्वाल्व कीजिये और देखिये कि वहां के लोगों के लिये रा-मैटीरियल कितना उपलब्ध करा पाते हैं, बिजली कितनी उपलब्ध करा पाते हैं, पानी कितना उपलब्ध करा पाते हैं, जमीन कितनी उपलब्ध करा पाते हैं। क्योंकि आप जनता से चुनकर आते हैं और जो तमन्नाएं लेकर चलने वाले लोग हैं, उनकी तमन्ना पूरी करने का प्रयत्न करेंगे। केवल मात्र अधिकारियों पर छोड़ दें, राजस्थान को रोजगार देने वाले साधन हैं उसको यों ही छोड़ दें, तो मैं समझता हूं राजस्थान के साथ अन्याय करेंगे। हिन्दुस्तान में लगभग 45 पर्सेन्ट ऊन अकेले राजस्थान के अन्दर होती है, उसके लिए बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, वहां पर एक कारखाना, क्योंकि सरकारी कारखानों की बड़ी दुर्गति है, आपके अरावली स्कूटर वाहन की अभी इसी सदन में बात आयी थी, आपने कहा कि हमने किसी दूसरी कम्पनी को देने की बात कर दी। यहां पर केन्द्रीय सरकार के उद्योग सचिव आये थे, उद्योग राज्य मंत्री भी आये थे, तो उद्योग सचिव ने कहा कि हमने कोई स्वीकृति नहीं दी है राजस्थान सरकार को, और न ही कहा है कि हम मंजूरी नहीं देंगे। ये तो फैक्ट्री दूसरे को दे देंगे। नोन-टैक्स रेवन्यू देने वाले साधन हैं, जो रोजगार देने वाले साधन हैं उनकी तरफ आपका कहीं ध्यान नहीं है। आप किस ढंग से सारे साधनों आप जुटाकर।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान के विकास में लगा सकेंगे यह समझ में नहीं आता। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि इस बिक्री कर की बात के लिये भी, आज 16 करोड़ रुपये कम वसूल हुए हैं बिक्री कर के अन्दर। हमारे लिये यह सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। जब कि रेट बढ़े है। अकाल आन्ध्र के अन्दर भी है और आन्ध्र में आपके बराबर ही अकाल था। उसके बाद भी वहां वसूली 10 लाख रुपये अधिक हुई है। आपको इस बात की जांच करनी चाहिए, इस बात को देखना चाहिए कि यहां पर 14 करोड़ रुपये का घाटा किस वजह से है, कौनसी परिस्थितियां हैं? पौने दो लाख के असेसमेंट होते हैं, केवल मात्र छः हजार अपीलें ऊपर जाती हैं। कौनसी व्यवस्था है, जिसके कारण लोगों में इतना

Page No. 139

139

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

असंतोष रहता है । आप कृपा करके इसकी जांच करायें। मैंने आजकल तय कर रखा है कि भ्रष्टाचार और दुराचार के बारे में बात नहीं करता। क्योंकि कहने से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं तो उस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं, इसको प्रिफरेन्स दें। हमने जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम तय किया है, इसको हम कार्यान्वित करके हम राजस्थान की सुख-समृद्धि देखना चाहते हैं । किन्तु हमारे यहां की इनकम इस ढंग से घट गयी, हमारे यहां की बिजली की व्यवस्था इस प्रकार से रही, जयपुर में यहां मिनिस्टर लोग रहते हैं, तो यह मजाक है। आर.ए.पी.पी. के लिये कहते हैं इसकी इकाई बन्द हो गयी। मैं तो कहता हूं सरकार को हिम्मत के साथ फैसला करके पलाना में जो फैक्ट्री फेल हो गयी, राजस्थान के अन्दर वह फैक्ट्री लाभ दे सकती है उसकी सही व्यवस्था करके किस प्रकार से आप राजस्थान में औद्योगिकरण को तरफ कदम बढ़ा सकते हैं उसके बारे में आपको

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सोचना चाहिए । एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, हमारे नेतागण बम्बई में भी गये हैं, हमारे कई नेतागण कलकत्ता भी गये थे, बड़े-बड़े उद्योगपतियों से बातें भी हुई हैं और मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्रीज तथा अन्य इण्डस्ट्रीज के स्थान के बारे में भी उन्होंने चर्चा की होगी। मैं तो कहता हूं बोरीजा के अन्दर लोहे का बहुत बड़ा भण्डार है, सलादीपुरा के पाइराइट के बारे में मैंने आपसे अनुरोध किया, यहां पर लाईम स्टोन के बड़े-2 भण्डार निकले हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं इसकी योजना को क्रियान्वित किया होता तो आज सीमेण्ट फक्ट्री वाली दिक्कत शायद आपके सामने नहीं आती और वह फैक्ट्री लगती। आपको इस बात को तुरन्त देखना पड़ेगा। आज कोई फैक्ट्री लगाने के लिए लेकर आता है, तो वह सैंक्शन होनी चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, हमारे मंत्रियों को, इसकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस काम को तेज स्पीड से करेंगे, क्योंकि एक कारखाना लगता है तो कम से कम सौ, दो सौ. पांच सौ को रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे ।

मैं यही कहकर उम्मीद करूंगा कि जो भी उद्योग और बिक्रीकर के बारे में आपकी सेवा में सुझाव निवेदन किये हैं। उनको क्रियान्वित किया जाने के प्रयास किये जायेंगे।

श्री सभापति : श्री राज बहादुर जी ।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : माननीय सभापति महोदय, बहुत दर्द भरे शब्दों में अपनी भावनायें व्यक्त की हैं श्रीराम गोटेवाला जी ने। मैं समझता हूं उनका सबसे बड़ा दर्द यह था कि वो किससे कह रहे हैं। यह बजट की डिबेट क्या, महज एक रस्म रह गयी है. एक रिचुअल बनकर रह गयी है । हम लोग इधर या उधर से कुछ कहें; आप सुने नहीं सुनें; कुछ लिखें नहीं लिखें, जवाब दें या नहीं दें। क्या प्रदेश के लोग इससे आगे बढ़ते हैं ? कहा जाता है कि जो बजट है, वह एक प्रकार का इन्डैक्स, एक प्रकार का सूचक अंक होता है कि हम एज ए नेशन, या एज ए स्टेट कितने कदम आगे बढ़ रहे हैं किस गति से बढ़ रहे हैं और क्या उपलब्धियां अपने सामने रखना चाहते हैं। हम यह जानते हैं कि हमारे देश का और देश के साथ-साथ प्रदेश का उद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक उन दो ज्वलन्त समस्याओं से नहीं होता। उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता, उन समस्याओं का निपटारा

(श्री राज बहादुर)

नहीं होता । उन समस्याओं से मेरा मतलब है बेरोजगारी की समस्या से और गरीबी की रेखा से नीचे बसने वाले लोगों को ऊंचा उठाने की समस्या से । जब तक हमारे देश को इनसे कुछ राहत नहीं मिलती तब तक हमारे प्रयास निष्फल माने जायेंगे । हमारे देश में आज लगभग 69 पर्सेन्ट आदमी कृषि और भूमि के ऊपर आधारित हैं, उनकी संख्या कम होकर जब तक हमारे लोग उद्योगों में और दूसरे धन्धों में नहीं आते हैं तब तक बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं का निपटारा नहीं हो सकता । जैसा हम मानते हैं । हमारे राजस्थान की मूलभूत समस्याओं के हल के लिए पानी की उपलब्धि होना, पानी के रिसोर्सेज का डवलप होना अनिवार्य है । उसी प्रकार से हम जानते हैं, कि हमारे प्रदेश जिसकी आबादी भी अब थोड़ी नहीं रही । आबादी 3 करोड़ 41 लाख से ऊपर पहुंच गयी । हमारी पापुलेशन ग्रोथ की जहां पिछले दशक में 1961 से 1971 के बीच 27 पर्सेन्ट था, अब हो गया 31-32 पर्सेन्ट के करीब । इसका मतलब यह है कि हमारी समस्याएं और उग्र हुई, हमारी जमीन पर, धरती पर जनसंख्या का दबाव बढ़ गया, उनके निपटारे के लिए यह बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे पास साधन क्या हैं, उपाय क्या हैं, हमारी दृष्टि क्या है, दूर दृष्टि क्या है यह सब सोचना होगा । इस दृष्टि से मैं तो मानता हूं किसी ने जरा भी सरसरे ढंग से भी अखबारों को या जो प्लान फ्रेमवर पेपर निकला था, प्लानिंग कमीशन का उसको पढ़ा हो । तो उनमें इन समस्याओं को हल करने के वास्ते सबसे बड़ी चिन्ता यह मानी है कि हम किस प्रकार से इण्डस्ट्रियल प्रॉडक्शन, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की रेट को ऊंचा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं । इसके अन्दर बहुत से कान्सटेंट हैं, कमियां हैं, अभाव हैं और बहुतसी रुकावटें भी हो सकती हैं । लेकिन इस संदर्भ में जाने से पहले मैं आपसे यह विनती करना चाहूंगा कि यह जो पुस्तिका आय-व्ययक अध्ययन राजस्थान के डायरेक्टोरेट आफ इकानोमिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स ने निकाली है इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडीचर और केपीटल एक्सपेंडीचर मैंने देखा, इण्डस्ट्रीज के ऊपर पेज 34 पर आप देखेंगे कि डायरेक्टोरेट अथवा एडमिनिस्ट्रेशन का तो काफी खर्चा बढ़ता चला जाता है । 1977-78 में जहां यह खर्च 40.81 लाख था फिर 78-79 में 82.68 लाख हुआ, 79-80 में बढ़कर 123.27 लाख हुआ, रिवाइज्ड एस्टीमेट 80-81 में है 125.32 लाख और 81-82 में 154.22 लाख रखा गया है । 40 लाख से बढ़ कर डायरेक्टोरेट अथवा एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे में इतनी बढ़ोतरी हो गयी । 154.22 लाख पर पहुंच गये । तीन गुना हो गया । इधर इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट पर खर्च कम हुआ या उसका सूचकांक कम हुआ है, वह भी बताना चाहता हूं 77-78 में 153.58 लाख था, उसके बाद 78-79 में 264.93 हुआ है 79-80 में 261.69 है, यहां तक तो आगे बढ़ा लेकिन फिर 80-81, जिसके लिए उत्तरदायी है यह वर्तमान शासन और शासक दल, में यह गिरकर हुआ 221.85 लाख और इस वर्ष 81-82 के लिए रखा गया है 199.45 । मैं और चीजों की व्याख्या में नहीं जाता । साल्ट ट्रेडिंग हमारे यहां की एक मुख्य चीज बन सकती है, हो सकती है । हमारा साल्ट काफी पापुलर है लेकिन इसमें भी लगता है कि जहां 79-80 में 84.02 था, कुछ बढ़कर 80-81 में 101.51 पर आया और वह 1981-82 में दोबारा 92.65 रह गया है,

(श्री राज बहादुर)

इसी तरह से सोडियम सल्फेट की दर है। मैं उसके आंकड़ों में ज्यादा नहीं जाऊंगा। केपीटल एक्सपेंडीचर का, प्लान एक्सपेंडीचर का, सवाल है, उसमें मैं बहुत अंकों में नहीं जाकर यही कहूंगा कि यह लिखा है कि 1980-85 पांच वर्षों की समयावधि में 83.59 करोड़ का प्रावधान रखा है, जब कि पिछली पंचवर्षीय योजना में बहुत कम था। उसमें इतना कहना चाहता हूं, क्या यह हमारी महत्वकांक्षा है, यह हमारा सूचांक है कि कहां कितनी रफ्तार से बढ़ना चाहते हैं। मेरा ख्याल तो यह है, आप यही देख लीजिए, आपके पास जो साधन हैं। सभापति महोदय, आपने भी कहा कि सारे हिन्दुस्तान में कि जितना पब्लिक सेक्टर में इनवेस्टमेंट हैं, उसका मात्र 0.2 पर्सेन्ट हमारे में राजस्थान के बंट में आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के कारखाने गिने चुने है। दोनों हमारे एच.एम.टी. के यूनिट्स घड़ी वाला और एच.एम.टी. मशीन टूल्स वाला, और इन्स्ट्रूमेंटेशन का कारखाना है। इन के अलावा, चौथा कौनसा कारखाना राजस्थान में है? हमारे बड़े-बड़े उद्योगपति हैं वह सारे केरल से कश्मीर तक, नैरोबी से सिंगापुर और मलेशिया तक अपने बड़े-बड़े उद्योग फैलाए हुए हैं। उनके कितने उद्योग यहां पर हैं! क्या कारण है कि यहां के लोग बाहर जाते हैं और उद्योग स्थापित करते हैं, अपने उद्योगों में सब कुछ पैदा करते हैं, मद्रास में करते हैं, बंगाल में करते हैं, बम्बई में करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं और जगह करते हैं। हमारे यहां क्यों नहीं आते? फिर वह बात आती है कि औद्योगीकरण के लिये दूसरी रिक्वायरमेन्ट्स है जिनका राजस्थान में अभाव है। लेकिन क्यों? इससे अपना काम चलने वाला नहीं है कि केवल हम यह कह दें कि हमने इतने करोड़ के ऋण दे दिये, इतने करोड़ के हमने लाइसेंस दे दिये। लाइसेंसेज का ब्यौरा दिया है। मुख्य मंत्रीजी ने पेज 9 पर अपने भाषण में बताया कि 43 आशय-पत्र, 80-81 में जारी हुए। यह कहा है। बस औद्योगिक लाइसेंस दिये और 26 टेक्सटाइल इकाइयों की स्थापना के लिए परमिट दिये गए। किन्तु इनमें से कितने फलीभूत हुए यह नहीं बताया। इसी प्रकार से दूसरे पेज पर भी कितना-कितना ऋण फाईनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से दिया गया है उसका भी ब्यौरा दिया है। अन्त में उन्होंने यह भी बताया है कि किस तरह से ट्राइबल इलाके में हम ज्यादा करना चाहते थे, इस वर्ष 13492 अस्थायी इकाइयां, 4153 स्थायी इकाइयां पंजीकृत हुई। लेकिन वजूद में कितनी आई, इनमें से इस सबके बावजूद क्या हम यह कह सकते हैं कि हम ठीक ढंग से हमारी जो मौलिक आवश्यकतायें हैं उनको पूरा कर सके हैं, या कर रहे हैं? मुख्य आवश्यकता यह है कि किसी तरह से सेंट्रल सैक्टर की सार्वजनिक इकाइयां हमारे यहां आवें। सेंट्रल सेक्टर की वे इकाइयां जो हमारे यहां उपलब्ध हो सकती हैं उनके ब्यौरे में न जाकर मोटी-मोटी बातें बताना चाहता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें मिल सकती हैं। जैसे पट्रो-केमिकल इंडस्ट्री है अभी रिफाइनरी मथुरा में एस्टेब्लिश हुई है। उससे जो निकलने वाली पेट्रो कैमिकल इण्डस्ट्रीज हैं, उनके बारे में कोई इशारा मुख्य मंत्री जी के भाषण में नहीं है। या यह भी इशारा नहीं है कि हम पेट्रो-कैमिकल इण्डस्ट्री के लिए क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स के लिए क्या किया जावेगा, कुछ इशारा नहीं मालूम पड़ता? एक बात

(श्री राज बहादुर)

मुझे बिलकुल समझ में नहीं आता आज से नहीं वरसों से, पच्चीस साल मुझे भी हो गए, देखते-देखते मेरी कोशिश रही है समझने की कि जहां इतना साल्ट भरा हुआ है हमारे प्रदेश में और साल्ट के बेसिस पर कास्टिक सोडा, जिसकी हर चीज में जरूरत पड़ती है, सोडा ऐश इत्यादि उत्पादन क्यों नहीं होता है ? वह कितना है ? है भी या नहीं ? उसकी ओर आपने ध्यान क्यों नहीं दिया । जो मिनरल्स आपके पास हैं उनका कितना उपयोग आपने किया है ? मैं तो विनती करूंगा कि आज जितने कांस्टेंट्स हैं, रुकावटें हैं उनके बावजूद भी हम आगे बढ़ सकते हैं जो प्रदेश कांस्टेंट्स में भी बढ़ना जानता है वही आगे बढ़ सकता है, वही प्रान्त, वही प्रदेश आगे बढ़ सकता है । इसी वास्ते केन्द्रीय सरकार ने, प्लानिंग कमीशन ने एक विशेष मेजर चैलेंज माना है कि किस तरह से हम 80-90 करोड़ की ग्रोथ इण्डस्ट्रीज में कर सकते हैं । हमारी ग्रोथ कितनी होगी इण्डस्ट्रीज में, सेंट्रल सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में हमारे प्रदेश में पब्लिक सेक्टर की कितनी इकाइयां हैं, कुछ आंकड़े हमारे पास हैं उनको मैं नहीं कह कर शोर्ट में कहता हूं । डीडवाना और पचपदरा की दो स्कीमें आपके सामने हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं यह लाखों में दिया गया है विवरण । 77-78, 78-79 और 79-80, यह पहला अंक है इनका । विक्रय-क्विन्टल में, आय रुपयों में और स्टॉक क्विन्टल में और लाभ । मैं लाभ ही ले लेता हूं । 77-78 में जिसकी जिम्मेदारी इस सरकार की नहीं थी, 15-62 लाख का लाभ हुआ 78-79 में 44.92 लाख का हुआ और 79-80 में 30.85 लाख का रह गया और 80-81 में, मैं आशा करके चलता था कि नई सरकार आगे बढ़ेगी लेकिन 44.98 यानि 45 लाख रुपयों से कुछ कम हो गया है । अब आ गए 28 लाख पर, वह भी अनुमानित है । मैं इसी प्रकार से विनती करूंगा पचपदरा के बारे में । पचपदरा में भी लाभ का आंकड़ा 77-78 में बहुत कम था । 78-79 में 44 लाख हुआ और फिर 79-80 में 10.8 लाख अनुमानित है और 80-81 में 1.58 लेक्स है । जो हमारे मुख्य उद्योग सोडियम सल्फेट और साल्ट के हैं यह उनका हाल है । फिर और कौन से उद्योग हैं आपके पास ? आप परेशानी में नहीं आए, मैं कोट कर देता हूं । यह 80-81 का प्रगति विवरण है । राजकीय उपक्रम विभाग का इसके पृष्ठ संख्या 2 और 3 से मैंने पढ़ा है और इसलिए पढ़ा है कि जो उद्योग हमारे पास हैं उनको संभाल लें । मैं तो सपना देखता हूं कि साल्ट बेसिस पर कास्टिक सोडा इण्डस्ट्री बड़े जोरों से फैल सकती है, फलीभूत हो सकती है । वह जाने दीजिए, वह कब होगा पता नहीं लेकिन उसके बिना आपके पास उपाय क्या है ? क्या करेंगे ? मैंने हैंडीक्राफ्ट के बारे में भी देखा है ! हमारा हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम अच्छी ख्याति प्राप्त किये हुए है लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम दस बीस करोड़ मिल जाता होगा और शायद कुछ ज्यादा होगा । लेकिन 79-80 में जो फिगर्स हैं और 80-81 और 81-82 में अनुमानित हैं, उनके आधार पर मैं आंकड़े दे रहा हूं । यह राजस्थान स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन का प्रगति विवरण है, इसमें 79-80 में टोटल वास्तविक विक्रय है 90,90,080 यह 80-81 में बढ़ कर हुआ 1 करोड़ 3 लाख और अनुमान है 81-82 के लिए एक करोड़ दस लाख का । मैं कहना चाहता

(श्री राज बहादुर)

हूं कि हैंडीक्राफ्ट की इतनी जोरों से बातें करते हैं दूसरे प्रान्तों से, विशेष कर तमिलनाडू ने प्रगति की है, हमारे मद में कुल एक करोड़ और कुछ रूपया आता है। मेरे खयाल से एक्सपोर्ट आइटम कितना है यह पता नहीं है। फिर मैं कांस्ट्रेंट्स की तरफ आता हूं। यह निश्चित बात है कि एनर्जी क्राइसेस सारे कण्ट्री में छाई हुई है लेकिन हमारी हालत यह है कि हम जो पहले सरप्लस में थे आज सरप्लस से घाटे में हो गए and we are living hand to mouth और वह तथ्य बार बार हमारे सामने आता है इसलिए मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारी आवश्यकता को देखते हुए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनिट में खत्म कर देता हूं।

हमारी आवश्यकता इनपुट्स की कहीं ज्यादा है उपलब्धि के मुकाबले में। इसी प्रकार से कोल का हाल है कोयले की उपलब्धि में ट्रान्सपोर्टेशन और रेलवेज के बोटलनेक है। उम्मीद यही करते हैं और यह प्लानिंग कमीशन को उम्मीद है कि पब्लिक सेक्टर में अब की बार सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान के बंट में इनवेस्टमेंट में से कितना आता है? पब्लिक सेक्टर का सब्सटेंशियल इनवेस्टमेंट राजस्थान के बंट में कितना है? मुख्य मंत्रीजी इस पर गौर करें और केन्द्र से क्लेम करें। आखिरकार पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर में हमारे यहां कितने आने वाले हैं। फिर यह है हम यह जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर ग्रोथ होगी वह एक्सपोर्ट ओरियेंटेड होगी। कम से कम हमें टेन पर्सेन्ट एक्सपोर्ट के लिए रखना ही पड़ेगा उसमें से। इसलिए हमें हमारी जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी ग्रोथ रेट मेजर हो, उसमें हमने कितना एक्सपोर्ट ओरियेंटेड किया इस पालिसी को मैं जानना चाहता हूं। यह निश्चित बात है कि हम औद्योगीकरण चाहते हैं। हमारे उद्योग जब तक ग्रेटर एफिशियेंसी में नहीं आयेंगे हम कोम्पीटेटिव नहीं होंगे। जब तक सक्षम नहीं होंगे तब तक एफिशियेंसी नहीं आएगी, हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। हमारा वाइटल आब्जेक्टिव जो रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए है वह कैसे पूरा होगा? जहां तक कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री और स्माल इंडस्ट्री,

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

का सवाल है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है- उनके विकास के लिये हम क्या करने जा रहे हैं? एक बात और कह दूं, क्षमा करें।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7.45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जावे।

श्री सभापति : सदन की सहमति से समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 42 व 14 पर विचार

श्री राज बहादुर : एक बात मैं रीजनल बेइम्लेंस के बारे में कहना चाहता हूं। सारी इंडस्ट्रीज एक जगह हो जावें, यह नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे मुकाम ऐसे भी हैं मैं ध्यान

(श्री राज बहादुर)
दिलाना चाहता हूं, सारी हिस्ट्री नहीं कह रहा हूं जैसे बयाना जंक्शन है बहुत सी सुविधायें वहां पर हैं, पानी की कमी नहीं है। रेल का जंक्शन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जाने के लिये। जमीन की कमी नहीं है। दोनों लाइनों के जंक्शन है भरतपुर मात्र 28 मील दूर हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सी जगह हैं जहां पर आप कुछ कर सकते हैं। बेसिक तौर पर जिन क्षेत्रों में जहां जहां ऐसी क्षमतायें हैं, उस क्षमता का इस्तेमाल करें।

(व्यवधान)

नदबई में आपके इंडस्ट्री लग गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति : क्योंकि समय आज 7.45 तक का बढ़ाया है इसलिए सदस्य कम बोलें तो बहुत सारे लोगों को बोलने का मौका मिल जावे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज सात बजे से रिप्लाई होगा।

श्री राज बहादुर : आखिर में मेरा निवेदन है......

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा निवेदन है कि हर एक माननीय सदस्य को सात मिनट से ज्यादा समय नहीं दें। 7 बजे रिप्लाई शुरू होगा तभी जाकर आप 8 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय के यहां पधार सकेंगे।

श्री यदुनाथसिंह : पार्टी के हिसाब से हर एक को पूरा समय मिलना चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बड़ी पार्टी आई है! तीन तो आदमी हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : चीफ व्हिप सदा आपकी व्यवस्था को भंग करते हैं। उनको पहले सोचना चाहिए था। जो लोग नए आए हैं उनको पूरा समय नहीं देना क्या न्याय होगा? हमको पूरा टाईम मिलना चाहिए। दो दो मिनट मिलने से हमारी भावना को ठेस पहुंचेगी।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : मोटे 2 आंकड़े में प्रस्तुत करके....

श्री सभापति : माननीय सदस्य 15 मिनट से ज्यादा हो गए हैं।

श्री राज बहादुर : वह राजस्थान के हित में है।

श्री सभापति : मेरा निवेदन है, माननीय सदस्य, आप 15 मिनट से अधिक बोल चुके हैं। अगर आप बिराज जावें तो औरों को भी काफी मौका मिल जाएगा।

श्री राज बहादुर : मैं खाली राउण्ड अप कर देता हूं। आप भी यह पसन्द नहीं करेंगी कि मैं ज्यादा बोलूं।

(व्यवधान)

मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान की कन्जूमर इण्डस्ट्रीज में, मीडियम इंडस्ट्रीज में और मेजर इण्डस्ट्रीज में क्या होगा, क्या करेंगे इसको मुख्य मंत्री को सोचना चाहिए। मैं चाहूंगा कि एल्यूमिनियम के, स्टील के, सीमेंट के, लाइम स्टोन के, फास्फेट के इन

(श्री राजबहादुर)

सब के प्रोडक्शन टार्गेट बढ़ाए गए हैं उसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत आता है और कितने जागरुक हैं, यह बतायें।

श्री सभापति : श्री अहमद बक्श सिंधी।

श्री अहमदबक्श सिंधी (जोधपुर) : मुझे अफसोस है कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य तिवाड़ी जी ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनसे हमारे दिल में ठेस पहुंची है। टीस का विषय है, वह हर बात में यह कहते हैं कि पहाड़िया जी को निकाल दो। पहाड़िया जी को मुश्किल से हम एस. सी. का समझकर और सिफारिश करके लाये हैं, आपके कहने से कैसे निकाल दें ?

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : दिल्ली क्या लेने गये थे, चार दिन पहले ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप उद्योग पर बोलें।

श्री दाऊदयाल जोशी : पहाड़िया जी आपको अच्छी तरह से जानते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। चाहते क्या हो, कह क्या रहे हो।

श्री अहमदबक्श सिंधी : उद्योग के के मुताल्लिक मुझे अपने क्षेत्र की बात कहनी है। राजस्थान में उद्योग जिस प्रकार से धीमी गति से चल रहे हैं, उसके कुछ कारण हैं। केवल राज्य सरकार को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके कई कारण हैं, कुदरती कारण हैं। कुछ टेक्नीकल कारण हैं। कुदरत का खेल यह है कि बरसात नहीं हुई, ठीक तरह से बिजली पैदा नहीं हुई। बिजली की कमी है। थर्मल पावर स्टेशन में कभी कभी टेक्नीकल डिफेक्ट हो जाता है जिसके कारण बिजली की बराबर सप्लाई नहीं होती। तो यह कहना कि सारा दोष राज्य सरकार का है,

(व्यवधान)

मैं आपकी बात का नोटिस नहीं लूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठ जाइये।

श्री राजबहादुर : खुदा खुदी न करे और खुदी का भी भरे।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अहमद बक्श सिंधी : सुनिये, आप नहीं समझते हैं तो मैं क्या करूं। कुदरती कुछ ऐसे वजुहात हैं जिनके बिना पर अकेली सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। मेरे जोधपुर शहर में कुछ स्माल इण्डस्ट्री लगी हुई हैं और कुछ बड़ी इण्डस्ट्री, हैवी इण्डस्ट्री लगी हुई हैं। जोधपुर शहर का, जयपुर के बाद दूसरा नम्बर आता है, 6 लाख की आबादी है, इंडस्ट्रीज को वहां बिजली की कमी की वजह से बड़ा धक्का पहुंचा है। इण्डस्ट्री बन्द रही प्रोडक्शन कम हुआ। यह सारी बातें कुदरती हैं। इसकी वजह से मैं आपकी मार्फत मादाम, सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो लोगों पर कर्जे बाकी हैं या किश्त बाकी हैं उनकी वसूली स्थगित कर दी जाये क्योंकि उनको अभी घाटा ही घाटा हुआ

(श्री अहमदबक्श सिंधी)

है, मुनाफा नहीं हुआ । अगर घाटे के अन्दर जबर्दस्ती वसूली की जायेगी तो वह इण्डस्ट्री बन्द हो जायेगी । इसलिए यह जरूरी है कि थोड़े दिनों के लिये, कुछ अर्से के लिये, वसूलियां बन्द कर दी जायें । हमारी यहां कुछ ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर वहां नये उद्योग लगाये जा सकते हैं । मसलन ऊन है । ऊन एक ऐसी चीज है, हमारे यहां भेड़ पालने वाले लाखों करोड़ों हैं ऊन काफी पैदा होती है । अगर ऊन का कारखाना जोधपुर में स्थापित कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि वह काफी तरक्की कर सकता है ।

इसके साथ साथ मैं एक बात की तरफ तवज्जोह दिलाना चाहता हूं, मादाम, आपके मार्फत । हमारे यहां से हाई कोर्ट की बेंच गई जो यहां जयपुर आई । उस वक्त यह तय हुआ था कि जोधपुर में तीन बड़े बड़े महकमें कायम किये जायेंगे और कारखाने लगाये जायेंगे । लेकिन उसका इम्पलीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ । मैं चाहता हूं कि पी. एच. ई. डी. का महकमा जोधपुर में होना चाहिए । उसके बाद शीप एण्ड वूल और पशुपालन का महकमा होना चाहिये । यह तीनों महकमें, पहले मंजूर हो चुके हैं। पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने इनके लिए अनाउन्स किया था, उसके मुत्तालिक आज जो हमारी मौजूदा सरकार है उससे अनुरोध करता हूं कि यह होना चाहिए ।

अब सेल्स टैक्स की बात पर आता हूं बहुत थोड़ा टाइम लूंगा । मादाम, सेल्स टैक्स का जहां तक ताल्लुक है, ठीक है, उसमें गड़बड़ियां बहुत होती हैं । इन्सपैक्टरों के रुपये बन्धे हुए हैं । इसलिये सेल्स टैक्स कम आता है। अगर ईमानदार आदमी लगाये जायें तो सेल्स टैक्स जितना अभी आता है उससे तिगुना, चौगुना सेल्स टैक्स आ सकता है। आज आप किसी भी सेल्स टैक्स इंसपेक्टर, आफिसर की इंक्वायरी करा लीजिये । उसकी तनख्वाह का हिसाब लगाइये, फिर उसकी जो जायदाद है, जो 'फैसिलिटी उन्होंने घर में लगा रखी है, क्या आज उस तनख्वाह से इतनी फैसिलिटी और इतना खर्चा कर सकते हैं ? मैं कहता हूं हम लोगों की विधायकों की तनख्वाह 500 रुपये है हमारा मुश्किल से खर्चा चलता है । बढ़ाने का सवाल है तो हमें पता नहीं है । बढायें न बढायें हमारी बला से हमें इसकी परवाह नहीं है । लेकिन साथ में यह जरूर कहूंगा अगर उसकी इंक्वायरी करायी जाये, तो काफी घोटाले और काफी रकम वसूल हो सकती है । एक बात की तरफ तवज्जोह दिलाकर अपनी तकरीर खतम करूंगा चूंदड़ी बनाने वाले हमारे जोधपुर में है, टाई एण्ड डाई हाथ से बांधने वाले, हाथ से बनाने वाली गरीब, बेवा औरतें और छोटे छोटे मजदूर यह काम करते हैं सूती कपड़ा होता है, उस पर तो टैक्स नहीं है, लेकिन जो रेशमी, सिल्क, जार्जेट वगैरह बनाते हैं, वह बड़ी फाइन बनती हैं। उसमें पैसा ज्यादा आने की संभावना है । लेकिन क्या होता है कारखानेवाले हाथ से काम करवाते हैं, और उन गरीब मजदूरों को सेल्स टैक्स देना पड़ता है। बनिये को नहीं देना पड़ता है जो दुकान पर ले जाकर बेचते हैं। इसका उन लोगों को सेल्स टैक्स देना पड़ता है इसलिए उन लोगों पर सेल्स टैक्स कतई नहीं होना चाहिए जो हाथ से बनाते हैं, हाथ से रंगते हैं। यह गलतफहमी है । मिनिस्टर साहबान, गलतफहमी यह है कि जो बनिये की दुकान पर बचते हैं उन पर सेल्स टैक्स लगाते हैं। मेरे

(श्री ब्रह्मदत्त सिंह)

पास डाकूमेंट्स हैं। उनके पास रसीदें हैं सेल्स टैक्स की उनके पास लाइसेंस है, सेल्स टैक्स भरते हैं। कितना भरते हैं? आठ पर्सेन्ट। अब 8 पर्सेन्ट सेल्स टैक्स भरते हैं तो उन्होंने कमा कर खा लिया। तमाम मजदूर बेकार हो गया है क्योंकि उसको बनाना छोड़ दिया। लेते नहीं है। दुकानदार लोग कपड़ा, चूंदड़ी और साड़ियां लेते नहीं हैं, क्या करें। नतीजा यह हुआ कि उनकी इण्डस्ट्री हिचकियां ले रही है और वह खतम होने पर आ रही है जिससे सैकड़ों हजारों मजदूर, बच्चे औरतें बेकार हो जायेंगी। कुछ थोड़ा बहुत मिलता है रोजाना, वह औरतें चूंदड़ी बांधती हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिए यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दें कि बनिया टैक्स देता है। मालदार लोग बर्दाश्त कर सकते हैं पैसे से मालदार होंगे, लेकिन यह सेल्स टैक्स उन मजदूरों को देना पड़ता है जो हाथ से बांधते हैं। इस सेल्स टैक्स को माफ करिये। जो मैंने कटौती प्रस्ताव के ऊपर अपने खयालात जाहिर किये हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारे सी. एम. और सरकार के दूसरे मिनिस्टर उन पर गौर करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे।

जयहिन्द।

श्री सभापति: कृपया समय का ख्याल करें। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): माननीय सभापति महोदय, इस देश और राज्यों को यदि गरीबी से और बेरोजगारी से बचाना है तो जो गांधी जी की नीति थी गांवों में छोटे उद्योग लगाने की उस पर हमको चलना होगा। उस पर वापिस आना होगा नहीं तो नेहरू जी की नीति थी बड़े उद्योग लगाने की उस पर चल रहे तो हम कुछ आदमियों को पूंजीपति भले ही बना सकते हैं, पूंजी एकीकृत हो सकती है पूंजी बढ़ भी सकती है लेकिन वह पूंजी छोटे आदमी तक तो छन 2 कर ही पहुंचेगी और पूंजीपतियों के पास पूंजी और ज्यादा होती चली जायेगी।

मैं नहीं मानता कि देश में उद्योगों की प्रगति नहीं हुई, पूंजी की बढ़ोतरी नहीं हुई। देश में पूंजी भी बढ़ी है और देश की पूंजी के साथ 2 उद्योग भी बढ़े हैं लेकिन वह पूंजी देश के बड़े बड़े घरानों में, 10 प्रतिशत लोगों के पास एकीकृत होती चली गई है। काम करने वालों को, मेहनत से काम करने वालों को तो इसका लाभ नहीं मिला लेकिन पैसे से पैसा एकीकृत होता चला जा रहा है। बिड़ला के पास जो 35 करोड़ की पूंजी थी वह आज बढ़ कर 1300, 1400 करोड़ हो गई। इसलिये हमको किसी भी उद्योग नीति का पालन करने के टाइम विचार करना होगा कि हम कितने आदमियों को रोजगार दे सकते हैं हमारे देश में आज 50 प्र. श. गरीबी की की रेखा से नीचे रहने वालों की तादात हो चुकी है। इसलिये मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं नेहरू जी वाली नीति में खराबी थी। यदि खराबी न होती तो क्या देश तरक्की न करता और गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले आदमी कम नहीं होते लेकिन अगर इन्हीं नीतियों से बड़े बड़े उद्योगों पर पूंजी लगाते जायेंगे, बड़े कारखाने लगाते जायेंगे तो गरीब को ऊंचा नहीं उठा सकते। आज सब्सिडी के नाम पर छोटे उद्योगों पर पैसा लगाया जाये तो गांवों की उन्नति हो सकती है। खेती पर 72 प्र. श. लोग आश्रित हैं,

(श्री यदुनाथसिंह)

अंग्रेजों के टाइम से यह चली आ रही है, वहां जब बड़े 2 कारखाने लगावें, बड़े कारखानों पर जब पूंजी लगावें तो बहुत कम आदमियों को रोजगार दे पाते हैं। इसलिये ग्रामीण उद्योगों में, छोटे उद्योग धन्धों में कम पूंजी पर ज्यादा आदमियों को रोजगार दिया जा सकता है। इसलिये बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गईं लिपिस्टिक, साबुन तेल बनाने के लिये इंडस्ट्रीज लगा दी गई। आप रेलों की, हवाई जहाजों की इंडस्ट्री लगावें लेकिन छोटी 2 चीजें बड़ी आसानी से घर-घर में पैदा की जा सकती हैं। छोटी 2 मशीनों के पुर्जे आसानी से घरों में बनाये जा सकते हैं। इनके लिये बड़ी इंडस्ट्री लगाते जायेंगे तो एक तरफ पश्चिमी देशों के लिये यह नीति अच्छी हो सकती है जहां श्रम की कमी है लेकिन हमारे यहां तो श्रम फैला पड़ा है, पूंजी की भी कमी है। पूंजी की कमी होने से जो योजनाएं प्रोजेक्ट बनाते हैं वे न तो समय पर पूरे हो पाते हैं और उन पर खर्चा भी दुगुना तिगुना होता चला जाता है, इसलिये भी पूरे नहीं होते। उनका लाभ लोगों को मिलता नहीं इसलिये योजनाएं बनानी पड़ेंगी छोटे छोटी युनिट्स, छोटे छोटे उद्योग लगाने की। खेती में भी जितनी आबादी बढ़ती चली जा रही है लोग दिन प्रति दिन खेती का रोजगार चुनते चले जा रहे हैं। खेती पर आजादी के समय 45 प्रतिशत लोग आश्रित थे वहां आज 73 प्रतिशत लोग हो गये हैं इससे जाहिर होता है कि धन्धों में लगे हुए आदमियों का रोजगार छिन गया और वे खेती पर आश्रित हो गये हैं। उदाहरण के तौर पर गांव में पूछते हैं तो नाम रामधन, जाति कुम्हार और पेशा-खेती। वह पहले कुम्हारी का काम करता था अब खेती करता है। इसी प्रकार यादव, कोली, वे भी आज खेती पर आधारित हैं। हमारी जनसंख्या 33 प्रतिशत बढ़ी तो उसी के अनुपात में जमीन पर प्रेशर बढ़ता चला जायेगा। इसलिये खेती से लोगों को हटा कर उद्योगों में लगाना होगा नहीं तो गरीबी बढ़ती चली जा रही है और छोटे छोटे उद्योगों·····

(व्यवधान)

मैं तो मेहनत करता हूं।

इसलिये छोटे छोटे उद्योगों में जब तक आदमियों को नहीं लगायेंगे तब तक बेरोजगारी बढ़ती रहेगी दूर नहीं होगी। यह जनरल आफ इण्डियन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि 29,600 रुपये लगा कर बड़े उद्योग में एक आदमी को रोजगार दिया जा सकता है जब कि 550 रुपये में खादी ग्रामोद्योग में एक आदमी को रोजगार दिया जा सकता है इसलिये पूंजी भी कम लगी, रोजगार भी ज्यादा मिला। इसी प्रकार से आप देखिये 1961 में हमारे देश में 445 कपड़े की मिलें थीं उनमें 36,68,000 कपड़े की गांठों की खपत हुई और 7.22 लाख आदमियों को रोजगार दिया गया जब कि आज 750 मिलें हो चुकी हैं और गांठों की खपत 80 लाख हो चुकी है परन्तु मजदूरी 8.56 लाख आदमियों को ही मिली जब कि पूंजी भी दुगुनी तिगुनी हो गई। तो औद्योगीकरण होने से आदमियों को रोजगार मिला। इसका फायदा देश के उद्योग धन्धों को मिला होगा।

इसलिये उद्योग नीति किसी भी देश की, राज्य की तय करने के पहले अपने को तय करना होगा, लघु उद्योगों पर ध्यान दो, किसमें ज्यादा आदमियों को रोजगार मिल सकता है किसमें गरीबी को मिटाया जा सकता है और किस उद्योग में आम आदमी को छोटे आदमी को फायदा मिल सकता है।

Page No. 149

(149)

(श्री यदुनाथसिंह)

इस प्रकार के उद्योगों को हाथ में लिया जाय। इसलिये राज्य के औद्योगीकरण के बारे में अभी बात कर रहे थे कि मल्टी नेशनल इंडस्ट्री राजस्थान में कम लगी हैं। मैं तो इसे सौभाग्य मानता हूं कि आपकी कम पूंजी फंसी ज्यादा फंसती तो लाभ भी नहीं मिलता। आज देश का कोई भी मल्टी नेशनल प्रोजेक्ट पैसे वालों के चक्कर में आकर लाभ नहीं दे रहा है और बहुत से तो 15-15, 20-20 साल से प्रोजेक्ट पूरे ही नहीं हुए जब कि लागतें 4-5 गुना ज्यादा लग चुकी है इसलिये छोटी पूंजी से गांधी जी का सपना पूरा करिये, गांधी जी के नाम को ब्लैक मेल करना छोडिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

या तो गांधीवादी बनना छोड़िये या राव गांधी वादी, संजय गांधी वादी, मेनका गांधी-वादी बनना चाहते हैं दूसरी बात हैं। इसलिये गांव के गरीब आदमी का आधार बनाइये छोटी इंडस्ट्री ग्रामीण उद्योगों में कहा जाता है कि यह योजना चली नहीं। लेकिन इन इंडस्ट्रीज में न तो आम आदमी पढ़ा लिखा है न उसको पता लगता है और पता भी लगता है तो आप इतने चक्कर घुमा देते हैं, पूंजी उसके पास होती नहीं पहले अफसरों को पैसा देना वह जानता नहीं इसलिये वह तो उसका फायदा उठा नहीं पाता और वड़े उद्योगपति तिजोरियां भर लेते हैं और उनके व इनकम टैक्स वालों के ठाठ हो जाते हैं। पुलिस महकमा तो नाहक ही वदनाम है लेकिन ये सव वड़े वड़े माल डकारते हैं और उनको फायदा नहीं मिलता।

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : मैं तो एक ही आदमी वोल रहा हूं।

श्री सभापति : आपने कितने मिनट ले लिये।

श्री यदुनाथसिंह : तीन मिनट हो गये। दो मिनट और लूंगा।

श्री सभापति : आपको 9 मिनट हो गये हैं।

एक माननीय सदस्य : यह मुख्य मंत्री जी के पूरे चेले हैं।

श्री यदुनाथसिंह : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारा राजस्थान सौभाग्य से हर खनिज उद्योग लगाने के लिये मेरे ख्याल से किसी और राज्य से देश में पीछे नहीं होगा लेकिन आज तक उनका उपयोग नहीं किया, खनन नहीं किया गया। इसलिय राज्य में जितने उद्योग लग सकते हैं, हिन्दुस्तान की 54 प्रतिशत ऊन राजस्थान में पैदा होती है लेकिन सफाई होने दूसरी जगह जाती है, फायदा दूसरी जगह के लोग उठाते हैं, तो क्यों नहीं राजस्थान में ही इसके उद्योग लगायें? गलीचा और मिनरल पर आधारित उद्योग, सीमेंट के लिये रा-मैटीरियल है, बहुत से कारखाने लगाने के लिये रा-मैटीरियल है इसलिये मेरा निवेदन है कि यहां पर जो रा-मैटीरियल उपलब्ध है उसके आधार पर छोटे छोटे यूनिट्स बनाते हुए अगर आप गांधी जी का सपना साकार करना चाहते हैं तो छोटे-छोटे उद्योग लगाते हुए यहां पर उद्योग के मामले में आगे वढ़ेंगे तब तो आगे वढ़ पायेंगे नहीं तो उद्योग के नाम पर वड़े-वड़े प्रोजेक्ट्स में आदमियों को लगाकर खुश भले ही कर लें लेकिन गांवों

(श्री यदुनाथ सिंह)

का गरीब आदमी वहीं का वहीं, गरीबी की रेखा से नीचे ही चला जा रहा है। इसका फायदा वहां तक नहीं पहुंच पायेगा। चाहे आप अपनी आत्मा को सन्तुष्ट कर लीजिये लेकिन जो आम आदमी है, जो देश की आत्मा है, उसको रोजगार, रोटी देने का इन्तजाम नहीं करते हैं तब तक आपके उद्योग लगाना और प्रगति करना बेमानी है इतना ही निवेदन करता हुआ मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार असफल रही है इसलिये मेरे कटौती प्रस्तावों को मन्जूर किया जाये।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र कुमार।

श्री देवेन्द्रकुमार (सराड़ा) : सभापति महोदया, मैंने लघु उद्योगों के बारे में कट मोशन दिये हैं। आपकी मार्फत हमारी सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से गरीबों की उन्नति के लिये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रधान मंत्री ने देश का आह्वान किया है, गरीबों को लेने का जो आह्वान किया है, उसके मुताबिक अधिकतर गांवों में छोटे छोटे उद्योग, ग्रामोद्योगों की व्यवस्था हो जायेगी तो हमारे देश में रहने वाले 90 प्रतिशत जो किसान, मजदूर हैं और अन्य लोग हैं वे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकेंगे और अपनी गरीबी को दूर कर सकेंगे।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र सराड़ा में अरावली पर्वत में काफी खनिज है। इस लिये इन खनिजों पर

(5.22 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति, पदासीन)

आधारित उद्योगों को लगाने की सरकार व्यवस्था करे। इससे गरीबों को मदद मिलेगी उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था होगी।

मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में सेन्ट्रल की एक पार्टी आई थी उसने वहां पर कोयले का बहुत बड़ा भण्डार होने की संभावना बतायी है। मैं निवेदन करूंगा कि शहरों की तरह गांवों को भी बनाना पड़ेगा और उसके लिये वहां पर अधिक उद्योग खोले जायें ताकि उनको मदद मिल सके। बढ़ती हुई जनसंख्या और आदिवासियों को भी इससे काम मिल सकेगा। हमारे उधर के लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं। देश का भण्डार उन्हीं की मेहनत के मार्फत भरा जाता है। वे मजदूर हैं।

मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ों में जहां खनिज सम्पदा है, वहां ऐसे उद्योग लगाये जायें ताकि लोग निर्वाह कर सकें। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय कि हमारे यहां पर अकाल पड़ता है। वहां से मजदूर गुजरात चले जाते हैं, वहां के उद्योग धन्धे देख कर आते हैं और यह महसूस करते हैं कि उस तरह के उद्योग यदि यहां पर लगें तो उन लोगों का जीवन निर्वाह हो सकता है और लोग आसानी से रोजी रोटी पा सकते हैं। इतना ही निवेदन करना है कि उद्योगों को लगाने के बारे में सरकार ज्यादा से ज्यादा गांवों की तरफ ध्यान दे। एक और यह निवेदन करूंगा कि सराड़ा तहसील में अधिकतर बुनकर हैं। वे पहले खादी का कपड़ा बुनते थे और सस्ता कपड़ा भी मिलता था इस-

(श्री शैलेन्द्र कुमार)

लिये उनके लिये भी छोटे छोटे उद्योग चलाये जायें। इससे 50 परिवार निर्वाह कर सकते हैं। मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि इन गांवों की तरफ सरकार ध्यान दे। मुझे विश्वास है कांग्रेस सरकार का गरीबों के प्रति जिस तरह का स्नेह है, कांग्रेस सरकार जिस प्रकार गरीबों की भलाई चाहती है, उससे गरीबों में उत्साह है, स्नेह है और विश्वास है, उसको और अधिक दृढ़ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर एक शक्कर की मिल है, यह झाडोल में है, वह बंद पड़ी है। हमारे राज्य में इसको चलवाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि झाडोल बहुत अच्छा गांव है। (व्यवधान) आपने ठीक किया और हम इसको ठीक कर देंगे।

वहां पर गन्ना बोया जाता है। गवर्नमेंट मदद करे तो वहां पर फैक्ट्री अच्छी तरह से चल सकती है। वह सूखा एरिया है। जब तक उद्योग नहीं चलेंगे तब तक हमारे वहां के आदिवासियों की हालत ठीक नहीं हो सकती है और रोजी रोटी से महरूम रहेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबों की सोसायटी बना कर छोटे छोटे उद्योग लगाये जायें ताकि रोजी रोटी के साथ वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने टाईम दिया। मेरे एरिया के बारे में जो बात कही है उस पर ध्यान दिया जाये।

श्री सभापति : श्री जगदीश तिवाड़ी। (अनुपस्थित) श्री कमला भाई।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उदयपुर संभाग के अन्दर अधिकतर आदिवासी है उदयपुर संभाग के अन्दर ऊन का उत्पादन होता है। उदयपुर संभाग के अन्दर धरियावद, सलूम्बर के अन्दर काफी मात्रा में वन सम्पदा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे तहसील धरियावद के अन्दर पेपर मिल खोला जाये तो वहां पर जो 85 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं उन लोगों को रोजी, रोटी का परमानेन्ट रोजगार मिल सकेगा। जो फर्नीचर बनता है वह सागवान से बनता है, यह सागवान हमारे धरियावद प्रतापगढ़, सलूम्बर के अन्दर बहुत मिलता है इसलिये इसका एक कारखाना वहां पर लगाया जाये तो वहां के आदिवासियों को हमेशा के लिये, परमानेन्ट रोजगार मिल सकेगा। वे लोग हमेशा से अकाल पीड़ित हैं। अकाल राहत कार्यों पर ध्यान देते हैं, जितने बेकार लोग होते हैं उनको यहां कारखाना खोलने से परमानेन्ट रोजगार मिल जायेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जितने कारखाने लगते हैं वह शहरों में लगते हैं और जो खनिज पदार्थ, वन पदार्थ और सारे पदार्थ का उत्पादन होता है वह गांव में होता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अधिकतर जो कारखाने हैं वह गांवों में लगाये जायें तभी गरीब लोगों की गरीबी दूर हो सकती है।

(152)

(श्री कमला भाई मीणा)
मेरी तहसील धरियावद और सलूम्बर में सोप स्टोन की 20 खाने हैं उनका जो माल है वह बम्बई जाता है वहां पर पक्का माल बनता है । यह जो सोप स्टोन है इसका कारखाना हमारे क्षेत्र में बनाया जाय तो वहां के आदमियों को रोजगार मिल सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अरे साहब, बस इतना सा ही टाइम ।

एक माननीय सदस्य : बोलने दें, सभापति महोदय ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री कमला भाई मीणा : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी यह चाहते हैं कि देश की गरीबी मिटे । मुझे सम्पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी साहब यह जरूर जानते हैं कि आज राजस्थान की ढाई या तीन करोड़ के करीब आबादी है जो गरीब है । और गरीब की हालत को, गरीब के दुर्भाग्य को मुख्य मंत्रीजी अच्छी तरह जानते हैं । वे इस 6ठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर गरीब को अधिक से अधिक उन्नत बनायेंगे । बस इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : श्री हंसराज शर्मा ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, मैं बजट के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं । सबसे पहले मैं सवाई-माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिया है उस संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा । इस समय सीमेंट फैक्ट्री की हालत दयनीय हो रही है और निरन्तर उसकी हालत गिर रही है। जनता पार्टी की सरकार ने उसको अधिग्रहण करने का निर्णय किया था किन्तु मौजूदा सरकार इस निर्णय को बदल रही है और अधिग्रहण नहीं कर रही है । सेठों से मिल जुल कर उनको वह न दी जाय । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि फैक्ट्री का अधिग्रहण करें । इसका कारण यह कि पहला तो जो कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिये था वह नहीं मिला और राज्य सरकार ने उनके आदेश के विरुद्ध यहां से स्टे दिया था । इसके अलावा सीमेंट फैक्ट्री में जो उत्पादन है वह घटता जा रहा है। हमारे समय से जनता पार्टी के राज के समय में तो 65 हजार टन पर मन्थ से घटता-घटता इनके शासन में 300 टन पर आ गया है । यह कितने दुःख की बात है । इसके अलावा चूंकि समय कम है इसलिए एक-दो बातें ही कहना चाहूंगा । दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि बाहर के विशेषज्ञ यहां पर आये जो राजस्थान में खाद का कारखाना लगाने की योजना है उस संदर्भ में सवाई माधोपुर की रिपोर्ट आयी है । अखिल भारतीय सर्वे दल आया था उसने भी सवाई माधोपुर का नाम प्रयोग किया है जो केलकूलेटर है उसमें भी सवाई माधोपुर का नाम आया है । इस प्रकार की आम चर्चा है किन्तु इस प्रकार जो निर्णय होना चाहिए मौजूदा सरकार कोई निर्णय नहीं कर रही है क्योंकि वह बैकवर्ड इलाका है । वह अनुसूचित जाति और जन-जाति का इलाका है । वहां से इसी का एम. पी. जीत कर जाता है और एम. एल. ए. आता है । वह पिछड़ा हुआ इलाका है वहां रोजगार की दृष्टि से कोई धन्धा नहीं है ।

(श्री हंसराज शर्मा)

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर में पुराने इतिहास को याद करते हुए, जहां से आपका राजनैतिक जीवन शुरू हुआ था, उन सारी बातों को मद्दे नजर रखते हुए सवाई माधोपुर में ही खाद का कारखाना लगाने की बात करें तो अति सुन्दर होगा।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि सवाई माधोपुर में हजारों की तादाद में कोली, बुनकर हैं, वह पुराने जमाने में छपाई का काम करते थे लेकिन आज उनके पास साधन नहीं हैं। कुछ समय पहले सरकार ने थोड़ा सा काम अवश्य आरम्भ किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जिला उद्योग अधिकारी को आप इस प्रकार का आदेश दें कि ज्यादा से ज्यादा कपड़ा दें और जो सांगानेरी प्रिंट होती है उस काम को जानने वाले हजारों कारीगर वहां पर हैं उनको बसाया जाये।

इसी प्रकार यदि हम राजस्थान में बड़े उद्योग लगाना चाहें तो जैसे मुख्य मंत्रीजी बम्बई गये, वड़े उद्योगपतियों को इन्वाइट करने के लिये, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब तक गाय को चारा नहीं चराओगे तब तक वह दूध नहीं देगी इसलिये जो लोग बड़े कारखाने लगाना चाहते हैं, जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं उनको कुछ विशेष सुविधायें दें, जमीन मुफ्त दें, टैक्स माफ करें और जब वे लोग आते हैं लाइसेंस मांगते हैं तो तुरन्त दे दें किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से गन्ना होता है उसको चर्खी में डाल कर उसका रस निकालते हैं जो उद्योग लगाने वाला आता है जो इण्डस्ट्री लगाने वाला आता है, पहले अधिकारी और सरकार उसका रस चूस लेते हैं इसलिए वड़े-बड़े उद्योगपति यहां आकर उद्योग नहीं लगाते हैं। क्योंकि समय कम है इसलिए इतना ही कहूंगा कि माननीय पहाड़िया जी ने कई अच्छे काम भी किये हैं उनके लिये उनको बधाई देना चाहूंगा। जो उन्होंने अच्छे काम किये हैं; अच्छे काम हैं उनके लिये तो बधाई देना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है। इनके 9 महीने के कार्यकाल में तीन स्तरीय मंत्री मण्डल के कार्यकाल में मुख्य सचेतक की देख-रेख में जो अपने सारे राजस्थान में सूखा इलाका था उसको हरा-भरा कर दिया गया है और राजस्थान में चारों ओर सब जगह जो लोग धन्धे से हट गये थ उनको दो-दो दारू की दुकान बुलाकर आशीर्वाद दिया है उद्योग खोला है उसके लिये पहाड़िया जी को बधाई देता हूं।

मुझे आशा और विश्वास है और मैं इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि मन चाहे लोगों को इस प्रकार के अवैध रूप से राजस्थान में प्रत्येक जगह दारू के लाइसेंस दिये गये हैं। गरीबों के साथ....

श्री अहमदबख्श सिंधी : ये बहुत जोर से बोल रहे हैं ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपनी आवाज का वाल्यूम थोड़ा कम रखें।

श्री हंसराज शर्मा : इसके साथ ही आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़।

(अनुपस्थित)

श्री रतनाराम!

Page No. 154

(154)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, जालौर जिले में उद्योग की काफी गुंजाइश हैं, उसकी ओर मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जालौर जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है उस जिले में काफी संख्या में गरीब लोग रहते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य गरीब तबके के लोग रहते हैं। उनके पास न तो कोई धन्धा है, न खेती है सिर्फ कोई धन्धा है तो वह मजदूरी है। इस लिहाज से मैं मंत्री जी का, उद्योग मंत्री का इस ओर ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं कि जालौर जिले में उद्योग लगाकर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको नौकरी दें जिससे गरीब लोगों को रोजी-रोटी मिले, ऐसा काम आप जरूर करें।

जालौर जिले में ग्रेनाइट का बड़ा सुन्दर और कीमती पत्थर है। जयपुर में जो शहीद स्मारक बना हुआ हैं शहीद स्मारक पर यह पत्थर लगा हुआ है। आप देखेंगे कि जितना बढ़िया पत्थर है दिल्ली में हमारे पूज्य महात्मा जी की समाधि है उसमें हमारे जालौर जिले का ही ग्रेनाईट पत्थर लगा हुआ है। बड़ा कीमती पत्थर है। लेकिन बड़े दुःख की बात यह है कि पत्थर निकलता है जालौर में और सफाई और पालिश वगैरह होती है उसका कारखाना लगा हुआ है जोधपुर में। यह जालौर में स्वीकृत हो गया था हमारी पार्टी की जब सरकार थी तो यह तय कर लिया था कि यह जालौर में लगेगा लेकिन दुर्भाग्य से जनता पार्टी की सरकार आयी और हम पश्चिमी राजस्थान से सबसे ज्यादा एम. एल. ए. चुनकर आये थे और जनता पार्टी को इस बात का दुःख था इसलिए उस पश्चिमी राजस्थान में कोई काम अच्छा नहीं होवे इस लिहाज से जालौर जिले में ग्रेनाइट का कारखाना नहीं लगाकर जोधपुर में लगाया। मैं मंत्री महोदय का, सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ग्रेनाइट का कारखाना जालौर में लगाने की कृपा करें।

दूसरा, हमारे जालौर जिले में पशुधन बहुत ही बड़ी और अच्छी तादाद में है और रानीवाड़ा में एक डेयरी भी है। एक पशु आहार की फैक्ट्री रानीवाड़ा क्षेत्र में लगाई जा सकती है। पशुओं की संख्या अधिक होने के नाते पशुओं की हड्डियों की भी एक फैक्ट्री लग सकती है। इसलिए कृपा कर जालौर जिले में, विशेषकर रानीवाड़ा और भीनमाल के आसपास आप कोई फैक्ट्री लगावें ताकि गरीब लोग जो मजदूरी के लिए इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं, उनको पहले उन उद्योगों में नौकरी दी जाय। गरीब लोगों, जिनके पास खेती नहीं है, को नौकरी में प्राथमिकता दी जाय।

करडा में एक बहुत ही कीमती पत्थर निकलता है हमारे यहां पर करडा में भी खानें हैं, जो पत्थर स्टील के बरतनों में काम आता है, जिसकी एक किलो की कीमत अन्दाजन 50 रु. तक होती है। ऐसा मेरे को सुनने में आया है कि सरकार माइन्स का पत्थर पीसने के लिये वहां पर एक छोटी-सी फैक्ट्री लगा दे तो वहां के हजार पांच सौ आदमियों को फैक्ट्री में काम पर लगा सकती है।

दूसरा; मेरा निवेदन यह है कि रानीवाड़ा में जो डेयरी लगी हुई है, मुझे इस बात

(श्री रघुनाराम चौधरी)

की तो खुशी है वह डेयरी टाटा के हाथ में है, उसको सरकार अपने हाथ में ले। क्योंकि हर महीने वह तीन लाख रुपये के घाटे में चल रही है और लम्बे समय तक चलती रही तो घाटा भी लम्बा हो जायगा। इसलिए कृपा करके इसको सरकार अपने हाथ में ले जिससे उसको नुकसान से बचाया जा सके। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री सोहनलाल बंशीवाल।

श्री सोहनलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय सभापति जी, आपके जरिये थोड़ी सी बात उद्योगों के बारे में बताना चाहता हूं। उद्योगों के बारे में माननीय सदस्यों ने कई बातें बताई हैं। पहली बात तो यह है कि जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं उनको जमीन बड़ी कठिनाई से मिलती है। सरकार जमीन देती है एग्रीकल्चर की। मेरा निवेदन है कि ऐसी बहुत सी जगह फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं जहां पर जमीन बंजड़ है, जो चरागाह हैं, ऐसे चरागाह की जमीन भी है जहां पर एक भी टुकड़ा घास का नहीं उगता है। क्यों नहीं उस जमीन को फैक्ट्री के लिए काम में लाया जावे। एग्रीकल्चर के लिये जमीन की बहुत कमी है, आबादी बढ़ती जा रही है, सरकार उन जमीनों पर कब्जा करती है और उनको बेचती है, फैक्ट्री वालों को देती है। अव्वल तो जमीन मिलती नहीं, और जमीन मिल भी गई तो फैक्ट्री वाले लोन के लिये, भागे फिरते हैं उनको लोन नहीं मिलता। मैं भी एक छोटी सी फैक्ट्री का मालिक हूं, जो दिक्कतें फैक्ट्री वालों के सामने आती हैं वह बताना चाहता हूं। अगर लोन मिल गया, इधर सरकार घाटे का बजट लाती है, फैक्ट्री वालों को आमदनी हो या नहीं हो, घाटे को इनकम टैक्स वाले नहीं मानते हैं। लेकिन सरकार लाखों करोड़ों का घाटा बताती है, उसको मानते हैं। आप जानते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनको फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है लेकिन घाटे को इनकम टैक्स वाले नहीं मानते हैं। यह उद्योग वालों के लिये बड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है बिजली की, बिजली नहीं मिलती और बिजली मिलती है तो बिजली के मीटर बन्द हो जाते हैं। फैक्ट्री वाले रिपोर्ट करते हैं तो बिजली के मीटर तब्दील नहीं करते उनको देखते नहीं, उठाते नहीं, और दूसरा मीटर लगाते नहीं, साल भर के बाद अन्धाधुन्ध बिल आता है अगर जमा नहीं करावे तो कनेक्शन काटने की धमकी दी जाती है। फैक्ट्री वाले अगर जनरेटर लगाना चाहें तो उनको जनरेटर नहीं लगाने देते। अगर लगा भी दें तो तीन पैसे यूनिट के हिसाब से चार्ज करते हैं। फैक्ट्री वालों का जनरेटर और तीन पैसे यूनिट के हिसाब से चार्ज करेंगे।

तीसरी बात सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स की है। सेल्स टैक्स वालों का रवैया कैसा है, उसका एक छोटा-सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। बर्फ की फैक्ट्री है उस पर 8 पर्सेन्ट सेल्स टैक्स लगाते हैं। अगर फैक्ट्री वालों को दो घण्टे बिजली नहीं मिलती तो जो बर्फ आधी जम गई वह पिघल जाती है। सारे दिन उनको बिजली नहीं मिलती और ऊपर से 8 पर्सेन्ट सेल्स टैक्स। दूसरी बात जो छोटे उद्योग वाले हैं, व्यापारी हैं वे कहते हैं दो रुपये बढ़ती ले लो लेकिन सेल्स टैक्स मत लो। बहुत सी चीजों में दस-दस पर्सेन्ट सेल्स टैक्स है, आठ पर्सेन्ट सेल्स टैक्स लगा रखा है। यह उद्योग वालों के लिए बड़ी दिक्कत है।

(श्री सोहनलाल बंशीवाल)

अगर लोन लिया हुआ है और घाटा हो गया और एक किश्त नहीं दें तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है उसके बाद भगवान के घर से भी आ जाये तो चुका नहीं सकता। डबल चार्ज करेंगे। यहां तक कि जो उनको चिट्ठी लिखते हैं उसके पैसे भी जोड़ देते हैं, उस पर सूद लगाते हैं। ऐसी हालत में छोटे उद्योग वाले कैसे पनपेंगे, ? वे पनप ही नहीं सकते। इसलिए इस बात पर ध्यान दें।

इसके अतिरिक्त राजस्थान गवर्नमेंट उद्योग लगाने वालों के लिये हाउस टैक्स अलग लगाती है, लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स अलग लगाती है, या तो हाउस टैक्स लो। लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स लो। इसके बाद इन्कम टैक्स और सेल्स टैक्स, चार टैक्स ये हो गये। फिर बड़ा झगड़ा है कि यूनियन के लीडर बीच में आ जाते हैं, उनको उकसाते हैं, लेबर को काम नहीं करने देते। फैक्ट्री बन्द हो जाती है और मुकदमे में चले गये लेबर कोर्ट में तो दो साल-तीन साल फैसले नहीं होते हैं। लेबर वहां काम करता नहीं बिल्कुल भी। इस तरह से छोटे उद्योग वालों को बहुत नुकसान होता है। वे सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स की चोरी भी नहीं कर सकते क्योंकि छोटा धन्धा होता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स वाले उनको तंग करते हैं। छोटे कस्बों में सिनेमा घर खुले हुए हैं, सिनेमा का टैक्स जितना शहरों में है उतना ही छोटे कस्बों में भी है। वहां पर गरीब लोग, जमीदार लोग, मजदूर पेशा लोग या बिजनेस मैन उतना ही टैक्स देते हैं जितना शहरों में लोग देते हैं। हमारे यहां सिनेमा वालों की मीटिंग हुई, मैं भी एक सिनेमाघर से सम्बन्धित हूं, पार्टनर तो नहीं हूं, वैसे ही हूं। सुनने में आया कि छोटे कस्बों में जो टैक्स लगा रखा है, फ्री टैक्स की पिक्चर चल रही हो तो बहुत लोग देखने आते हैं और टैक्स की हो तो एक भी नहीं आता। हमने चिट्ठी भी लिखी कि सिनेमा का टैक्स कम किया जाय। चाहे टिकट का पैसा कम भी कर दो तो सरकार को इन्कम में कमी नहीं होगी। शहरों में रिटर्न सिस्टम कर रखा है। रिटर्न सिस्टम से पैसा जमा करा दो और छोटे कस्बों में कहते हैं टिकट लगाओ कैसे लगा सकते हैं— सिनेमा के टिकट मिलते नहीं

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

एक मिनट। सेल्स टैक्स के फैसले होते हैं, पांच-पांच सौ रुपयों की पैनल्टी लगती है फिर यह उद्योग कैसे पनपेंगे। लोग उद्योग लगाना चाहते हैं, हाउस टैक्स, इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स, फिर कैसे उद्योग चलेगा बिजली दो घंटे मिलती है।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, आज उद्योग की मांग पर मैं अपने कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं आज प्रदेश में 3-4 बहुत बड़े-बड़े उद्योग लगे हुए हैं जैसे खेतड़ी तांवा प्रोजेक्ट, उदयपुर जिंक प्रोजक्ट और एच.एम. टी कारखाना अजमेर। माननीय सभापति महोदय, जैसे कहा जाता है कि हाथी के पैर में सबका हिस्सा होता है, उसी तरीके से इन उद्योगों की यह भूमिका होनी चाहिए थी कि इनके जरिए कई हजार छोटे यूनिट्स पनपने चाहिए थे परन्तु ये उद्योग अमर बेल की तरह पनप रहे हैं और उन्होंने अपने नीचे का एक भी छोटा उद्योग पनपाने की कोशिश नहीं की है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान

(श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह)

आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या कारण है। आज इसकी गहराई में जायेंगे तो एक कारण है। इनका मैनेजमेंट ऐसे आदमियों के हाथ में है जिनका इस प्रदेश से कोई लगाव नहीं है, कोई भावना इस प्रदेश से जुड़ी हुई नहीं है। अगर इस प्रदेश से उनकी भावना जुड़ी हुई होती तो अवश्य इस प्रदेश की बेरोजगारी और बहबूदी की तरफ उनका ध्यान जाता और इस बारे में सोचते। इसलिए इनका मैनेजमेंट इस तरीके के आदमियों के हाथ में होना चाहिए जो इस तरफ ज्यादा ध्यान दें और आगे छोटे यूनिट्स को पनपायें जो हजारों दूसरे धंधे पनप सकते थे वह नहीं पनपे पाये और हमारा राज्य पिछड़ा रह गया, यह बहुत बुरी बात है इसमें सुधार होना चाहिए।

हमारे सीकर जिले में पाइराइट्स पर आधारित खाद का कारखाना, जो बहुत जरूरी है, सीकर झुंझुनू जिलों की बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकता है उसकी आज तक क्यों उपेक्षा हुई ? हमारे राज्य के बहुत बड़े नेता, श्री मोहनलाल सुखाड़िया के रोज वक्तव्य आते हैं कि यह कारखाना उदयपुर में लगाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आदमी इस प्रदेश का मुख्य मंत्री रहा है और जो इस सदन का नेता रहा है उसकी भावना सिर्फ उदयपुर में संकुचित होकर रह गई, आज क्या कारण है ? प्रदेश की जनता ने उनको दिल्ली तक पहुंचा दिया फिर भी वह उदयपुर तक ही सीमित हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं करता हूं लेकिन उनका दृष्टिकोण विशाल होना चाहिए प्रदेश से उठकर परन्तु वह तो उदयपुर तक ही सीमित है उनकी जो दुर्भावना है उसको पूरा नहीं होने देकर, मुख्य मंत्री जी आप थोड़ा ऊंचा उठकर क्षेत्रीय भावना को नहीं पनपने देंगे और हमारे क्षेत्र की जो ज्वलंत समस्यायें हैं उनको पूरा करके एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

सभापति महोदय, आज राज्य में जो बड़े-बड़े उद्योग हैं उनके काम के लिए टेण्डर काल होते हैं। हरियाणा व मध्य प्रदेश में यह परम्परा है कि उनके प्रदेश के जो टेंडर हैं यदि 10 पर्सेंट एक्सेस हों तो भी उनको प्राथमिकता दी जाती है परतु हमारे यहां यह परम्परा नहीं है, बाहर वाले को प्राथमिकता दी जाती है, यह गलत बात है। इसलिये इसमें सुधार करके ऐसी परम्परा डाली जाये ताकि यहां के उद्योग पनप सकें।

अब मैं प्रदेश की उद्योग समस्या पर कुछ और कहना चाहूंगा जैसा कि पिछले तीन सालों में एक परम्परा डाली गई थी कि एक ही कैम्पस में एक ही जगह उद्योग विभाग, फाइनेन्स कार्पोरेशन, रिको और दूसरी संस्थायें रखी जायें और इसका पूरी तरह से पालन नहीं हो पाया। मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से प्रदेश स्तर पर यह निर्णय लिया गया, उसी तरीके से जिला स्तर पर भी काम करें कि एक कैम्पस के अन्दर सब चीजें हों और टाइम बाउन्ड होना चाहिए कि आप वहां जायें, जाते ही जैसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग-अलग विभागों में आपकी समस्यायें सुलझ जाती हैं उसी तरह समस्या सुलझानी चाहिए और 15 दिन या एक माह के अंदर आपकी योजना स्वीकृत होकर आपको लोन मिलकर, बिजली का कनेक्शन मिलकर वाटर कनेक्शन मिलकर ये सब चीजें मिल जानी चाहिए तब तो आप बहुत उद्योग पनपा सकते हैं नहीं तो औद्योगिक क्रांति का आपका स्वप्न सिर्फ विचारों का स्वप्न बनकर रह जायेगा। इसलिए

(श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह)
डायरेक्टर ग्राफ इंडस्ट्रीज एक पावर फुल व्यक्ति होना चाहिए जिसके एक ग्रादेश पर हाथों-हाथ बिजली का कनेक्शन मिल जाए, जमीन ग्रलाट हो जाय, कच्चे माल की व्यवस्था हो जाय । परन्तु ऐसा नहीं है । ग्राज ग्रगर डायरेक्टर ग्राफ इण्डस्ट्रीज चाहे किसी यूनिट को बिजली दिलवायें तो कम से कम उसको 6 महीने तक परश्यू करना पड़ता है फिर भी ग्रगर उस व्यक्ति ने भेंट पूजा चढ़ाई तो बिजली का कनेक्शन मिलेगा नहीं तो नहीं। ग्राज हमारे राज्य के जाने माने लोग बिरला, जे. के. इत्यादि बाहर जाकर काम करते हैं वे इस प्रदेश में क्यों नहीं ग्राते हैं ? इस बात की खोजबीन करनी चाहिए ग्रौर उसका निराकरण किया जाना चाहिए । क्या बात है जो यहां के प्रवासी राजस्थानी हैं व बाहर जाकर ग्रपनी क्षमता का उपयोग करते हैं लेकिन यहां नहीं करते हैं लेकिन इसलिए यहां पर उनको ग्राकर्षित करना चाहिए । हमारे मुख्य मंत्री ने इस बात का प्रयास किया है उसके नतीजे नहीं मिले हैं । मुख्य मंत्री को ग्रौर चेष्टा करनी चाहिए । ग्रगर जरूरत हो तो थोड़ा च्यवनप्राश लेकर चेष्टा करनी चाहिए ताकि यहां उद्योग लग सकें । ग्रब मेरे जिले की ज्वलंत समस्या है । ग्रापके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान झुंझुनू जिले में........

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : च्यवनप्राश की बात ग्राई थी, मैं बहुत ग्रच्छी तरह से बनाता हूं ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : ग्राज तक झुंझुनू जिला इस मामले में उपेक्षित रहा है । कारण क्या था ? उसका सही प्रतिनिधित्व नहीं था । मैं निवेदन करना चाहता हूं डिप्टी डायरेक्टर इंण्डस्ट्रीज का ग्राफिस वहां स्थापित किया जाय ताकि खेतड़ी कॉपर जैसा कारखाना लगा हुग्रा है उसके साथ ग्रौर भी कारखाने लग सकते हैं । ग्रगर डिप्टी डायरेक्टर का ग्राफिस कायम किया जाय। जैसा कि मेरी जानकारी है, राजस्थान वित्त निगम का जिला ग्राफिस हमारे यहां खुलने वाला था, प्रस्ताव भी थे परन्तु जो निवर्तमान् प्रबंध संचालक थे उनके जाने के बाद यह योजना खटाई में पड़ गई । मैं सरकार को ग्रागाह करना चाहता हूं कि ग्रगर वह निर्णय क्रियान्वित नहीं हुग्रा तो उसके लिए जन-ग्रांदोलन चलाया जायेगा । ग्रौर मजबूर होकर सरकार को वहां आफिस खोलना पड़ेगा ।

सभापति महोदय, ग्रौद्योगिक नीति में भी थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा । पहले यह था कि जमीनें इन्स्टालमेंट्स के ग्राधार पर मिलती थी जैसे मेरे पूर्व वक्ता श्री श्रीराम गोटेवाला ने कहा 1.20 रु. प्रति वर्ग मीटर में जो जमीन मिलती थी वह ग्राज 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर में मिलती है । क्या ग्राप सोच सकते हैं एक गरीब साधारण तबके का ग्रादमी इस रेट पर उद्योग लगा सकता है ? नहीं। यह उसके साथ मजाक है । इसलिए सुधार करिए ग्रौर इस रेट को कम करके उसी इन्स्टालमेंट्स वाली पद्धति पर ग्रायें ताकि जो ग्रापकी ग्रौद्योगिक क्रांति के पीछे छिपा हुग्रा षड़यन्त्र है वह दूर हो ग्रौर एक साधारण ग्रादमी उद्योग लगा सके ।

मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर

(श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह)
सिर्फ एक ही सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री ने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि हाथ गाड़ी चलाने वाले पर कोई टैक्स नहीं लगेगा परन्तु एक आश्चर्य की बात है। उनकी भावना उच्च थी उनका मैं आदर करता हूं, उनका यह कहना था कि जो गरीबी लाईन पर बैठे हुए मजदूर हैं वे बिना टैक्स के अपना भरण पोषण कर सकें। उस भावना को प्रोत्साहन देने की बात थी परन्तु उसके साथ-साथ दूसरे गरीब तबके के कुम्हार की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। हमारे समाज का एक पिछड़ा वर्ग होता है जिसको कुम्हार कहा जाता है। उसके हाथ से ईंट बनाने पर सरकार ने टैक्स लाद दिया। मैं आपके माध्यम से इस प्रशासन से, सरकार से कहना चाहूंगा कि उस गरीब कुम्हार के हाथ से ईंट बनाने पर जो टैक्स लगाया गया है उसको माफ करें ताकि वह इस बात को सोच सके कि सरकार का दृष्टिकोण सबके साथ समानतापूर्ण है, किसी के साथ पक्षपातपूर्ण नहीं है।

सभापति महोदय, मैंने जो टूटे-फूटे सुझाव प्रस्तुत किए हैं मैं कहना चाहता हूं कि उनके द्वारा इस राज्य का औद्योगिक क्रांति का स्वप्न पूरा हो और इसमें हम सरकार के साथ भागीदार बनें, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समय का ख्याल रखें।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, बिलकुल ख्याल रखूंगा आप 15 मिनट का समय तो देंगे। सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग का जो वार्षिक प्रतिवेदन है...

व्यवस्था का प्रश्न

विभिन्न दलों के सदस्य संख्या अनुसार समय का विभाजन

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, आॅन ए पाइन्ट आफ आॅर्डर।

श्री सभापति : क्या है ?

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आॅर्डर यह है कि मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा व पूछना भी चाहूंगा कि इस विधान सभा में कितने सदस्य प्रगतिशील दल के हैं, आपने प्रगतिशील दल के लिये कितना समय निर्धारित किया है और उस निर्धारित समय में कौन कौन सदस्य बोले और कितने समय बोले ? इसके अलावा दूसरे सदस्य जो संख्या में हमारे दल से कम हैं उनको आप बोलने का बराबर अवसर देते हैं। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है हमारे दल के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इस प्रकार की हमेशा से ही व्यवस्था चल रही है इसलिये आप हमारे लिये व्यवस्था दें।

श्री सभापति : मेरे पास आपके दल के सदस्यों के बोलने की कोई लिस्ट अभी तक नहीं आयी है न ही कोई लेटर मेरे पास है।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मैं खुद देकर आया हूं। मैं मेरे दल का मुख्य सचेतक हूं। मैंने दी है। आप उसे देखने की कृपा करें।

मांग संख्या 42 व 14 पर विचार

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं जो प्रगति विवरण उद्योग निदेशालय से दिया गया है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान के नौजवानों,

Page No. 160

(160)

(श्री दाऊलाल जोशी)

राजस्थान के नौनिहालों जो कि हमारे देश के भाग्य विधाता हैं, उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा । मुझे इसको देख कर बड़ा दुख हो रहा है कि जहां हमारे राजस्थान में बेकारी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है वहां राज्य सरकार उनकी ओर भयंकर रूप से लापरवाही बरतती जा रही है और इसमें भी विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारों के संबंध में ।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मैंने जो पाईन्ट ऑफ आर्डर रेज किया था उसके संबंध में आपने कोई व्यवस्था नहीं दी ।

श्री सभापति : आपने कहा था उसी को मैं तलाश कर रहा हूं और उसके बाद मैं व्यवस्था दे दूंगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि शिक्षित बेरोजगारों के लिये योजना मद में जनता शासन सन् 79-80 में दस लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान था वहां पर राज्य सरकार ने 12 लाख रुपये खर्च किये थे ।

दुर्भाग्य से इस साल हमारे राजस्थान के नौजवानों के लिये इस सरकार ने, पहाड़िया सरकार ने बड़ा भारी खिलवाड़ किया है । मुझे उसको देख कर बहुत भारी आश्चर्य हुआ है कि उन्हें केवल 1 लाख रुपये अर्थात केवल 7 हजार रुपये शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग लगाने के लिये राशि प्रदान की है । यह शिक्षित बेरोजगारों पर अत्याचार है उनके साथ भयंकर मखोल किया गया है । राजस्थान सरकार चाहती है कि शिक्षित बेरोजगार नौजवान दुखी होकर सड़कों पर आयें और इनसे मुकाबला करें और इस कांग्रेस सरकार को समाप्त करने के लिये कमर कसें ।

इसके साथ-साथ मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर दूसरा राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर हैण्ड लूम विकास के लिये । सरकार ने जहां सन् 79-80 में 15.05 लाख रुपया रखा था आपको सुनकर आश्चर्य होगा । सहकारिता की डींग मारने वाली ये कांग्रेस सरकार ने सभापति महोदय इस साल के बजट में हैण्ड लूम के लिये 7.10 लाख रुपया मात्र रखा है । यह अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है । सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि एक ओर बेकारी की समस्या हमारे यहां पर मुंह फाड़े खड़ी है दूसरी उन जवान लोगों को बड़े उद्योगों को सुविधा दी नहीं जा रही है न छोटे उद्योगों को पनपाने के लिये सहकारिता के माध्यम से या और कोई अन्य साधनों से प्रोत्साहन ही दिया जा रहा है तो आखिर यह बेकारी की समस्या आप किस प्रकार हल कर सकेंगे ! बेकारी की समस्या का हल अगर आपको करना है तो आपको उद्योग धन्धे ज्यादा से ज्यादा लगाने पड़ेंगे नहीं तो यह बेकारी की समस्या नहीं सुलझेगी । आज राज्य सरकार इस ओर बिल्कुल ही तवज्जोह नहीं दे रही है । सभापति महोदय में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार न उद्योगों को लगाने में चुंगी की छूट देती है मेरे कोटा में श्रीराम रेयन्स, श्रीराम फर्टीलाइजर तथा श्रीराम केमिकल्स यह तीन बहुत बड़े उद्योग हैं वहां पर उन सभी उद्योगों के लिये चुंगी में छूट दी जाती है । इस प्रकार लाला भरत राम जो आज से सात साल पहले देश के धनाढ्यों में 9वें स्थान पर थे, वह

(श्री दाऊदयाल जोशी)

अब सात साल में चौथे स्थान पर आ गये हैं। उनकी पूंजी इस प्रकार बढ़ गयी है। इसका कारण यह है कि उनको करोड़ों रुपये की चुंगी की माफी मिल जाती है और वह आज भी बरकरार यथावत है। वहां की नगर परिषद को करोड़ों रुपये नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि आखिर कितने साल तक आप इनको यह चुंगी की छूट देते रहेंगे? इन्होंने इन सात सालों में कोई नयी उद्योग लगाया है और न ही कोई नयी आधारशिला ही नये उद्योगों के लिये लगाई है जिससे कि आप इनको चुंगी में छूट देते ही चले जा रहे हैं। इसी प्रकार, सभापति महोदय, इन लाला भरतराम चरतराम की तरह वहां जे. के. सिन्थेटिक्स के सोहनलाल सिंघानिया हैं उनको भी चुंगी में छूट दी जाती रही है क्योंकि जब भी हमारे यहां पर चुनाव आते हैं तो यह कांग्रेस पार्टी को करोड़ों रुपये की चन्दा देते हैं। चुनावों के समय में लाला भरतराम और चरतराम तथा जे. के. सिन्थेटिक्स वालों की थैलियां इन कांग्रेस वालों के लिये कोटा में खुल जाती हैं। यह धन्नासेठ उनको पैसा देते हैं फिर भी, सभापति महोदय, कोटा से कभी कांग्रेस जीती है न जीत सकती है और न ही कभी कांग्रेस वहां से जीतेगी ही, और न कभी कांग्रेस को जीतने ही देंगे।

इसके अलावा आपने कहा कि अनुसूचित-जाति और अनुसूचित जन जाति को पनपने के लिये उद्योगों में सुविधा देने के लिये मार्च और फरवरी, 1981 में उद्योग विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर विशेष अभियान का आयोजन किया गया है। सभापति महोदय, मुझे तो ध्यान नहीं कि इस तरह का कोई अभियान अभी तक कोटा में चला हो और न ही इस प्रकार का कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसकी कोई सूचना मेरे पास है। शायद राम किशनजी के पास कोई सूचना हो क्योंकि वह मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते उन्हें कहीं पर उद्घाटन करने के लिये कभी बुलाया हो। मेरे ख्याल से रामकिशन जी नहीं गये होंगे और नहीं मुझे बुलाया गया और न ही वहां पर कोई अभियान चलाया गया।

सभापति महोदय, इसके अलावा मुझे एक बात माप और बांट विभाग के बारे में निवेदन करना है, इसके लिये दो लाख रुपये का खर्च करने का प्रावधान बताया गया है। सभापति महोदय, यह माप और तौल विभाग सिवाय भ्रष्टाचार के अड्डे कुछ नहीं है। उसके अन्दर कोई काम नहीं होता है यह सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें जो गड़बड़ी होती है उसको आज तक किसी ने चैक नहीं किया है। क्या किसी ने कोई चैक किया है? कौन सा ऐसा दुकानदार है जो कि दूध को लीटर से नापता है? आज भी भवानी मण्डी में सन्तरे के भाव मनों में तय किये जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिये। इस माप और तौल के विभाग को समाप्त किया जाना चाहिये। लाखों रुपये आज सरकार खर्च कर रही है पर इससे कोई लाभ किसी प्रकार का जनता को नहीं हो रहा है। इससे न तो व्यापारियों को ही कोई सुविधा मिलती है और न ही जनता को कोई लाभ होता। इसी प्रकार आज लघु उद्योगों को भी कोई हमारे कोटा में विकास नहीं हो रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, कोटा औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अग्रणी है।

(श्री दाऊदयाल जोशी)
कोटा के लिये अगर कोटा जिले का विधायक उद्योगों के बारे में नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा ? इसलिये मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा ?

श्री सभापति : आप बोलिये लेकिन एक ही बात को बार-बार मत कहिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, जो भी दूसरे बोलते हैं उद्योगों के बारे में वह तो सिर्फ बोलने के लिये ही बोलते हैं। मैं तो उद्योगों में आज क्या स्थिति है उसकी वास्तविकता बता रहा हूं। कोटा में 245 लघु इकाईयां है। वहां पर भ्रष्टाचार की चरम सीमा हैं। मुझे सुनते हुए आश्चर्य होता है कि अभी उद्योग विभाग की मीटिंग कोटा में 17-3-81 को कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई। मैंने, सभापति महोदय, उसके बारे में एक पत्र पुरोहित जी को लिखा है कि, पुरोहितजी आपको थोड़ा तो विचार करना चाहिये था कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा है और मांगों पर विचार चल रहा है और हम सभी कोटा के सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं, आपने किस प्रकार कोटा में जिलाधीश की अध्यक्षता में 17-3-81 को उद्योग विभाग की मीटिंग रख ली और सारी बातें वहां पर आपने तय करली ? आखिर कोटा की प्रगति के लिय हम विधायकों की भी तो जिम्मेदारी है। आपको इस प्रकार मीटिंग बुलाकर सभी मुद्दों को तय नहीं करना चाहये था, पर उन्होंने तो एक फार्मेलिटी निभानी थी कि इसकी एक मीटिंग हर साल एक बार होनी चाहिये वह उन्होंने मीटिंग बुलाकर करली। सभापति महोदय, हम वहां जाते और कोटा के उद्योगों के बारे मे बोलते, वहां पर यह बताते कि किस प्रकार से कोटा के उद्योगपतियों को सामान नहीं मिलता है, किस प्रकार वहां कोयल में कालाबाजारी होती है और किस प्रकार वहां पर कोटा से मोम के कोटे में गड़बड़ियां होती हैं, किस तरह वहां पर कपूर में घोटाला में होता है। सभी बातें हम वहां पर कलेक्टर के सामने रखते और हम वहां उनकी गड़बड़ियों की पोल खोलते। उन सभी बातों की पोल न खुल जाये इसलिये हमें वहां पर नहीं बुलाया गया और इस प्रकार जिला उद्योग अधिकारी पुरोहितजी महाराज ने जिलाधीश की अध्यक्षता में मिटिंग बुलाकर उद्योग विभाग की इति श्री करदी। मेरा निवेदन है कि हम लोगों को इस प्रकार मीटिंग में नहीं बुलाकर बड़ा अन्याय किया है। इसी के साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में केवल एक रासायनिक प्रयोगशाला है छोटे और कच्चे माल को टैस्ट करने के लिए रासायनिक प्रयोगशाला एक और बनानी चाहिये उसके लिए हमारे समय में 70 हजार का। खर्चा तय किया था। प्रयोगशाला में उद्यमियों का कच्चे माल तथा निर्मित वस्तुओं के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह विभागीय प्रयोगशाला जयपुर में ही कार्यरत है। आलौच्य वर्ष में इस प्रयोगशाला में 305 नमूनों का विश्लेषण किया गया। माननीय सभापति महोदय क्या केवल 305 नमूने ही उद्योगपतियों के आये ? आखिरकार उद्योगपति चाहते हैं कि वह जो कच्चा माल ले रहे हैं वह ठीक है या नहीं उसका टैस्ट कराने के लिए उनको लेबोरेटरी चाहिए और उसके ऊपर केवल मात्र खर्चा आया 70 हजार रुपया रसायनशाला बढ़ानी चाहिए, चूंकि कोटा

(श्री दाऊदयाल जोशी)

औद्योगिक नगरी है, जयपुर में उद्योग हो सकते हैं लेकिन कोटा उससे बढ़कर है। वहां पर रसायनशाला की स्थापना की जानी चाहिए थी उसके लिए राशि रखी जानी चाहिए थी लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस साल 70 हजार से घटाकर रसायनशाला की राशि केवल मात्र 30 हजार रखी है। मेरा निवेदन करना है कि इस प्रकार से उद्योगपतियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, नौजवानों के साथ, शिक्षित लोगों के साथ यह उद्योग विभाग खिलवाड़ कर रहा है। राजस्थान का उद्योग विभाग राजस्थान की प्रगति का द्योतक नहीं है बल्कि इसकी प्रगति को अवरुद्ध करने वाला है, मेरा यह सीधा चार्ज है। वर्तमान मुख्य मंत्री श्री जगन्नाथजी पहाड़िया जो कि उद्योग मंत्री भी हैं, यहां विराज नहीं रहे हैं। अपने विभाग से संबंधित काम के दिन तो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्य मंत्री का उपस्थित होना जरूरी है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं सेल्स टैक्स की बात निवेदन कर रहा था। मेरा निवेदन करना यह है कि बिक्री कर और मनोरंजन कर तथा इस विभाग के अधिनियमों के अन्तर्गत अपीलों की सुनवाई के लिए राजस्थान में 6 उपायुक्त न्यायालय रखे हैं जिनमें 13,638 अपीलें विचाराधीन हैं। यह अपीलें कोई धन्ना सेठों की नहीं हैं। लाला भरतराम-चरतराम और सोहन लाल सिंघानिया की नहीं हैं। यह अपीलें छोटे दुकानदारों की हैं। छोटे व्यापारियों की, हैं। धन्ना सेठ, तो ऊपर ही ऊपर बैठकर सारे धंधे कर लेते हैं। उनको कभी अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। अगर आपको इसके लिए पोस्ट बढ़ानी पड़े तो वह बढ़ाइये। तो यह 13,638 अपीलें जो यह भिन्न-भिन्न उपायुक्तों के यहां विचाराधीन हैं उनकी सुनवाई के लिए तुरन्त व्यवस्था की जानी चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

इसी प्रकार से वाणिज्य कर के संबंध में विभाग का बुलेटिन प्रति माह पहले निकलता था। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या आपने वह बुलेटिन पढ़ा है? कहीं देखा है? कहीं आपने सुना कि कोई बुलेटिन है? दो साल हो गए माननीय मंत्री महोदय वह बुलेटिन हमारे समय में निकलता था लेकिन जैसे ही हम गये वह बुलेटिन हमारे साथ ही चला गया। उस बुलेटिन को व्यापारी लोग लेते थे उससे उनको पता लगता था कि कौन सा कर बढ़ा और कौन सा घटा और कैसी-कैसी राहत मिली है और उससे छोटे व्यापारियों को कितनी राहत मिली और धन्ना सेठों को कितनी राहत मिली।.....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : बिक्री कर की पुरानी एवं चालू मांगों से क्रमश: 438.95 एवं 905.11 लाख रुपया 1-1-81 तक वसूल किया जाना था। इस राशि में से चालू माह में 409 लाख रूपया वसूली के लिए पड़ा हुआ है। आखिर यह 409 लाख की इतनी बड़ी राशि विवादास्पद रूप में पड़ी रहे इससे बड़ी और बात नहीं हो सकती।

सभापति महोदय, मनोरंजन कर के तहत दिसम्बर, 1980 तक 10.96 लाख रुपये की मांग निर्धारित की गयी। यानी आप अन्दाजा लगाइये कि कितना गतिहीन विभाग है जिस मनोरंजन कर सेल्स टैक्स का कुछ प्रतिशत नगरपालिकाओं को मिलता

(श्री दाऊदयाल जोशी)

है, जो पहले नगरपालिकाएं वसूल करती थीं, उस मनोरंजन कर की राशि 7.96 लाख में से केवल मात्र वसूल हुआ है 2.74 लाख रुपया। मेरा निवेदन करना यह है कि इस प्रकार से मनोरंजन कर वसूल नहीं हुआ और सैल्स टैक्स आज की तारीख में 40 करोड़ के लगभग पिछली साल के मुकाबले कम वसूल हुआ है। यह सैल्स टैक्स विभाग नाकारा है, यह सैल्स टैक्स विभाग किसी तरह से भी गतिशील नहीं है। मेरी तो मांग यह है कि सैल्स टैक्स बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए। मेरी पार्टी ने पहले भी कहा था और मेरी पार्टी आई होती तो निश्चित् रूप से इसको समात करती। यह कर उत्पादन कर के रूप में वसूल किया जाना चहिए। गरीब खिलौने वाले, रेडीमेड कपड़े बनाने वाले और छोटे-छोटे हलवाई हैं ऐसे गरीब लोगों से सैल्स टैक्स वसूल किया जाता है, जो कि हिसाब ही नहीं रख सकते। मेरा आपसे निवेदन है कि राज्य सरकार तुरन्त इसके लिए समुचित व्यवस्था करें और सैल्स टैक्स समाप्त करके उत्पादन कर लगायें।

श्री **सभापति** : श्री रतनलाल ताम्बी। आपको मैं यह निवेदन कर दूं....

श्री **रतनलाल ताम्बी** : मैं बोलना नहीं चाहता। मैं व्यवस्था चाहता हूं पहले।

श्री **सभापति** : आपकी लिस्ट में केवल आपका ही नाम है।

श्री **रतनलाल ताम्बी** (जयपुर) : नाम दो हैं और दोनों को अवसर दिया जाय।

श्री **सभापति** : मेरे पास लिस्ट अभी आई है।

श्री **रतनलाल ताम्बी** : अभी नहीं आई है, यह बात बिलकुल गलत है....

श्री **सभापति** : आपने दे दी होगी हो सकता है।

श्री **रतनलाल ताम्बी** : मैंने साढे दस बजे, पौने ग्यारह बजे दे दी थी। दल का सचेतक मैं हूं और हमेशा समय पर देता हूं। उसके बाद निरन्तर देख रहा हूं कई दिनों से कि पांच बजे के बाद, 6 बजे के बाद मेरे दल का नम्बर आता है जबकि अपोजीशन में हमारे दल का दूसरा नम्बर है।

श्री **सभापति** : आप बोलिये।

श्री **रतनलाल ताम्बी** : मैं बोलना नहीं चाहता। पहले व्यवस्था चाहता हूं।

श्री **सभापति** : आपके दल को 15 मिनिट का समय दे रखा था! आप बोलिये जितनी देर बोलते हैं।

श्री **रतनलाल ताम्बी** : बोलने की बात आप नहीं कहेंगे। पहले मैं व्यवस्था चाहूंगा। दूसरे नम्बर का दल होते हुए भी हमारा नम्बर नहीं आता और कोई दल एक-एक व्यक्ति और दो-तीन सदस्यों का ही है उनको बोलने दिया जाता है, जनता पार्टी के 5-6 सदस्यों को बुला दिया और हमारा नम्बर तब तक नहीं आये। मैं स्थाई रूप से व्यवस्था चाहता हूं। मैं उसके बाद में बोलूंगा।

श्री **सभापति** : अध्यक्ष महोदय, आपको व्यवस्था देंगे इस संबंध में।

श्री **रतनलाल ताम्बी** : अध्यक्ष महोदय बिराजते तो मुझे असुविधा नहीं होती।

श्री **सभापति** : आज आप बोल सकते हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय होते हैं तो दिक्कत नहीं आती। आप बैठते हैं तो दिक्कत आती है।

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, आज राजस्थान में उद्योगों के बारे में चर्चा करने के लिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं। राजस्थान में पिछले पांच-सात वर्षों से औद्योगिक नीति की दृष्टि से कोई नया परिवर्तन नहीं किया गया है। मेरा जहां तक अनुमान है राजस्थान में सन् 58 से 70 के आसपास उद्योगों का विकास हुआ। बड़े-बड़े उद्योग लगे, बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनायें बनीं और बिजली के उत्पादन का कार्यक्रम बढ़ा था। उसके आधार पर राजस्थान में औद्योगिक विकास की क्रांति आई थी, पर दुर्भाग्य से इन वर्षों में न तो बिजली का उत्पादन बढ़ा है, न बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं के जरिये पानी की उद्योगों में आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होती है। इसके साथ ही साथ कई प्रकार की कठिनाइयां आज भी मौजूद हैं। जो व्यक्ति लोन लेना चाहता है या उद्योग लगाना चाहता है तो उसको कई दफ़तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह ऐसी व्यवस्था है कि पहले ही व्यक्ति निराश हो जाता है। इसलिए मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि इस संबंध में एक ऐसी व्यवस्था करे जिससे एक ही जगह सबको निर्धारित आधार पर उद्योग के लिए सारी सुविधायें उपलब्ध हो जायें।

दूसरे, मैं यह चाहूंगा कि औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान का एक मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए। आज भी राजस्थान सरकार और उसका उद्योग विभाग इस दिशा में कोई योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर रहा है कि किस क्षेत्र में कौन सा उद्योग लग सकता है, कौनसा कच्चा माल कहां उपलब्ध है और कौन सी चीज का मार्केट कहां है। इस आधार पर आज राजस्थान देश के औद्योगिक नक्शे में बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से एक मास्टर प्लान तैयार करें उसके आधार पर देखें कि कहां मिनरल-बेस उद्योग लग सकता है और कहां किस प्रकार की टैक्सटाइल मिल का सवाल है, कहां दूसरे कारखाने लग सकते हैं। आज मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में चार पांच खनिज पदार्थ एशिया में सबसे ज्यादा मौजूद है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में अभ्रक आधारित उद्योगों का सबसे बड़ा प्रतिशत है। बिहार के बाद भीलवाड़ा जिला है। देश में दो कागज के अभ्रक आधारित उद्योग लगाने का सवाल है। राजस्थान सरकार की अभी तक इस संबंध में कोई तैयारी नहीं है कि अभ्रक-आधारित कागज का कारखाना इस राजस्थान की धरती में सबसे अधिक उत्पादन करने वाले भीलवाड़ा जिले में लगे। इसके लिए कोई तैयारी नहीं है। मैं चाहूंगा इसमें आप पहले ध्यान दीजिये।

इसके साथ माइका के प्लांट का सवाल रखा था भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र में संगमरमर के बहुत बड़े डिपाजिट्स निकले हैं जिसके लिये लोग अपने स्तर पर प्रयत्न कर रहे हैं। फाइनेंस कारपोरेशन से गवर्नमेण्ट की तरफ से उनको कोई सहायता नहीं मिली है वहां की धरती में, संगमरमर के डिपाजिट्स हैं। एशिया के सबसे बड़े सोप स्टोन के डिपाजिट्स मेरे जहाजपुर क्षेत्र में हैं। दुःख इस बात का है कि उद्योगों को बढ़ाने के लिये बिजली, पानी नहीं हैं, यह उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा

(श्री रतनलाल ताम्बी)

के बाद चम्बल नदी का पानी बेकार जाता है। क्या राजस्थान की सरकार केवल कोटा जिले के लिये, बूंदी, टोंक जिले के लिये, भीलवाड़ा जिले के लिये अजमेर के लिये है ? सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भीलवाड़ा जिले में अगूचा में खनिज पदार्थों के बहुत बड़े डिपाजिट्स मिले हैं उसके लिये पानी की सबसे बड़ी आवश्यकता है कोटा के बाद चम्बल के पानी के लिये योजना बनाई जाये इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। एक माननीय सदस्य ने कुछ व्यक्तियों का नाम लेकर कहा उदयपुर में फॉस्फेट के कारखाने की बात की। आज वे दूसरे दल की बात सोचते हैं। उदयपुर के संसद सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी न हों ? क्षेत्रीय भावनाओं का आरोप लगाया गया है। मैं मांग करना चाहता हूं कि उदयपुर डिवीजन में फास्फेट के डिपाजिट्स मौजूद हैं, उस धरती की बात करना चाहता हूं जहां का इतिहास है घास की रोटी खाकर इस देश के स्वाभिमान के लिये बलिदान हो गये, उस महाराणा प्रताप की भूमि चित्तौड़ के आसुन्दा में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। वहां बिजली मौजूद है, वहां पानी मौजूद है, मोहनलाल सुखाड़िया ने वहां खाद के कारखानें की मांग की है तो कोई गलत नहीं किया है। उस धरती का इतिहास रहा है। वहां आदिवासी लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कोटा में कारखाने लगाये गये क्या क्षेत्रीय भावना के आधार पर लगाये गये ? कोटा का विकास हुआ है। राजस्थान का विकास हुआ है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, विरोधी पक्ष के सदस्य आरोप लगा रहे थे मैं उनसे पूछना चाहता हूं राजस्थान में पिछले 7-8 वर्षों में कौन सा कारखाना लगा दिया। इसका कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसलिये मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं अगर क्षेत्रीय भावनाओं का आरोप लगाकर दक्षिणी राजस्थान की गरीब जनता के विकास की बात करते हैं तो राजस्थान में एक नई बात पैदा होगी। इससे एक नई दिशा और एक तरह से विरोध पैदा होगा। इस प्रकार की बात नहीं करें। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां इस प्रकार के उद्योग लग सकते हैं वहां-वहां लगाने चाहियें। और उसी आधार पर निर्णय करना चाहियें क्षेत्रीय भावनाओं की बात करके राजस्थान के विघटन की बात नहीं करनी चाहिये मैं ऐसी आशा करते रहना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ मैं दो-तीन बातें और निवेदन करना चाहूंगा। भीलवाड़ा जिले में विशेष रूप से सीमेन्ट और माइका के बहुत बड़े डिपाजिट्स हैं, दुर्भाग्य से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। मेरा यह निवेदन है कि माण्डल, जहाजपुर क्षेत्र में मिनी सीमेंट उद्योग लग सकते हैं। मिनी सीमेंट के प्लान्ट लगाये जाने चाहिये और इस बारे में राज्य सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहियें। खनिज विकास निगम अपनी ओर से इस बात का प्रयास करें और इस तरह की बात करे।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाइनाक्ले वहां मौजूद है। कैमिकल इण्डस्ट्रीज में जरूरत पड़ती है, बिजली के उद्योगों में जरूरत पड़ती है उस आधार पर इस इलाके में बहुत उपलब्ध है इस विषय में ध्यान दिया जाय। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं, मेरे जहाजपुर क्षेत्र में 100 ऐसे भट्टे हैं। हम गरीबों की बात करना चाहते हैं गरीबों को ऊपर उठाने की बात करना चाहते हैं। राजस्थान में गरीबों के उत्थान की बात कहते हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आज उन भट्टों के लिए

(श्री रतनलाल ताम्बी)

राजस्थान का उद्योग विभाग, कोयला उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, चूरी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है उनको ब्लैक मार्केट से लानी पड़ती है। महंगे भावों के ऊपर मिलती है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों को आप कोयला उपलब्ध करा सकते हैं। रेक के रेक मिल सकते हैं। क्या आप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते कि छोटे-छोटे भट्टों वालों के लिये, जो हाथ से काम करने वाले हैं उनके लिय कोयला वगैरह उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था कर सकें ? मैं आपसे इस बात की मांग करना चाहता हूं।

इसके साथ मैं माईका बस्ड उद्योग के लिये निवेदन करना चाहूंगा। माइका बेस्ड उद्योग भीलवाड़ा में लगने की सम्भावना है। ईटें एशिया में सबसे पहले भीलवाड़ा में बनने लगी हैं जिनकी विशेषकर विदेशों में मांग है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मांग है उसकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया है इसलिये मेरा आप से खास तौर से निवेदन है इस तरफ ध्यान दें।

हमारा जहाजपुर का क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, गरीब लोग हैं, उनको औद्योगिक प्रशिक्षण देने की बात करना चाहता हूं। वहां पर 95 प्रति ट्राइबल लोग रहते हैं ऐसे गांवों को देख लें। मैं इसके साथ-साथ शाहपुरा कस्बे, जो 30 हजार का कस्बा है, में विरोधी दल के नेता ने एक मिल का शिलान्यास किया था, वहां मिल लगाने की योजना चली है वह कागजों में नहीं रहे। राजस्थान सरकार द्वारा 1981-82 में शाहपुरा की धरती, जहां शासकों ने सबसे पहले कांग्रेस से संबद्ध होकर जनतंत्र घोषित किया था, की उपेक्षा हो रही है। वहां प्लान्ट लगाने की घोषणा थी; घोषणा ही नहीं पूरा काम शुरू हो गया था, सीमेंट पत्थर पहुंच चुके थे बाद में वे हटा दिये गये। वहां की जनता में बड़ा आक्रोश है इसलिये मेरा अनुरोध है वहां इस प्लांट को लगाया जाना चाहिये।

इसके साथ-साथ खादी ग्रामोद्योग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। खादी ग्रामोद्योग का जो बोर्ड है उसमें इने-गिने लोग हैं वही लोग इस संस्था को चला रहे हैं। वही इने-गिने लोग इसके कर्त्ता-धर्ता बन गये हैं। मैं चाहता हूं कि इस संस्था में नये लोगों को प्रवेश दिया जाये सरकार के प्रतिनिधि हों, जनता के प्रतिनिधि हों, सभी प्रकार के लोग इस संस्था में होने चाहिये।

इसके साथ-साथ उदयपुर, नाथद्वारा और जहाजपुर मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है। यहां पर लकड़ी के खिलौनों का बहुत बड़ा काम होता था जो प्रायः चौपट हो गया। राज्य सरकार इन तीनों स्थानों के लकड़ी उद्योग को पुनर्जीवित करेगी और उस आधार पर वहां जो लकड़ी के काम के कारीगर मौजूद हैं, नये कारीगर मौजूद हैं उनको रोजगार मिलेगा। उस आधार पर इस उद्योग पर ध्यान दिया जायेगा, एसी मैं आशा करके चलता हूं।

इसके साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र की बात मैं करना चाहता हूं। शाहपुरा जैसा कस्बे में जहां 30 हजार की जनसंख्या है, औद्योगिक क्षेत्र कायम नहीं कर पाये हैं। मैं चाहूंगा कि औद्योगिक क्षेत्र के काम किये जायें। जो दरें कायम की हैं इतनी ऊंची दरें है। 10, 12 हजार की जनसंख्या के कस्बे हैं आज जयपुर, भीलवाड़ा के बराबर बड़े कस्बों के बराबर रेट रखी है इसलिये उद्योग नहीं लग रहे हैं। छोटे कस्बों के लिये अलग से दरें निर्धारित की जायें।

दो एक बातें और कह कर मैं समाप्त करूंगा। एक निवेदन करूंगा जहां बिजली

(श्री रतनलाल शर्मा)

नहीं मिलती, अकाल पड़ गया, पानी नहीं था, मगर मिलें जितनी थीं वह उत्पादन नहीं कर सकीं बिजली उत्पन्न नहीं हुई, गन्ना पैदा नहीं हुआ और फिर उनसे वसूली की जाती है। मेरे जिले में सारे लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उद्योग विभाग से निवेदन करना चाहता हूं और वित्त निगम से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के साथ ज्यादती न करें, नहीं तो जो उद्योग लगे हुए हैं वे भी चौपट हो जायेंगे। मैं खास तौर से यह चाहता हूं इन सब बातों पर गौर किया जाय और एक औद्योगिक प्लान राजस्थान का बनाया जाय। जहां-जहां इण्डस्ट्रीज लग सकती हैं वहां-वहां अलग-अलग योजनाएं बना दी जायं ताकि दिक्कत नहीं हो। मैं एक बात कह कर समाप्त करना चाहूंगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि राजस्थान सरकार के जब आंकड़े देखता हूं तो बड़ी निराशा होती है उद्योगों में 8 करोड़ और बिक्री कर में 14 करोड़ से जो आय और वर्द्धनी चाहिये वह कम हो रही है। इस पर गौर करने की आवश्यकता है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं किशनगढ़, राजस्थान में पावर लूम की दृष्टि से माना हुआ क्षेत्र है। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा जो लोग वहां पहले से धन्धा लगाये हुए हैं और जो दो पर्सेन्ट बिक्री कर लगता है, वह उनको माफ है किन्तु अब जो नये पावरलूम लगाना चाहते हैं उन पर बिक्री कर दो पर्सेन्ट लगाया जाता है उससे नये धन्धे नहीं बढ़ रहे हैं। तो मुख्य मंत्रीजी से अपील करूंगा कि यह विसंगति समाप्त करके दो पर्सेन्ट का जो इन दोनों के बीच भेद-भाव है उसकी समाप्ति के लिये अपनी स्पीच में घोषणा करें ताकि जो नये उद्योग नहीं लग रहे हैं वह लग सकें और वहां का उद्योग पुनर्जीवित हो सके। समय के अभाव में कई सुझाव नहीं दे पा रहा हूं। हमारे दल के सदस्यों को बराबर 5-7 दिन से चिन्ता और भेद-भाव महसूस हो रहा था उसके लिये जो आपने समय दिया, मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री कनक राज।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : सभापति महोदय, मैं आपके सामने उद्योग के संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। अगर देखा जाय तो राजस्थान की उद्योग नीति जिस ढंग से निर्धारित होनी चाहिये वह नहीं हुई है, इसी के कारण राजस्थान उद्योगों के मामले में पिछड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में कारणों की छानबीन करना आवश्यक हो जाता है। एक मांग तो यह है कि जो राजस्थान की उद्योग नीति है वह स्थायी नीति न होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। पहली बात, जो लोगों को भूमि दी जाती है उसमें काफी समय लग जाता है व लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है जिससे जल्दी उद्योग लगाने की आशा खत्म हो जाती है इसी कारण से उद्योगपति परेशान होकर वापिस लौट जाते हैं। आज ही मालूम हुआ है कि कुछ प्रवासी राजस्थानियों को निमंत्रण दिया गया था कि राजस्थान में आयें और उद्योग लगायें। उस निमंत्रण के आधार पर राजस्थानियों ने हिम्मत करके राजस्थान में उद्योग लगाने का विचार किया और इसी विचार से जोधपुर में, जिन के उद्योग बम्बई या दूसरी जगहों पर चले रहे हैं, वे लोग आये लेकिन उन लोगों को न तो आज तक बिजली मिली और न ही राज्य सरकार की तरफ से जमीन की व्यवस्था की गई। उनकी रकम फंस गई। उन्होंने निमंत्रण के आधार पर अपनी रकम फंसा दी। आज उनमें बड़ी भारी निराशा के बादल छाये हुए हैं। इस

(श्री कनकराज मेहता)

तरह जो राजस्थानी प्रवासी आते हैं और राजस्थान में उद्योग लगाने की हिम्मत करते हैं वे प्रशासन की मदद देने की ढिलाई के कारण निराश हो जाते हैं। इस तरह की स्थिति में कोई भी जिनके दूसरी जगह उद्योग लगे हुए हैं वहां उन्हें जो फेसिलिटी मिलती है उन्हें छोड़ कर कभी भी राजस्थान में आने को हिम्मत नहीं करेंगे।

अतः मेरा निवेदन है कि इसकी छानबीन करके तथ्यों का पता लगाना चाहिये कि किन कारणों से उनमें निराशा की भावना पैदा हो जाती है, किन कारणों से राजस्थान में वे अपने उद्योग लगाना पसन्द नहीं करते हैं। इसके साथ ही यह भी निवेदन है कि जो बड़े बड़े धन्धे हैं जिनमें लोगों को रोजगार मुहैया हो सकता है, वे भी आज कच्चा माल व पावर के अभाव में बन्द पड़े हैं जिन लोगों को रोजगार उपलब्ध होना चाहिये वह नहीं हो पाता है और जो उद्योगपतियों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उससे कोई फायदा नहीं मिलता है। मेरा एक निवेदन यह भी है कि कोई उद्योग लगाने के लिये आते हैं तो उनको पूरी फेसिलिटी नहीं दी जाती है। जमीन उन्हें आसानी से नहीं दी जाती है और जो उनको कर्जा दिया जाता है उस सारी व्यवस्था का सरलीकरण होना भी आवश्यक है, उद्योग लगाने के लिये वित्त की जो मदद दी जाती है उसमें होने वाली परेशानियों को मिटाना आवश्यक है जिससे उनको बिना किसी भेदभाव और दिक्कत के कर्ज मिल जाय ताकि वे अपना धन्धा लगा सकें।

राजस्थान में स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज भी लगाना जरूरी है। आज राजस्थान में इतने धनी मानी व्यक्ति नहीं हैं कि वे बड़े उद्योगों को लगा सकें इसलिये छोटे-छोटे धन्धों की ओर भी सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये। यही कारण है कि राजस्थान का बहुत बड़ा भू-भाग बिना औद्योगिकरण के और बिना सुविधा के रहा है। मेरा निवेदन है जो बड़ा भू-भाग है जैसे बाड़मेर, जालौर जिलों में उद्योग नहीं है। जालौर में ग्रेनाइट पत्थर भी काफी मात्रा में मिलता है, बाड़मेर में ऊन भी मिलता है, चमड़ा भी मिलता है इस तरह के उद्योग वहां लगाये जायें तो लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा और धन्धे में लगने से बेकारी से भी मुक्ति मिल सकेगी। अगर यह व्यवस्था नहीं की गई तो राजस्थान, जो खेती पर निर्भर है और जहां हर दूसरे वर्ष अकाल पड़ता है, एक बड़ी भारी मुसीबत में फंस जाता है, यह स्थिति बराबर बनी रहेगी। राजस्थान के हित में है कि जितना स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया जायेगा उतना ही राजस्थान का विकास तीव्र गति से होगा।

साथ में मेरा यह भी निवेदन है कि राजस्थान में जो सेल्स टैक्स लगाया जाता है उसका सरलीकरण होना भी आवश्यक है। आज यह टैक्स एक सोर्स पर न लगकर कई सोर्स पर लगता है। इससे राज्य सरकार को भी कई परेशानियां होती हैं और व्यापारियों को भी परेशानी होती है इस परेशानी के कारण धन्धे कम होते हैं। मेरा यह भी निवेदन है कि जो उत्पादन कर रहे हैं उन पर यह लगा दिया जाये। एक ही सोर्स पर लगा दिया जाये इससे टैक्स के मामले में सरलीकरण होगा और सरलीकरण होने पर काफी मात्रा में लोग उद्योग धन्धे लगाने के लिये तैयार हो जायेंगे। और टैक्स चोरियां कम होंगी व आमदनी बढ़ेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक, मेरा, सभापति महोदय, यह भी निवेदन

(श्री कनकराज मेहता)

है राजस्थान में जो उद्योग लगाने वाले हैं और जिस कारण हमारे यहां उद्योग नहीं पनप रहे है, उनका पता लगाना आवश्यक है। जो हमारा रेगिस्तानी भू-भाग है उसमें कच्चा माल काफी तादाद में मिलता है। जालोर में ग्रेनाइट पत्थर निकलता है उसका कारखाना जोधपुर में लगा दिया यह बहुत बड़ी विडम्बना है। यहां का कच्चा माल बाहर जाकर साफ होता है इससे वह महंगा हो जाता है। अगर यह जालौर जिले में ही लगा दिया जायें तो जिले के लोगों को काफी राहत मिलेगी और माल भी काफी सस्ता पड़ेगा। औद्योगीकरण हमारे राजस्थान में इतना मन्द गति से चल रहा है कि उसको गति देना बहुत जरूरी है। इसे जब तक आप गति नहीं देंगे, उद्योगपतियों को वांछित सुविधाएं नहीं देंगे तब तक राजस्थान का औद्योगिकरण होना सम्भव नहीं होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जीतमल जैन।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, हमारा एक ही आदमी बोला है।

श्री सभापति : पार्टी ने लिखकर दिया है कि एक ही बोलेंगे।

श्री महाराम चौधरी : लिखकर कहां दिया है ?

श्री सभापति : मेरे पास है।

श्री महाराम चौधरी : कोई उम्मीद नहीं है, साहब।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय भापति महोदय, राज्य की जो आय है उसमें बिक्री कर एक बहुत बड़ा आय का साधन है। लेकिन जब हम सहकारिता को ... करते हैं उसके साथ भ्रष्टाचार जुड़ जाता है, उसी प्रकार जब हम बिक्री कर की चर्चा प्रारम्भ करते हैं तो उसके साथ ही भ्रष्टाचार की सुगंध आने लगती है। आम तौर पर आम जनता में चर्चा का विषय रहता है कि यह बिक्री कर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण है। इस बारे में पिछली सरकार ने कहा भी था कि हम बिक्री कर समाप्त करेंगे लेकिन जनता पार्टी भी बिक्री कर को समाप्त नहीं कर सकी और मैं समझता हूं वर्तमान शासन बिक्री कर को समाप्त नहीं कर पायगा क्योंकि राज्य को होने वाली बहुत बड़ी आमदनी बिक्री कर से प्राप्त होती है। अब प्रश्न यह है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया, जैसे आपके आंकड़े, आपका लिट्रेचर प्रसारित किया गया है कि इन सालों के अन्दर चीजों के भाव निरन्तर बढ़े हैं लेकिन उसके बाद भी बिक्री कर से आय कम हुई है। जब चीजों के भाव बढ़े हैं तो बिक्री कर के साधनों से होने वाली आय भी बढ़नी चाहिए लेकिन वह घटी है। इसका अर्थ यह है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं होने वाली आय के अन्दर बहुत बड़ा लीकेज है, बहुत बड़ा टैक्सों का इवेजन होता है। टैक्स का जो पैसा राजस्थान के राजकोष में पहुंचना चाहिए वह राजकोष में नहीं पहुंचकर बीच में ही कहीं आपस में बांट लिया जाता है। आखिर हमको इस बात की गहराई में जाना पड़ेगा कि इस प्रकार के इवेजन को किसी प्रकार रोका जाये, किस प्रकार बिक्री कर का ढांचा बने ताकि इससे होने वाली आय निरन्तर बढ़ती रहे और उसका अधिक से अधिक हिस्सा चोरी में न जाकर राजकोष में प्राप्त हो जाये। हमको विचार करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि बिक्री कर लगाने के बाद आज यह स्थिति आ गयी है कि राजस्थान में इस सारे ढांचे को रेशनेलाइज करने के बारे में

(श्री जीतमल जैन)

हमको विचार करना चाहिए । मेरा इस बारे में सुझाव है कि हमको इस बारे में कुछ टैक्स विशेषज्ञों को, कुछ जन-प्रतिनिधियों को मिलाकर कमेटी का गठन करना चाहिए जो इस सारे टैक्स के ढांचे पर विचार करें और इस प्रकार के सुझाव दें जिससे इस सारे टैक्स की चोरी रुक सके और जो आय का बहुत बड़ा साधन है, उसका अधिक से अधिक रुपया राजकोष में पहुंच सके। मैं समझता हूं, एक दो बातें जो मेरे मस्तिष्क में हैं। मैं देखता हूं कि हमारा जो राज्य है, वह कहीं मध्य प्रदेश से, कहीं उत्तर प्रदेश से, कहीं हरियाणा से जुड़ा हुआ है। बिक्री कर सभी राज्यों में है और हमारे यहां भी है, परन्तु किसी पर्टीकुलर एक वस्तु पर हमारे यहां 10 पर्सेन्ट टैक्स है तो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में वह दो पर्सेन्ट है, वहीं हरियाणा में कम है तो हमारे यहां ज्यादा है। यह जो डिस्पेरिटी है, उसके कारण आज टैक्सों की रकम बहुत हो जाती है। वह आदमी को इस बात की ओर आकर्षित करती है, इस बात का लालच मिलता है कि किसी प्रकार चोरी करके टैक्स बचाया जाय । इस प्रकार पड़ोसी राज्यों के अन्दर जो एक ही वस्तु का टैक्स भिन्न हैं उसके परिणामस्वरूप और उन चीजों की चोरी होती है, वह हमारे राज्य में आती है। कहीं मध्यप्रदेश से आयेगी, कहीं उत्तर प्रदेश से आयेगी, कहीं हरियाणा से आयेगी । हमारे पड़ोसी राज्यों के अन्दर जिस प्रकार का करों का ढांचा है, उसके अनुसार ही हमको भी ढांचे में परिवर्तन करना चाहिए । टैक्सों की दरों में परिवर्तन करना चाहिए ताकि यह टैक्सों की चोरी रुक सके और हमको टैक्स बराबर मिल सके।

इसके साथ साथ सिम्पलीकेशन की बात बहुत जोरों से कही जाती है। एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा बिक्री कर का ढांचा बहुत काम्पलीकेटेड है, आम आदमी जो हमारा आज दुकानदार है, जो विशेष रूप से छोटा, मध्यम वर्ग का दुकानदार है वह आज भी पढ़ा लिखा नहीं है। वह सारे करों का जो काम्पलीकेशन है उसको समझता नहीं है परिणाम स्वरूप उस काम्पलीकेशन में वह फंस न जाय, वह जानता है कि काम्पलीकेशन में कहीं जरा सी गलती हो गयी तो मैं इन्सपेक्टर के कब्जे में आऊंगा और वहां से छूटने का इलाज मेरे पास सिवाय रिश्वत के कुछ नहीं है, मेरा ह्यूमिलिएशन होगा। उससे बचने के लिए एक प्रक्रिया वह अपनाता है कि किस प्रकार टैक्सों की चोरी की जाये ताकि अगर पकड़ा भी गया, समझ लीजिए वह लगातार साल भर से चोरी कर रहा है और किसी बार करते करते कभी पकड़ा भी गया, तो निश्चित रूप से एक थोड़ा-सा पैसा देकर मैं तो फिर भी बचा लूंगा । इस प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । एक बात जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमको इस टैक्स के सारे ढांचे को रेशनेलाइज करना पड़ेगा । यह पब्लिक टैक्सेशन का एक बहुत बड़ा सिद्धान्त है कि higher the rate of taxation greater the evasion जितनी बड़ी आपकी टैक्स की दर होगी, उससे उसको अधिक चोरी करने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो सोचना पड़ेगा कि जो करों के अन्दर बिक्री कर की आमदनी घटती जा रही है इसका कारण क्या है। उसके अन्दर जो ऊंची दर है वह उसका कारण है । आज बड़ी हिम्मत के साथ इस बात को सोचना चाहिए और इन टैक्स की दरों को रिवाइज करना चाहिए। अगर टैक्स की इन दरों को कम करें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राज कोष की आमदनी बढ़ेगी, टैक्सों की चोरी कम होगी । इसलिए मैंने जैसा सुझाव दिया कि

Page No. 172

(172)

(श्री जीतमल जैन)

प्रारम्भ में कमेटी बैठे उसमें व्यापारी प्रतिनिधियों, अन्य प्रतिनिधियों से सुझाव मांगें और इसको तय करें।

दूसरी बात, सरलीकरण की बहुत बड़ी बात है, हमारे यहां फार्म डी, फार्म सी, सैंकड़ों फार्म हैं। जो फार्मेलिटीज व्यापारी को पूरी करनी पड़ती हैं; उनसे बचाव के लिए मेरा एक बहुत बड़ा सुझाव है। पिछले वर्ष चर्चा भी हुई है कि जो हमारा सेल्स टैक्स है, बिक्री कर है, वह फर्स्ट पोइन्ट पर लग जाना चाहिए। अगर फर्स्ट पोइन्ट पर लग जायेगा तो निश्चित रूप से चोरी कम होगी, निश्चित रूप से करप्शन कम होगा। इसके काम्पलीकेशन्स के कारण जो भ्रष्टाचार कर्मचारी और व्यापारी में होता है वह भी रुकेगा और निश्चित रूप से हमारी आय के साधन बढ़ेंगे। इसलिए मैं बिक्री कर के बारे में सेल्स टैक्स के बारे में दोहराना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी वह अपने बजट भाषण के पश्चात् इस बात की घोषणा करें और कमेटी का गठन करें ताकि इसकी आय ठीक प्रकार से बढ़ सके। इस प्रकार विचार कर सुझाव दें और उसको राज्य सरकार क्रियान्वित करे। उस बारे में आगे चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं, बहुत कुछ अभी सदस्यों ने सुझाव दे दिये हैं, मैं उस बारे में अधिक न जाकर एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारी उद्योग नीति नहीं है उसके कारण आज हमारे सारे राजस्थान में पिछड़ापन है। यह बात ठीक है कि देश के अन्दर बड़े उद्योग भी चाहिए, मध्यम प्रकार के उद्योग भी चाहिए, छोटे भी चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे देश के अन्दर मैन पावर बहुत बड़ी पावर है। हमारे दो-दो हाथ वाले जो मनुष्य हैं वह बहुत बड़ी संख्या में है उनको किस प्रकार से उत्पादन के काम में लगाकर अपने पैरों पर खड़ा करें, ताकि वह अपना जीवन यापन कर सकें। ताकि इस बात को सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार उद्योगों की स्थापना करें किस प्रकार के उद्योग राजस्थान में लगें, जो बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं वह किस प्रकार ऊपर उठ सकें। हमारी जो खेती की जमीन है, वह बिलकुल बनी बनायी है, वह बढ़ नहीं सकती, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं वह बढ़ नहीं सकती तो निश्चित रूप से हमें बेरोजगारी अगर मिटानी है तो इस प्रकार के उद्योगों को पनपाना पड़ेगा जिसमें अधिक से अधिक लोगों का मानव शक्ति का उपयोग करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे। इसके लिए आवश्यक है, महात्मा गांधी की बात हम कहते हैं लेकिन इन तीस सालों के अन्दर हमने देखा कि गांधी जी की जो भक्ति थी, त्याग था, उसको हमने इलैक्शन के दिनों में जरूर भुनाया बाकी उनके आदर्शों, सिद्धान्तों पर चले नहीं, उन्होंने ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी, इसलिए निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम गांवों के अन्दर जो छोटे-छोटे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

काश्तकार हैं जिनके पास थोड़ी जमीन है वे जीवनयापन, भरण पोषण नहीं कर सकते, परिवार का। उनको और उद्योग लगाकर, जिस प्रकार कुटीर उद्योग हैं, इस प्रकार के उद्योगों को गांव में स्थापित करके आमदनी का जरिया बनावें। इस प्रकार के कुटीर उद्योगों से सामान पैदा हो सकता है। जनता पार्टी ने जो नीति बनायी थी कि मध्यम श्रेणी और छोटे श्रेणी के उत्पादन बन्द कर दें ताकि हमारे देश की बेरोजगारी मिट सके

(श्री जीतमल जैन)

और उन लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें इस बात को हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समाप्त करता हूं, एक मिनट में । इसके साथ-साथ मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, इन दिनों विशेष रूप से अलवर के अन्दर औद्योगीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है, नये नये उद्यमी आ रहे हैं और हमने उनको आग्रह किया है । जो स्माल स्केल के स्तर के हैं मैं बड़े उद्योगपति टाटा और बिड़ला की बात नहीं कर रहा हूं। आज साहस करके किसी प्रकार उद्योग में आने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कई कारण से बहुत निराश होना पड़ रहा है । कारण यह है, कई बार बिजली पूरे समय नहीं मिल पाती । हमारा जो औद्योगिक ढांचा है, उसके अन्दर कितनी सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान नहीं कर पाते और जैसे ही रुपया आता है, जो कि ठीक समय पर उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए, वह नहीं कर पाते उसके परिणामस्वरूप उद्योग ठप्प हो जाते हैं । अब आवश्यकता इस बात की है कि लोग निराश न हों, इस बात की कोई व्यवस्था करनी चाहिए । इस प्रकार का चांस देना चाहिए उनको निराश करने के पहले, किसी प्रकार की धमकी न दें अगर मेटीरियल की कमी है तो किसी प्रकार उनको, एक बार और चांस दें बड़ी हिम्मत करके व्यापार में आया है, साहस करके वे चल सकें । होता क्या है कि जब इस प्रकार का उद्यमी सफल नहीं होता तो प्रशासन की कोशिश यह रहती है कि जल्दी से जल्दी उद्योग को बेचा जाये और बेचने के अन्दर कई प्रकार के घपले होते हैं । 10 लाख का उद्योग है, लेकिन जब उसको नीलामी में चढ़ाया जायेगा, इस प्रकार का रिक्लियरिंग किया जाता है तो दस लाख का जो कारखाना लगा हुआ है वह 2-3 लाख में बिक जायेगा और नया उद्यमी जो आया था, वह निराश हो जायेगा बीच में इस प्रकार ब्लेकमेलिंग होती है, वह किसी प्रकार रोकी जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सभापति : श्री भैरूं लाल भारद्वाज । केवल पांच मिनट का समय है आपके पास ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज :

श्री कमलाभाई (मीणा) : यह कैसे ××× करते हैं । किसी को सात मिनट और किसी को पांच मिनट ही ।

श्री भैरूं लाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): उद्योगों के बारे में संक्षेप में यही कहना चाहता हूं कि उद्योगों को जो सुविधायें मिली हुई हैं वह इस हिन्दुस्तान के सर्वाधिक बड़े उद्योग कृषि से मेल नहीं खाती । एक तो मैं यह कहता हूं

श्री सभापति : यह शब्द ××× का एक्सपंज कर दीजिए ।

श्री भैरूं लाल भारद्वाज : कृषि जो सबसे बड़ा उद्योग है उसको उद्योग में लेना चाहिए । मेरी शिकायत इसलिए है कि हिन्दुस्तान की अस्सी प्रतिशत जनता जिस उद्योग से पेट भर कर खाती है उसको आप उद्योग की श्रेणी में नहीं लेते और उसके साथ यह भेदभाव बरतते हैं इसलिए आम गरीब आदमी के प्रति अन्याय है।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

होता है। आप उद्योगपतियों को लाइसेंस देते ही सुविधाओं का अम्बार लगा देते हैं। मसलन इतनी कीमती शहरी जमीन अगर सीधी खरीदी जावे तो दो सौ रुपये गज में भी नहीं मिले, उसको आप चार रुपया और दो रुपया गज में दस-दस हजार और बीस-बीस हजार गज की तादाद में दे देते हैं कारखाने बनाने के लिए। इसलिए ज्यों ही उस पर उद्योगपति की छाप लग गई कि उसके बाद कारखाना खड़ा करने में जितना पैसा खर्च होता है, उस सारे पैसे की बैंकों की ओर से या सरकार की ओर से व्यवस्था की जाती है। कण्ट्रोल की सीमेंट, लोहा, अन्य सारे साधन सरकार की ओर से मुहैया किये जाते हैं और जब कारखाना बन कर खड़ा होता है उसके बाद आप उसको रा-मैटीरियल चाहे हिन्दुस्तान से बाहर से लाना पड़ता हो, कंट्रोल रेट पर घाटा भुगत कर भी उद्योगपतियों को उद्योग चलाने के लिए देते हैं। इसके बाद जब उद्योग चालू होता है जब सामान तैयार होता है तो उद्योगपति उसमें सारे अपने, अपने मुनीमों के और अपने मित्रों के कारखानेदारों के खर्च जोड़ कर है उस पर सारा मुनाफा और अपने हवाई जहाज और दूसरे प्रकार के सैर सपाटे के खर्च जोड़ कर उसका भाव अपने हिसाब से निश्चित करता है। माननीय सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप सारी सुविधायें रियायती तौर पर उद्योगपतियों को देते हैं और उसके बाद रियायतों के अम्बार पर जो सामान तैयार करता है आम उपभोक्ता के लिए वह उपभोक्ता को कम कीमत पर नहीं दे करके अपनी मर्जी से, मुनाफाखोरी करके उसका मनमाना दाम लगाता है, यह कहां का न्याय है? रियायती दर पर जिस उद्योग को हम खड़ा करवाते हैं निश्चित तौर पर उसकी कीमत तय करने का काम सरकार के हाथ में होना चाहिए और रियायती दर पर उपभोक्ता को वही चीज मुहैया होनी चाहिए जो उस कारखाने में पैदा होती है।

जिस प्रकार से कृषि उद्योग नहीं है उसको किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं है, उसके बाद भी उसकी कीमत या तो बाजार वाले तय करते हैं और नहीं तो सरकार तय करती है। मैं कहना चाहूंगा कि उद्योगपति को कारखाने की चीजों की कीमत तय करने का अधिकार बिलकुल नहीं होना चाहिए और उसका सारा हिसाब लगा कर सरकार को कीमत तय करनी चाहिए ताकि उद्योग में जो कुछ पैदा हो वह भारतीय उपभोक्ता को ठीक रेट पर मिल सके।

मैं उद्योगों के बारे में एक मूलभूत सुझाव यह देना चाहता हूं कि शहरों के नजदीक जितने औद्योगिक क्षेत्र खड़े कर दिये हैं उनसे बड़ा प्रदूषण शहरों में हो गया है, सारा सिर दर्द खड़ा हो गया है, शहर बढ़ते जा रहे हैं, बेतहाशा जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और एक ही समस्या खड़ी हो रही है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आज के बाद शहर के अन्दर लाईसेंस नहीं देना चाहिए बल्कि गांवों की ओर मुख कर देना चाहिए। जिसको आप उद्योग लगवाना चाहते हो म्युनिसिपैलिटी की किसी हद में उनको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिये। गांवों के लिए लाइसेंस आप दीजिये और वहीं उनको उद्योग लगाने के लिए प्रेरित कीजिए ताकि आपके शहरों का इतना कबाड़खाना बचेगा। वह गांव वीरान होते जा रहे हैं और जहां किसी प्रकार के साधन नहीं हैं, लोगों के पास रोजगार

(श्री मूल चन्द भारद्वाज)

नहीं है, वहाँ रोजगार मिल सके। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने लाइसेंस लेने के बाद और बहुत कुछ सुविधायें प्राप्त करने के बाद भी कारखाना नहीं खड़ा किया है और किन्हीं कारणों से सारी सुविधायें हजम किये हुए बैठे हैं, ऐसे लोगों का तुरन्त लाइसेन्स केन्सिल किया जावे। उनको जो कुछ दिया है वह घाटे के साथ वसूल करके, उस पर जो कुछ खर्चा हुआ है वह वसूल किया जाना चाहिए। मैं उद्योगपतियों की तरफ से वकालत करने वाले मित्रों को कहना चाहता हूं कि इस हिन्दुस्तान में जब तक ये उद्योगपति इसी तरह से सारे कारोबार और उद्योगों पर छाये रहेंगे तब तक हिन्दुस्तान के आम अवाम को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उद्योगों को अपने हाथ में लेना चाहिए। जहाँ यह दलील है कि सरकारी उद्योग घाटे में चल रहे हैं वह हमारी नौकरशाही की वजह से है। क्या आप यह लायबिलिटी फिक्स आप नहीं कर सकते। जो समझदार काबिल अफसर सरकारी उद्योगों पर लगाते हैं वह उनमें एक साधारण बनिये के मुकाबले न चला कर घाटा देते हैं तो कहीं न कहीं लूप होल्स जरूर है। हम यह नहीं कह सकते कि हमारे बड़े अधिकारी, मैनेजर जिसको हमने बनाया उसमें काबलियत नहीं है। काबलियत तो है पर कहीं कमी है। कहीं पैदा फूटा हुआ है, नीचे से रिस रहा है और इस तरह रिसने से बर्तन खाली हो रहा है। हमको उस रिसाव को रोकना चाहिए। लायबिलिटी फिक्स करनी और जो अधिक मेहनती और ईमानदार हों उनको सरकारी उद्योगों पर लगाना चाहिए ताकि जैसे प्राईवेट उद्योग मुनाफा पैदा करके बतलाते हैं ठीक उसी प्रकार से सरकारी उद्योग भी घाटे में चलना बन्द हों और उनसे मुनाफा मिल सके। जितने बड़े 2 उद्योग हैं उनका नम्बर लगा करके राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। ये जितने बड़े हिन्दुस्तान के 60-70 घराने हैं, उन्होंने सारी पूंजी पर अजगर की तरह से कुंडली मार रखी है। मेरा सुझाव है कि बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके उनको जनता के नीचे लाना चाहिए और योग्य और अच्छा काम करने वाले लोगों के हाथ में उन उद्योगों को देना चाहिए ताकि ठीक ढंग से चल सकें।

मैं यह भी कहता हूं कि गांवों के अन्दर कुटीर उद्योग की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। गृह उद्योगों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। बड़े उद्योगपति करोड़ों अरबों रुपये की हमसे सहायता लेते हैं परन्तु छोटे उद्योगों को कोई सहायता नहीं करते। गांवों में ऐसे उद्योग होने चाहिये जो पार्ट टाइम चल सकें, मसलन किसी मजदूर को हर महीने में बीस दिन मजदूरी नहीं मिलती है। किसान के पास भी फसल के टाइम पर ही काम होता है बाकी के समय उसके पास भी फालतू टाइम होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में इस प्रकार के छोटे 2 उद्योग होने चाहिए जिनमें उस किसान को खेती के अलावा टाइम मिलता है, खास तौर से मौसम के अन्दर और उन मजदूरों को जिस वक्त मजदूरी, खेती और दूसरे कामों में नहीं मिलती है उनके लिए वह छोटे और गृह उद्योग रहने चाहिए ताकि वह अपनी पूंजी उसमें लगा करके कमाई कर सके। इससे उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार मिलेगा। जैसे कई उद्योग हैं, चुनाई, बुनाई, कढ़ाई, कटाई, बढ़ईगिरी, लोहागिरी, छपाई रेशम के कीड़े पालना, मधुमक्खी पालन, भेड़ बकरी पालन, पशुपालन और क्ले मॉडलिंग।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मेहरलाल भारद्वाज)

और औषधि निर्माण के धन्धे, बागवानी, गलीछा उद्योग इत्यादि कई ऐसे उद्योग हैं जो हमारे गांवों में पार्ट टाईम के रूप में किये जा सकते हैं, उनसे रोजगार दे सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जयपुर, सांगानेर और बगरू खास तौर से छपाई के वृहद केन्द्र हैं जहां पर 25 हजार मजदूर हाथ से छपाई करके अपना पेट भरते हैं। यह एक ऐसा धन्धा है जो न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि विदेशों में भी इसका काफी माल जाता है। बाहर भी बहुत सारा सामान हमारा जाता है और वह हाथ की वजह से जाता है परन्तु अब कुछ पैसे वाले लोगों ने इस धन्धे में मशीनें लगाना शुरू कर दिया है। स्क्रिन प्रिंट चलने लगा है उससे बेचारे जो हाथ से छापते थे उनका रोजगार बन्द होता जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर और उसके आस पास जहां-जहां पर यह छपाई का धन्धा होता है उसको हाथ की छपाई के लिए सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना चाहिए। ऐसा दूसरा कई जगह हिन्दुस्तान के कई प्रान्तों में हुआ है जहां हाथ का काम करने का औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं खासतौर पर खनिज पर आधारित उद्योगों के बाबत एक बात और कहना चाहता हूं, कि ये उद्योग वहीं पर लगने चाहिए जहां पर खनिज निकलता है। मसलन, जयपुर जिले में जमवारामगढ़ में काफी लाइम स्टोन निकलता है मगर ....

(6.58 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

पर लाइम स्टोन से संबंधित सीमेंट आदि के कारखाने के बारे में कोई सोचते तक नहीं है। मेरा निवेदन है कि जिस जगह पर जो खनिज निकलता है उस खनिज से संबंधित उद्योग वहीं पर लगना चाहिए। लगभग तीस वर्ष से, जमवारामगढ़ में बहुत बढ़िया राजस्थान का सोप स्टोन निकलता आ रहा है, परन्तु सोप स्टोन से संबंधित किसी प्रकार का कोई उद्योग वहां नहीं लगाया गया है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जहां पर जिस जिले में जिस प्रकार का खनिज पैदा होता है उससे संबंधित उद्योग वहीं पर लगाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके।

मैं बिक्री कर के बारे में विस्तार से न कह कर एक ही बात कहना चाहता हूं कि बिक्री कर की जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें बड़ी लूप होल्स है। मैं समझता हूं कि लगभग एक तिहाई हिस्से की सही वसूली नहीं होती है। यह भयंकर बात है। जिस टैक्स को आप लगाते हैं उसका आधा भी यदि वसूल नहीं हो तो उस टैक्स के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। बिक्री कर को परिवर्तित करने के बारे में हमने कुछ बातें कही थीं। अब हमें इस पर विचार करना चाहिये कि चुनाव के समय बिक्री करके बारे में जो बात कही गयी थी इस पर विचार करें कि इस पर दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को केवल मात्र यह डर है कि यदि उत्पादन शुल्क लगा दिया जाता है तो हम केन्द्र पर निर्भर हो जायेंगे। यह डर रहेगा। इसका तरीका यह है कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को यह राय दे वह बिक्री कर के बजाए उत्पादन शुल्क लगाये और जो निश्चित शुल्क है प्रत्येक राज्य को उसका निर्धारित हिस्सा बिना

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)
मांगे समय पर मिल जाये ताकि बिक्री कर की व्यवस्था को समाप्त करने से उसकी आंशिक क्षतिपूर्ति हो सके।

बिक्री कर के मामले में बहुत गड़बड़ होती है। मैं इसकी डिटेल में जाकर समय व्यय नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मौजूदा व्यवस्था है वह कम से कम ऐसी हो कि इसकी वसूली में जो बहुत गड़बड़ी होती है, उसके लिये सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

इतनी ही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा को समाप्त कर दिया जाय ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, केवल पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष : अच्छा। पांच मिनट।

श्री महावीरप्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग आज जिस प्रकार का प्रदेश में वातावरण है, जिस प्रकार की गतिविधियां हैं और जिस प्रकार से सरकार उदासीन है उससे लगता है कि धीरे धीरे राजस्थान में उद्योग बन्द हो जायेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक राजस्थान में 1326 उद्योग बीमार उद्योग के नाम से और हैं। इस प्रकार की सूचना यह मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, यह मैं आपकी इस सरकारी सूचना के आधार पर कह रहा हूं। एक प्रश्न मैंने यह किया था राजस्थान में कितने बीमार उद्योग हैं। इसके बाद भी मेरा यह मानना है कि जो इन्होंने सूचना दी है वह अधूरी सूचना है। इससे ज्यादा उद्योग बन्द हैं, बीमार हैं। इसमें जो कारण बताये गये हैं, मैंने पूछा था कि इसके क्या कारण हैं और किन कारणों से बन्द हैं। तो इसके कारण बताये गये हैं, तकनीकी ज्ञान के अभाव में, विद्युत के अभाव में, पानी के अभाव में, अर्थ के अभाव में और इसी प्रकार कच्चे माल अभाव में बन्द हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज की इस सरकार ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है कि जो बीमार उद्योग है उनके लिये किस प्रकार की व्यवस्था हो। एक प्रकार की इन्होंने घोषणा की है, राज्य सरकार ने रुग्ण इकाइयों को पुनः जीवित करने के लिए 1981-82 के लिए अनुदान और सुगम ऋण क्रमशः 6 और 10 लाख निर्धारित किया है। 1326 उद्योग बन्द हैं और मैं निवेदन करूंगा कि 1300 उद्योग, 4500 उद्योग के करीब इकाईयां पंजीकृत हैं, स्थायी पंजीकृत हैं, उसके खिलाफ 1326 उद्योग बन्द हैं, उनके लिए 6 और 10 लाख का प्रावधान किया है तो किस प्रकार से इन उद्योगों को आप चलायेंगे? यह उनके साथ मजाक किया जा रहा है। यह उनको धोखा दिया जा रहा है। इस प्रकार मेरी मान्यता है कि राजस्थान में जो औद्योगिक वातावरण बनाना चाहते हैं, जो औद्योगिक क्रान्ति लाना चाहते हैं, वह किसी प्रकार से नहीं आ सकती है। जनता पार्टी के शासन काल में इस प्रकार का वातावरण बनाया गया था और आश्वासन दिये गये थे जिनसे कि उद्योगपति आए, उद्योग लगायें। राजस्थान के प्रवासी राजस्थानी हैं जो हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में जाकर अपनी योग्यता प्रदर्शित कर सकते हैं। एक

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

माननीय सदस्य ने कहा था कि वहां उनकी क्षमता नहीं है, अपनी क्षमता का प्रदर्शन सारे हिन्दुस्तान में कर सकते हैं लेकिन राजस्थान में क्यों नहीं करना चाहते हैं, यह आज सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हमने बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रखी हैं, अनुदान देने की घोषणा कर रखी है, विद्युत की घोषणा कर रखी है, सबसीडी की घोषणा कर रखी है और हम 70, 80, 90 प्रतिशत इस प्रकार ऋण के रूप में देंगे, इस प्रकार की घोषणा कर रखी है लेकिन समय पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी को ऋण नहीं दिया जाता है। समय पर अनुदान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार का आश्वासन नहीं हो। औद्योगीकरण करना है तो राजस्थान में कुछ उद्योगपतियों को विश्वास दिलाना होगा, इस प्रकार का विश्वास पैदा करना होगा कि समय पर उनको बिजली मिलेगी, समय पर पानी मिलेगा, समय पर अनुदान मिलेगा, समय पर कर्जा मिलेगा। जब तक इस प्रकार का वातावरण हम पैदा नहीं करेंगे, मेरी यह मान्यता है और मेरा यह आरोप है कि यदि हमने इस प्रकार का वातावरण पैदा नहीं किया तो उद्योग लगने की कोई संभावना नहीं है, धीरे-धीरे उद्योग बन्द होंगे। आज 1326 उद्योग बन्द हैं। मैं यह कह सकता हूं कि यदि इसी प्रकार का वातावरण रहा तो अगले साल यह सारी फैक्ट्रीज धीरे-धीरे बन्द होंगी और इस प्रकार औद्योगिक विकास में अवरोध पैदा होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो घोषणा की गई है उसके लिये इस प्रकार का कोई केन्द्र होना चाहिये, जो यह देखे कि उद्योग किस कारण से बन्द हैं, तकनीकी अभाव में बन्द हैं तो उनका किस प्रकार का इन्तजाम किया जाये। ऐसे कई केसेज मेरे सामने आये हैं जिनमें उनको डिपार्टमेंट के लोगों ने प्रोत्साहित किया, सरकार ने प्रोत्साहित किया और उनके लिये अनुदान की घोषणा की गई, हमने कई छूट की घोषणा की और उन्होंने उद्योग लगाये। आपसे कर्जा नहीं लिया, सरकार से उन्होंने कर्जा नहीं लिया और उन्होंने अपने पैसों से उद्योग लगा लिये। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में उद्योग लगा लिये और आज उद्योग चलाने के लिये उनके पास पैसा नहीं है। किसी कारण से घाटा लग गया। किसी तकनीकी अभाव से, बिजली के अभाव में उद्योग बन्द हो गये और वे जीवित नहीं हो सकते हैं, इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। आर. एफ. सी. किसी प्रकार का कर्जा देने को तैयार नहीं है। इस प्रकार उनके उद्योग बिक जायेंगे, बर्बाद हो जायेंगे और लोग वापस चले जायेंगे। इस प्रकार का वातावरण है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के उद्योग जिनके पास मशीनें हैं, जिनके पास जमीनें हैं, जिनके पास भवन हैं, किसी उद्योग की कीमत दस लाख, पांच लाख, सात लाख है, आपको लोन देने में क्या एतराज है, क्या दिक्कत आ रही है? जब आप किसी प्रकार का अनुदान नहीं देंगे, सहूलियतें नहीं देंगे, समय पर सहायता नहीं देंगे तो निश्चित रूप से वे उद्योग नहीं चल सकते हैं।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि टोंक 1971-72 में औद्योगिक क्षेत्र घोषित हुआ था। टोंक बैकवर्ड औद्योगिक क्षेत्र घोषित हुआ। 1971-72 में घोषित हुआ, उसके बाद इस पर लगभग दो लाख रुपया खर्च किया गया। दो लाख रुपया खर्च करने के बाद शर्त लगाई जा रही है कि 25 प्रतिशत इसके डवलपमेंट चार्जेज

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

देने पड़ेंगे। आज हमारे जिले में मीटिंग हुई, उसमें 50 उद्योगों को पंजीकृत किया गया और 27 लोगों को वहां पर लाइसेन्स दिये गये लेकिन वहां पर डवलपमेंट नहीं हुआ। यह कहा जा रहा है कि 25 पर्सेन्ट डवलपमेंट चार्जेज जमा कराओ। माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जब यहां पर उद्योग विभाग की स्थापना हुई, हमारी यह मंशा रही है, जितनी छूट बिक्री कर या अनुदान के रूप में दे रहे हैं, उसके पीछे एक ही मंशा है और वह यह कि उद्योग-पति आगे आवें, यहां नौजवान आगे आवें, इण्डस्ट्रीज लगावें और लोगों को रोजगार मिले लेकिन वहां पर यह कहा जाता है कि डवलपमेंट चार्जेज दो। आपके यहां पर पंजीकृत हुए, एप्लीकेशन दी। जो उद्योग लगे हैं उन पर आप विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर वे आप पर विश्वास कसे करें? जब आपने दो लाख रुपये खर्च किये और जो घोषणाएं कीं उनमें कोई कन्डीशन नहीं थी और आज यह कह रहे हैं कि डवलपमेंट चार्जेज दो। इस प्रकार से उद्योगों का विकास नहीं होगा और न आपने जिस मंशा से पिछड़ा जिला घोषित किया है, जिस प्रकार पिछड़े जिले की सुविधायें प्रदान की हैं, वह बेकार है, कागजों में है। कुछ लोग भाई भतीजे हैं मिलने वाले है, इनको संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन सारे प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण पैदा नहीं कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि एक पर्सेंट की छूट पांच सालों के माध्यम से सेल्स टैक्स की छूट दी गई। एक माननीय सदस्य ने अभी कहा था पावरलूम पर दो पर्सेंट टैक्स लिया जायेगा पुराने उद्योगों से टैक्स नहीं लिया जाता हैं, नये उद्योगों से टैक्स लिया जाता है। स्थिति इसके बिलकुल विपरीत है। जो पुराने उद्योग लगे हुए है, उनको एक पर्सेंट टैक्स देना पड़ेगा और जो नये उद्योग लगायेंग उनको छूट है। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि छूट नहीं मिलनी चाहिये। छूट अवश्य मिलनी चाहिये पर सैल्स टैक्स का ऐसा प्रोविजन है ऐसा नियम है सारे मार्केट काम्पीटिशन मार्केट में माल बिकता है, जब एक पर्सेंट सैल्स टैक्स पुरानी मिल वालों को, पुराने पॉवर लूम वालों को पुरानी जितनी इंडस्ट्रीज हैं, उनको देना पड़ेगा तो जो नये उद्योग हैं उनको एक पर्सेंट की छूट है, वह कम्पीटीशन में नहीं टिक सकते है। इस प्रकार राजस्थान में 6 हजार लूम बन्द हो गये, 600 आयल मिल बंद हो गयीं, 600 उद्योग बन्द हो गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार जहां पर काम्पीटिशन मार्केट हो उसमें समान व्यवहार से चलें। समान रूप से देखना चाहिये; नहीं तो नये उद्योग लगेंगे और पुराने उद्योग बन्द हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं होगा इसलिये निवेदन है कि जिस प्रकार एक पर्सेंट की छूट नये उद्योगों को दी गई है वह पुराने उद्योगों को दी जाये तब ही उचित होगा तब ही सब उद्योग चलेंगे। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज उद्योग लग रहे हैं। हमारा प्रशासनिक खर्चा बढ़ रहा है। प्रशासनिक खर्च के बारे में, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं। यदि हम आंकड़ों को देखें तो प्रशासनिक खर्चा दो गुणा, दस गुणा होने के बाद भी 1980-81 में 40.81 लाख रुपये प्रशासनिक व्यय पर खर्च किये जाते थे,

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

आज 1981-82 में 154.22 लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं, उसके बाद भी क्यों नहीं गति आ रही है ? जिस समय 1977-78 में, बहुत कम खर्चा हो रहा था, बहुत कम मशीनरी हमारे पास थी, उस समय औद्योगिक वातावरण पैदा किया जा रहा था, उस समय लोगों को गांव गांव में जाकर प्रशिक्षण दे रहे थे, उनको प्रोत्साहित कर रहे थे लेकिन आज इस समय 154.22 लाख रुपये का प्रशासनिक दृष्टि से खर्च किया जा रहा है, नये उपकरण लगाये जा रहे हैं, नये नये उद्योग पंजीकृत किये जा रहे हैं, उसके बाद उत्पादन क्यों घट रहा है ? मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, 1976-77 में, सीमेंट का उत्पादन 1678 मैट्रिक टन हुआ, 1977 में 1924 मैट्रिक टन हुआ, 1978 में 2059 मैट्रिक टन हुआ, 1979 में 1924 मैट्रिक टन हुआ और 1980 में 1809 मैट्रिक टन हुआ। यह आय व्ययक प्रस्तुत किया है जिसमें सारे आंकड़े 1980 तक का प्रगति विवरण दे रखा है जब कि यह 1981-82 का प्रगति प्रतिवेदन है। लेकिन मेरी मान्यता है कि 1980-81 व 1981-82 में किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई है। औद्योगिक दृष्टि से हमारा प्रदेश पीछे गया है। इसलिये आंकड़े इसमें नहीं दिये गये हैं, छिपा दिये गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार शक्कर का हमारा उत्पादन घटा, जो 1977 में 33 मैट्रिक टन था, 1978 में 41 मैट्रिक टन हुआ। 1979 में 37 मैट्रिक टन हुआ, 1980 में 27 मैट्रिक टन हो गया। इसी प्रकार यूरिया का प्रॉडक्शन, जो हमारी खेती की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, घट रहा है। 1979 में 255 मैट्रिक टन का उत्पादन था वह आज 1980 में 232 मैट्रिक टन रह गया। इस प्रकार आंकड़ों को देखा जाये तो उत्पादन घट रहा है और फिर यह घोषणा की जा रही है कि हम उद्योगों का विकास कर रहे हैं, उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। नयी नयी उद्योगों की इकाइयां लग रही हैं, नये नये उद्योग लग रहे हैं लेकिन उत्पादन घट रहा है। क्या कारण है ? कहीं लीकेज है तो उनको रोका जाना चाहिये।

अब मैं यह निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, प्रशासन को शुद्ध बनाया जाये, मंत्री महोदय जिनके पास डिपार्टमेंट है उसको पर्सनली देखें, जब तक नहीं देखेंगे लोगों को समय पर राहत नहीं मिलेगी उनको कर्ज नहीं मिलेंगे। लोग उद्योग नहीं लगायेंगे। यही मेरा निवेदन है। समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर यह किया जाना चाहिये तभी राजस्थान का विकास हो सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ बिक्रीकर के मामले में निवेदन करना चाहूंगा। जिस प्रकार हमारा उत्पादन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, उसके बाद बिक्री कर, हमको उपलब्ध होता है वह कम होता है। इसके कई कारण हैं। कई जगह पर लीकेज है। हमारी इस अव्यवस्था के कारण बहुत ज्यादा जो लीकेज है उनको रोका जाना चाहिये। मेरी मान्यता है कि बिक्री कर को समाप्त किया जाकर उत्पादन शुल्क लगाना चाहिये। इससे ज्यादा इनकम होगी, कम नहीं होगी, यह मेरी निश्चित मान्यता है। क्योंकि इतने बड़े घोटाले और करप्शन है, प्रशासनिक व्यय और करप्शन है, उससे आमद कम होती है। यदि हम उत्पादन शुल्क लगायेंगे तो निश्चित रूप से राज्य की इनकम ज्यादा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
होंगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद देते हुए भाषण समाप्त करता हूं । जय भारत ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री उत्तर देंगे ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने राजस्थान के औद्योगिक विकास के बारे में जो विचार व्यक्त किये, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि कई सुझाव उन्होंने ऐसे दिये हैं जो कि वाकई राजस्थान के औद्योगीकरण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, उन पर सरकार विचार करेगी । चाहे विद्युत का सवाल हो चाहे और साधनों का, जैसा आप सभी जानते हैं, साधन हमारे पास बहुत सीमित हैं फिर भी हमारी यह कोशिश होगी सीमित साधनों के अन्दर हम यथासम्भव राजस्थान के औद्योगीकरण को तीव्र गति दे सकें । श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने, मुझे क्षमा करें, सुझाव तो कम ही दिये हैं लेकिन पिछली कार्य गति और कार्य-विधि दोनों की समीक्षा की उसमें कहीं कुछ कटुता भी हो सकती है । मैं पूरी तरह उसको निराधार समझता हूं । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर कहीं कोई कमी रही तो रीति नीति के काम में नहीं बल्कि अनेक कारण हैं, उनमें अधिकांश प्राकृतिक कारण हैं जिनकी वजह से हमको बहुत संभलकर चलना पड़ा । विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले उद्योगों की प्रगति की चर्चा करते समय माननीय सदस्यों ने पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर की चर्चा की । पब्लिक सेक्टर में लगने वाले कुछ उद्योगों की चर्चा की उस बात को मैं विस्तार से कहना चाहूंगा । लेकिन दो एक बातें शायद पहली बार यहां कही गई हैं । उसमें खास तौर से इंटरनल रीजनल इम्बैलेंस की है । श्रीमन्, इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पब्लिक सैक्टर में जितना इनवेस्टमेंट, खास तौर से सेंट्रल सेक्टर में राजस्थान में होना चाहिये था वह अन्य राज्यों के मुकाबले कम ही हुआ है । सरकार इस मामले में बहुत सजग है और बराबर इस बात की कोशिश करती रही है कि अधिक से अधिक पब्लिक सैक्टर में इनवेस्टमेंट यहां होना चाहिये । माननीय सदस्यों ने बहुत जोर दिया, बाम्बे हाई के आधार पर रासायनिक खाद कारखाने की स्थापना के बारे में । श्रीमन् जैसा मैंने पिछली सभा में सूचना दी थी, एक कारखाना तो केन्द्र सरकार ने मंजूर किया है, हम दूसरे के लिये बराबर प्रयत्नशील हैं और ऐसी आशा है कि केन्द्र सरकार निश्चित रूप से गौर कर रही है । एक कारखाने के लिए भारत सरकार का अध्ययन दल आ चुका है और कई बार विभिन्न स्थलों के बारे में उन्होंने बात की है, निरीक्षण भी उन्होंने किया । हालांकि एक कारखाने से हम स्वयं संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि राजस्थान बहुत विशाल है और चाहे विकास धीमी गति से ही सही लेकिन खेती-बाड़ी का विकास विशाल पैमाने पर हो रहा है । इसको देखते हुए एक खाद का कारखाना ही लगाना पर्याप्त नहीं है । इसलिए हमारी कोशिश है कि एक और खाद का कारखाना कम से कम पब्लिक सैक्टर में लग सके तो ज्यादा खुशी होगी । इसके लिए हम बहुत प्रयत्नशील हैं, होना भी चाहिए लेकिन स्थान के चयन पर कई बार कोशिश की गई क्योंकि कोई भी कारखाना लगाना हो तो उसके जो मापदण्ड तय करना चाहते हैं चाहे वह पब्लिक सैक्टर हो, चाहे प्राइवेट सैक्टर हो, वहां

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

प्राइवेट सैक्टर हो, जितनी सुविधाएं हर एक कारखाना लगाने वाले चाहते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ, कम से कम समय में हो जाये, इसके अन्तर्गत जहां स्थान का चयन करते समय ट्रांसपोर्ट की सुविधा, कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध हो, रा-मैटीरियल, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का प्राप्त होना, और नियरेस्ट पासिबल मार्केट होना ये कुछ आम बातें हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन बहुत बड़े कारखाने के लिये निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि अगर नार्म्स से हट कर भी जाना पड़े तो जाना चाहिए इसलिए हमने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि एक कारखाने से काम नहीं चलेगा। स्थान का चयन तो उन्हीं को करना है। हम तो राय दे सकते हैं लेकिन अभी कोई निश्चित रूप से हम से राय नहीं मांगी गई है। हम अध्ययन कर रहे हैं। हमसे राय मांगी जायेगी तो राय भी देंगे लेकिन इसके पहले प्रयत्नशील हैं क्योंकि एक कारखाना राजस्थान के लिये पर्याप्त नहीं है, हमें एक और कारखाने की जरूरत है और एक और कारखाना राजस्थान को मिलना चाहिए।

श्रीमन्, इसके साथ-साथ बड़े जोर से चर्चा की गई कि खनिज पर आधारित उद्योग यहां पर लगने चाहिये जो नहीं लगे हैं। नहीं लगे हैं इस बात को तो मैं मानता हूं, इस बात से इन्कार नहीं करता। इस बात से तो कोई इन्कार नहीं करता कि अब तक नहीं लगे हैं तो आगे लगने चाहिए। मैं पिछली सरकार को कोई दोष देना नहीं चाहता क्योंकि हर समय एक जैसी परिस्थितियां होती नहीं। एकसे विचार नहीं होते। इनवेस्टमेंट के एक से तरीके नहीं होते। बहुत सारी बातें होती हैं। इसलिए आज के हालात भिन्न हैं और दो बड़े कारखाने हिन्दुस्तान कोपर और जिंक के अलावा सीमेंट उद्योग के भी यहां पर हैं। इसके अलावा और कुछ कारखाने, जो खनिज पर आधारित हैं, लगने की न केवल संभावनाएं हैं बल्कि कुछ की मंजूरी भी हो चुकी है, और विभिन्न स्तरों पर काम चल रहा है। कुछ और के लिये हमने कार्यवाही की है, और हमने भारत सरकार से प्रार्थना भी की है कि कुछ और उद्योग हमारे यहां पर आयें। इस बात की संभावना का पता भी लगा है और जिनकी प्रार्थना पहले कर चुके हैं उनको शीघ्र मंजूरी दें। सलादीपुरा में पाइराइट्स के भण्डार और गोसूण्डा में राक फास्फेट पर आधारित खाद का कारखाना लगाने हेतु भारत सरकार से एक से अधिक बार प्रार्थना कर चुके हैं और यह बात भी सही है कि पब्लिक सैक्टर में एक और फर्टिलाइजर प्लान्ट के लिये ध्यान देना चाहिए था, वह उतना नहीं दिया। मैं इस बात को मानता हूं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो एक चीज ले लें, उसके बाद दूसरी को पकड़ें तो ज्यादा आसान होगा वर्ना ऐसा नहीं होगा कि मंजूरी हमने दे दी उसके बाद दूसरी का जोर लगा लें। पब्लिक सैक्टर में, और दूसरे हमसे ले जायें ऐसा हो सकता है लेकिन हमारी कोशिश होगी कि पब्लिक सैक्टर में हम इसके लिये जोर दें और सलादीपुरा और गोसूण्डा के राक फास्फेट पर आधारित फर्टिलाइजर के कारखानें हमको मिलें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गोसूण्डा का का काम तो हटा लिया उन्होंने।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : वह कुछ सूचना आपकी सही है। हमने प्रोटेस्ट किया है।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

और हमारी ऐसी आशा है कि भारत सरकार इस पर विचार कर रही है और उसके आधार पर कार्यवाही होगी ।

इसी प्रकार से राज्य सरकार ने मध्यम वर्ग के खनिज उद्योग के लिये 10 प्रतिशत विशेष अनुदान और खनिज उद्योग के लिये 15 प्रतिशत पूंजी नियोजन के अनुदान की व्यवस्था की है । ऐसे कई उद्योग उन क्षेत्रों में इसी वर्ष में लगाये भी हैं, आये भी हैं और हमारी आशा है कि भविष्य में और भी उद्योग आयेंगे ।

श्रीमन्, छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा की कि उसमें जितनी आशा थी उतनी प्राप्ति नहीं हो पायेगी । हमारे बहुत वरिष्ठ नेता ने इस बात की चर्चा की । बड़ी मुश्किल है कि हम लोग दूसरों की बातें सुन कर या अखबार पढ़ कर फैसला कर लेते हैं । समाचार में कई बातें सही होती हैं, मैं नहीं कहता कि बिलकुल गलत होती हैं ।

एक माननीय सदस्य : ज्यादातर गलत होती हैं ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : लेकिन अंतिम तौर पर जानकारी कर ली जाय तो ज्यादा अच्छा है । मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि हमारी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 23.22 करोड़ का प्रावधान था और छठी पंचवर्षीय योजना, जो 1978 से लेकर 1981 तक की अवधि के लिये बनाई गई थी, में उद्योगों के विकास हेतु राजस्थान सरकार ने 52.50 करोड़ का प्रावधान रखा था । वर्तमान सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना को दुबारा बनाया है और उद्योगों के विकास का प्रावधान 64.59 करोड़ रखा गया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें एक बात करेक्ट करलें कि 1978 से 1981 तक की कोई छठी पंचवर्षीय योजना नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आपने तो एन्यूअल दी थी । एन्यूअली योजना का प्रावधान दिया जिससे अभी तक उद्योगों का विकास नहीं हुआ । इसकी वजह से, आज सरकार इस बात को महसूस करके चल रही है कि एक बहुत बड़ा कारण यह था कि योजना को समाप्त किया जा रहा था, योजना को समाप्त कर दिया गया था बाकायदा प्लान बनाने की बजाय रोलिंग प्लान की संज्ञा दी गई थी और कोशिश इस बात की थी, क्षमा करें इन शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूं, इन शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है, इस बात की साजिश थी कि इस देश का विकास योजनाबद्ध तरीके से न हो । जब से हमारे देश में प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी का नेतृत्व आया और जब से राजस्थान में नई सरकार बनी, इस बात की कोशिश की गई है कि योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान का विकास हो और भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना सारे राष्ट्र के लिये और राजस्थान सरकार ने जो योजना उनके सामने भेजी थी वह योजना कमीशन ने मंजूर करदी । मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना की चिन्ता जिन माननीय सदस्यों को पड़ी है सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का है कि तरीका क्या हो विकास का । विकास योजनाबद्ध तरीके से करें या बिना योजना के करें ? हम यह मान कर चलते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से विकास करना हर क्षेत्र के लिये ठीक रहता है । इससे इस बात की जानकारी रहती है कि किस क्षेत्र में कितना औद्योगीकरण हुआ, कितनी

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

प्रगति हुई और कौन सा क्षेत्र रह गया जहां प्रगति नहीं हुई। ये सारे तथ्य आ जाते हैं कि कौन से ऐसे कार्यक्रम हमारी योजनाओं में हैं जिनसे कुछ क्षेत्रों को लाभ हुआ है और कुछ क्षेत्रों में चन्द व्यक्तियों को लाभ हुआ है। इसलिये हम चाहते हैं कि ऐसी योजना बनानी चाहियें जिससे उन क्षेत्रों में चन्द व्यक्तियों को लाभ न मिल कर योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को मिल सके। मैं मानता हूं कि सभी व्यक्तियों को शायद लाभ नहीं मिल सकेगा लेकिन अधिकांश व्यक्तियों को लाभ मिल सके, इसलिये मासेज की थिंकिंग, देश की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने जो हमको दी है, हालांकि कंसेप्ट धीरे-धीरे बदलता जाता है। राष्ट्र के अन्दर जो ढांचा है इस प्रकार का वह धीरे-धीरे, जिससे औद्योगिक विकास ठीक तरह से हो सके इसकी कल्पना आज की नहीं, आजादी के पहले की है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि थिंकिंग करने में समय लगता है टैक्निकल जानकारी प्राप्त करने में समय लगता है और आज कन्सेप्ट इस बात का है कि कितने लोगों को लाभ मिलता है इसको देखना पड़ेगा। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि इस विचार के साथ छठी योजना नये रूप में बनी है जिससे कि निश्चित रूप से ज्यादा उद्योग देश में आयेंगे और देश के साथ-साथ सारे राजस्थान में आयेंगे। इन क्षेत्रों के अन्दर कोई विकास नहीं हुआ है, और होना चाहिये इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। इसलिये मैं इस विषय को बहुत विस्तृत नहीं करके एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के कई हिस्से, कई जिले तो पहले ही पिछड़े घोषित किये हुये हैं, भारत सरकार ने मंजूर किये हैं और कुछ को इसके अलावा जिनको कि राज्य सरकार ने ही पिछड़ा घोषित कर रखा है लेकिन जितना विकास होना चाहिये था, न केवल इन 6 जिलों में ही हो पाया, न ही जो राजस्थान सरकार ने कर रखे हैं उनमें हो पाया है। कारण क्या है? कारण बहुत स्पष्ट है, जो दिल्ली के नजदीक हैं उनका विकास हो जाता है, जहां ट्रान्सपोर्ट के साधन होते हैं, जहां रा-मैटीरियल होता है, उनका विकास हो जाता है, और मैं कहता हूं कि जहां औद्योगिक शांति होती है वहां पर औद्योगिक विकास ज्यादा तेजी से होता है इसलिये निवेदन किया कि जो 6 जिले हैं और जो राज्य सरकार के द्वारा घोषित अन्य जिले हैं उनमें तब तक तरक्की नहीं हो सकती है जब तक कि इन सबको एक साथ नहीं रखकर चलें। जहां पर और बातों को राज्य सरकार और भारत सरकार को देखना है वहां पर औद्योगिक शांति कायम रहे, इस बात को हमको और आपको सबको मिलकर देखना पड़ेगा। राजनैतिक विचारों पर आधारित कुछ मजदूर सगठन खड़े करके कहीं ऐसा तो नहीं हो जाता है कि हम अपने विचार के विपरीत चले जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस पर आगे चलकर ध्यान देंगे। मुझे सूचना देनी चाहिये कि भारत सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिये एक कमेटी का निर्माण किया था जिसे सुब्रह्मण्यम कमेटी कहते हैं। उसने सारे देश का दौरा किया और राजस्थान में भी वह कमेटी आयी जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार से बात-चीत की, आफिसर्स स्तर पर, और स्वयं मुझसे दो बार कमेटी का वाद-विवाद हुआ और एक बार दिल्ली भी गया, बात करने के लिये। जहां उसने और बातें कीं वहां हमने एक नया मापदण्ड बनाने का निवेदन किया। जो पहाड़ी क्षेत्र है उनकी ऊंचाई का मापदण्ड

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

जो रखा है वह बहुत ऊंचा रखा है। ऐसा लगता है कि हिमालय की श्रंखलाओं या विध्यांचल की श्रंखलाओं को रखा है। हमारे राजस्थान में ऊंची पहाड़ी नहीं है इसलिये ऐसे स्थान जो पहाड़ी हैं वे इस मापदण्ड पर नहीं आते थे। हमने उनको इसमें तरमीम करने के लिये कहा जिससे कि राजस्थान को फायदा होगा। दूसरा डेजर्ट का जिक्र नहीं था। हमने कहा कि डेजर्ट का इलाका बिलकुल पिछड़ा हुआ है। डेजर्ट होने से खेती-बाड़ी भी नहीं होती है, और आने जाने के साधन नहीं हैं इसलिये कोई औद्योगिक विकास भी कैसे होगा? इसलिये हमने निवेदन किया था मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार ने इन दो बातों पर बहुत गम्भीरता के साथ विचार किया। मुझे एक बार बात करने के लिये दिल्ली भी बुलाया गया। यहां पर वे हमारी बात को सुन कर चले गये। वहां पर वापस बहस की और ऐसा लगता है कि जो कमेटी की रिपोर्ट आयी है उसमें अलग से उन्होंने एक नोट दिया है। मैंने अभी उसको देखा नहीं है लेकिन जो बताया गया है उसके आधार पर कह रहा हूं। पुख्ता जानकारी तो आने पर मैं दूंगा। इसको मान लिया जावे यह कमेटी की रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर तो समूचे राजस्थान को, अगर समूचा नहीं भी होगा तो शायद कुछ हिस्सा रह सकता है जो डवलप हो चुका है, जो दिल्ली के 100 किलोमीटर की परिधि में है उसको छोड़ भी दें, अन्यथा सारा राजस्थान पिछड़ा हुआ घोषित हो जायगा, उस समय निश्चित रूप से औद्योगिक तरक्की हो सकती है।

माननीय सदस्य ताली तो बजा रहे हैं, एक सूचना और दे दूं कि यह तो खुशी की बात है कि लोग बहुत जागरूक हैं सारा राजस्थान पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित होना चाहिये लेकिन कुछ माननीय सदस्य ऐसे भी हैं, कुछ हमारे और कुछ दूसरे साथी जो इस सदन के सदस्य नहीं है जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूं, उन्होंने इस बात का एतराज किया कि सारे राजस्थान को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया जाये। मेरी कोशिश यह हो सकती है आप सबकी भावना भी यही है कि सारे राजस्थान को पिछड़ा हुआ घोषित किया जाये परन्तु जो पिछड़ा हुये हैं पहले से उनमें से कुछ को यह डर लगता है कि सारे राजस्थान को पिछड़ा हुआ घोषित कर दिया गया तो सब बराबर हो जायेंगे। उन्होंने इस बात का प्रोटेस्ट भी किया। इसलिये मैं ऐसी आशा करके चलता हूं कि इस क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य को इस बात का कोई वहम करने की आवश्यकता नहीं है जो पहले से विकसित नहीं है, हम चाहते हैं, कि उनको विकास के लिये जो सुविधाएं हैं उनमें अगर कमी है तो उनको और सुविधायें दी जायें। हमारी सबकी यह कोशिश होनी चाहिये कि सुब्रह्मण्यम कमेटी की रिपोर्ट भारत सरकार से मंजूर करालें जिससे कि सारे राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से विकास हो जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमेटी की रिपोर्ट मिल गई क्या ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैंने कहा कि भारत सरकार उस पर विचार कर रही है। अभी विवरण नहीं मिला है लेकिन यह जानकारी है कि भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो इन्फार्मेशन आउट हुई है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : वह तो आप करते हैं इस मामल में तो आपसे अच्छा

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

एक्सपर्ट कोई दूसरा नहीं मिलेगा। हम विभिन्न क्षेत्रों में इस बात की कोशिश करें कि अन-स्किल्ड लेबर स्किल्ड बने। अन-ट्रेण्ड, ट्रेण्ड बनें और वे स्किल्ड लेबर बनें। हमारे साथी जो टेक्नोक्रेट हैं वे औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा आयें। इसकी विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। पिछले साल के दौरान नये प्रशिक्षण कोर्स चालू किये हैं। मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। उनमें खास तौर से कहूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा औद्योगीकरण होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर बड़े उद्योग आने सम्भव हों तो वहां पर बड़े आनें और छोटे हों तो छोटे आवें। इस बात को ध्यान में रखकर दो इण्डस्ट्रियल ब्यूरो स्थापित किये हैं जो टेक्निकल नॉन-टेक्निकल, वहां की लोकल जानकारी रखने वाले सब को शामिल किया है। इसके साथ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को भी शामिल किया गया है। ये हमारे सारे इलाकों का सर्वे कर रहे हैं और जो रिपोर्ट देंगे उससे बहुत से नये लोग उद्योग लगाने को उत्साहित होंगे। लेकिन सभी माननीय सदस्यों से चाहें इधर के हों, चाहें उधर के हों, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो ब्यूरो स्थापित किये गये हैं वे तब तक सार्थक साबित नहीं होंगे जब तक आप उनका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने इलाके के बारे में ज्यादा जानते हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इनसे सम्पर्क करें। वैसे हम उनसे भी कह रहे हैं कि वे खुद सम्पर्क करें उस क्षेत्र के एम. एल. ए. से, एम.पी. से, आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप अपने इलाके के इन्चार्ज से सम्पर्क करें। सारा साथ-साथ हो तभी कुछ किया जा सकता है। इसमें हमारी कोशिश यह है कि लोकल मैटीरियल जो उपलब्ध है, लोकल लेबर जो उपलब्ध है उसका उपयोग हो। इस दृष्टि से ऐसे जो लोग हैं जिनके पास छोटी छोटी बचत है बहुत बड़ी नहीं है लेकिन उसको वे घर में दबाकर रखते हैं, पुरानी परम्पराओं के हिसाब से। चोरी के डर से या और किसी अन्य कारण से हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो बैंक में पैसा जमा नहीं कराते हैं, महाजन साहूकारों को भी नहीं देते हैं, ऐसे जो लोग हैं हमको इस बात के समाचार मिले हैं कि ऐसे लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं। हम आफिसर्स को हिदायत दे रहे हैं कि उनको प्रोत्साहित करें। वे अपना छोटा-मोटा उद्योग लगायें। मैं आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठायें, और जो कमी हो सकती है, तरमीम हो सकती है, क्या जोड़ना चाहिये इसके बारे में सुझाव आयेंगे, तो हमें बड़ी खुशी होगी और उन पर निश्चित रूप से विचार करके कार्यवाही करने का प्रयत्न करेंगे।

एक बात और मैं खुद भी मानता हूं। सरकार बराबर विचार कर रही है चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो बावजूद इसके कि इन्सान कोशिश करता है फिर भी जमीन नहीं मिल पाती है। खेती वाली जमीन को औद्योगिक जमीन में कन्वर्ट कर सकें इसमें बहुत कठिनाई आती है। इस बात को हमने भी महसूस किया है और एक कमेटी का निर्माण किया जो इस बात की रिपोर्ट दे दें कि किस प्रकार से सरलीकरण किया जा सकता है जिससे कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर एग्रीकल्चर लैण्ड को इण्डस्ट्रियल लैण्ड में कन्वर्ट करके काम में ले सकें। मैं निवेदन कर दूं कि विचार हुआ था कि इस बात की छूट दे दें कि डवलपमेंट चालू कर दें और कन्वर्ट बाद में होती रहे। लेकिन, श्रीमन्, हरियाणा और पंजाब का उदाहरण देना चाहता हूं। हमने अध्ययन किया है वहां पर

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

अनप्लाण्ड बस्तियां बन गई और आबादी बसाने में और सड़कें आदि बनाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कहां कौन सी इण्डस्ट्री लगनी चाहिये, इसकी प्लानिंग नहीं कर पाये, लोगों ने मर्जी से जहां प्लान्ट लगाना चाहा, लगा लिये और अब वे बड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इसलिए इतनी ढील देना तो सम्भव नहीं है, लेकिन इण्डस्ट्री भी आ जाये, और लोगों को कठिनाई भी नहीं हो, और प्लाण्ड वे में भी हो जाये, इसके लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया है। आशा है, वह जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देगी और उस पर हम तुरन्त विचार करके कार्यवाही करेंगे।

श्रीमन्, हमारे दो निगम, जिनको कि रीको और R. F. C. कहते हैं, के बारे में चर्चा हुई कि उनमें काम नहीं हुआ। यह हो सकता है कि जितनी आशा थी उतना काम नहीं हुआ हो लेकिन यह कहना कि बिलकुल काम नहीं हुआ, निराधार है। यह हो सकता है कि जितनी हमको उम्मीद थी उतना नहीं हुआ हो। राजस्थान वित्त निगम द्वारा जो काम किया गया है उसकी सराहना न केवल उद्योगपतियों ने बल्कि भारत सरकार के प्रतिष्ठान ने भी की है और मुकाबला करके देखें कि वर्ष 1979-80 में इस निगम द्वारा 42 करोड़ 75 लाख के ऋण प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये गये और 31 करोड़ के ऋण स्वीकृत करके 18 करोड़ के ऋण वितरित किये गये थे। 1980-81 में 54 करोड़ के प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रगति विवरण में कम है, 49 करोड़....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : लेटेस्ट आंकड़े दे रहा हूं। इसी प्रकार से 33 करोड़ के ऋण के मुकाबले 22 करोड़ 31 लाख रुपये के ऋण वितरित किये जा चुके हैं। ऋण वितरण के साथ-साथ वसूली में भी प्रगति हुई है। पिछले वर्ष 5 करोड़ 86 लाख की वसूली की गई और इस वर्ष अब तक 8 करोड़ 30 लाख रुपये, जो निश्चित रूप से पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है, इससे इन्कार नहीं कर सकते।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का भाषण पूरा होने और दोनों मांगें पारित हों तब तक के लिए समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की सहमति से मांगों के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 42 व 14 पर विचार

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इसी प्रकार से सब्सिडी की बात कही गई कि सब्सिडी का वितरण पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुआ है। 1979-80 में 1.38 करोड़ की सब्सिडी का वितरण हुआ है जबकि इस साल 3.81 करोड़ सब्सिडी का वितरण किया गया। मैं समझता हूं 3.81 करोड़, 1.38 करोड़ के मुकाबले में शायद ज्यादा ही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : स्टेट सब्सिडी है या सेन्ट्रल सब्सिडी, यह फिगर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यह फिगर भी है।

श्री दिनेश सिंह : हम भी डिस्टर्ब करेंगे, यह नई प्रेक्टिस है आपकी बीच में बोलने की।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, इसी प्रकार से रीको के बारे में चर्चा हुई। रीको में 1980-81 में 1925 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र के लिए अवाप्त की गई और इस वर्ष 679.33 एकड़ भूमि का विकास किया गया, औद्योगिक विकास के लिए जबकि 1552 एकड़ भूमि उद्योगों के लगाने के लिए स्वीकृत की गई थी जबकि इसके विपरीत...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कौन गलत आंकड़े देता है आपको....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कोई गलत नहीं है....

श्री प्रद्युम्नसिंह : जितने बता रहे हैं इससे बहुत ज्यादा हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : 1979-80 में केवल 973 प्लाट विकसित किये गये, 1980-81 में 979 प्लाटों का आवंटन किया गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि निश्चित रूप से चाहे भूमि के विकास का मामला हो, आवंटन का मामला हो, ऋण वितरण का मामला हो, इस निगम ने काफी अच्छा काम किया है।

अब आप स्टेट सब्सिडी और सेन्टर सब्सिडी के बारे में जानना चाह रहे थे। मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि आगे के लिए सदन को जानकारी हो जाय। 1979-80 का आंकड़ा है 241 लाख और 80-81 का है,....

मैं गलत हीं देना चाहता।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह मरवा के छोड़ेंगे आपको।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सब्सिडी और डिस्बर्समेंट अलग-अलग है, मैं इन दोनों के कन्फ्यूजन में रह गया...

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सही है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जहां वर्ष 1979-80 में केवल 119 लाख का अनुदान दिया गया था, वहीं पर 1980-81 में आज तक 354 लाख का अनुदान दिया जा चुका है। राज्य के अनुदान में भी जहां केवल 1979-80 में 16.60 लाख का अनुदान वितरण किया गया था और 1980-81 में 82.76 लाख का वितरित किया गया, इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं, श्रीमन्।

श्री यदुनाथ सिंह : प्रॉडक्शन के आंकड़े भी दे दें, प्रॉडक्शन बढ़ा या कम हुआ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, शान्त रहें, माननीय सदस्यगण।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने एक बात उठाई कि ईंटों को बिक्री कर से मुक्त किया जाय। मेरे खयाल से शायद उनको जानकारी नहीं थी, खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत वह पहले ही कर मुक्त हैं। इसलिए इसके लिए अलग से प्रावधान की आवश्यकता नहीं है और कोई आइटम ऐसा हो जिससे उद्योग को पनपाने में कठिनाई आती हो, बिक्री कर लगता हो,

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)
उसको आप निगाह में ला दें, इस पर तो ऑलरेडी एग्जम्पशन है।

श्रीमन् एक बात जो कि बहुत महत्व का मुद्दा है, वह सैल्स टैक्स के विभिन्न मुद्दों के बारे में है। यह ठीक है, सैल्स टैक्स को एडीशनल एक्साईज ड्यूटी में परिवर्तित किया जाता है तो एक ही स्थान पर कर लगेगा और विभिन्न स्तरों पर लगने वाले करों में छूट हो जायेगी। एक नहीं, अनेक बार राज्य सरकार ने भी विचार किया है, केन्द्रीय सरकार ने भी विचार किया। पिछली बार जब उन्होंने कहा कि इसके सरलीकरण पर विचार किया जाय, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य मंत्रियों की बैठक केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बुलाई थी, प्रधान मंत्रीजी ने उसका उद्घाटन किया था। हमारे घोषणा-पत्र में भी यह बात थी कि हम सैल्स टैक्स को यथा सम्भव समाप्त करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : जनता पार्टी का भी यही था....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, जनता पार्टी तो आई और वैसे ही चली गई। उनको तो मौका ही नहीं मिला विचार करने का। कांग्रेस की सरकार ने आते ही इस पर विचार किया।

श्री गोपाल पचेरवाल : इसका पता थोड़े ही दिनों बाद लगेगा।...

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन् पहले प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं ने उसका उद्घाटन किया, केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने उसकी अध्यक्षता की अलग-अलग मुख्य मंत्रियों से उन्होंने चर्चा भी की और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सारे आइटम्स एक साथ लेना सरकार के लिए सम्भव नहीं होगा, दो आइटम सजेस्ट किये गये, एक तो वेजीटेबल प्रॉडक्ट, वनस्पति पर आधारित उद्योग और दूसरा लाइफ सेविंग ड्रग्स, कुछ आइटम्स पहले से लिये हुए थे और उसके बाद में एक सब-कमेटी बना दी गई थी जो इस पर विचार कर रही है कौन-कौन से आइटम्स हो सकते हैं यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है श्रीमन्, कौन-कौन से आइटम्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हो सकता है सभी आइटम्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि विभिन्न राज्यों की होने वाली आमदनी जो बढ़ती है वह कैसे बढ़ती चली जाये। मुश्किल यह आती है कि हमारे जैसे राज्य जो कि औद्योगिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से पहले से ही विकसित नहीं है, उससे तो कहीं हम उनके साथ चलकर अपना उत्तर दे दें तो इसमें राजस्थान को कठिनाई पड़ती है, आमदनी प्रपोर्शनेटली कम हो जायेगी इसलिए कई स्तरों पर इसकी चर्चा की गई, और हमारी कोशिश यह रही है कि ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो आइटम्स कौन से बताये, माफ करना...

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : वनस्पति पर आधारित उद्योग और लाइफ सेविंग ड्रग्स। हमारी कोशिश रहेगी कि बिक्री कर जल्दी समाप्त हो सके तो हमें बहुत खुशी होगी और अगर समाप्त नहीं होता है तो जितने आइटम्स हैं सरकार उन पर एक्साइज ड्यूटी लगा दे ताकि व्यापारियों और खरीदारों को जो होने वाली कठिनाई है, उससे

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

बच सकेंगे, । यह हमारी कोशिश बराबर है। लेकिन इसके साथ हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि राजस्थान का विकास करना है तो ग्रामदनी के जरिये चाहिए । इसलिए हमने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है और राज्यों के मंत्रियों ने ग्रलग-ग्रलग विचार रखे हैं। कई राज्यों को कुछ मुद्दे सूट करते हैं। हम किस प्रकार से ग्रपनी ग्रामदनी को प्रोपरशनेटली बढ़ा सकें उसको देखकर भी हमने सुझाव दिए हैं। ग्रब वहस के लिए वित्त मंत्री ग्रलग ग्रलग राज्यों से चर्चा कर रहे हैं उसके बाद फिर कमेटी की मीटिंग होगी। मैं ग्रापको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की घोषित नीति है कि कम से कम कठिनाई खरीदारों, व्यापारियों ग्रौर उत्पादकों को होनी चाहिए । इसलिए जितने कम स्थानों पर टैक्स लग सके यह हमारी कोशिश है । इसी तरह हम ग्रागे बढ़ेंगे ।

श्रीमन्, कुछ ग्रौर बातें इस सिलसिले में करों की चोरी के लिए कही गईं ग्रौर दूसरी बातें कही गईं । हमने नए सैल कायम किए हैं किस प्रकार करों की चोरी रोकी जा सकती है उसमें विभिन्न राय हैं। कुछ कहते हैं कि नया सैल बनाकर करप्शन को बढ़ावा मिल सकता है, कुछ कहते हैं इसके जरिए चैक हो सकता है लेकिन फिर भी जहां-जहां सुझाव ग्राते हैं हम ध्यान देते हैं । मैं मानता हूं इसमें कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, यह भी हो सकता है कि व्यापारियों को ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । हमने पावर्स रेस्ट्रिक्ट कर दी है, ग्रगर छापा मारेंगे, जांच-पड़ताल करेंगे तो ग्रपने ऊपर के ग्रधिकारियों से लिखित में मंजूरी लेकर करेंगे । ऐसा नहीं हो सकता कि जब मर्जी ग्राई दुकान पर छापा मार दें कब्जा कर लें, इससे कठिनाई बहुत होती थी इसलिए उनकी शक्तियों को सीमित कर दिया है। लेकिन इसके साथ यह देखना पड़ेगा कि यदि वे सरकार का पैसा दबाते चले जायं, सरकार के खजाने में कुछ भी राशि जमा नहीं करायें इसलिये नया सैल कायम किया है ग्रौर हमारी कोशिश होगी । पिछली बार भी मैंने कहा था कि एक लाख से दो लाख तक ग्रसेसमेंट के लिए कुछ करेंगे, लेकिन पिछला तजुर्बा हमारे सामने नहीं ग्राया इसलिए जानबूझकर नहीं बढ़ाया है, जैसे ही सारा ग्रध्ययन हमारे सामने ग्राएगा ग्रावश्यक हुग्रा तो सदन में या बीच में ही व्यवस्था करने पर विचार कर सकेंगे ।

इसी प्रकार वसूली की चर्चा यहां की गई कि इतना हुआ, इतना नहीं हुग्रा। यह बात ठीक नहीं है, हमने बराबर कोशिश की है डिफाल्टर्स के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया है, हम उनको बदल नहीं सकते। कई जगह कामयाबी मिली, कई जगह कामयाबी नहीं मिली है, कई जगह स्टे हो गया है परन्तु कुछ ऐसे मामले हैं जहां पहले से ज्यादा वसूली कर पाए हैं। ग्रांकड़ों में पड़ने की ग्रावश्यकता मैं नहीं मानता। मैं निवेदन करना चाहता हूं पिछले साल 1979-80 में 413 लाख ग्रतिरिक्त मागों के जरिए हम 487.33 कर पाए । इस प्रकार से हमारी बेसिक सैल्स टैक्स में बढ़ोतरा हुई बावजूद इसके कि ग्रकाल की छाया रही। बिजली की भी कमी हुई, मैं मानता हूं लेकिन इस प्रकार की धूमिल पिक्चर माननीय सदस्य देते हैं ग्रगर वह सही हैं तो मैं कबूल करके चलना चाहता हूं कि गलती है तो सुधार हो सकता है लेकिन मानें ही नहीं, लकीर का फकीर हो, मैं उनमें से नहीं हूं और न सरकार है। ग्रगर गलती है

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

खामी है तो हमें दूर करना चाहिए लेकिन यह कहना कि छोटे उद्योगों की बिजली काट कर बड़े उद्योगों को दे दी या खेतीवाड़ी की विजली काटकर किसी को दे दी, यह सही नहीं है। सरकार की बरावर कोशिश होगी कि जो हमारे पास बिजली उपलब्ध है, पहले हम खेतीवाड़ी क्षेत्र को देंगे साथ साथ हमारे जो अनिवार्य सेक्टर्स हैं . . .

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लघु उद्योग ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : लघु उद्योग में एक दिन भी एक पर्सेन्ट भी बंद नहीं रही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 80 दिन।

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, बीच में बाधा उपस्थित न करें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अंतरयामी इस देश में बहुत हो गए। छोटे उद्योगों के लिए कोई बिजली की कटौती नहीं हुई, टेक्निकल पाइंट ग्राफ व्यू से बंद हो सकती है लेकिन हमारी कोशिश रही कि खेतीवाड़ी के लिए बराबर विजली देते रहे चाहे कम मात्रा में हो। छोटे उद्योगों के लिए बंद नहीं की गई जब कि बड़े उद्योगों को काफी बड़ी मात्रा में हमें कटौती करनी पड़ी। हमारी कोशिश रही है कि जो आवश्यक क्षेत्र है जैसे पानी की सप्लाई के लिए हम नहीं रोक सकते थे, मेडिकल हैल्थ सन्टर्स के लिए नहीं रोक सकते थे, दवाई बनाने वाले कारखानों के लिए नहीं रोक सकते थे, सीमेंट के लिए हम मानते हैं कि सीमेंट पर आधारित ग्रौर भी उद्योग चलते हैं सिवाय इन बातों के कहीं नहीं काटी, न खेतीवाड़ी क्षेत्र में ग्रौर छोटे उद्योगों में बिलकुल कटौती नहीं की गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंझले उद्योग ग्रौर बीच वाले उद्योग, नाम तो मैं नहीं जानता, मैंने जानकारी प्राप्त की, मैं थोड़े समय के लिए निश्चित रूप से कटौती की गई, लेकिन छोटे ग्रौर मंझले बीच वाले जो कुछ उद्योग थे, हमने देखा उनकी उपलब्धि बढ़ रही है। यह मैं मानता हूं कि बड़े उद्योगों के लिए बहुत कटौती करनी पड़ी। अब उसमें आंकड़े नहीं देना चाहता क्योंकि बिजली बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार होने वाला है, उस समय आपको जानकारी दूंगा। ये कुछ बातें थी जिनको मैं आपके सामने वापस पेश करना चाहता था उसकी मैंने जानकारी आपको दी।

अब कुछ माननीय सदस्यों ने बातें की हैं। केवल दो मिनट चर्चा करके समाप्त करना चाहूंगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्रौर पंडित जवाहर लाल नेहरू की विरोधी दल वालों को याद आने लगी। हम आशा करके चलते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नीतियों का पालन करने की कोशिश करेंगे, पंडित जवाहर लाल नेहरू की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आपने जो आलोचना की है वह मौका आपको नहीं मिल पाएगा।

(व्यवधान)

अगर इस बात को आपने समझ लिया होता तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रुरल सैक्टर में हमने ब्लाक लेवल पर ब्यूरोज कायम किए हैं इसलिए कहना पड़ा कि आपको बता सकूं। लेकिन राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के अनुकूल ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा विकास करने की कोशिश

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

कर रही है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की नीतियों का पालन करने में कोई बाधा नहीं है। जहां तक नीति का सवाल है बड़े उद्योग बहुत आवश्यक हैं उनके बगैर सैक्टर्स के कारखाने नहीं लग सकेंगे उसके साथ-साथ मध्यम दर्जे और छोटे दर्जे

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री यदुनाथ सिंह : 11 दिसम्बर, 1963 को पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने कबूल किया था कि मेरी औद्योगिक नीति गलत थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज !

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : खैर मैंने जानकारी के लिए बताया कि सरकार इस बात के लिए सजग है कि जहां बड़े उद्योगों का विकास आवश्यक है, मध्यम दर्जे का विकास हो, छोटे दर्जे का विकास हो, काटेज इंडस्ट्रीज, माननीय सदस्य ध्यान दें तो उनको आसानी होगी। हमारी कोशिश यह है कि देहाती क्षेत्र में न केवल नए उद्योग बल्कि ट्रेडीशनल, उद्योग हैं लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि नए तरीके के औजार और नए तरीके आ रहे हैं उनका उपयोग हम कर सकें, नहीं तो इस होड़ में काम्पीट नहीं कर पायेंगे। इसलिए सब्सिडी दी है, लोन सहायता दी है। लोन का कहीं डिफरेन्शल रेट आफ इंटरेस्ट भी किया है इस प्रकार और कोशिशें होंगी। उसके अलावा क्योंकि आदिवासी सब-प्लान और शिड्युल्ड कास्ट सब प्लान के अलावा हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों के लिए देहाती क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग की व्यवस्था है, डिफरेन्शल रेट आफ इंट्रेस्ट है, इसी प्रकार विकलांगों के लिए कोशिश की है, यह सब ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नीति के अनुरूप चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सारी बातें होंगी। समझने की कोशिश करें।

एक माननीय सदस्य ने कहा सेंट्रल सैक्टर में अभी तक कुछ हुआ या नहीं वह सबको राय देते हैं इधर बैठने वालों को भी देते हैं, उधर बैठने वालों को देते हैं। मुश्किल यह है कि वह 25 साल तक लगातार राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते रहे। उस समय उनको याद नहीं आया कि सेंट्रल का कोई प्रोजेक्ट राजस्थान में लगना चाहिए। वह है नहीं मैं क्या कहूं। मथुरा रिफाइनरी के लिए जिम्मेदार कौन है ? राजस्थान में रिफाइनरी लगने वाली थी सवाई माधोपुर का फैसला हो चुका था सिवाय इसके कि जमुना मैया की रज माथे लगा दी, माननीय सदस्यों को याद होगा उन्होंने कहा था चुनाव लड़ना है इसलिए राजस्थान को नुकसान नहीं होना चाहिए। आज उनको बड़ी याद आई है कि भरतपुर में मथुरा रिफाइनरी पर आधारित कारखाना लगना चाहिए। उसकी कोशिश हम कर रहे हैं कि भरतपुर में लगना चाहिये, उदयपुर में, जोधपुर में, चूरू में लगना चाहिए, बांसवाड़ा में लगना चाहिए, सब जगह हमारी कोशिश है लेकिन 25 साल लगातार भारत सरकार में रहने के बाद याद आई! मेरे पास एक नहीं जितने सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं क्या हुआ ड्राई पोर्ट का ? वह राजस्थान में आ रहा था, क्या हुआ जो दिल्ली से कैपीटल लिमिट बढ़ रही थी अलवर भरतपुर आ रही थी ? वह है नहीं, मैं उनको सारी जानकारी देना चाहता था महज उसकी वजह से वह कारखाना

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)
मथुरा में गया, वरना उसका फैसला सवाई माधोपुर के लिए हो चुका था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य राजबहादुरजी, जिनकी ओर आप संकेत कर रहे हैं, कांग्रेस में थे या दूसरे दल में थे?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जानकारी माननीय सदस्य को है इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। मैं आशा करके चलता हूं कि आगे सभी इस बात का ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार से प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए व लेने की कोशिश करें, सब मिलकर कोशिश करें हम बराबर कोशिश करते रहे हैं चाहे रीति नीति हमारी फैल हो सकती है लेकिन चाहे राजस्थान के औद्योगिक विकास का सवाल हो, चाहे और कोई विकास का सवाल हो, हम भेदभाव नहीं करना चाहते हम आपके सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान का विकास करें, यह हमारी कोशिश है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक दो प्रश्न तो मुख्य मन्त्रीजी से आप पूछने दें। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह पूछना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी ने यहां उद्योग विभाग की मांगों पर राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिये एक वक्तव्य, वक्तव्य नहीं भाषण दिया। मैं मुख्य मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जो अपना भाषण दिया है क्या वे अपने भाषण से सन्तुष्ट हैं? एक तो प्रश्न यह है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभी संतुष्ट हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंहजी आप तो पोलसन लगाना जानते हैं, आपको तो सन्तुष्टि और असन्तुष्टि से कोई लेना देना नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसका पोलसन से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि क्या राज्य सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्था औद्योगिक विकास के लिये की है यहां पर उससे क्या राजस्थान में नये उद्योग लगाने के लिये उद्योगपति प्रेरित होंगे? क्या आपने जो नीतियां निर्धारित की हैं या जो घोषणाएं की है, उनसे अगले साल राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये क्या उद्योगपति आयेंगे? क्या आप इन स्थितियों में लोगों को उद्योग लगाने के लिये प्रेरित कर सकेंगे या नहीं? एक तो मैं यह पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कलकत्ता और बम्बई में भाषण देना आसान नहीं है अगर कलकत्ता और बम्बई में भाषण देना आसान होता तो वहां पर भाषण देने पहाड़िया जी नहीं जाते आप भी पहुंच जाते। पहाड़िया जी नहीं जाते। यह आपके समझने की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य आपस में बातें नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसके अलावा मैं यह पहाड़िया जी से पूछना चाहता हूं कि जब से उन्होंने मुख्य मंत्री का पद संभाला है, उस समय से पहले से, आज तक नये उद्योग लगाने के लिये जिसकी पिछली सरकार में कार्यवाही नहीं चल रही हो या जिसको राजस्थान में लगाने के लिये कोई चर्चा नहीं

(श्री भरोंसिंह शेखावत)

हुई हो उसके आधार पर कोई नया उद्योग लगाने की स्थिति हुई क्या ? इसके अलावा मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि पिछले साल गवर्नर महोदय के अभिभाषण में एक पैराग्राफ में यह लिखा गया है कि एक ली-लैण्ड का कारखाना भी राजस्थान में लगेगा। इसमें आपने लिखा है कि कास्टिक उद्योग राज्य में स्थापित किया जा रहा है जिसमें 22 करोड़ रुपये की पूंजी का विनियोजन होने का अनुमान है। इस कास्टिक उद्योग का क्या हुआ ? इसके अतिरिक्त भारत ने 68 उद्योगों का टैक्सटाइल मिल लगाने के लिये परमिट जारी किये। इन 68 लोगों को जिन्हें टैक्सटाइल यूनिट लगाने के लिये परमिट दिये गये उसमें से राजस्थान में कितने लोगों को परमिट टैक्सटाइल यूनिट लगाने के लिये दिया गया और उसमें से कितने यूनिट्स यहां पर लगे ? इसके अलावा राजस्थान में सीमेंट के तीन कारखानें खुलने वाले थे, उसमें से मंगलम सीमेंट कारखाने को छोड़कर दो को जो इक्विटी पार्टीशिपेशन के आधार पर जो रुपया दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया गया जिससे कि उन सीमेंट के कारखानों की प्रगति में रुकावट आ रही है, उसमें क्या स्थिति है यह बतावें?

तीसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि एडीशनल एक्साइज ड्यूटीज के मामले को लेकर दो बातों के लिये कहा गया है। एक तो लाईफ सेविंग ड्रग और दूसरा वैजीटेबल्स को एडीशनल एक्साइज ड्यूटी में कवर कर लिया जाये और राजस्थान में सैल्स टैक्स को हटा लिया जाय। इसके लिये पहले मुख्य मंत्री जो थे मुझे तो आप छोड़िये मेरे से पहले हरिदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया और उनके समय में जो वित्त मंत्री थे उन्होंने भारत सरकार से यह कहा था कि तीन चीजों के ऊपर जो एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगायी जाती है जिसमें शुगर, टुबेको और कपड़ा, इन पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगायी जाती है उस समय के मुख्य मंत्रियों ने और तत्कालीन वित्त मन्त्रियों ने इस बात की मांग की थी इन पर सैल्स टैक्स लगाने की अनुमति दी जाये ताकि राज्य सरकार की आय बढ़ सके।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, कोई व्यक्ति जब अपनी बात कहता है तो अपनी संतुष्टि के लिये ही नहीं कहता, वह तो सारे सदन की संतुष्टि के लिये कहता है और जब सारा सदन संतुष्ट है तो अपने आपकी संतुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अगर ईमानदारी और बेईमानी की ऐसी ही डेफिनेशन आंकी जाती है तो बात अलग है।

(व्यवधान)

आप दोनों मिलकर बैठकर बात कर लेना। श्रीमन्, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो राहत देने की बात हमने उद्योगों के लिये सोची थी वह बात हम नहीं कर पाये और उसमें हमारे सामने जो मजबूरियां थीं वह मैंने यहां पर रख दी है। राजस्थान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आगे बढ़ सकें लेकिन यहां पर जैसा कि पहले कई माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान से कई उद्योग लोग उठा कर ले जा रहे हैं वह बात नहीं है। अब मैं यहां पर मुकाबला तो इसलिये नहीं करना चाहता हूं कि अभी मेरे पास पूरे फिगर्स नहीं

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

हैं, दूसरी बात यह आधार ही नहीं है। जहां तक सवाल ढांचा तैयार करने का है मैं पिछली बार इसकी चर्चा कर चुका हूं कि हम यहां पर बिजली का उत्पादन अधिक करेंगे। नये औद्योगिक क्षेत्र बनायेंगे और नय नये लोगों को उद्योग लगाने के लिये लाइसैन्स देंगे। सीमेंट के कारखाने के बारे में मैंने चर्चा की थी। इसके अलावा मैंने पाइराइट के कारखाने की भी चर्चा की थी। कुछ ऐसे उद्योग हैं हो सकता है कि जिनका पहले यहां पर सिर्फ चर्चा मात्र ही हुई होगी लेकिन, श्रीमन् रिकार्ड पर अब वह आये हैं जैसे खाद के कारखाने की पहले चर्चा थी पर तय नहीं था। इसके अलावा ली-लैण्ड का कारखाना हमने तय कराया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ली-लैण्ड का कारखाना एक देने की बात तो पहले ही तय थी कि राजस्थान को एक ली-लैण्ड का कारखाना दिया जायेगा। इसमें बहुगुणा का पत्र पहले ही से है। आप क्या कर रहे हैं? आप लाये हैं क्या ली-लैण्ड का कारखाना? क्या यह आपके कारण आया है? आप क्या यह कह रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आप उसको अगर ले आते तो फिर यहां पर चर्चा करने की क्या आवश्यकता थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुगुणा का पत्र आपकी फाईल में पड़ा है। आप देखें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कहां है बहुगुणा का पत्र?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय एक कारखाना लगने की बात थी।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, अगर वह पहले ही ले आया तो यहां पर चर्चा करने की क्या आवश्यकता थी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप लाये हैं क्या?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हां, हमारी कांग्रेस सरकार आयी, जब लाये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैसे लाये हैं?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हाथ जोड़कर लाये हैं। हमारी कांग्रेस की सरकार आयी तब तय हुआ। श्रीमन, यही कुछ मुद्दे माननीय सदस्य ने उठाये उनके लिये राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिये राज्य सरकार क्या कर रही है वह मैंने निवेदन किया।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे जिनके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कोई जवाब नहीं दिया। जिस समय मैंने निवेदन किया था उस समय मुख्य मंत्री जी यहां पर बिराज नहीं रहे थे और शायद उनके कलिग ने उनको इसके बारे में बताया नहीं था। मैंने इस बात की मांग की थी, अध्यक्ष महोदय, कि भारत सरकार माइका पर आधारित दो कागज के कारखाने देश में लगा रही है। राजस्थान माइका की दृष्टि से इस देश में बहुत बड़ा स्थान रखता है और भीलवाड़ा में माइका की बहुतायत थी। इस संबंध में जानकारी चाही थी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरा यह था . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा।

श्री **रतनलाल ताम्बी** : भाषण नहीं दे रहा हूं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री **अध्यक्ष** : केवल दो प्रश्न ही पूछें ।

श्री **रतनलाल ताम्बी** : केवल दो प्रश्न ही पूछ रहा हूं ।

दूसरा, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुपर स्मेल्टर, अगूचा के लिये भीलवाड़ा में लगाने के लिये और किशनगढ़ में दो तरह की पॉवरलूम फैक्ट्रीज चल रही है उन पर नये और पुराने पॉवरलूम पर सैल्स टैक्स जो लग रहा है उसमें भेदभाव के बारे में है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी यह तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इनका जवाब दें ।

(विराम)

क्या, श्रीमन्, मैं वापस-रिपीट करूं ।

मैंने निवेदन किया कि भारत सरकार अभ्रक आधारित दो कारखाने देश में लगा रही है, एक बिहार में लगा रही है। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में माइका की बहुतायत है तो क्या राज्य सरकार कोई कार्यवाही वहां पर कारखाना लगाने के लिये कर रही है ? मैंने तीन निवेदन किये, एक सुपर-स्मेल्टर प्लान्ट अगूचा का लगाने के लिये, दूसरा भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा डिपोजिट्स निकले हैं उसके लिये और तीसरा किशनगढ़ में दो तरह के नये और पुराने पावरलूम के ऊपर सैल्स टैक्स में विसंगति को दूर करने के संबंध में है । यह तीनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और औद्योगिक दृष्टि से महत्व रखते हैं इसलिये मुख्य मंत्रीजी इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दें ।

श्री **जगन्नाथ पहाड़िया** : यह तीनों ही प्रश्न आवश्यक कार्यवाही के लिये विचाराधीन हैं ।

(व्यवधान)

मांग संख्या 42 व 14 का पारण

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर, ऑर्डर । अब कोई बहस नहीं होगी ।

मांगों पर मतदान ।

मांग संख्या-42

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42-उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,18,03,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 42 स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14-बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,22,27,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 14 स्वीकार की गयी ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 26 मार्च, 1981 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.11 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 26 मार्च, 1981 को म. पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित की गयी ।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 465 की सूची

राजकीय छात्रावासों में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं की सूची

1. आटा गेहूं का 600 ग्राम प्रति आवासी प्रति दिन।
2. तेल मूंगफली 20 ग्राम प्रति आवासी प्रति दिन।
3. दाल 50 ग्राम प्रति आवासी प्रतिदिन।
4. मसाले 15 ग्राम प्रति आवासी प्रति दिन।
5. चावल 200 ग्राम प्रति आवासी प्रति सप्ताह प्रति आवासी 300 ग्राम आटे के स्थान पर।
6. लकड़ी 1200 ग्राम प्रति आवासी प्रतिदिन।
7. नाश्ता 50 पैसे प्रति आवासी प्रति दिन।
8. सब्जी हरी 40 पैसे प्रति आवासी प्रति दिन।
9. चीनी 200 ग्राम प्रति आवासी प्रति माह।
10. सिर का तेल 30 ग्राम प्रति आवासी प्रति सप्ताह।
11. गुड़ 200 ग्राम प्रति आवासी प्रति माह।
12. साबुन 2-50 कपड़े धोने का प्रति माह 1-10 स्नान करने का प्रतिमाह।
13. प्रति माह प्रति आवासी को क्षोर कार्य कराने का कार्य (हेयर कटिंग)।
14. पोशाक:–

    कमीज-2

    पेन्ट-1

    नेकर-2

    चड्डी-3

    बनियान-3

    टावल-2

    जर्सी-1 गर्म
15. जूते-30 रु. के
16. बिस्तर आदि-दरी, तकिया, गिलाफ-2, चद्दर-2, खेश-1, कम्बल-1 प्रति आवासी-1
17. बर्तन आदि-थाली-1, कटोरी-1, मग प्लास्टिक 500 ग्राम पानी आ सके।
18. पुस्तक व स्टेशनरी 55 रु. प्रति आवासी।
19. फीस आदि समस्त विद्यालय शुल्क एवं परीक्षा का समस्त भुगतान।
20. प्रति माह विशेष भोजन एक रुपया।

इसके अतिरिक्त भवन, बिजली व पानी की निःशुल्क व्यवस्था होती है।

स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित द्वितीय श्रेणी अनुदानित छात्रावासों पर दिनांक 1-7-1977 से लागू होने वाली राशन स्केल

क्रमांक	नाम वस्तु	तादाद वस्तु	विशेष विवरण
1.	आटा	600 ग्राम प्रति आवासी प्रति दिन	
2.	दालें	58 ग्राम प्रति आवासी प्रति दिन	
3.	सब्जी	0.25 पैसे प्रति आवासी प्रति दिन	
4.	मसाले	15 ग्राम प्रति आवासी प्रति दिन	
5.	घी वनस्पति	12 ग्राम प्रति आवासी प्रति दिन	
6.	चावल	250 ग्राम प्रति आवासी प्रति पखवाड़ा (300 ग्राम आटे के स्थान पर)।	
7.	तेल (खाद्य)	12 ग्राम प्रति आवासी प्रति दिन	
8.	शक्कर (चीनी)	1.133 ग्राम प्रति आवासी प्रति माह	
9.	गुड़	23 ग्राम प्रति आवासी प्रति माह	
10.	ईंधन	1.233 किलो (एक किलो 233 ग्राम) प्रति दिन प्रति आवासी ।	
11.	विशेष भोजन	1.25 पैसे प्रति आवासी प्रति माह (एक रुपय के भोजन के स्थान पर)।	
12.	नाश्ता	0.50 पैसे प्रति आवासी प्रति दिन	
13.	मिट्टी का तेल अथवा बिजली खर्च	1.00 प्रति आवासी प्रति माह	
14.	सिर में लगाने का तेल	5.00 रु. प्रति आवासी प्रति सत्र	
15.	साबुन	1.25 प्रति आवासी प्रति माह	
16.	वार्षिक परीक्षा शुल्क	आवश्यकतानुसार–	
17.	(अ) स्टेशनरी	15 रु. प्रति आवासी प्रति सत्र कक्षा 6 से 8 तक तथा कक्षा 9 से 11 तक 25 रु. प्रति आवासी प्रति-सत्र ।	
	(ब) पुस्तकें	आवश्यकतानुसार	
18.	ड्रेसेज:–		
	1. पोशाक	2 जोड़ी प्रति आवासी	65 रु. तक
	2. तोलिया	1 प्रति आवासी	8 रु. तक
	3. जूते जोड़ी	1 प्रति आवासी	12 रु. तक

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 476 का विवरण

सरदारशहर आगार में संचालित वाहनों का मॉडलवार विवरण

क्र. संख्या	मॉडल	वाहनों की संख्या
1.	1973	1
2.	1974	3
3.	1975	18
4.	1976	14
5.	1977	2
6.	1978	4
7.	1979	5
8.	1980	4
	योग ..	51

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सुखाल व भगवत बंध (सवाई माधोपुर)

471. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में सिंचाई विभाग द्वारा सुखाल व भगवत बंध बनाये गये हैं ? यदि हां, तो दोनों तालावों में कितनी जमीन तथा कुएं डूब में आये हैं ? कृपया, अलग-अलग से किस्म जमीन व कुओं की तादाद बतलाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिस समय उपरोक्त तालाबों का निर्माण किया गया उस समय वे जमीनें अवाप्त कर ली गई थीं या नहीं ? यदि हां, तो उन काश्तकारों को उनकी भूमि अवाप्ति का नोटिस कब दिया गया ?

(3) तालाबों की डूब में आई भूमि का अब तक कितना मुआवजा दिया गया है तथा कितना देना बाकी है ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ लोगों के मुआवजे की रकम सरकार द्वारा गत वर्ष तहसील सवाई माधोपुर में भेजी गई थी ? यदि हां, तो अब तक उसमें से कितना दिया गया है, कितना शेष है तथा किस विभाग के कौन से खाते में जमा है ? मुआवजा नहीं देने का क्या कारण है ? क्या सरकार जांच कर गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

(5) क्या सरकार का बंधों में आई जमीन व कुओं का बाकी मुआवजा देने का इरादा है ? यदि हां, तो उसका भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) सूरवाल बांध के डूब में आने वाली जमीन का मुआवजा रुपये 10,02,480 का चैक दिनांक 31-3-79 को उप-जिलाधीश, सवाईमाधोपुर को चुकारा करने हेतु भेजा जा चुका है। ग्राम भगवत गढ़ के डूब में आई भूमि के मुआवजे की रकम रुपये 7,72,927.50 का चैक दिनांक 19-3-81 को उप-जिलाधीश, सवाईमाधोपुर को चुकारा करने हेतु भेजा जा चुका है। शेष चुकारे योग्य कोई रकम बाकी नहीं है।

(4) बांध सूरवाल के मुआवजे की राशि रु. 10,02,480 में से तहसीलदार, सवाई माधोपुर द्वारा रुपये 2,87,293.50 की राशि काश्तकारों को वितरित कर दी गई है। शेष रकम रुपये 7,15,187.50 उत्तराधिकार के विवाद एवं अन्य कारणों से चुकाई नहीं जा सकी, यह शेष रकम रेवेन्यू डिपोजिट के मद में जमा है। चूंकि मुआवजे की रकम का भुगतान राजस्व अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता है।

(5) भगवतगढ़ बान्ध के मुआवज की रकम का चैक उप-जिलाधीश, सवाईमाधोपुर को दिनांक 19-3-81 को भेजा जा चुका है, अतः

(सिंचाई मंत्री)

संबंधितों को शीघ्र भुगतान किए जाने की सम्भावना है।

सुरवाल व भगवतगढ़ बांध के डूब में आई भूमि की सूची

बांध सूरवाल:—इस बांध के डूब में आयी कुल भूमि 2,949 बीघा 17 बिस्वा है।

चाही जमीन 318 बीघा 19 बिस्वा।

बंजड़ 69 बीघा 10 बिस्वा।

बारानी 1,705 बीघा 2 बिस्वा।

गैरमुमकिन 23 बीघा 1 बिस्वा।

सरकारी भूमि 832 बीघा 18 बिस्वा।

कुएं-22,

383 काश्तकारों की भूमि डूब में आयी।

बांध भगवतगढ़:—इस बांध के डूब में आयी कुल भूमि 1,909 बीघा 18 बिस्वा है।

चाही जमीन 53 बीघा।

बारानी 797 बीघा 12 बिस्वा।

बंजड़ 132 बीघा 13 बस्वा।

गैर मुमकिन 3 बीघा 15 बिस्वा।

सरकारी भूमि 1,012 बीघा 18 बिस्वा।

181 काश्तकारों की भूमि डूब में आई है।

चौहटन मुख्यालय पर विद्युत संबंध के विचाराधीन प्रकरण

472. **श्री भगवानदास डोसी** (चौहटन): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार द्वारा चौहटन मुख्यालय पर विद्युत कनेक्शन हेतु विचाराधीन सभी आवेदन-पत्रों के संदर्भ में दिनांक 31 मार्च, 1981 तक बिजली के कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

उत्तर

जी नहीं। विद्युत कनेक्शन मण्डल द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं की अनुपूर्ति आवेदक द्वारा पूर्ण करने पर ही दिया जाता है। चौहटन में 48 आवेदकों के द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं की अनुपूर्ति अपेक्षित है। अतः सभी आवेदकों को दिनांक 31 मार्च, 81 तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

नवलगढ़ व मुकुन्दगढ़ को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना

473. **श्री भंवरसिंह** (नवलगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि भूमि के औद्योगिक भूमि में परिवर्तन हेतु क्या सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है? क्या उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु इस संबंधी विद्यमान लागू प्रक्रिया को सरल बनाने का सरकार इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार नवलगढ़ और मुकुन्दगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विद्यमान प्रक्रिया

(श्री उद्योग मंत्री)
सरलीकरण का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां। औद्योगिक क्षेत्र नवलगढ़ एवं मुकुन्दगढ़ के लिए वांछित भूमि के अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् विकास कार्य यथा शीघ्र प्रारंभ कर दिये जावेंगे।

ओराई बांध क्षेत्र में आवंटित भूमि

474. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की बेगूं तहसील के ओराई बांध के क्षेत्र में कितनी जमीन आवंटित की गई ?

(2) उसमें से कितने लोगों के विरूद्ध आवंटन निरस्तीकरण हेतु मामले अदालतों में विचाराधीन हैं ?

(3) 10-12 वर्ष पूर्व जिन लोगों को जमीनें अलॉट की गई हैं और जिन्होंने जमीन पर काफी रुपया एवं श्रम लगाकर जमीनें आबाद कर ली हैं, क्या सरकार उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अख्तियार करेगी ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले की बेगूं तहसील के ओराई बांध के क्षेत्र में 3,935 एकड़ भूमि आवंटन की गई।

(2) वर्तमान में अतिरिक्त जिलाधीश (उपनिवेशन) के न्यायालय में 68 व्यक्तियों के विरूद्ध आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) जिन लोगों ने गलत सूचना देकर नियम विरुद्ध आवंटन प्राप्त कर लिया उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक है।

कारागृहों में बन्दियों का श्रेणीवार वर्गीकरण

475. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजनैतिक, सामाजिक, श्रमिक आदि कर्मचारियों / नेताओं को बंदी बनाये जाने पर, इनकी मांगों के लिये आन्दोलन के दौरान, जैल में श्रेणी विभाजन का क्या आधार है ?

(2) जयपुर नगर परिषद् सफाई कर्मचारी कांग्रेस के बंदी नेताओं को जेल में किस आधार पर क्या श्रेणी दी गई तथा क्या राजनैतिक बंदियों को दी जाने वाली सुविधायें उन्हें दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 15-11-76 से सभी अपराधीन बन्दियों एवं विचाराधीन बन्दियों को दी जाने वाली श्रेणियां समाप्त किये जाने से कारागृहों में प्रविष्ट होने वाले सभी अपराधी बन्दियों एवं विचाराधीन बन्दियों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी स्थिति में आन्दोलनकारी कर्मचारियों को बन्दी बनाये जाने पर कारागृहों में श्रेणी दिये जाने का प्रश्न ही नहीं होता।

(2) जयपुर नगर परिषद् सफाई कर्मचारी व आन्दोलनकारियों की गणना राजनैतिक, आन्दोलनकारियों में नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह तो कर्मचारी ही हैं। चूंकि कारागृहों में दिनांक 15-11-76 को

(कारागृह मंत्री),
सभी वन्दियों को बिना किसी भेदभाव के एक ही श्रेणी में रखा जाता है, तो इन कर्मचारी आन्दोलनकारियों को वन्दी बनाये जाने की स्थिति में राजनैतिक वन्दियों को दी जाने वाली सुविधा दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा नियमों का विधान सभा द्वारा पारण

476. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली) : क्या कार्मिक विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय कर्मचारियों व अधिकारियों से संबंधित जो भी सेवा नियम बने हैं वे सरकार ने ही बनाये हैं और सेवा संबंधी कोई भी अधिनियम विधान सभा द्वारा पारित नहीं करवाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत सेवा संबंधी अधिनियम बनाये जाने का प्रावधान है और सरकार को केवल ट्रान्जिटरी पीरियड के लिये ऐसे अधिकार नियम बनाने हेतु प्रदत्त हैं ?

(3) क्या सरकार संविधान की धारा 309 के अन्तर्गत सेवा संबंधित कोई विधेयक विधान सभा में पारित कराने हेतु प्रस्तुत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं । चूंकि संविधान की धारा 309 के परन्तुक के अन्तर्गत भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारें भी नियम बनाती हैं और इस मामले में एकरूपता रखना अपेक्षित है । अत: इस संबंध में भारत सरकार से परामर्श किया गया था । भारत सरकार ने बताया है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने, संविधान की उक्त धारा के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सेवा नियम बनाये जाने की वर्तमान प्रणाली को बनाये रखने का सुझाव दिया था और इसी प्रकार की प्रणाली राज्य सरकारों के लिए भी रखे जाने का सुझाव था, जिसे भारत सरकार ने मान लिया है । अत: राज्य सरकार ने राज्य सेवा संबंधी नियमों के बनाये जाने की वर्तमान प्रणाली को ही बनाये रखने का निश्चय किया है ।

ग्राम जगपुरा (भीलवाड़ा) में खेत से मिला सोना

477. **श्री नानूराम कुमावत** (आसीन्द): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि वर्ष 1978 में जिला भीलवाड़ा की आसीन्द तहसील के जगपुरा ग्राम में एक खत में गढ़ा हुआ सोना मिला था ? यदि हां, तो कुल कितना सोना किस रूप में मिला ? अब तक इस मामले की जांच का क्या नतीजा रहा ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

इस संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । उस पर थाना बदनौर में मुकदमा नं. 99 दिनांक 6-12-79 को कायम कर अन्वेषण आरंभ किया गया । इस मामले में सी.आई.डी. द्वारा भी जांच कराई गई । लेकिन काफी प्रयास

(गृह मन्त्री)
के बाद भी कोई नतीजा न निकलने से इस मामले में 20-6-80 को एफ.आर.दे दी गई।

ग्राम पंचायत धूलवा (झुन्झुनू) के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

478. **श्री सुन्दर लाल** (सूरजगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या ग्राम पंचायत धूलवा (झुन्झुनू) के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करीब दो साल से चल रही है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है? नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि ए. डी. डी. ओ., झुन्झुनू द्वारा कई बार पत्र लिखने व वायरलेस देने पर भी विकास अधिकारी, पंचायत समिति बुहाना ने जांच रिपोर्ट नहीं भेजी?

(3) क्या सरपंच पर गबन साबित होने पर सरकार उसको निलम्बित करने का आदेश देगी?

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच, ग्राम पंचायत, धूलवा पंचायत समिति बुहाना, जिला झुन्झुनू के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के बारे में जिलाधीश, झुन्झुनू को शिकायत प्राप्त होने पर उन्होंने विकास अधिकारी, पं. स. बुहाना से जांच कराई एवं जांच प्रतिवेदन दिनांक 19-10-79 को जिलाधीश को प्रस्तुत किया गया। जांच प्रतिवेदन में तथ्य स्पष्ट नहीं होने के कारण जिलाधीश ने विकास अधिकारी को दिनांक 4-4-80 को कुछ बिन्दुओं पर जांच करने हेतु कहा गया। इन बिन्दुओं पर वि. अ. ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 13-11-80 को जिलाधीश को प्रस्तुत किया। जांच प्रतिवेदन में अब भी तथ्य स्पष्ट नहीं होने के कारण, अब जिलाधीश द्वारा पुनः जांच पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा कराई जा रही है।

(2) जी हां। किन्तु विकास अधिकारी ने दिनांक 13-11-80 को जांच प्रतिवेदन जिलाधीश को प्रस्तुत कर दिया। जांच प्रतिवेदन में तथ्य स्पष्ट नहीं होने के कारण जिलाधीश द्वारा पुनः जांच कराई जा रही है।

(3) जिलाधीश, झुन्झुनू से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं सरपंच के दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

जयपुर नगर निगम की स्थापना

479. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** (भीम): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जयपुर शहर की बढ़ती हुई आबादी के फलस्वरूप सरकार गत सत्र में दिये गये आश्वासनानुसार कब तक जयपुर नगर परिषद् के स्थान पर जयपुर नगर निगम की स्थापना का विचार रखती है?

उत्तर

जी नहीं। गत सत्र में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। अभी यह मामला विचाराधीन नहीं है।

जिला भीलवाड़ा में सुपर स्मेल्टर की स्थापना

480. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाज-

(श्री रतनलाल ताम्बी)
पुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा के रामपुरा आगूचा क्षेत्र में जिंक, जस्ता, शीशा एवं रॉक-फास्फेट के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक पदार्थ की कितनी-कितनी मात्रा है ?

(2) क्या सरकार ने इस क्षेत्र के खनन के कार्य को राजस्थान खनिज उद्योग विकास निगम को देने के प्रश्न पर कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ने इस क्षेत्र के खनन के कार्य को अन्य किसी प्रतिष्ठान को दिया है ? यदि हां, तो किसको, किन शर्तों पर तथा कितने वर्षों के लिए ?

(4) क्या यह सही है कि यदि सरकार इस खनन के कार्य को स्वयं अथवा राज्य खनिज विकास निगम के द्वारा संपादित करती तो एक अरब रुपयें वार्षिक की आय सरकार को होती ?

(5) एशिया में सर्वाधिक मात्रा में इस क्षेत्र में पदार्थ उपलब्ध होने के आधार पर क्या सरकार ने सुपर स्मेल्टर एवं अन्य संयंत्र आगूचा में लगाने के लिए कोई प्रस्ताव दिया है ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार यहां पर सुपर स्मेल्टर एवं अन्य संबंधित संयंत्रों को स्थापित करने के लिए प्रयास करेगी ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगूचा क्षेत्र में जस्ता एवं शीशा (जिंक एवं लेड) खनिज के बड़े भण्डार खोजे गये हैं। इस क्षेत्र में राक-फास्फेट के कोई भण्डार उपलब्ध नहीं हैं। प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार यहां 3 करोड़ 50 लाख टन खनिज अयस्क उपलब्ध होने का अनुमान है जिसमें जस्ता एवं शीशा धातु की कुल मात्रा 10% (8% जस्ता, 2% सीसा) है। इस भण्डार की मात्रा एवं ग्रेड का पूरा अनुमान लगाने के लियें विस्तृत छिद्रण कार्य किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। क्योंकि जस्ता एवं शीशा भण्डारों के खनन एवं स्मेलटिंग के लिये भारत सरकार का प्रतिष्ठान मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड गठित है जिनके पास इन धात्विक अयस्कों के खनन व विकास आदि की तकनीकी जानकारी उपलब्ध है और देश के सभी प्रमुख लेड, जिंक भण्डारों का दोहन इस प्रतिष्ठान द्वारा किया जा रहा है।

(3) इस क्षेत्र में 1200 हैक्टेअर भूमि पर राज्य सरकार ने मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (भारत सरकार का प्रतिष्ठान) को दिनांक 13-3-80 से 20 वर्ष की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत किया है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार ने इस भण्डार के खनन कार्य को स्वयं अथवा राज्य खनिज विकास निगम के द्वारा करने का कोई इरादा नहीं किया क्योंकि इन धातुओं के खनन, विकास आदि के लिये विशेष तकनीकी जानकारी एवं विपुल वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है जो राज्य खनिज विकास निगम के पास नहीं है।

(5) इस खनिज भण्डार के आधार पर राज्य में ही एक नये जिंक स्मेल्टर की स्थापना के लिये राज्य सरकार प्रयास कर रही है जिसके अन्तर्गत संभावित स्थानों पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की सूचना

(खनिज मंत्री)

एकत्रित करने के लिये भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा एवं सवाई माधोपुर जिलों में जिलाधीशों की अध्यक्षता में कमेटियां गठित की गई हैं। जिनके प्रतिवेदनों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति में विचार-विमर्श किया जाकर सिफारिशें मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को उपयुक्त स्थान का चयन करने हेतु भेजी जायेगी।

निरीक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा

481. श्री शिवसिंह (बाड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1977 व 1980 में उप-निरीक्षक से निरीक्षक की पदोन्नति परीक्षा द्वारा कुल कितने उप-निरीक्षकों को पदोन्नत किया गया तथा उनमें अनुसूचित जाति व जन-जाति के कितने-कितने उपनिरीक्षकों को पदोन्नत किया गया ? पदोन्नति परीक्षाओं के चेयरमैन कौन-कौन थे ?

(2) इन पदोन्नतियों में राजपूत जाति के कितने उपनिरीक्षक पदोन्नत किये गये व उनका प्रतिशत क्या रहा ?

(3) क्या यह सही है कि इस जाति के उपनिरीक्षकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के भी आरोप गैर तजवीज थे, और उनको भी पदोन्नति दे दी गई ? ऐसे उपनिरीक्षकों की संख्या कितनी थी ?

(4) क्या सरकार भविष्य में अनुसूचित जाति व जनजातियों के उपनिरीक्षकों से निरीक्षकों की पदोन्नति के बकाया कोटे को पूरा करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 273 उपनिरीक्षकों को पदोन्नत किया गया, जिनमें 8 अनुसूचित जाति व तीन अनुसूचित जन-जाति के थे। विभिन्न चयन समितियों के चेयरमैन श्री अमर सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, श्री हमीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक व श्री डी. पी. गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक थे।

(2) 80 राजपूत जाति के उपनिरीक्षकों को पदोन्नत किया गया है, जिनका प्रतिशत 29.30 है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। नियमानुसार यथाशीघ्र।

विद्युत भार एवं उपलब्धि

483. श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 1980-81 में विद्युत भार के मुकाबले विद्युत उपलब्धि क्या रहेगी ?

(2) क्या उपलब्धि को देखते हुए राजस्थान में 250 से 400 मेगावाट की पीक डिमांड व ऊर्जा में 800 मिलियन यूनिट की कमी रहेगी ?

(3) इस विद्युत की कमी को टालने के लिये क्या संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) किसी भी अणु ऊर्जा केन्द्र के प्रारम्भ किये जाने के लिए क्या कोई टेक्निकल नार्म्स निर्धारित हैं ? उनके अनुरूप क्या यह सही है कि राजस्थान अणु बिजली-

(श्री छोगाराम बकोलिया)

घर की दूसरी यूनिट मार्च, 1981 में विद्युत भार की पूर्ति का 5 प्रतिशत पूरा करेगी ?

(5) क्या इस वर्ष बढ़ते विद्युत भार को देखते हुए विद्युत उत्पादन के नये विद्युत गृहों की स्थापना की गई है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 में राज्य में विद्युत की अनुमानित मांग 53,180 लाख यूनिट के मुकाबले उपलब्धि 40,158 लाख यूनिट रहने का अनुमान है ।

(2) विद्युत उपलब्धि को देखते हुए लगभग 260 मेगावाट पीक डिमांड तथा ऊर्जा में 1300 मिलियन यूनिट की कमी अनुमानित है ।

(3) पड़ोसी राज्यों से अधिक बिजली प्राप्त करने हेतु उच्च स्तर पर प्रयास किये गये हैं तथा बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन से भी बिजली प्राप्त की गयी है ।

(4) अणु बिजली घर के प्रारम्भ किये जाने के बारे में क्या कोई टेक्निकल नार्म्स निर्धारित हैं इसकी जानकारी विद्युत मण्डल को नहीं है, क्योंकि अणु विद्युत गृह की इकाई का निर्माण और संचालन केन्द्र सरकार के अणु शक्ति आयोग द्वारा किया जाता है। राजस्थान अणु बिजली घर की दूसरी इकाई ने मार्च, 1981 में अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है ।

(5) वर्ष 1980-81 में सेन्ट्रल सैक्टर में राजस्थान अणु बिजली घर की दूसरी इकाई में उत्पादन चालू होने के अलावा अन्य कोई नये विद्युत गृह ने उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है ।

कार्यरत महिलाओं के छात्रावास

484. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावास खोलने हेतु केन्द्र द्वारा धनराशि स्वीकृत की जाती है ? यदि हां, तो कितनी व इसकी क्या शर्तें व नियम हैं ?

(2) इस योजना के अन्तर्गत राज्य में कुल कितने छात्रावास स्वीकृत हुए और कहां-कहां ? उनमें से कितने चल रहे हैं और उनसे कितनी-कितनी महिलाओं को लाभ मिल रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां । सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

कार्यरत महिलाओं के लिये छात्रावास भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों, नियमों व अनुदान की राशि की तालिका—

केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1974-75 में कार्यरत जरूरतमन्द महिलाओं की सुविधा के लिये छात्रावास भवन निर्माण व विस्तार करने के लिये स्वयं सेवी संस्थाओं को अनु-

(समाज कल्याण मंत्री)
दान देने की योजना चालू की गई है जिसके नियम व शर्तें संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:—

(1) भारतीय सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के अन्तर्गत या पब्लिक ट्रस्ट जो वर्तमान में किसी कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किये गये हों, संस्था को ।

(2) गैर सरकारी संस्था जो महिलाओं के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हों ।

(3) संस्था जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो व जिसका कार्य संतोषप्रद हो ।

(4) उन संस्थाओं को जो अनुदान के लिय आवेदन करने से पूर्व 5 वर्ष से अधिक समय से महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हों ।

(5) ऐसी संस्थाओं को जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो व जिनके पास छात्रावास भवन निर्माण का अनुभव, साधन व सुविधायें उपलब्ध हों ।

(6) जिन संस्थाओं के पास छात्रावास भवन निर्माण हेतु स्वयं की जमीन हो और नगरपालिका द्वारा अनुमति प्राप्त कर ली गई हो ।

(7) उन संस्थाओं को जिनकी विधिवत कार्यकारिणी निर्मित हो, जिनके अधिकार, कर्त्तव्य, जिम्मेदारियां संस्था के विधान में निर्धारित की गई हों ।

(8) उन संस्थाओं को जो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर 2 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में अथवा जहां 25 या इससे अधिक कार्यरत महिलायें हों छात्रावास चलाती हों अथवा चलाना चाहती हों या छोटे शहरों, कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिला छात्रावास चलाना चाहती हों उन्हें छात्रावास भवन निर्माण हेतु कुल लागत का 75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है तथा शेष 25 प्रतिशत संस्था द्वारा स्वयं को वहन करना होता है ।

(9) अनुदान वहीं स्वीकृत किया जावेगा जहां कि लाभान्वितों की संख्या पूरी हो अर्थात् कम से कम 20 आवासनियां उपलब्ध हों ।

(10) वर्किंग वूमैन होस्टल में उन महिलाओं को आवास की सुविधा दी जावेगी जिनका मासिक वेतन 1,000 रुपये से कम होगा ।

(11) आवासनियों के छोटे बच्चों हेतु "डे केयर सेन्टर" के निर्माण हेतु भी ।

———————

(समाज कल्याण मंत्री)

सूची 'स'

कार्यरत महिलाओं के लिये छात्रावास भवन-निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान की तालिका

क्र. सं.	संस्था का नाम	निर्माण की स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत अनुदान	निर्माण की स्थिति	अन्य विवरण
1.	किंग एडवर्ड मेमोरियल रेस्ट हाउस सोसायटी, अजमेर ।	22-3-76	82,260.00	पूर्ण होने को है ।	छात्रावास भवन पूर्ण होने पर प्रारम्भ हो सकेगा
2.	बाल मन्दिर सोसायटी, मोती डूंगरी रोड़, जयपुर ।	31-12-76	1,80,936.00	,,	,, ,,
3.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली।	मार्च, 1981	7,17,750.00	कार्य आरम्भ होना है ।	,, ,,

ग्राम सीमलिया (कोटा) की विवादग्रस्त भूमि

486. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सीमलिया, तहसील मांगरोल, कोटा की खसरा नं. 287, 286 की कुल 9 बीघा 1 बिस्वा जमीन पर 1974 से दो दल में विवाद चला आ रहा है तथा लड़ाई झगड़े की भयंकर आशंका बनी रहती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर तथा इससे मिले हुए ही मकान बने हुए हैं तथा सीमलिया गांव में आबादी विस्तार हेतु जमीन की कमी है तथा इस भूमि के अलावा और कोई जमीन नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 15 जनवरी, 1981 के मांगरोल में अलॉटमेंट कार्यक्रम के वक्त उक्त जमीन को गांव वालों, सरपंच तथा विधायक के निवेदन करने पर कि इस भूमि को आबादी हेतु दिया जाये, विवादग्रस्त पार्टियों में से किसी को भी नहीं दिया जाय, इसके बावजूद भी एक पार्टी को अलॉट किया है जो अनुचित है ?

(4) क्या सरकार इस भूमि को आबादी हेतु देने के आदेश प्रदान करेगी तथा उक्त अलॉटमेंट को निरस्त करेगी ताकि झगड़ा नहीं हो सके ?

उत्तर

(1) जी हां, न्यायालय में विवाद चल रहा है। किन्तु लड़ाई झगड़े की कोई आशंका नहीं है।

(2) जी नहीं। इस भूमि पर तथा इस भूमि से मिले हुए कोई मकान नहीं बने हुए हैं। सीमलिया ग्राम का वर्तमान आबादी क्षेत्र विस्तार हेतु पर्याप्त है तथा इसके अलावा भी आस-पास में पड़त भूमि उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। आवंटन न्यायालयों के निर्णय की पालना में उपयुक्त पात्रता वाले भूमिहीनों को किया गया है, जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। आवंटन के समय प्राप्त आपत्तियों पर पूर्ण विचार करने के पश्चात् ही आवटन किया गया था।

(4) जी नहीं, चूंकि यह आवंटन न्यायालय के निर्णय की पालना में भूमिहीन व्यक्तियों को किया जाकर, कब्जा दिया जा चुका है। अतः इसे निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

थीन बांध संबंधी अन्तर्राज्यीय विवाद

487. (1) सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) एवं

(2) श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंजाब सरकार ने थीन बांध योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो क्या पंजाब सरकार ने कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व राजस्थान सरकार की सहमति ली है ?

(2) क्या कार्य प्रारम्भ किया जाना सन् 1955 के अन्तर्राज्यीय समझौते के विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद 131 के अन्तर्गत इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार को विदित है कि

(सुश्री पुष्पा जैन एवं श्री दीपेन्द्र सिंह) थीन बांध के संबंध में महाधिवक्ता ने अपना प्रतिवेदन प्रधान मंत्री को प्रस्तुत कर दिया है ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या यह प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो कृपया, उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) इस प्रसंग में सरकारी स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कृपया, इसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 3 अक्टूबर, 1977 को राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एव हरियाणा के मुख्य मंत्रियों की प्रधान मंत्री जी के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि थीन बांध का कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जावे और भारत सरकार राजस्थान एवं हरियाणा के विद्युत संबंधी दावों पर विचार करेगी।

(2) जी नहीं।

(3) राजस्थान सरकार को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि थीन बांध के संबंध में महाधिवक्ता ने अपना प्रतिवेदन प्रधान मंत्रीजी को प्रस्तुत कर दिया हैं। इसकी औपचारिक जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) राज्य सरकार ने भारत सरकार तथा प्रधान मंत्रीजी को महाधिवक्ता से प्राप्त प्रतिवेदन पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु निवेदन किया है।

कोटा नगर के लिये जल कुम्भी मशीन की खरीद

488. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) एवं **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जलकुम्भी साफ करने के लिए कोटा नगर के लिए एक मशीन खरीदी गई थी ? यदि हां, तो वह मशीन कितने में किससे व कब खरीदी ?

(2) क्या यह सही है कि मशीन ने कुछ ही दिनों बाद कार्य करना बंद कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ? उसमें क्या खराबी है व उस पर कितना व्यय होगा ? खराबी कब तक ठीक हो जावेगी ? अब तक ठीक न होने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उसको चलाने का किसी को अनुभव नहीं है व न ही उसके पार्टस आदि का ज्ञान है ?

उत्तर

(1) कोटा नगर के लिए तो नहीं, परन्तु छत्र विलास व अन्य तालाब जिनमें से चम्बल नहर निकलती है उनमें वीड कटिंग के लिए चम्बल विकास संगठन द्वारा 14 लाख रुपये में एम/एस/ मेकास्टर ट्रक्सी अमेरिका से खरीदी गई है।

(2) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति

489. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के संदर्भ में वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् गत 8 माह में क्या प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में यथोचित प्रगति हुई है। इन सूत्रों में से कुछ सूत्र केन्द्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आते हैं। इस अवधि में राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना बनाई गई है जिसमें इन कार्यक्रमों का समावेश किया गया है जिसके फलस्वरूप समाज के कमजोर वर्गों की दशा सुधर सकेगी। इस योजना में विशेष कार्यक्रम हाथ में लिए जायेंगे। एकीकृत ग्राम विकास योजना के तहत कॉट्म्बिक दृष्टिकोण अपनाकर राज्य के सभी विकास खण्डों में कमजोर वर्ग के आर्थिक उत्थान का लक्ष्य रखा गया है। चालू वर्ष में ग्रामीण आवास हेतु 10,000 गृह निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार सम्बन्धित सूत्रों की प्रगति का विवरण संलग्न है।

20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् हुई प्रगति

सूत्र संख्या 1 :—

आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट के स्थान को बनाये रखना, उत्पादन की गति को तेज करना तथा आवश्यक उपभोक्ता पदार्थों की उपलब्धि तथा वितरण की व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना। सरकारी खर्चे में सख्ती से कमी की जायगी।

सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट लाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रसारित आदेशों की पालना करवाई। भारत सरकार से आवंटित आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 9870 उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ता को उपलब्ध कराई गई। 1 जून, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में गिरावट लाने के लिए 10,462 छापे भी मारे गये।

भारत सरकार से गेहूं का मासिक आवंटन करवाया गया जिससे कि उचित मूल्य की दुकानों से इसका वितरण किया जा सके। राज्य में प्रतिमाह नागरिक उपयोग हेतु 12,757 मैट्रिक टन लेवी चीनी आवंटित की जाती है। केन्द्रीय सरकार से गेहूं के आवंटन तथा चीनी के आवंटन को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये गये।

राज्य में उत्पादन की गति को तेज करने की दिशा में छठी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई एवं विद्युत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सिंचाई एवं विद्युत तथा कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए आवंटित राशि कुल योजना राशि का 2/3 से भी अधिक है।

राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में मितव्ययता लाने एवं परिचार्य व्यय को समाप्त करने के दृष्टिकोण से वर्ष 80-81 में आवश्यक निर्देश दिये गये। आयोजना भिन्न पदों के सृजन एवं फर्नीचर के क्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया।

245

(कृषि मंत्री)

सूत्र संख्या 2:—

कृषि भूमि की सीमा निर्धारण के कानूनों को लागू करना तथा अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में तेजी से वितरण करने की कार्यवाही करना और भूमि संबंधी अभिलेख पूर्ण करना।

कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा अधिरोपण कानून में प्रगति के अन्तर्गत 1 अप्रल, 1980 से सितम्बर, 80 तक 1050 एकड़ भूमि आवंटित की गई जिसमें से एक जून से सितम्बर, 80 तक 932 एकड़ भूमि आवंटित हुई।

भू-अभिलेखों के सुधार के संबंध में प्रगति निम्न प्रकार हुई :-

1– नामान्तरकरण के वकाया मामलों का निपटारा 1-7-80 से 30-9-80 तक : 37,160

2– अतिक्रमण के वकाया मामले निपटाये :

अ- नियमन द्वारा	1,790
ब- बेदखली द्वारा	64,076

3– सरकारी भूमि पर बनाये गये मकानों एवं बाड़ों का नियमन

अ- नियमन से	443
ब- बेदखल द्वारा	3,696

राज्य सरकार भू-अभिलेखों को सुधारने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है।

सूत्र संख्या 3:—

भूमिहीनों व समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय भू-खण्डों का तेजी से आवंटन करना।

गत 8 माह में 960 आवासीय भूखण्डों का विकास किया गया जिस पर 7.20 लाख रु. खर्च किये गये। इस वर्ष में 10,000 भवनों के निमार्ण हेतु 75 लाख रु. अनुदान का प्रावधान रखा गया है। भवन निमार्ण हेतु आवंटियों को ऋण भी उपलब्ध कराये जाते हैं। माह जनवरी, 1981 तक चालू वर्ष में 2041 व्यक्तियों को 290.59 लाख रु. का ऋण राजस्थान स्टेट हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी द्वारा स्वीकृत किया गया जिसमें से 152.03 लाख रु. का ऋण वितरित किया जा चुका है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा 6.54 लाख परिवारों को 150 वर्ग गज के आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये जा चुके हैं। इसके बावजूद भी वर्तमान में ऐसे लोग जो आवासीय भू-खण्ड आवंटन के पात्र हैं उन्हें योजनान्तर्गत भू-खण्ड उपलब्ध करवाने हेतु जिलाधीश से सर्वेक्षण कराया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

सूत्र संख्या 4:—

मजदूरों से जवरन काम लेने को तत्काल गैर कानूनी घोषित किया जायेगा।

इस संबंध में वांछित कानून 20 सूत्री कार्यक्रम लागू होने पर 1976 से लागू किया जा चुका है। वर्तमान सरकार के गठन के उपरान्त 344 बंधक श्रमिकों को पुनर्वासित किया गया। मुक्त एवं पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता प्रदान की जाती है। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये योजना तयार की जा रही है।

सूत्र संख्या 5 :—

ग्रामीणों पर कर्ज का बोझ समाप्त किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन, मजदूरों, दस्तकारों और छोटे किसानों से

(कृषि मंत्री)

ऋण वसूली पर रोक लगाने के लिए कानून बना कर प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे ।

राज्य सरकार द्वारा जो कानून इस संबंध में बनाये गये हैं वे निम्न प्रकार हैं:—

1. राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण अधिनियम, 1957—कृषकों, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के सदस्यों पर एवं जिन पर ऋण का भार 100 रु. से अधिक है उन पर लागू है । 17 जनवरी, 1981 को एक विज्ञप्ति जारी कर प्रदेश में कुल 178 सिविल न्यायालयों को ऋणिता निवारण न्यायालय घोषित किया गया है ।

2. राजस्थान साहूकारी अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत भी राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है ।

वस्तुत: ऋणग्रस्तता का निर्धारण आर्थिक विकास से ही संभव है और इस दृष्टि से जन-जाति क्षेत्रीय विकास, मरु विकास एवं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम बनाय जा रहे हैं । वर्ष 1980-81 में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत 41,000 ग्रामीण गरीब परिवारों को दिसम्बर, 80 तक लाभ पहुंचाया गया ।

अनुसूचित जातियों के लोगों को सरकारी सुविधाओं से लाभान्वित कराने के उद्देश्य से अभियान चला कर उन्हें सदस्य बनाया जा रहा है । इन जातियों के लोगों को समिति के हिस्से खरीदने के लिये 250/- रु. तक का हिस्सा पूंजी ऋण कम ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है । 15 फरवरी, 81 तक अनुसूचित जातियों के 7,835 लोगों को सदस्य बना कर उन्हें 161 लाख रु. के ऋण स्वीकृत किये गये हैं । इस प्रकार के ऋण की 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम के द्वारा दी जाती है जो इस कार्यक्रम की विशेषता है । इस वर्ष कुल वितरित होने वाले अल्पकालीन ऋण का 16 प्रतिशत ऋण अनुसूचित जातियों के लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ।

सूत्र संख्या 6 :—

खेतीहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी संबंधी कानूनों में संशोधन किया जायेगा ।

कृषि क्षेत्र में न्यूनतम वेतन अधिनियम के लागू करने के संबंध में समस्त विकास अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकारी नियुक्त किया हुआ है तथा समस्त एक्सटन्शन्स आफिसर्स जो कि विकास अधिकारियों के अधीनस्थ कार्य करते हैं, को निरीक्षक नियुक्त किया हुआ है । दिनांक 19-4-80 को समस्त जिलाधीशों को कृषि नियोजन में न्यूनतम वतन लागू करवाने के लिए निर्देश दिय गय तथा उनको यह भी निर्देश दिये गये कि वे मासिक प्रगति रिपोर्ट श्रम आयुक्त को भिजवायें ।

अकाल राहत कार्यों पर भी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है ।

सूत्र संख्या 7:—

50 लाख हैक्टेअर और भूमि में सिचाई की व्यवस्था देश में की जायेगी । भूमिगत जल के अधिकाधिक उपयोग के लिय राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम बनाये जायेंगे ।

सूत्र संख्या 8:—

विद्युत उत्पादन के कार्यक्रमों में तेजी

(कृषि मंत्री)

लाई जायेंगी तथा केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में सुपर ताप बिजली घरों की स्थापना की जायेगी।

राज्य के सिंचित कृषि के क्षेत्रफल तथा विद्युत उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करना हमारा लक्ष्य है। छठी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई एवं विद्युत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है तथा इन दोनों मदों पर कुल योजना व्यय की 52 प्रतिशत से भी अधिक धनराशि आवंटित की गई है।

सूत्र संख्या 9:—

हाथ-कर्घा उद्योग के विकास की नई योजनायें बनाई जायेंगी।

हाथ-कर्घा परियोजना मण्डल द्वारा "जनता कपड़े" का उत्पादन करवाकर सस्ती दरों से बिक्री भारत सरकार की अनुदान सहायता से कमजोर वर्ग के लोगों को दी है यह कार्य इस वर्ष से ही प्रारम्भ किया गया है। मण्डल ने 13 स्थानों पर नय केन्द्र खोले हैं जिनके माध्यम से बुनकरों को सूत देने व उनसे कपड़ा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

सूत्र संख्या 10:—

जनता कपड़े की किस्म में सुधार किया जावेगा तथा उसके वितरण की समुचित व्यवस्था की जावेगी।

किस्म सुधार का मामला भारत सरकार से संबंधित है। नियन्त्रित मूल्य के कपड़े का वितरण कार्य सहकारी समितियों व खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से कराया जा रहा है। इस हेतु 4,348 दुकानें कार्यरत हैं।

वर्ष 1980 की अवधि में राज्य को निर्धारित 12,528 गांठों की तुलना में 12,575 गांठें प्राप्त हुई।

सूत्र संख्या 11:—

शहरी भूमि तथा शहरी काम में आने योग्य भूमि का समाजीकरण किया जायेगा। खाली छोड़ी हुई भूमि तथा नये मकानों के क्षेत्रफल की सीमा निर्धारित की जायेगी।

राज्य में शहरी भूमि (सीमा नियमन) एक्ट पूर्व में ही लागू किया जा चुका है।

सूत्र संख्या 12:—

शहरी संपत्ति के मूल्यांकन के लिये विशेष दस्तों का गठन किया जायेगा तथा कर चोरी व गलत मूल्यांकन करवाने वालों के विरुद्ध त्वरित मुकदमें बनाकर कड़ी सजा दी जायेगी।

यह मामला विशेषकर भारत सरकार के आय कर विभाग से संबंधित है।

सूत्र संख्या 13:—

तस्करों की सम्पत्ति जब्त करने के लिए विशेष कानून बनाया जायेगा।

केन्द्र सरकार से संबंधित है।

सूत्र संख्या 14:—

पूंजी नियोजन की प्रक्रिया को आसान बनाया जायेगा। आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

केन्द्र सरकार से संबंधित है।

(214)

(कृषि मंत्री)

सूत्र संख्या 15:—

उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूरों को लाभ देने की नई योजनायें बनाई जाएंगी।

भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 1975 व 1977 में जो श्रमिकों की उद्योगों में भागीदारी स्वेच्छा से चालू करने हेतु योजना बनाई थी, इस योजना की क्रियान्विति हेतु वर्ष 1980 में उन समस्त नियोजकों को जो इस योजना के तहत आते हैं, परिपत्र जारी किए गए कि वे अपने संस्थानों में संयुक्त समितियों का गठन करवायें। विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी निर्देश दिये गये हैं कि इस योजना की क्रियान्विति के संबंध में प्रबन्धकों से बराबर सम्पर्क बनाये रखें।

सूत्र संख्या 16:—

सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था की जायेगी।

इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा वांछित कार्यवाही की जा चुकी है।

सूत्र संख्या 17:—

मध्यम आय वर्ग को आयकर में राहत देने के लिए आयकर में छूट की सीमा 6000 से बढ़ाकर 8000 कर दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार से संबंधित है।

सूत्र संख्या 18:—

छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी।

जिला रसद अधिकारी द्वारा शहरों एव गांवों में नियन्त्रित मूल्य पर खाद्य सामग्री आदि की व्यवस्था की जाती है। जिन विद्यालयों में छात्रावास हैं नियंत्रित मूल्यों पर ये वस्तुएं उपलब्ध होती हैं।

सूत्र संख्या 19:—

पुस्तकें एवं स्टेशनरी नियंत्रित मूल्यों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

शिक्षा विभाग के अधीन राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कार्यरत है जो छात्रों को पाठ्य पुस्तकें एवं अभ्यास पुस्तिकायें उपलब्ध कराता है। गत जून, 80 से 31 दिसम्बर, 80 तक 1.41 करोड़ रु. मूल्य की 66.03 लाख पुस्तकें एवं 71.29 लाख रु. मूल्य की 1.16 करोड़ चेतक अभ्यास पुस्तिकाएं छात्र/छात्राओं हेतु उपलब्ध कराई गई।

सूत्र संख्या 20:—

रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए अप्रेन्टिसशिप की नई योजना शुरू की जाएगी।

इस योजना को केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया जा चुका है तथा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में इसका पालन किया जा रहा है।

परिशिष्ठ 4

तारांकित प्रश्न संख्या 460 की सूची

संस्थानों की सूची

क्र. सं.	नाम
1	2
1.	एडवर्ड मिल्स लि., ब्यावर
2.	महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर
3.	विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर
4.	मशीन टूल्स कार्पोरेशन, अजमेर
5.	आदित्य मिल्स, किशनगढ़
6.	कृष्णा मिल्स, ब्यावर
7.	जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स, भरतपुर
8.	सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर
9.	राजस्थान कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, गुलाबपुरा
10.	मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल्स लि., भीलवाड़ा
11.	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, भीलवाड़ा
12.	केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स, केशोरायपाटन
13.	एसोशियेटेड सीमेंट कार्पो., लाखेरी
14.	बिरला सीमेंट वर्क्स, चितौड़गढ़
15.	गंगानगर शुगर मिल्स, श्रीगंगानगर
16.	सादुल टैक्सटाइल मिल्स, श्रीगंगानगर
17.	सांभर साल्ट लि., सांभरलेक
18.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर
19.	नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि., जयपुर
20.	कमानी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, जयपुर
21.	जयपुर मैटल्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लि., जयपुर
22.	पोद्दार स्पिनिंग मिल्स, जयपुर
23.	जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, जयपुर
24.	राजस्थान टैक्सटाइल्स मिल्स लि., भवानीमंडी
25.	खेतडी काप. प्रोजेक्ट, खेतड़ी नगर
26.	इन्स्ट्रूमेन्टशेन लि., कोटा

1	2
27.	श्रीराम रेयन्स, कोटा
28.	श्रीराम केमिकल्स, कोटा
29.	जे. के. सिन्थेटिक्स लि., कोटा
30.	श्री गोपाल इण्डस्ट्री लि., कोटा
31.	महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लि., पाली
32.	जिंक एमाइन्टर, देबारी
33.	जावर माइन्स, उदयपुर
34.	उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स, उदयपुर
35.	उदयपुर कोटन मिल्स, उदयपुर
36.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
37.	जयपुर उद्योग लि., सवाईमाधोपुर ।

———

संस्थानों की सूची

क्र. सं.	नाम
1.	एडवर्ड मिल्स लि., ब्यावर
2.	महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर
3.	विजय काटन मिल्स, विजयनगर
4.	मशीन टूल्स कार्पोरेशन, अजमेर
5.	आदित्य मिल्स, किशनगढ़
6.	कृष्णा मिल्स, ब्यावर
7.	जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स, भरतपुर
8.	सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर
9.	राजस्थान कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, गुलाबपुरा
10.	मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल्स लि., भीलवाड़ा
11.	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, भीलवाड़ा
12.	केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स, केशोरायपाटन
13.	एसोशियेटेड सीमेंट कार्पोरेशन, लाखेरी
14.	बिरला सीमेंट वर्क्स, चितौड़गढ़
15.	गंगानगर शुगर मिल्स, श्री गंगानगर
16.	सादुल टैक्सटाइल्स मिल्स, श्री गंगानगर
17.	सांभर साल्ट लि., सांभर लेक
18.	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, जयपुर
19.	नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि., जयपुर
20.	कमानी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, जयपुर
21.	जयपुर मेटल्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लि., जयपुर
22.	पोद्दार स्पिनिंग मिल्स, जयपुर
23.	जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, जयपुर
24.	राजस्थान टैक्सटाइल्स मिल्स लि., भवानीमंडी
25.	खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट, खेतड़ीनगर
26.	इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., कोटा
27.	श्रीराम रेयन्स, कोटा
28.	श्रीराम केमिकल्स, कोटा
29.	जे. के. सिन्थेटिक्स लि., कोटा
30.	श्री गोपाल इन्डस्ट्री, लि., कोटा
31.	महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लि., पाली
32.	जिंक एमाइन्टर, देबारी
33.	जावर माइन्स, उदयपुर
34.	उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स, उदयपुर
35.	उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर ।

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 4.70 का विवरण

विद्युत कटौति के विरुद्ध हुए प्रदर्शनों व मारपीट के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों के संदर्भ में सूची

क्र.सं.	थाना	अभियोग संख्या व धारा आदि	नाम मुल्जिमान	चालान	एफ. आर.	पेण्डिंग तफतीस
1	2	3	4	5	6	7
1.	आमेर	245/80, धारा 147/427, 353/332, ता. हि.	500—600 अज्ञात व्यक्ति	..	एफ. आर. अदमपता	..
2.	जमवारामगढ	4, दिनांक 23-1-81, धारा 147/427, ता. हि.	बहुत से व्यक्ति, नाम अज्ञात	..	एफ. आर. अदमपता	..
3.	रेनवाल	5, दिनांक 22-1-81, धारा 147/332/353/379, ता. हि.	150—200 अज्ञात व्यक्ति	..	एफ. आर. अदमपता	..
4.	रेनवाल	5, दिनांक 22-1-81, धारा 147/336, ता. हि.	सहायक अध्यापक, हेमराज कुमावत व उसका लड़का व भतीजा सीताराम तथा जे. ईएन. आफिस के कर्मचारीगण।	..	एफ. आर. अदमपता	..

1	2	3	4	5	6	7
5.	जवाहर नगर (जयपुर)	49, दिनांक 3-2-81, धारा 332/353/149/426/435 440/323/109/120-बी, ता. हि.	1. श्री देनारायण सरपंच लूनियावास. 2. श्री सूवालालमाली, , 3. श्री अम्बा लाल गूजर, 4. श्री अब्दुल रसीद, 5. श्री अब्दुल हफीज, 6. श्री हुसेन खां, 7. श्री दाना माली, 8. श्री रामनाथ, 9. श्री मंगलाराम मीना, 10. श्री प्रहलाद मीना, 11. श्री मंगल, पुत्र सोहन मीना, 12. श्री भागचन्द, 13. श्री कान सिंह, 14. श्री नैनूराम मीना, 15. श्री गोपाल मीना, 16. श्री सूजा, 17. श्री गोपाल, 18. श्री नाजिम, 19. रामनारायण 20. श्री लालाराम, व अन्य	..	..	अन्वेषण जारी है

222

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 476 की सूची

ग्राम पंचायत नांगल राजावतान (दौसा) में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कार्यों की सूची

क्रमांक	नाम कार्य
1.	तलाई खुदाई ढाकावास
2.	तलाई खुदाई राजपुरा
3.	तलाई खुदाई किशोरपुरा
4.	तलाई खलारामा
5.	रास्ता रामसिंहपुरा मलवास
6.	खुर्रा निर्माण नांगल राजावतान से मलवास
7.	स्कूल फील्ड, प्रा. शाल, रामसिंहपुरा
8.	तलाब रामसिंहपुरा
9.	नव कूप रामसिंहपुरा
10.	रास्ता नांगल से ढाकावास
11.	स्कूल फील्ड, नांगल राजावतान
12.	तलाव खुदाई नांगल राजावतान
13.	रास्ता राम सिंहपुरा से नांगल राजावतान
14.	रास्ता किशोरपुरा
15.	उप-स्वास्थ्य केन्द्र, नांगल राजावतान
16.	प्रा. शाला, नांगल राजावतान

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 485 के परिशिष्ट "क" व "ख"

प्रश्न संख्या	उत्तर
1 व 2	नगर परिषद् क्षेत्र अजमेर में नगर विकास न्यास की खाली भूमि का नक्शा सूची क्षेत्रफल निम्नानुसार है—

क्र. संख्या	क्षेत्र का नाम जहां भूमि स्थित है	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग हेतु न्यास की योजना
1.	अनासागर सरक्यूलर रोड	100 बीघा	गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत विकास कार्य जारी हैं।
2.	वैशाली गृह निर्माण योजना	50 बीघा	संशोधित योजना की स्वीकृति राज्य सरकार से अपेक्षित है।
3.	नाका मदार विस्तार योजना	125 बीघा	गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत विकास कार्य जारी है।
4.	मदार पहाड़ी के नीचे	200 बीघा	गृह निर्माण योजना हेतु स्कीम प्लान तैयार किया जाना है।
5.	अजयनगर विस्तार योजना	70 बीघा	स्कीम प्लान तैयार है विकास कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जावेंगे।
6.	फरीदाबाग (भगवानगंज सांसी बस्ती के पास)	150 बीघा	योजना विचाराधीन है।
7.	बैराज रोड पर	10 बीघा	भूमि पहाड़ी होने से अभी योजना नहीं बनाई गई है।
8.	रेम्बूल रोड पर	5 बीघा	गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत विकास कार्य जारी है।
9.	क्रिश्चयनगंज टंकी के पास	5 बीघा	भूमि पहाड़ी होने से अभी योजना नहीं बनाई गई है।
10.	जयपुर रोड चुंगी चौकी के सामने	80 बीघा	मास्टर प्लान में भूमि ग्रीन बैल्ट होने से इसकी किस्म परिवर्तन को स्वीकृति के पश्चात् योजना बनाई जावेगी।
11.	दादाबाड़ी कालोनी के समीप	7 बीघा	गृह निर्माण योजना विचाराधीन है।
12.	मालवीय नगर (सरस्वती बालिका विद्यालय के पीछे)	30 बीघा	गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।
	कुल..	832 बीघा	

प्रश्न	उत्तर		
3.	क्र.सं.	नाम योजना जिसमें भूमि अवाप्ति करने का प्रस्ताव पारित हो चुका है।	भूमि अवाप्ति की कार्यवाही का स्तर
	1.	अनासागर गृह निर्माण योजना	विज्ञप्ति धारा 52 (2) राजपत्र में दिनांक 17-1-80 भाग 6 (ख) में हुई धारा (52) 3 की सुनवाई विशेषाधिकारी के स्तर पर जारी है।
	2.	वैशाली गृह निर्माण योजना	सन् 1975 की बाढ़ के कारण इस योजना की भूमि अवाप्ति को संशोधित किया गया है।
	3.	अशोक मार्ग गृह निर्माण योजना	इस योजना में 8 भूखंडों की भूमि अवाप्ति शेष है। 52 (1) की कार्यवाही के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगा देने से कब्जा भूमि का न्यास को विशेषाधिकारी द्वारा संभालना शेष है।
	4.	मालवीय नगर गृह निर्माण योजना (सरस्वती बालिका विद्यालय के पीछे)	धारा 32 की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा माह जून, 80 में जारी की गई। भूमिधारी हितधारियों से भूमि आपसी वार्ता एवं 52 (2) के अन्तर्गत प्रारम्भ करने के लिये कार्यवाही जारी है।
	5.	पृथ्वीराज मार्केट योजना	52(2) की व 52 (3) की सुनवाई विशेषाधिकारी के स्तर पर जारी है।
	6.	संयोगिता मार्केट योजना	52(2) की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है।
	7.	फूस वाली कोठी	संबंधित खातेदार का सीलींग केस होने से अभी अवाप्ति कार्यवाही होना शेष है।

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 491 की सूची

ग्रामों की सूची जहां गोचर भूमि है-

तहसील राजस्व—कोलायत जिला बीकानेर

नाम ग्राम		क्षेत्रफल एकड़ में
1.	पाबूसर सिनुका	75
2.	राणासर	589
3.	इंदों का बाला	27
4.	गोयलरी	40
5.	कोटड़ी	78
6.	मारवा चारनान	750
7.	हाडला भाटियाना	720
8.	हाडला रावलोतान	284
9.	नोखा खालसा	247
10.	गोविन्दसर	98
11.	गुड़ा	197
12.	डेह	47
13.	अकासर	543
14.	शीशा	281
15.	चानी	394
16.	गजनेर	1,237
17.	चाण्डणा	17
18.	बलाला	13
19.	नाइयों की बस्ती	38
20.	सालासर	38
21.	दियातरा	381
22.	शरह शंडावत	166
23.	खारा लोहान	10
24.	बाला का जोल	110
25.	खजोड़ा	144
26.	शरह थूकली	106
27.	झझू	291
28.	गाडियाला	188
29.	मोटासर	53
30.	मंडाल भाटियान	32
31.	मोडिया	283
	कुल योग	6,875

एकड़ 6875 — 2780 हैक्टेयर्स

226

गोचर भूमि ग्रामवाईज, तहसील बीकानेर

क्र. स.	नाम ग्राम	गोचर भूमि हैक्टेयर्स में
1.	कालासर	26
2.	मेघासर	25
3.	तेजरासर	265
4.	सुरधना पडि	30
5.	गंगाशहर	720
6.	भीनासर	741
7.	उदयरामसर	78
8.	नापासर	1,496
9.	सिथल	213
10.	दाऊदसर	29
11.	लालसर	26
12.	नालबड़ी	528
13.	नालछोटी	72
14.	डाइयां	10
15.	श. गोल प्रतापसिंह	7
16.	श. सुथाराम माकडान	1
17.	सोभासर	112
18.	लाडेरा	139
19.	कतरियासर	63
20.	करनीसर, बी.	67
21.	भरेलरलियर	200
22.	बम्बल	91
23.	गुसाईंसर	90
24.	रानीसर	69
25.	हेमेरा	20
26.	आसेरा	13
27.	करणीसर भाटीयान	1
28.	बराला	28
29.	भनावतवाला	57
30.	नूरसर जालवाली	137
31.	कालासर	53
32.	लाम्बूसर	67
33.	सवाईसर	131
34.	जयमलसर	611
35.	भानीपुरा	76
		6,302 हैक्टेयर्स

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 492 की प्रति

सेवा में,

श्रीमान् मंत्री महोदय,
वन विभाग, जयपुर।

विषयः—जिला वन अधिकारी, बून्दी द्वारा अवैधानिक रूप से कपड़े का टेण्डर अस्वीकार करने के संबंध में।

महोदयजी,

आपके विभाग द्वारा 8-3-80 को करीब 1,000 मीटर कपड़े बाबत टेंडर मांगे गये थे और हमारी फर्म ने भी आपके विभाग को टेंडर दिये थे, आपके विभाग से बी-17 डब्ल्यू 113 हमारी फर्म ने 9.75 पं. प्रति मीटर के हिसाब से टेण्डर दिया था और इसी तरह के मिल के कपड़े अग्रवाल, ट्रेडिंग कं. कोटा ने 10) रु. प्रति मीटर के हिसाब से टेण्डर दिया था इस प्रकार 0.75 पं. प्रति मीटर की हमारी रेट कम थी और हमारी फर्म ने टेण्डर की सभी शर्तें स्वीकार करली थी।

किन्तु खेद है कि आपके विभाग के जिला वन अधिकारी, बून्दी ने नियमों के विरूद्ध परम्परा का उल्लंघन कर गैर कानूनी ढंग से राज्य सरकार के हितों का ध्यान नहीं रखते हुए, अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, कोटा का टेण्डर स्वीकार कर लिया, जिससे प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार का 0.25 पं. प्रति मीटर की राशि का अधिक भुगतान करना पड़ेगा और राज कोष को काफी नुकसान होगा।

(2) जब दोनों टेण्डर देने वाले पार्टियों का माल एक ही मिल बिन्नी का बना हुआ हो और जीन का भी वही बी-17 डब्लू-113 का ही नम्बर है तो दोनों के माल में कोई भी भिन्नता नहीं है, जब हमारी फर्म ने रेट 9.75 पं. प्रति मीटर की दी थी तो इस रेंट को जिला वन अधिकारी द्वारा राज्य हित में मंजूर कर न्याय का उदाहरण देना चाहिए था किन्तु जिला वन अधिकारी, बून्दी ने किन्हीं कारणों की वजह से अग्रवाल ट्रेडिंग कं., कोटा का ही टेंडर मन्जूर करके राज कोष को काफी हानि पहुंचायी है।

(3) जिला वन अधिकारी से राज्य सरकार के धन का दुरूपयोग हुआ है इस संबंध में राज्य सरकार के कानून भी हैं कि सरकारी माल को खरीदते समय राज कोष का सही उपयोग करना अधिकारी का पूर्ण कर्त्तव्य है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि इस कांड की पूरी जांच करवाने की कृपा करें।

विनीत
ह.
उत्तम चन्द एण्ड कं., बून्दी।

प्रतिलिपि वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

श्रीयुत् जिला वन अधिकारी महोदय, वन विभाग, बून्दी।
श्रीयुत् चीफ इन्सपेक्टर महोदय आफ फारेस्ट, जयपुर।
श्रीयुत् इन्सपेक्टर, फारेस्ट, पूर्वी सर्किल, कोटा।

228

अग्रवाल ट्रेडर्स,
होलसेल क्लॉथ मर्चेन्ट, आथोराइज्ड डीलर,
फोर मेसर्स बिन्नी लि.,

बजाज खाना—कोटा–6
न. प. टी. के. 477
दिनांक 8-2-80

श्रीमान् मण्डल वन अधिकारी,
बून्दी।

टण्डर

1. ऑलिव ग्रीन जीन क्लॉथ बिन्नी मिल्स नं. बी–17 डब्ल्यू-113 सैम्पल नं. 1, रेट 10) रु. प्रति मीटर

1. एफ. ओ. आर. बून्दी
2. पेमेन्ट-कैश
3. वेलीडिटी-30 दिन
4. डिलीवरी 10 से 15 दिन
5. डिस्काउण्ट-निल

ह.

मैसर्स उत्तमचन्द एण्ड कं.
क्लॉथ मर्चेन्ट,
सब्जी मण्डी, बून्दी, (राज.)

क्रमांक दिनांक 8-2-80

टेण्डर

वन विभाग, बून्दी (राज.)

विषय:—ओलीग्रीन जीन सप्लाई करने हेतु।

1. ओलीग्रीन जीन बिन्नी नं. वी-17 डब्ल्यू-113 रेट 9.75 पै. प्रति मीटर

नोट:—आर्डर मिलने पर माल दस दिन में दिया जावेगा।

2. बिल का भुगतान बिल की तारीख से 7 दिन के अन्दर होना चाहिए।

———

आमनदास आलराम
करांची वाला,
क्लॉथ मर्चेन्ट सब्जी मण्डी, बून्दी (राज.)

———

क्रमांक दिनांक 7-2-80

टेण्डर

श्रीमान् वन विभाग आफिसर, बून्दी (राज.)

विषय:—वर्दियों के लिये ओलीग्रीन जीन सप्लाई करने हेतु।

1. ओलीग्रीन जीन डिजी नं. बी-17/डब्ल्यू-113 दर 11-00 प्रति मीटर

नोट:—1 माल आर्डर के 10 दिन के अन्दर कर दिया जावेगा।

2. पेमेंट बिल की तारीख से 7 दिन के अन्दर होना चाहिए।

ह.

———

पंजूमल हरीश कुमार,
क्लॉथ मर्चेन्ट, बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक. दिनांक 7-2-80

टेण्डर

श्रीमान् जिला वन अधिकारी,
कार्यालय वन विभाग, बून्दी।

विषयः—वर्दी हेतु ओलीग्रीन।

1. ओलीग्रीन पान विन्नी नं. बी-17 डब्ल्यू-113—दर 10.91

नोटः—आर्डर देने के दस दिन में माल सप्लाई कर दिया जावे।

ह.

232

लछमनदास बन्टूमल करांची वाला,

दिनांक 6-1-80

टेण्डर रेट

वन अधिकारी, बून्दी

विषयः—ओलीग्रीन सप्लाई हेतु।

1. जीनः—ओलीग्रीन बिक्री-रेट 11.10 पर मीटर नं. 2017 डब्ल्यू-113

नोटः—माल सप्लाई दस दिन में किया जा सकेगा।

2. पेमेंट बिल की तारीख से 10 दिन में लिया जावेगा।

3. उक्त कार्य के लिये पाबन्द तीस दिन तक रहेंगे।

ह.

बेंगलोर सिल्क एम्पोरियम,
फेन्सी क्लॉथ मर्चेन्ट,
बजाज खाना, कोटा-324006

नं. बी. एस. ई. 107, दि. 8-2-80

श्रीमान् मण्डल वन अधिकारी,
बून्दी

सन्दर्भ :—नं. 10021-60, दि. 8-11-79

विषय :—क्वोशन फोर क्लॉथ डि्ल-ओलिवग्रीन

1. विन्नी मिल्स का ड्रील क्लाथ ओलीवग्रीन, कलर का नं. बी-17, डब्ल्यू-113
सेम्पल नं. 1
दर 10.30 प्रति मीटर

1. डिलीवरी पीरियड 15 दिन
2. एफ. ओ. आर. कोटा
3. पेमेंट-कैश और चैक
4. डिस्काउन्ट-निल
5. वेलीडिटी-30 दिन

ह.

234

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न सं. 493 की प्रति)

Preliminary report on problematic areas of village Motipura and Burma Ka Chhapar, Panchayat Samiti Chechat, District Kota.

The Chechat Panchayat Samiti area falls under 24°.30 to 24°.32 N. latitude and 75°.45 to 76°:10 E longitude. The gross culturable command area is 70,000 ha approximately. About 400 to 500 bighas land of village Motipura Khurd and Burma ka Chhapar have developed severe problem of salinity-alkalinty. This problem has been developed mostly due to the use of high saline/ alkaline water.

The area is generally levelled to gently sloping. There are Aravali ranges in eastern part. There are two important rivers namely Abu and Amjar which are the tributories of Kalisindh and forms the drainage system. In the central tract there are deposits of green or brownish green shells with some sand stone. The water level of the well in the area fluctuates with monsoon and varies from 15' to 30'. The quality of well water brockisn and generally not suitable for irrigation. There is scanty forest and trees like Neem, Babul, Pipal, Imali, Palash, Tendu and Dhak are found. The shrubs like Aak, Karunda and grasses like Khus, Palad are generally spread in the area. The area is being cultivated mostly under rained conditions and very little area is irrigated by well waters. During Kharif-Maize, Pulses, Jowar and oil seeds and in Rabi-Wheat, Barley, Gram, Coriander; Alsi and Masoor are grown while Sugarcane, Opium; Onion are other crops with some citrus fruit are also taken.

The area under the village Motipura Khurd and Burma ka Chhapar was rapidly traversed during last year by the Kota unit for knowing the extent of the problem and associated quality of well waters. The soils in general are calcarious, clayed, deep and mixed mineralogy. The soils near hills are sandy clay loam to sandy loam and exhibits cracks during summer. These are non-saline and non-alkaline except in view pockets and particularly in the villages of Motipura Khurd and

Burma ka Chhapar. For rapid assessment of the quality of soil and water about 14 soil and water samples were collected from the area. The analytical results are enclosed separately.

Soil and Waters of Motipura and Burma Ka Chhapar:—Motipura.—The chemical analysis of 14 soil samples collected from Motipura village indicate that p.n. of soils (1: 2 soil water extract) varies from 8.1 to 8.3 on the surface. The electrical conductivity varies from 0.35 to 2.20 mmhos/cm. while the exchangeable sodium percentage from 4.80 to 31.60. It indicates that the soils are moderately saline to highly saline with a possibility of development of salinity-alkalinity in due course of time due to use of underground well waters which is highly problematic.

The chemical analysis of well waters of Motipura indicates that pii varies from 7.40 to 8.40 and electrical conductivity from 3.00 to 9.80 mmhos/cm. The sodium absorption ratio varies from 13.27 to 23.66. These waters fall under C_1 S_2 to C_4 S_3 class of irrigation water. Thus, these waters have very high salinity hazard and medium to high sodium hazard. Such waters are generally unsuitable for irrigation under ordinary conditions due to heavy texture soil where the permeability is very poor. The continuous use of these types of well waters for irrigation has created salt problem in the areas.

Burma Ka Chhapar:—The chemical analysis of 13 soils samples collected from area indicates that pii value (1: 2 soil water extract) varies from 7.6 to 8.6 on the surface. The electrical conductivity varies from 0.30 to 5.00 mmhos/cm. on the surface. The exchangeable sodium percentage varies from 5.8 to 32.4. It indicates that the soils are moderately saline to highly saline and alkali, there is a possibility of the development of saline sodic problem in due course of time with the continuous use of brackish water.

The chemical analysis of water samples indicates that pii varies from 7.5 to 8.3 and electrical conductivity from 3.40 to 6.30 mmhos/cm. The sodium absorption ratio varies from 9. 04 to 32.79 indicating C_3 S_2 to C_4 S_3 class of water. These waters in normal course are unsuitable for irrigation.

Water quality of adjoining Nallah:—There is a adjoining nallah which flow in the area during monsoon. The chemical analysis of the water sample collected from Nallah indicates pii, electrical conductivity and S. A. R. as 7.0, 0.78 millimhos/cm. and 2.41 respectively. The quality class of this water is C-S which indicates that it is quite suitable for irrigation. If this water is collected and used for irrigation instead of well waters, the intensity of the problem in the area can be decreased to a great extent. This is possible by providing an anicut.

The above analytical results of well water samples indicate the severeness of the problem of salinity alkalinity in the Motipura and Burma-ka-Chhapar villages. As such, few major suggestions for improvement and reclamation of saline, saline-sodic and sodic soils of Motipura and Burma-ka-Chhapar villages are given below:

1. The problem of salinity alkalinity has developed due to continuous use of under ground water for irrigation which are highly saline/or medium to high sodium hazard. As such these water should be utilised with utmost caution.

2. The water of the Nallah which is flowing adjacent to these villages is of good quality and can successfully be used for irrigation by constructing an anicut.

3. The soils are fine textured ranging from clay loam to clay and have moderately slow to slow permeability, therefore, provision of drainage is necessary in the problematic areas.

4. Application of suitable amendment like gypsum as per gypsum requirement can help in reducing exchangeable sodium content and consequently may help in production of good crops with the use of good quality of irrigation waters.

5. Other management practices such as green manuring with Dhaincha, addition of bulky organic manures or compost growing of salt tolerant crops etc. may also be followed.

The above suggestions are based on very rapid traversing of the areas. For knowing the nature, cause and extent of the saline sodic problem and to suggest suitable recommendation and management practices, it is necessary that detailed soil survey of complete Panchayat Samiti Chechat is conducted. The topographical survey is also necessary such that possibility of using nallah water in the problematic area by constructing an anicut is explored.

BURMA KA CHHAPAR-VILLAGE (CHECHAT)
Chemical analysis of Irrigation well water and soil of area

Sl. No	Cultivators	Irrigation waters: PH.	Irrigation waters: E.C.X 10^3 in mhos/cm.	Irrigation waters: S.A.H.	Irrigation waters: Quality and class	Depth	Soil samples: PH	Soil samples: E.C.X 10^3(1:2 water extract)	Soil samples: E.S.P soil %	Gyp.req. ton/ha.
1.	Jagannath Devji	7.60	4.80	21.75	C_4–S_3	0.22 cm.	7.6	0.40	32.10	12.38
2.	Uda Mathu	8.10	4.80	21.36	C_4–S_3	,,	8.2	0.60	23.90	17.20
3.	Uda Bhanwar	8.20	3.80	20.11	C_4–S_3	,,	8.6	0.90	16.10	8.25
4.	Ghasi	8.20	3.80	20.11	C_4–S_2	,,	8.4	0.60	..	12.38
5.	Sita Bai	8.00	3.90	13.85	C_4–S_2	,,	8.4	0.50	32.4	16.51
6.	Jagannath Kaiaji	8.20	6.30	22.79	C_4–S_3	,,	7.8	5.00	7.10	8.94
7.	Gulab Chand	7.80	5.70	11.69	C_4–S_2	,,	8.0	0.30	..	17.20
8.	Kanah	8.00	5.40	16.43	C_4–S_2	,,	8.0	1.20	31.9	12.38
9.	Bhagchand	..	..	..	..	,,	8.3	1.00	..	..
10.	Manna	8.30	6.80	18.00	C_4–S_2	,,	8.5	0.50	5.8	11.00
11.	Jagannath Nathu	7.50	3.40	9.04	C_4–S_1	,,	8.3	0.25	..	5.25
12.	Nalla water	7.00	0.78	2.41	C_2–S_1	,,	..	..	..	..
13.	Govt. well	7.40	8.60	15.79	C_4–S_2	,,	..	..	..	..

MOTIPURA VILLAGE (CHECHAT)

Chemical analysis of irrigation well waters and soils of the area.

S. No.	Cultivator	Irrigation PH.	Irrigation water E.C. X 10^3	S.A.H.	Quality class	Soil Samples Depth	PH	E.C X 10^3 (1:2 soil extract)	E.S.P.	Gyp. req. tons/ha
1.	Madan Lal Kishanlal	8.10	9.80	16.50	C4-S2	0.22Cm.	8.5	2.20	16.80	11.00
2.	Manda Ji	7.50	7.20	13.27	C4-S2	„	8.2	1.20	–	7.36
3.	Moji Lal	7.40	9.80	17.84	C4-S2	„	8.4	0.70	14.30	15.13
4.	Ghasi Lal	7.90	9.60	17.12	C4-S2	„	8.4	0.35	4.90	3.44
5.	Raghunath	7.50	5.90	15.15	C4-S2	„	8.4	0.45	13.60	16.51
6.	Modanlal Bhagchand	8.00	3.30	18.75	C4-S3	„	8.5	1.10	–	10.32
7.	Lalu Ram	8.20	5.10	19.50	C4-S2	„	8.7	0.80	–	10.32
8.	Ram Chandra	7.90	4.00	13.66	C4-S2	„	8.6	0.80	31.60	13.76
9.	Rup Lal	8.40	3.70	22.04	C4-S3	„	8.4	1.30	–	19.76
10.	Ganga Ram	8.00	5.70	23.57	C4-S3	„	8.6	1.20	25.70	11.00
11.	Shalaji	7.90	6.20	23.25	C4-S3	„	8.4	1.40	30.50	14.44
12.	Narayan	8.05	6.70	23.66	C4-S3	„	8.1	0.45	28.70	15.13
13.	Prathvi Raj	8.00	3.00	14.00	C4-S3	„	8.2	0.35	11.40	10.32